

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2017/1938 (Saka)
No. 13, Friday, March 17, 2017/Phalguna 26, 1938 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 226	11-68
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 227 to 240	69-115
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	116-564

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	565-577
ASSENT TO BILLS	578
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 64 th to 66 th Report	579
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY 35 th to 37 th Report	580
STANDING COMMITTEE ON FINANCE 46 th to 48 th Report	580
STANDING COMMITTEE ON PERTOLEUM AND NATURAL GAS 18 th Report	581
STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT 15 th and 16 th Report	581
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL 28 th Report	581
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 36 th to 39 th Reports	582
STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 132 nd and 133 rd Reports	582

**STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM
AND CULTURE**

244 th to 248 th Reports	583
BUSINESS OF THE HOUSE	584-590
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2016-2017	591
DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2017-2018	
(i) Ministry of Defence	593-801
Shri Jyotiraditya M. Scindia	593-605
Shri Arun Jaitley	606-614
Shrimati Meenakashi Lekhi	615-621
Dr. K. Gopal	622-629
Shrimati Supriya Sule	630-634
Shri Shrirang Appa Barne	635-636
Shri B. Vinod Kumar	637-639
Shrimati Anju Bala	640-641
Dr. Ratna De (Nag)	642-643
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	644-645
Dr. Virendra Kumar	646-647
Shri Md. Badaruddoza Khan	648-649
Shri Rabindra Kumar Jena	650-653
Shri S. Rajendran	654-655
Dr. Mamta Sanghamita	656-657
Shri A.T. Nana Patil	658-660
Shri Rameshwar Teli	661

Shri Sunil Kumar Singh	662-664
Shri Sharad Tripathi	665-666
Shri T.G. Venkatesh Babu	667-669
Shri Alok Sanjar	670-671
Prof. Chintamani Malviya	672-674
Shri P.K. Biju	675-678
Dr. Bhartiben D. Shyal	679-680
Dr. Sunil Baliram Gaikwad	681
Shrimati Priyanka Singh Rawat	682-683
Shri Hari Om Pandey	684
Shri Nishikant Dubey	685-689
Shri Kaushalendra Kumar	690-692
Shrimati Aparupa Poddar	693-694
Shri R.K. Bharthi Mohan	695-696
Shri Devji M. Patel	697-699
Prof. Richard Hay	700-701
Shri Bhola Singh	702-703
Shrimati Pratima Mondal	704-707
Sadhvi Savitri Bai Phule	708-709
Shri S.P. Muddahanume Gowda	710-711
Shri D.K. Suresh	712-715
Shri Prabhas Kumar Singh	716-717
Shrimati Santosh Ahlawat	718
Shrimati Neelam Sonkar	719-720
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	721-722
Shri Gaurav Gogoi	723-726

Shri Naranbhai Kachhadia	727
Shrimati Rekha Verma	728
Shri Rattan Lal Kataria	729-730
Shrimati Riti Pathak	731-732
Shrimati V. Sathyabama	733-735
Shri N.K. Premachandran	736-738
Adv. Joice George	739-740
Dr. Kirit P. Solanki	741-742
Shrimati Jayshreeben Patel	743-749
Shri Jugal Kishore	750-751
Shri K. Ashok Kumar	752-754
Shri Rajesh Ranjan	755-756
Shri Om Birla	757-762
Shri Gajendra Singh Shekhawat	763-766
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	767
Shri Bhartruhari Mahtab	768-770
Shri Ganesh Singh	771-773
Shri Bhairon Prasad Mishra	774
Shri Krishna Pratap	775-776
Shrimati Poonamben Maadam	777-781
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	782
Shri Ashwani Kumar Choubey	783-786
Dr. Subhash Ramrao Bhamre	787-799
Demands Voted	801

(ii) Ministry of Home Affairs	802-952 954-1012
Shri Mallikarjun Kharge	804-826
Cut Motions	827-829
Shri Harish Meena	830-838
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	839
Shri Kaushalendra Kumar	840-841
Shri Vinayak Bhaurao Raut	842-843
Shri Rajesh Ranjan	844-854
Shrimati Supriya Sule	855-857
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	858-865
Dr. Sunil Baliram Gaikwad	866-867
Shri Tathagata Satpathy	868-874
Shri Arka Keshari Deo	875-876
Shri T.G. Venkatesh Babu	877-879
Shri Maheish Girri	880-881
Dr. Ravindra Babu	882-885
Shri B. Vinod Kumar	886-889
Shri Mohammad Salim	890-896
Shri Vishnu Dayal Ram	897-899
Shri Jitendra Chaudhury	900-901
Shrimati Poonamben Maadam	902-905
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	906-907
Shri Sumedhanand Saraswati	908
Dr. Udit Raj	909-911
Dr. Kirit P. Solanki	912-913
Shri E.T. Mohammed Basheer	914-916
Dr. Virendra Kumar	917-920
Shrimati Kirron Kher	921-926

Shri Ramcharan Bohra	927-929
Shrimati Riti Pathak	930-931
Shri Alok Sanjar	932-934
Shri Rodmal Nagar	935-937
Shri Abhijeet Mukherjee	938-940
Shrimati Jayshreeben Patel	941-943
Shri Shrirang Appa Barne	944-946
Shri Chandra Prakash Joshi	947-949
Shri Rajendra Agarwal	950-952
Kunwar Bhartendra Singh	954-956
Shri Nishikant Dubey	957-961
Shri Dushyant Chautala	962-963
Dr. Thokchom Meinya	964-967
Dr. Sanjay Jaiswal	968-969
Shri Sunil Kumar Singh	970-976
Shri Nihal Chand	977
Shrimati Anju Bala	978
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	979-980
Shri Om Birla	981-989
Shri Bhairon Prasad Mishra	990-991
Shri Prem Das Rai	992
Shri Jugal Kishore	994-995
Prof. Richard Hay	996
Shri Rajnath Singh	997-1011
Demands Voted	1012

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
41st Report

953

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions

1013

Member-wise Index to Unstarred Questions

1014-1019

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions

1020

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

1021

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 17, 2017/Phalguna 26, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

Q. No. 221, Shri S. P. Muddahanume Gowda ji.

(Q. 221)

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA : The ancient Indian medicine practice under AYUSH provides natural a remedy and it has been practiced since the time immemorial. It is scientifically asserted that compared to the allopathic system, AYUSH has no side effects. That is why, people from around the world are now looking towards India for AYUSH treatment. It is because, it has been proved that comparatively it does not have any side effects.

A lot of private hospitals are there in India and they are rendering good service to the needy people. Persistent support of the Government to this ancient form of medicine is the need of the hour. Hence, I would like to know whether the Government is intending to commence, to bring the AYUSH medical practice in the Government allopathic hospitals so as to enable the needy people to get treatment under AYUSH in the Government hospitals.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही है। इसके लिए आयुष मंत्रालय प्रयत्नरत है। माननीय सदस्य ने कहा कि आज आयुर्वेद को या आज आयुष की सभी इण्डियन मेडिसिन सिस्टम की जो पैथीज़ हैं, लोग उन्हें चाहते हैं। हमारा प्रयास है, हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर में हम चाहते हैं कि को-लोकेशन में आयुष के डॉक्टर्स वहां रहें। इसके लिए हम राज्य सरकार को कम से कम 20 लाख रुपये प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स को ओ.पी.डी. या अन्य ट्रीटमेंट करने के लिए देते हैं और हमारे डॉक्टर्स वहां काम करते हैं।

दूसरी बात यह कि जो कम्युनिटी हैल्थ सेंटर्स हैं, वहां भी इसी तरह से हम पैसे देते हैं। हम राज्य सरकार को 30 लाख रुपये प्रति हैल्थ सेंटर शुरू करने के लिए देते हैं। आप जानते हैं कि हैल्थ राज्य सरकार का विषय है। हम उसको प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियली मदद करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो आयुष मिशन प्लोट किया है, उसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट को 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू करने के लिए 11.5 करोड़ रुपये देते हैं। आज तक हमारे पास कम से कम 31 प्रोजेक्ट्स कई राज्यों से आए हुए

हैं। हमने इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा भी रिलीज किया हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां भी आयुष की प्रैक्टिस ज्यादा हो, आयुष के डॉक्टर्स वहां जाकर लोगों को ट्रीटमेंट दें, लोग जैसी सर्विस चाहते हैं, वह उन्हें दी जाए। यह सब हम राज्य सरकार के जरिये करते हैं। इसके अलावा जब राज्य सरकार कहीं जमीन देती है तो इसे आगे बढ़ाने के लिए हम वहां नेशनल इंस्टीट्यूट विद रिसर्च एंड हास्पिटल प्रतिस्थापित कर रहे हैं। दो-तीन राज्यों में हमारा काम अभी चालू है।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam, as per the information furnished in the reply of the hon. Minister, a large number of posts of doctors, paramedical and other staff are lying vacant. I would like to know whether, to meet the demand, the Government intends to start more teaching institutions so as to fill the vacant posts.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, माननीय सदस्य ने वेकेन्ट पोस्ट्स के बारे में सही कहा है। चूंकि हैल्थ सब्जेक्ट को राज्य सरकार देखती है, इसलिए उसका डाटा हम नहीं रखते और आंसर में भी हमने डाटा नहीं दिया है। हम जो नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च सेंटर्स बनाते हैं, उनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स सब जगह हैं, लेकिन हमने पी.जी. कोर्स शुरू किया है, ताकि जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़कर जायेंगे वे प्रोफेसर के लेवल पर जायेंगे और हमारे देश में प्रोफेसर की जो जरूरत है, उस नीड को हम केंटर कर पायेंगे। हमारे यहां ऐसे 11 नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वहां हमने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया है, इससे भविष्य में हमें ये फैकल्टी मिल जायेगी।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जब भी हम चिकित्सा पद्धति के बारे में विचार करते हैं तो रोग पहचानने का तरीका या तो नाड़ी होता है या जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनकी चिकित्सा विज्ञान में मान्यता नहीं है। अगर मान्यता नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी जो मैडिकल सैन्स है। अगर एविडेन्स की जरूरत पड़े तो आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल नहीं पाता है। मैंने पहले भी यह बात पूछी थी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक आश्वासन पार्लियामेंट का पड़ा हुआ है कि जो प्रिजर्वेटिव्ज होते हैं, अभी तक वे सारे के सारे रासायनिक होते हैं। जो जैविक तरीके से होने वाले प्रिजर्वेटिव्ज हैं, जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो हम सिर्फ रोगों और अस्पताल तक सीमित हो जाते हैं। क्या इसके बारे में भी कोई प्रोग्रेस इस क्षेत्र में हुई है या कोई ऐसा अनुसंधान हुआ है कि अगर कोई चीज जैसे सब्जियां, फल आदि हमें संरक्षित करने हैं, अगर उन्हें हम जैविक तरीके से रखना चाहेंगे तो क्या इस आधार पर हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नाड़ी परीक्षा के बारे में पूछा है। नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आयुष मंत्रालय नाड़ी परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी काउंसिल फॉर आयुर्वेद है, उनके साथ हमारी इस बारे में मीटिंग भी हुई है और जो नाड़ी परीक्षा विषय है, वह अगली एजुकेशन लिस्ट में डालने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक प्रिजर्वेटिव का सवाल है, मेरे ख्याल में हमारे आयुर्वेद सिस्टम में प्रिजर्वेटिव का कोई स्थान नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे हम नीम कोटिंग आदि प्रयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने इसके बारे में जो कहा है, मैं रिसर्च काउंसिल से इसके बारे में पता कराऊंगा, अगर हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करेंगे।

प्रो. सौगत राय : मैडम, यह बात सही है कि आयुष दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। लोगों को ऐसा लगता है और जैसा मेरे से पहले प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आयुष के कोई साइड इफैक्ट्स नहीं हैं, जो एलोपैथिक मैडिसंस में होते हैं। लेकिन आयुष की मूल समस्या हमें यह दिखाई देती है कि इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बहुत से लोग स्पॉन्डिलाइटिस रोग से बीमार हैं और कहा जाता है कि यह आयुर्वेद से अच्छा हो सकता है। सारे देश में कोटक्कल आर्य वैद्यशाला खुली हैं, कहा जाता है कि तेल मालिश से सब बोन डिजीज ठीक हो जायेंगी, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि इसमें कौन असली है और कौन नकली है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि खासकर इन सब बीमारियों को ध्यान में रखकर आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपने कोई कदम उठाया है? देश में ऐसे कई कालेजेज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की कोई स्टैंडर्ड सरकारी रिकग्नाइज्ड पद्धति नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : आज आयुर्वेद का प्रश्न है तो उन्होंने पूरा प्रश्न हिंदी में ही पूछा है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने मैडिसिन के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पूछा है। आपको पता है कि दो साल पहले ही आयुष मंत्रालय अलग किया गया है। एलोपैथी में जो हमारा यूनिट है, अब तक हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में उनके साथ ही चल रहे हैं। हमने मांग की हुई है कि हमारा फार्माकोपिया अलग है और इसको एलोपैथी से अलग करने की अनुमति हमने सरकार से मांगी है। हमारा स्टैंडर्डाइजेशन देखने के लिए, सभी राज्यों में जो इंस्पेक्टर होते हैं, वही जा-जा कर, जहां-जहां दवाई है, वहां चैक करने की कोशिश करते हैं। कई केसिज़ मिले भी हैं, उनके ऊपर एक्शन भी हुआ है। जब तक हमारा फार्माकोपिया डिपार्टमेंट या मैडिसिन डिपार्टमेंट अलग नहीं होगा, तब तक हम अच्छे तरीके से आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए यह अभी सैंक्शन होने के मार्ग पर है। हम स्टैंडर्डाइजेशन को जल्दी ही करेंगे,

इसकी बहुत आवश्यकता है। स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं होने के कारण ही आज विदेशों में भी हमारी जो मैडिसिन जाती है, वह फूड सप्लिमेंट्री के तौर पर जाती है। जब स्टैंडर्डाइज़ेशन हो जाएगा तभी हमारे देश को भी और आयुर्वेद को भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और साथ ही बाकी सभी पैथियों को भी अच्छा फायदा मिलेगा।

SHRI S. RAJENDRAN : Madam, Tamil Nadu is one of the pioneers in Siddha and other forms of alternative medicines, including Ayurveda and Homeopathy. How much emphasis is being paid to derive the full potential of Tamil Nadu in Siddha, Ayurveda and Homeopathy?

It is stated that a sum of Rs. 400 crore has been earmarked under the National AYUSH Mission for various activities. How much of it would be spent on setting up of AYUSH hospitals and dispensaries in the States, particularly in Tamil Nadu during the year 2017-18?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने तमिलनाडु के बारे में पूछा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में आयुर्वेद के दो अस्पताल हैं। यूनानी का एक अस्पताल है। सिद्धा के 271 अस्पताल हैं। कुल मिला कर 276 अस्पताल तमिलनाडु में हैं। जो ग्रांट हम आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुष मिशन के जरिए देते हैं, जो-जो पैथी हैं, उनके लिए जैसा बजट वे मांगते हैं, उसी तरह से आज तक हमने बजट दिया है। उसमें कमी कुछ नहीं है। जो प्रस्ताव उनके आए हैं, वे हमने आज तक सैंक्शन किए हैं, उसमें कुछ कमी नहीं रखी है। यदि तमिलनाडु सरकार प्रपोज़ल भेजेगी तो उसके लिए भी हम बजट देने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. भारती श्याल।

आयुर्वेद बहुत पॉप्युलर हो रहा है, बहुत से लोग इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और आयुष मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत, योग और आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार किया है और अब तो योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। इसकी वजह से पूरा विश्व अब हमारी धरोहर के प्रति मुड़ा है। हमारे देश में भी लोग अब आयुर्वेद के प्रति मुड़ रहे हैं और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति अपना रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बाजार में आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, वे बड़ी महंगी मिल रही हैं और उसकी वजह से भी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति लंबे अर्से तक उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारी सरकार ने जेनरिक मैडिकल स्टोर खोले हैं, ऐसे ही अगर आयुर्वेदिक औषधियों

के मेडिकल स्टोर्स खोले जाएं तो मुझे लगता है कि पूरा देश आयुर्वेद की तरफ मुड़ेगा और हमारी यह चिकित्सा पद्धति बरकरार रहेगी।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, एलोपैथी की जेनरिक मेडिसिंस के कम से कम तीन हज़ार स्टोर्स मेरे ख्याल से पूरे देश में होंगे। हमारा प्रयास है कि उनके साथ-साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो बाकी सभी पैथी की मेडिसिंस हैं, वे भी उसमें रखी जाएं। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए यह कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम निश्चय ही कृतसंकल्प हैं।

श्री महेश गिरी : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास से योग को विश्व स्तरीय मान्यता मिली। योग और आयुर्वेद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो अलग-अलग कभी नहीं हो सकते। मंत्री महोदय जी जानते हैं कि मैं इस विषय से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रश्न मंत्री महोदय से यह है कि जो प्राचीन विद्या आयुर्वेद की चली आ रही है, इस विद्या में रोग के जन्म लेने से पहले ही नाड़ी आदि के कारण उसका कैसे ध्यान रखा जा सकता है, कई ऐसी विद्याएँ हैं, जो आज नये-नये नाम चढ़ाकर विदेशों से भारत में आ रही हैं। आस्टीयोपैथी एक ऐसा ही नाम है, जो विदेशों से भारत में आयी, पर यह भारत से लुप्त हो गई है। ऐसी कई विद्याएँ हैं। ऐसी कई मेडिसिंस हैं, जो लुप्त हो रही हैं। कई जड़ी-बूटियाँ लुप्त हो रही हैं। इसके लिए मंत्रालय के माध्यम से क्या आयुर्वेद को, जैसे योग पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुआ, ऐसे प्रचार-प्रसार के साथ और जो लुप्त हो रही विद्याएँ हैं, जो लुप्त हो रही औषधियाँ हैं, जो एक नया जीवन दे सकती हैं, क्या उसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, मैं यही जानना चाहता हूँ।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, आयुर्वेद केवल रोग होने के बाद रोग को दूर करने के लिए है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। आयुर्वेद को तो प्रिवेन्टिव भी हम कह सकते हैं। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो आगे रोग नहीं होना चाहिए, इस तरह की मेडिसिन भी आयुर्वेद में उपलब्ध हैं। जिस तरह की लाइफ स्टाइल आज हमारी हो गई है, ज्यादा रोग तो आज हमारी लाइफ स्टाइल की खातिर तैयार हो रहे हैं। यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखें और प्रिवेंशन के लिए जो-जो प्रिवेंशन बताये गये हैं, उन्हें ले लें तो जन्मकाल में रोग होने की संभावना ही नहीं होगी। आयुष मंत्रालय की यह पूरी कोशिश है कि योग के जरिये, नेचुरोपैथी के जरिये इस तरह की लाइफ स्टाइल को लोग अपनायें। माननीय सदस्य ने जो लुप्त हो रही औषधियों के बारे में बोला है, जो कहीं डेन्जेरस जोन में भी हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बहुत काम कर रहा है। इसके लिए हम बहुत बजट राज्य सरकारों को देते हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम्स के अन्दर भी हम एन.जी.ओज. को मेडिसिनल प्लांट प्लांट करने के लिए, उनको उगाने के लिए हमारा

प्रयत्न है। जो कुछ पैसा हमें बजट में इसके लिए आवंटित किया जाता है, वह पूरा पैसा हम इसके लिए खर्च कर रहे हैं।

(Q. 222)

श्रीमती संतोष अहलावत : महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है, जिसके अनुसार 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक न्यूनतम पहुँच है। यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्री फगन सिंह कुलस्ते : महोदया, जैसा अभी माननीय सदस्या ने कहा है, अभी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक सुधारात्मक कदमों की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि चिकित्सकों के लिए और उनकी सेवाओं में वृद्धि की दृष्टि से भी हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। एन.आर.एच.एम. का लगातार एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। उसी दृष्टि से हमने चिकित्सकों और विशेषज्ञों की, जो राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ दे रहे हैं, उनके विस्तार की दृष्टि से भी है। उनको हमने इसमें 35 हजार रुपये से लेकर एक लाख 75 हजार रुपये तक मानदेय देने का भी फैसला किया है। हमने बहुत बड़ी संख्या में करीब 28 हजार चिकित्सकों की नियुक्ति इसमें की है। निश्चित ही इसमें वृद्धि होगी। जहाँ तक दूसरा जो पक्ष है, उसके लिए हमने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सक हैं, हमने तीन साल का एक क्राइटेरिया रखा है, प्रतिवर्ष उनको दस बोनस अंक दिये जायेंगे और लगातार तीन वर्ष तक अगर वे काम करेंगे तो उनको तीस अंक चिकित्सा प्रैक्टिस के समय में, जब भविष्य में वे इस प्रकार के किसी एग्जाम में बैठेंगे तो उनको बोनस अंक देने का प्रावधान हमने स्पेशियली किया हुआ है।

श्रीमती संतोष अहलावत : मैडम, हालांकि, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब कुछ दे दिया है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने हाल ही में यह प्रस्ताव पास किया है कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 50% सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों तक काम किया है? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने 50% रिज़र्वेशन, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए रखा है और इसके लिए हमने तीन वर्षों का लक्ष्य रखा है। जो भी चिकित्सक तीन वर्षों तक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में काम करता है तो

उसको हमने बोनस अंक देने का प्रावधान किया है। इसमें जो 50% रिज़र्वेशन की व्यवस्था है, उसको हम पी.जी. जैसी क्लासेस में आगे मोड करने में सहायता करेंगे।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : Thank you, Speaker Madam, for giving me this opportunity because this is a very important question pertaining to the health infrastructure provided in the rural areas. I thank the Government for its emphasis on health and for the New Health Policy. Today the physical infrastructure in rural areas is still a question mark. There is a huge gap in the Indian healthcare system that needs to be filled in the rural areas.

The rural healthcare is also a subject matter of the State Government. The doctors, who are working in rural areas, are not having proper infrastructure to live there. So, no doctor is interested in staying there and serving the poor.

I would like to know from the hon. Minister through you, Madam, whether there is any comprehensive policy being formulated by the Union Government to coordinate with the State Governments on providing physical infrastructure in rural areas thereby to provide affordable healthcare to the rural population as well as the entire tribal population which is in a very desperate condition today.

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, वैसे इस व्यवस्था के बारे में राज्य सरकारें अपनी अलग-अलग व्यवस्था करती हैं। भारत सरकार का काम केवल उनको ग्रांट देना है। बहुत सारी योजनाएं हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से लागू की हैं। अभी हमने एक नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब यह बिल आए, उस समय आप सब लोगों का समर्थन मिले। मुझे लगता है कि उस बिल में सारी चीज़ें दिखेंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को हम जितना बेहतर कर सकते हैं, हमने इसके अंदर सारा प्रोवीजन किया है और बहुत जल्दी निकट भविष्य में हम इसे लेकर आने वाले हैं।

जहां तक रूरल हेल्थ मिशन का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने की हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, हमने इसके लिए लगभग 23,000 एम्बुलेंसेज की व्यवस्था की है, जिसके अंदर टेलीफोन नं '108', '102' पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके की व्यवस्था है। इसे हर प्रदेश सरकार करती है। कुल मिलाकर, हम राज्य सरकारों को ग्रांट्स देते हैं और राज्य सरकारें वहां स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दृष्टि से अपनी व्यवस्था करती हैं और हमारा केवल निर्देश प्राप्त करती है।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वे कम से कम कानून बना रहे हैं, नहीं तो आजकल मेडिकल कॉलेज के बारे में कानून बनाना ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया)। ये जो कह रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में 70% सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उससे मैं एतराज करता हूं। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि उनका काम पैसे देना है। पैसे देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है।

यू.पी. में एन.आर.एच.एम. घोटाला हो गया। बिहार में एक कमेटी बनी और सारी दवाओं का घोटाला हो गया। बिहार में आज तक दवाइयां खरीदी नहीं जा सकी हैं। आपने पैसे दे दिए और पैसे का उपयोग नहीं हुआ।...(व्यवधान) यह सबूत है कि बिहार में एन.एच.एम. घोटाले की एफ.आई.आर. बिहार में हुई है।...(व्यवधान)

मुझे मंत्री जी से कहना है कि अगर कोई प्रदेश दवाइयां नहीं खरीद सकता है तो केन्द्र सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले। गांवों में दवाई पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। वह किस तरह से पहुंचे, यह आवश्यक नहीं है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न होगा कि जिन-जिन प्रदेशों में घोटाले हुए हैं और दवाओं की खरीद नहीं हुई है, क्या उन प्रदेशों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करके ग्रामीणों को दवाई पहुंचायी जाएगी?

श्री फगन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक प्रकरण या किसी राज्य सरकार के बारे में शिकायत करेंगे तो मैं यह कह सकता हूं।...(व्यवधान) केवल स्टेट का नाम, केवल स्कीम्स के बारे में कहेंगे तो हम उसके लिए जरूर दिशा-निर्देश देंगे और उसकी जांच की जो भी प्रक्रिया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे।

(Q. 223)

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तार से बताया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेवारत सैनिक हमारे सशस्त्र बल परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो हमारे मूल्य और संस्कृति के पालक हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पूर्ण सम्मान दें, क्योंकि वे वर्तमान और अतीत के मध्य की एक अटूट कड़ी है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दे और उनकी चिंताओं के प्रति काफी संवेदनशील है और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्परता के साथ सभी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 'एक रैंक - एक पेंशन' योजना लागू कर दी, जिसके कार्यान्वयन की मांग पिछले चालीस वर्षों से अधिक समय से लम्बित थी लेकिन, अभी भी उनके लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, इस संदर्भ में मैं अपने इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश में विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं पुनर्रोजगार के माध्यम से कितने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सम्मानित एवं स्वावलम्बी बनाया गया है?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : Madam, the Directorate General Resettlement (DGR) is an attached office of the Ministry of Defence, which facilitate the resettlement of Ex-Servicemen (ESM) by organising pre and post retirement training, reemployment and self-employment.

Nearly, 60,000 armed forces personnel retire or release every year. Most of them being in a comparatively younger age bracket of 35-45 years need a second career support for their families. These personnel constitute valuable, disciplined, well-trained, dedicated and talented pool available. Hence, through all these measures, a good number of ESM have been given jobs. For example, there are job opportunities in Central Government; Nationalised Banks; placement assistance through DGR; there are so many DGR-sponsored Security Schemes; ESM Coal Loading and Transportation Scheme is there; and other schemes are also there.

The maximum numbers of ESM are given second job in the form of security personnel. I would like to give the figures. In 2014, the Security Agencies

could absorb 41,764 personnel; ESM company-sponsored in coal for the officers - 6; widows / disabled / ESM attached in coal companies – 96; management of CNG Stations in NCR – 63; sponsored for COCO scheme – 499; issue of eligibility certificate for allotment – 65; Mother Dairy Milk Booths and Safal shops – 211; Gopaljee Dairy – 5; placement by DGR – 4,957; placement by *Rajya Sainik Board* – 13,637; and employed by DSC – 44,615.

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदया, इस संदर्भ में आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन पुनर्वास महानिदेशालय, पूर्व सैनिक विभाग, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाले पूर्व सैनिक कल्याण निगमों द्वारा विशेषतः पर्वतीय एवं दूरदराज क्षेत्र, जहां काफी अधिक संख्या में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित रहते हैं, उनके लिए संचालित योजनाओं की जानकारी उन तक सुगमता से पहुंच सके और वे उन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास हेतु क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, the most important thing in Directorate General Resettlement is that the training which is provided before retirement and after retirement. For officers, there is a training of 24 weeks of management courses at IIM and other reputed B-schools. Certificate courses like Management of Academic Institution, Supply Chain Management, Retail Management and other newly introduced courses certified by NSDC in various skill sectors are approved by the Government bodies like DG Shipping and DGCA etc. 60 per cent of the course fees is paid by DGR while 40 per cent is paid by each individual officer. Widows of officers are also eligible to undergo the courses. JCOs/OR and Equivalent's Training at Institutes consists of the courses like IT, Security Management, other skill sectors approved by NSDC and courses by other skill centres.

A number of measures has been taken to provide more benefits to Ex-servicemen. The number of scholarships under the Prime Minister's Scholarship

Scheme has been enhanced from 4000 to 5500 in the academic year 2015-16. The marriage grant for daughter has been enhanced from Rs. 16,000 to Rs. 50,000.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस प्रश्न के बारे में उन्होंने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में शहीद जवानों के परिजनों को केंद्र सरकार के माध्यम से जो आर्थिक सहायता दी जाती है, शहीद जवानों की बच्चियों की शादी के लिए सिर्फ 16 हजार रुपये से 50 हजार रुपये की राशि का प्रोविजन रखा गया है। यह राशि पर्याप्त नहीं है। आज महंगाई बढ़ गई है और 16 हजार रुपये या 50 हजार रुपये में कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उनकी बच्चियों के शादी के लिए एक से दो लाख रुपये की राशि का प्रोविजन करने की जरूरत है।

मेरी दूसरी मांग यह है कि मेरे क्षेत्र में पिछले छह महीने में दो जवान शहीद हो चुके हैं, एक सावंतवाड़ी में और एक कुडाल में, ये दोनों जवान नौजवान थे। इनकी जो पत्नियाँ हैं, वे बीस से तीस साल की उम्र की हैं। उनका एक-दो साल का बच्चा है। ऐसे शहीद जवानों की पत्नी या परिजनों को तुरंत नौकरी देने का प्रावधान कानून में करने की जरूरत है। क्या हमारी सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोच रही है?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: This is a good suggestion. We will take note of that. But then, I would like to inform him that as far as the marriage grant for daughter is concerned, it was Rs. 16,000 and this year it is made as Rs. 50,000.

(Q. 224)

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR : I would like to like to thank the hon. Minister for providing Rs.56 crores to Tamil Nadu for the protection of streets and destitute children in the current year.

Madam, the Tamil Nadu Government, following the footsteps of our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma, is taking sincere efforts to protect the street children under the Integrated Child Protection Scheme. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any other special schemes to increase the infrastructure facilities to provide good education, vocational, sports and health care facilities.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Madam, the ICPS, Integrated Child Protection Scheme works on opening shelters, childline, Specialised Adoption Agencies and railway children is a new thing that we have started. We help NGOs reunite children with parents. We run Child Welfare Committees. We run DCPUs. We have recently done the mapping of 9,000 child care institutions and as soon as we know what they need, we would be happy to provide it if it is in the interest of the children. We have opened shelters also. If you tell us what more you need, then we would be happy to factor that into the children care institutions that we fund.

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR : I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plans to collect the complete data on the street and destitute children in the country through government agencies or NGOs and provide funds for the same.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: The Government does not maintain data till now on the number of street and destitute children of the country because the population is so amorphous and it floats. There are abandoned, kidnapped, trafficked, run-aways and migratory, however, a rapid study was done four years ago by an NGO called Don Bosco National Forum. They found that there are main three cities - New Delhi, Mumbai and Kolkata - which had children on the streets. Comparatively, Chennai came at 4 but it did not have that many children in 2013.

I suppose, as the general population grows, the number of street children would increase. However, we have now done a great deal of work for interventions.

For the first time, I would happy to tell you that we have taken a Standard Operating Procedure for care and protection for children in street situations. I would be happy to give it to every Member of Parliament. In that, we have specifically outlined what to do with a child in whichever situation and how to deal with the child. So, we have nothing planned to map the number of children but certainly there is now an SOP in place on 'what to do with the children we come across'.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अनाथ और बेसहारा बच्चों की संख्या के बारे में मंत्रालय कोई आंकड़े नहीं रखता है, लेकिन वर्ष 2013 में यंग ऐट रिस्क और डॉन बॉस्को रिसर्च सेंटर, मुंबई के द्वारा जो आंकड़ों का संग्रह किया गया, उसके बारे में बताया गया।

अनाथ होने का दर्द अनाथ बच्चा ही जानता है। सुबह-सुबह जब हम सब लोग घरों में सो रहे होते हैं, तब बच्चे अपने कंधों पर पॉलिथीन का बैग लेकर, पॉलिथीन इकट्ठा करने के लिए, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं। जब वे यूनिफार्म और जूते पहनकर स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते हैं तो उनके मन में भी कहीं न कहीं यह आता है कि हमें भी इस तरह की छाया मिले, ताकि हम भी स्कूल जाएं, पढ़ाई करें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बालिकाओं के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय शुरू किये गये हैं, क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है, जिसमें मातृछाया जैसी कोई संस्था बनाई जाए? हमारे देश में बहुत सारे छोटे और मझोले शहरों में बाल गृह नहीं हैं और जो बाल गृह हैं भी, उनकी व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में इस तरह की कोई मातृ संस्था बनाकर और इस तरह के निराश्रित और बेसहारा बच्चों के लिए उनकी शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास के संबंध में क्या कोई योजना बनाएंगे?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: It is a good question. We do not make the institutions ourselves. What we do is that we pay for an NGO to run institutions. We have CWCs which are supposed to work with DCPO to map the vulnerable children. However, since I took over the charge of this Ministry, we have increased the number of child care institutions that look after children in distress

by approximately 500. In 2014, there were 1,757 institutions getting help. Now, in 2017, we have 2,283 institutions. I am happy to institute, pay for and help increase the facilities for any NGO that applies to us and is doing work. Also, we have something new. For the first time, we have done a mapping of every single children's institution in the country. We have found that there are 9,000 plus institutions. Many of these have never been registered and they get no help from the Government. In 675 districts, we have asked them to register themselves. Apart from this, we have started a new thing called the 'Railway Children's Helpline' through which, so far, 17,900 children have been rescued, helped and put into institutions. We have put open shelters which have every facility in them. We have started 306 such shelters.

In the Railway Children's thing, we have taken 30 railway stations, both 'source' and 'receiving'. We have put posters in all the bogies asking people to identify children who they think are being kidnapped, trafficked or are runaway so that they do not end up on the street. We then pick them up in these 30 most vulnerable stations and we have a helpline/helpdesk at each one of these stations plus sensitisation of the Railways. We are trying our best to keep children off the road.

Regarding orphans, we have a large number of orphanages. Those are being upgraded. As I said, the mapping has been done of each one. The study has yet to come to me and then we find out which one of these orphanages need to be made better and how many more we need. Accordingly, we will increase them.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, there is no dearth of programmes, there is no dearth of promises and there is no dearth of funds, etc. We are all very much habituated to listening to these kinds of issues.

लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज बंगाल में जो हो रहा है, इसे आप थोड़ा गौर से देखिए। बंगाल अभी बेबी ट्रेड का हब बन चुका है। आज सैकड़ों बच्चे बंगाल में तस्करी होने के शिकार बन चुके हैं। बिस्किट के कार्टन में बच्चे को रखा जाता है। ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आज हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया से लोग तस्करी करने के लिए बंगाल में आते हैं।...(व्यवधान) बंगाल को इस हालत से बचाइए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : ऐडॉप्शन की जो पॉलिसी है, चिन्ड्रन केयर की जो पॉलिसी है, आप उसमें सुधार कीजिए और बंगाल में आज जो हो रहा है, वह हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है।... What is your reaction?

HON. SPEAKER: You do not have any question. What is it? This is not a question at all. You do not have any question. Hon. Minister, do you have any answer because he has not asked any question and only made an allegation?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Madam, it is not just West Bengal. For many, many years, since before Independence, there has been this terrible *rivaj* where a woman who has a baby is told that her baby is dead and then that child is trafficked or sold. This used to mainly happen with children that were going abroad. In this particular case, in West Bengal, a lot of children were trafficked by several nursing homes. In fact, one of the people who presumably was trafficked and sold to or adopted by a foreign couple is now working with us. He has come back to India and is now working with us for foster care. He is a very fine, young man. However, this is not just a West Bengal problem.

CARA is now one of the strictest institutions in the Government. Every single day, we keep a watch on everything. When I became a Minister, there was not even a list of the number of orphanages in India. There was no number of children that were available. Now, we have done an intensive study. We know which child is going where. It is absolutely a minute to minute monitoring. Every time, we get a complaint about any suspected nursing home, including the ones that you have talked about, then action is taken. In fact, the action that was taken

in the nursing homes in West Bengal was done at my instance and at the instance of the Ministry. So, if the Members of Parliament here could -- every time they suspect something happening -- bring to our notice, we take immediate action. This is an area that is being dealt with very strictly.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी और मंत्रालय ने उत्तर में कहा है, डॉन बास्को नेशनल फोरम की रिपोर्ट में भी आंकड़े दिए गए हैं कि किस शहर में कितने-कितने बच्चे हैं। उसके अलावा, उत्तर में बड़े स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि The Ministry of Women and Child Development is implementing ICPS Programme through the State Governments and the UT Administrations with the objective to create a safe and secure environment for the overall development of the child in need for care and protection including street and destitute children.

अध्यक्ष जी, इसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, वह देश की राजधानी का है, लगभग 70,000 बच्चों का है, उसके बाद मुंबई का 19,000 के लगभग है। अगर देश की राजधानी में यह हाल है तो ये आंकड़े कितने सही होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट ऐसी नहीं है या कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, जहां इस तरह के बच्चे नजर न आते हों। क्या माननीय मंत्री जी इसको अपने विभाग की विफलता मानती हैं या दिल्ली प्रदेश सरकार की विफलता मानती है। क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं कि जिसमें ऐसे बच्चों को इक्कीसवीं शताब्दी में वे सब सुविधाएं नहीं दी गईं, जो उन्हें मिलनी चाहिए थीं? आप ऐसा क्या प्रयास करने वाली हैं? हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में इसकी संख्या बड़ी तेजी से गिरेगी। हम चाहेंगे कि ऐसा कोई बच्चा न हो और इस तरह के बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, जिनको आज तक सुविधा नहीं मिली, जैसा माननीय वीरेन्द्र जी ने कहा, ऐसी कौन सी सुविधाएं बनाने वाली हैं या कोई टारगेट रखा गया है कि इतने वर्ष तक हम लोग इसकी संख्या को कम करने वाले हैं?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, we, in fact, have been working in the Ministry to formulate a plan which is based on zero tolerance to child begging. We have called a meeting in the first week of next month of the Police, NGOs that are working in the area, the State Government of Delhi and us. To start with, it will be one month of zero tolerance for children. If there are say 70,000 children, it is very simple to pick them up. We need to know as to how to put them into various institutions so that we do not destroy them in the process.

Many of these children belong to their parents who are also beggars. Some of them are trafficked; some of them are orphan; and some of them are a part of group of children themselves. But, by the first week of next month, we will have a specific plan for the zero tolerance. Then, maybe, I can bring it here and explain this.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, children are the jewels of our society. I agree that protection of destitute children is one of the important things. Nowadays, children in the homes are also not safe. A lot of incidents are happening day by day. Children in the homes, children in the orphanages are being sexually harassed. A lot of criminality is taking place day by day even with the children of three years or five years. In our State also, some reports are coming like that. We are actually ashamed of this. We have got the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 to protect the children. But, we have to enforce the implementation of the Act. I would like to know whether the Government is going in detail for implementing this Act strictly and strongly. After the Nirbhaya incident, a fund has been created as the Nirbhaya Fund. How much fund has been allotted for this purpose?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, regarding the sexual harassment of children, we have something called the CHILDLINE which is one of the best institutions in the country. It was started during Atal-ji's time and it has gone from strength to strength. We now are working with 700 NGOs. What we do in real time is that we get phone calls from children who need help from their parents, from their caretakers, from teachers. Every month we get over 400,000 phone calls. The response is not only immediate, if a child needs to be picked up or some other needs to be taken, it is done within the hour. If it is just a child that is complaining about something, then he or she is talked through the process.

Apart from that we have started something new which is at the moment called 'E-Box'. Many children are sexually harassed by people they know, not always by a stranger. It is done within the neighborhood, within adults they know,

and they get very scared about complaining. So, we have started something new called 'E-Box'. Any child, any parent, anybody who does not want to make it public but wants us to take action, can go to the 'E-Box'. It is very simple. They enter whatever they need and they address, and then we take action. Even though this 'E-Box' is just a few months old, we have received hundreds of complaints, and in every single case action has been taken. What we need is complaint. If it is generally said, alright sexual harassment is taking place, there is very little that we can do unless we are complained to. If we can use 'E-Box' properly, CHILDLINE properly, these incidents can come down a lot.

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे : मेरा सवाल इसी विषय से संबंधित है। बच्चों की ट्रैफिकिंग काफी अगला स्टैप है। चिल्ड्रन होम या ऑर्फनेजेज़ में बच्चों के साथ अलग-अलग तरह से शोषण होता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार कोई सख्त कदम उठाने वाली है? चाइल्ड केयर होम में केयरटेकर ही बच्चों का शोषण करते हुए नजर आते हैं। हमने महाराष्ट्र राज्य में ऐसा होता कई बार देखा है। अगर यह संस्था कोई एनजीओ भी चला रही है तो सरकार को इसे वॉच करने का पूरा अधिकार है। आश्रमों में बच्चों का शोषण करने वाले केयरटेकर्स के बारे में सरकार क्या कोई सख्त नामर्स बनाना चाहती है? क्या इसके लिए सरकार कोई सख्त कदम उठा रही है?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: There are already strict norms for caretakers of orphanages. The point is that these children are vulnerable and there is nobody except the caretaker to look after them. So, if the fence starts eating the grass, there is very little we can do. Whether it is Central or State Governments, how can a 24-hour watch be kept on a caretaker who abuses the children?

However, we are doing spot checks. I have written to every Member of Parliament several times asking them if they can visit without any prior warning the childcare institutions in their own Constituencies, we can see for ourselves whether something is wrong. If each of our Members of Parliament takes say two or three such institutions and put them under their own watch, I am sure we will be able to assure much better systems.

(Q. 225)

श्री लक्ष्मण गिलुवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि बैंक देश के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को कामकाज बढ़ाने की दृष्टि से निवेश करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। बड़े लोग और उद्योगपति ऋण तो लेते हैं, लेकिन वापिस नहीं करते हैं। क्या आप जान बूझ कर ऋण नहीं चुकाने वाले उद्योगपति एवं अन्य के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं? उद्योगपतियों की एक लिस्ट है जो कई लाख करोड़ रुपए लेकर बैंकों को चुकाते नहीं हैं और देश से बाहर चले जाते हैं? हमारे यहां काफी लोगों की लिस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसे बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज करना चाहती है? यदि चाहती है तो कब तक दर्ज करेगी?

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, बैंक लोगों को ऋण इसलिए देते हैं, ताकि वे अपना व्यवसाय या व्यापार चला सकें। कभी-कभी कर्जदार कुछ कारणों से डिफॉल्ट करता है। जैसे आपने विलफुल डिफॉल्टर की बात की है, तो हमने इसकी केटेगिरी बनायी हुई है, जैसे ऐसे कर्जदार, जो लोन का भुगतान करने की कैपेसिटी में होते हैं, लेकिन जान बूझकर इसका भुगतान नहीं करते। ऐसे कर्जदार, जो लोन किसी काम के लिए लेते हैं, लेकिन खर्च किसी और काम में कर देते हैं, जैसे घर बना लिया या कुछ और काम कर लिया। कुछ कर्जदार ऐसे भी हैं, जो कर्ज लेने के बाद उसे यूटीलाइज नहीं करते और धन को अपने बिजनेस से निकालकर दूसरे काम में लगाने का काम करते हैं। ऐसे कर्जदार भी हैं, जिन्होंने बैंक की जानकारी के बिना फिक्स्ड एसेट्स और इम्यूेबल एसेट्स, जो लोन लेते वक्त सिक्योरिटी के रूप में दिया था, उसे बिजनेस से हटा लिया। इन सबकी जानकारी हमारे पास है और हम समय-समय पर इसकी समीक्षा करते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऐसी संख्या करीब 9130 है और इनमें 91155 करोड़ रुपये की राशि इन्चोल्ड है। इसे वसूलने के लिए हम विभिन्न तरीकों से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 8364 लोगों के खिलाफ सूट फाइल कर दिये हैं और 2024 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। सर्फेसी एक्ट के सैक्शन 620 के तहत हम एक्शन ले रहे हैं। इसमें हम लोग सख्त हैं और इसकी प्रक्रिया के तहत हम सारे काम कर रहे हैं। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारे समय में ऐसी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। जिन लोगों के खिलाफ पुरानी शिकायतें मिली हैं, उनके खिलाफ भी हम कड़े कदम उठा रहे हैं। इसमें जब भी कोई आवश्यकता होगी, कोई भी कमी छोड़ी नहीं जायेगी।

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, मेरे सामने सूची बहुत लंबी है। मैं आपके माध्यम से सदन को इस सूची के बारे में बता सकता हूँ। क्या सरकार उन प्रावधानों को बदलने का प्रयास कर रही है, जिससे

चूककर्ताओं के नामों की जानकारी जनता को हो सके? अगर हां, तो यह प्रावधान कब तक तैयार होगा और कब तक लागू होगा? कृपया सरकार इस बारे में बताने की कृपा करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, इनकी जानकारी का एक प्रौसैस है। उस प्रौसैस के तहत बैंक अपनी वेबसाइट पर ये सारे नाम देता है। जब कभी जहां कहीं जरूरत होती है, उसके हिसाब से हम कदम उठाते हैं। अब विलफुल डिफॉल्टर्स के फोटो को सार्वजनिक करने का भी प्रावधान किया हुआ है। हम आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार पालन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी लेना चाहें, तो संबंधित बैंक की वेबसाइट से ले सकते हैं।

HON. SPEAKER: Is Shri B. Senguttuvan here? No.

Shri Rabindra Kumar Jena.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Thank you, Speaker Madam.

We have discussed in this House about the case of Vijay Mallya but the fact remains that there are several versions of Vijay Mallya, sometimes bigger versions and sometimes smaller versions who are moving within the country and beyond the country also. The list which has been submitted in the answer talks about the public sector banks' defaulters but there are other institutions like State Trading Corporation, MSTC, and MMTC which have given several thousands of crores of rupees of lines of credit to various corporate houses and the fact also remains that there are various corporate houses which have defaulted public money running into several thousands of crores of rupees. So, my question to the hon. Minister of Finance through you is whether the Government would come out with a list of the defaulters with quantum of default and what action the Government intends to take to recover the thousands of crores of rupees of public money which have been taken away by the corporate houses.

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत सख्त और सक्रिय है और हम कदम उठा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिस केस का जिक्र किया, मैं उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि उस सज्जन को लोन सितम्बर, 2004 में दिया गया और उसे 2 फरवरी, 2008 को रिन्डू किया गया था।

12.00 hours

30 अप्रैल, 2009 को वह केस एनपीए हुआ। 21 दिसम्बर, 2010 को उस एनपीए को यूपीए सरकार के दौरान रिस्ट्रक्चर किया गया और अन्य सुविधाएं भी दी गयीं। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, अब तक ई.डी. ने संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 8040 करोड़ रुपये से ज्यादा है, अटैच कर दी है। जांच के दौरान हम लोगों ने उनको सम्मन भी जारी कर दिए हैं, लेकिन वह जांच के लिए नहीं आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यह सज्जन अब यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। हमने उनके पासपोर्ट को रिवोक करने के लिए रिक्वेस्ट की है और पासपोर्ट अथारिटी ने उनके पासपोर्ट को रिवोक कर दिया है। हम इस मामले में सक्रिय और सतर्क हैं और अगर ऐसी कोई भी जानकारी मिलेगी तो हमारी सरकार कोई भी कदम उठाने में पीछे नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 226, श्री अनन्तकुमार हेगड़े

(Q. 226)

श्री अनन्तकुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदया, समय कम है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेस के जरिए होने वाली आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेशन रही है कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें पेट्रोलियम और डीजल सेस का ज्यादा योगदान रहा है। पेट्रोलियम और डीजल सेस के जरिए 1,90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आमदनी हुई है, उसका लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए एवं जलवायु परिवर्तन के लिए सरकार ने क्या से सोचा है और क्या कदम उठाए हैं।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : सेस का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयोग होता है, ग्रामीण सड़कें बनाने में प्रयोग होता है, हाइवेज बनाने में प्रयोग होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उपभोक्ता उसका लाभ सड़कों और हाइवेज पर उठा ही रहे हैं।

12.01 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ:

1. जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6597/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6598/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2015-2016.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6599/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2015-2016.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2015-2016.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6600/16/17]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2015-2016.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 6601/16/17]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 6602/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6603/16/17]

(2)31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 6604/16/17]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017, जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6605/16/17]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (2ख) के अंतर्गत जारी ऐसे रिसेशन से पूर्व की गई या करने के लिए छोड़ दी गई चीजों के बारे में के सिवाय भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972, को निरस्त करने के बारे में है, जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 85(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6606/16/17]

(5) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 61(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6607/16/17]

(6) अधिसूचना सं. का.आ. 3568(अ) जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 दिसम्बर, 2016 की तिथि ऐसी तिथि के रूप में नियुक्त की गई थी जिस दिन रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन लागू होना है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6608/16/17]

(7) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन (निरसन) संशोधन नियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6609/16/17]

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 109(अ) जो 7 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 44/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) में कुछ एक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 110(अ) जो 7 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 17 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 45/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) में कुछ एक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 143(अ) जो 17 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाविहित प्राधिकारी द्वारा संचालित प्रतिपाटन जाँच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सिमलेस ट्यूब, पाइप और लौह, मिश्र या अमिश्र इस्पात चाहे ये अपने सहायक उपकरणों से युक्त हो या नहीं या बाह्य व्यास

वाला कोल्ड रोल्ड हो के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात 17 मई, 2016 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6610/16/17]

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) 13 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या 153/93-सी.शु. जो सा.का.नि. 65(अ), 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. जो सा.का.नि. 71(अ), 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी.शु. जो सा.का.नि. 87(अ), 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी.शु. जो सा.का.नि. 88(अ), 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कुछेक संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 89(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय (क) विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना करने या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए और (ख) बायोगैस या बायो मिथेन या बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पर संचालित प्रणालियों के संतुलन के लिए अपेक्षित मशीनरी की सभी मर्दों पर आधारभूत सीमा शुल्क को 10/7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. जो सा.का.नि. 90(अ), 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) एक्सपोर्ट मैनिफैस्ट (एयरक्राफ्ट) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 786(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) इम्पोर्ट मैनिफैस्ट (एयरक्राफ्ट) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) कस्टमस बैगेज डिक्लरेशन (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2015 जो 18 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी.शु.,(एन.टी.) जो सा.का.नि. 181(अ), 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी.शु.,(एन.टी.) जो सा.का.नि. 311(अ), 16 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) बिल आफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन) (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2016 जो 1 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सीमा शुल्क (सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क) संशोधन विनियम, 2016 जो भारत के राजपत्र में 1 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1294(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 462 (अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 92, 93, 94, 95, 97 और 98 के उपबंधों से अनन्य रूप से तटीय वस्तुओं को ले जाने वाले जलयानों को छूट दी गई है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पन्द्रह) सा.का.नि. 463 (अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आयातित वस्तुएं या निर्यात वस्तुएं, जैसी भी स्थिति हो, ले जाने वाले जलयानों द्वारा उपयोग किए गए बर्तन से संचालित अनन्य रूप से तटीय वस्तुओं को ले जाने वाले जलयानों को छूट दी गई है और ऐसे जलयानों के प्रभारी व्यक्ति या उसके अभिकर्ता जलयान के पहुंचने या प्रस्थान करने के पूर्व तटीय मैनिफेस्टो समुचित अधिकारी को देंगे, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि. 461(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. 12/97-सी.शु.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर वस्तुओं का आयात) दूसरा (संशोधन) नियम, 2016 जो 14 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2407(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि. 821(अ) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 78/2014-सी.शु.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की संभलाई (संशोधन)विनियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 822(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा.का.नि. 1006(अ) जो 25 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. 66/1996-सी.शु. निरस्त किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) आयात शुल्क का अस्थगित संदाय नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1037(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सा.का.नि. 1038 (अ) जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात शुल्क के अस्थगित संदाय करने के लिए एईओ (टियर-2) और एईओ (टियर-3) पर प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम के अधीन प्रमाणित आयातकों को अनुमति देना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेईस) सा.का.नि. 1093(अ) जो 25 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. 12/97-सी.शु.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) कुरियर आयात और निर्यात (मंजूरी) संशोधन विनियम, 2016 जो 29 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1099(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) उपर्युक्त मद संख्या (9) के (दस) से (चौबीस) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6611/16/17]

- (11) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) सा.का.नि. 72(अ) जो 30 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 30 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 100(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6612/16/17]

- (12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 91(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 92(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के.उ.शु. में कतिपय

- संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 93(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय (क) विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना करने या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए और (ख) बायोगैस या बायो मिथेन या बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पर संचालित प्रणालियों के संतुलन के लिए अपेक्षित मशीनरी की सभी मर्दों पर 6 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क/सीवी शुल्क को विनिर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 94(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 95(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 96(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) चर्बनशील तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 97(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 98(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 99(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6613/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ:

1 (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6614/16/17]

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6615/16/17]

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 14वां संशोधन विनियम, 2016 जो 3 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. पी. 15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6616/16/17]

(5) अधिसूचना सं. एफ सं. 11-1/2015-आईएनसी जो 20 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित तथा जो भारतीय नर्सिंग परिषद के क्रिटिकल केयर पोस्ट गेजुएट रेजिडेंशी प्रोग्राम में नर्स प्रैक्टिसनर के पाठ्यक्रम और विनियमों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6617/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI
ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6618/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

- (i) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/016 in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Fourth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/017 in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (iii) The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/021 in Gazette of India dated 30th November, 2016.

- (iv) The Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/022 in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (v) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/024 in Gazette of India dated 15th December, 2016.
- (vi) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/029 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (vii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/030 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (viii) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/031 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (ix) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/032 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (x) The Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023 in Gazette of India dated 8th December, 2016.

- (xi) The SEBI (Portfolio Managers)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/019 in Gazette of India dated 2nd January, 2017.
- (xii) The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/020 in Gazette of India dated 12th January, 2017.
- (xiii) The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations)(Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/033 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (xiv) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/034 in Gazette of India dated 15th February, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6619/16/17]

12.03 hours**ASSENT TO BILLS**

SECRETARY-GENERAL: Madam, I lay on the Table the following two Bills passed by the Houses of Parliament during the Eleventh Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 3rd February, 2017:-

1. The specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Bill, 2017; and
2. The Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2017.

[Placed in Library, See No. LT-6620/16/17]

12.03 ½ hours**PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE**

64th to 66th Report

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2016-17):-

- (1) 64th Report on the subject 'Shared Mobile Infrastructure Scheme' based on Para No. 2.2 of C&AG Report No. 17 of 2014.
- (2) 65th Report on the subject 'Nutrient Based Subsidy Policy For Decontrolled Phosphatic & Potassic Fertilizers' based on the C&AG Report No. 16 of 2015.
- (3) 66th Report on the subject 'Non-Compliance by Ministries/Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-Selected Audit Paragraphs (Civil and Other Ministries)'.

12.04 hours**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**
35th to 37th Report

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

1. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर 35वां प्रतिवेदन।
2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर 36वां प्रतिवेदन।
3. संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर 37वां प्रतिवेदन।

12.04 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON FINANCE**
46th to 48th Report

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:-

- (1) Forty-sixth Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Investment & Public Asset Management).
- (2) Forty-seventh Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Finance (Department of Revenue).
- (3) Forty-eighth Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Planning.

12.05 hours**STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS**
18th Report

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I beg to present the Eighteenth Report (Hindi and English versions) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

12.05 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT**
15th and 16th Report

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): अध्यक्ष महोदया, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में 15वां प्रतिवेदन।
 - (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 16वां प्रतिवेदन।
-

12.06 hours**STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL**
28th Report

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' विषय पर कायेला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.06 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT**
36th to 39th Reports

श्री रमेश बैस (रायपुर): अध्यक्ष महोदया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 36वां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 37वां प्रतिवेदन।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 38वां प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

12.07 hours**STANDING COMMITTEE ON COMMERCE**
132nd and 133rd Reports

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदया, वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ-

- (1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 132वां प्रतिवेदन।
- (2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 133वां प्रतिवेदन।

12.07 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM
AND CULTURE**
244th to 248th Reports

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

- (1) The Two Hundred Forty-fourth Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Civil Aviation.
 - (2) The Two Hundred Forty-fifth Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Civil Aviation.
 - (3) The Two Hundred Forty-sixth Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Civil Aviation.
 - (4) The Two Hundred Forty-seventh Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Civil Aviation.
 - (5) The Two Hundred Forty-eighth Report on Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Civil Aviation.
-

12.08 hours**BUSINESS OF THE HOUSE**

माननीय अध्यक्ष : आयटम नम्बर, 17, श्री अनंत कुमार जी।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, ... *

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्री एस.एस. अहलुवालिया जी की ओर से यह सूचित करता हूँ कि सोमवार 20 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाये। ...(व्यवधान)

(एक) आज की कार्य सूची, (जिसमें रक्षा, गृह और कोयला मंत्रालय के लिए वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान करना शामिल है) से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदया,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें क्या है?

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : (दो) वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे(सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(तीन) संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

(चार) वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बजट के संबंध में बकाया अनुदान मांगों का गिलोटिन।

(पांच) विनियोग विधेयक, 2017 का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not allowing you. What is this? Nothing will go on record. I have not allowed him.

...(Interruptions)... *

श्री अनन्तकुमार : (छः) वित्त विधेयक, 2017 पर विचार और पारित करना।

(सात) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान -

(क) वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे (रेल)।

* Not recorded

(ख) वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: What is this? Nothing will go on record.

...(Interruptions)...

श्री अनन्तकुमार : (आठ) संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय सदस्यों द्वारा सभ्मिशन।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, उपस्थित नहीं। श्री पंकज चौधरी।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव को अगले सप्ताह (20.03.2017 से 24.03.2017) की कार्य सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

यह सभा आनंद नगर जंक्शन, व रास्ता महाराजगंज, घुघुली रेल मार्ग जिसका फाइनल सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। मैं इस रेल मार्ग को शीघ्र निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव करता है।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, the following item may be taken up for discussion during the next week's business.

In my constituency, Krishnagiri, the Krishnagiri Postal Division was formed after 20 years by bifurcating from Dharmapuri Division on 4.3.2011. After formation of Krishnagiri Postal Division, not even a single OA/PA was deputed to Krishnagiri Division from Dharmapuri Division. The sanctioned strength is 141 staff but it is left with only 100 staff. Since formation, there is a shortage of 40 to 50 staff. Due to shortage, the staffs are suffering much even to take short leave. Beyond the problem, relief arrangements for deputation, leave, frequent training and review at RO/CBS band with problem is causing great concern and stress to the officials.

* Not recorded

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : महोदया, आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा करें -

1. पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना, जो कि लोकप्रिय योजना है, के तहत तीर्थ स्थलों के विकास के लिए है, सरकार कार्य कर रही है, किंतु महाराष्ट्र के नागपुर एवं वर्धा तथा अमरावती की कई योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। उन कार्यों की स्वीकृति का कार्य।
2. भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा नए राजमार्गों के दिनांक 3 जनवरी, 2017 को स्वीकृत महाराष्ट्र प्रदेश के लिए किया गया है। इस कार्य को शीघ्र करवाने हेतु धनराशि आवंटित करने का कार्य।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam, I hereby request you to include the following in the List of Business for next week of the Budget Session of the Parliament commencing on 20th Mach, 2017:

1. Day by day more number of Central Welfare Schemes is being linked to the SECC 2011 Survey. There are two major problems with this stand of the Government which may affect the development of the whole country. First, it is a known fact that there were more than 8 crore mistakes in the SECC data and around 1.46 cores were yet to be rectified until July 2015. This is coupled with the fact that a large number of households have been missed in the Survey. Secondly, many of the exclusion criteria are perverse and unfair, which therefore poses a risk of leaving out millions of people from the development process.
2. Lack of Rural Sanitary Marts on ground and even those present are not working effectively to sell construction materials for beneficiaries under SBM(G), leading to escalation of costs of toilet construction of beneficiaries.

Hence, I request these issues to be inserted in the List of Business for the next week for detailed discussion.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा करें -

1. मेरे मत क्षेत्र अमरेली के महुआ में प्याज का उत्पादन बहुत होता है। मेरा आग्रह है कि प्याज के किसानों की भलाई के लिए रेलवे के द्वारा प्याज की ढुलाई की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां के व्यापारियों को ओर अधिक लाभ मिल सके। परन्तु रेल यातायात के अभाव के कारण वहां के किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरी मांग है कि इन स्थानों में रेल यातायात की व्यवस्था सुगम की जाए। इससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और रेलवे को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।
2. गुजरात राज्य में राजुला जाफराबाद के समुद्र में वहां के स्थानीय निवासी, जो मछली उद्योग पर ही निर्भर हैं, जब वे मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट लेकर समुद्र में जाते हैं, तो अनेकों बार उनकी बोट बड़े-बड़े जहाजों से टकराकर नष्ट हो जाती है और मछुआरों की मौत भी हो जाती है। अतः मेरी मांग है कि समुद्र के मध्य में यदि कोस्टगार्ड की गश्त बढ़ा दी जाए, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है और साथ ही साथ मछुआरों को उनका हम और न्याय दिलाने की प्रक्रिया में मदद हो सकती है।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महोदया, आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा करें -

1. आदिवासी एवं नक्सलवादी क्षेत्र में स्थित वडसा-गढ़चिरोली रेलवे लाइन, जिसका रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है तथा फाइनल लोकेशन सर्वे एवं भू-तकनीकी सर्वे भी पूरा किया जा चुका है, को एवं नागपुर-नागभीड़ के आमान परिवर्तन, जिसका संशोधित प्राक्कलन विद्युतीकरण के साथ तैयार है, के शीघ्र निर्माण के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रकल्प पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए धन का आवंटन किए जाने से संबंधित विषय।
2. महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विभाग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271 (1) के अंतर्गत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 29.7.2016 में एक प्रस्ताव, जिसमें 149.37 करोड़ रुपए की राशि अंतर्निहित है, प्रेषित किया था, जिसमें केंद्र सरकार ने 128.37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इनमें से 105.52 करोड़ रुपए एडहॉक बेसिस पर जारी भी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उपरोक्त योजना के तहत रिवाइज्ड प्रपोजल 6.1.2017 में पुनः प्रेषित किया है, को स्वीकृति प्रदान किए जाने से संबंधित विषय।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 27 पर कालपी नगर में राजमार्ग के अनिर्मित हिस्से को बनाने के संबंध में; और
2. बुंदेलखंड में ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को हुए नुकसान पर राहत देने के संबंध में।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र संबंधित लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत द्वितीय विश्वयुद्ध एवं बंगलादेश की लड़ाई के समय सैनिकों के द्वारा धालमूगढ़ एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया था, इस एयरपोर्ट को विकसित किया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में टाटा स्टील, जो एक बड़ी कम्पनी है, के साथ ही आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र भी है, जिसमें हजारों की संख्या में उद्योग स्थापित हैं। सम्पूर्ण कोल्हान प्रमंडल माइंस से भरा पड़ा है, इसलिए वहाँ पर देश-विदेश से व्यवसाय एवं शिक्षा हेतु लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इससे झारखण्ड के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि जमशेदपुर से इसकी दूरी 35 किलोमीटर है। यह इस क्षेत्र के समुचित विकास हेतु अत्यंत जरूरी है।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के बोड़ान, पटमदा, कांठिन (पश्चिम बंगाल) तथा बहरागोड़ा, घोड़ाबांधा, पोटका (ओडिशा) का सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के लोगों के मोबाइल में पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा का टावर पकड़ता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को रोमिंग का चार्ज देना पड़ता है। यह आदिवासी बहुल, गरीब, उग्रवाद प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोमिंग चार्ज कटने के कारण यहाँ के लोग मोबाइल से बात नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर नये टावर लगाए जाएं, ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी दूर हो सके।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करते हुए, उन पर चर्चा कराने की कृपा की जाए:-

1. झारखण्ड राज्य में वर्ष 2009 से साक्षरता मिशन कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। विशेषकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत यह कार्यक्रम वर्ष 2010 से चलाया जा रहा है। साक्षरता मिशन में लगे हुए महिला एवं पुरुष को नियुक्ति पत्र तक नहीं मिला है, न ही मानदेय निर्धारित है और न ही उनको चिकित्सा सुविधा है। ड्रेस कोड भी इन लोगों को उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि इन्हें कम से कम मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूर के बराबर ही मानदेय दिया ताकि वे मन लगाकर काम कर सकें।

2. झारखण्ड राज्य में कार्यरत सेविका सहायिका हैं, जो साल में 365 दिन काम करती हैं और इनकी सरकारी नौकरी की आयु सीमा भी समाप्त हो चुकी है। इन लोगों को लगभग 4000 रुपये मानदेय मिलता है। इनको न तो चिकित्सा सुविधा मिलती है और न ही इनकी ग्रेच्युटी की कटौती होती है। इनको प्रमोशन देकर इनसे सुपरवाइज़र के रूप में काम लिया जाए।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों के बराबर इनको मानदेय दिया जाए।

12.18 hours

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2016-2017

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants (General) for 2016-17.

[Placed in Library, See No. LT 6621/16/17]

HON. SPEAKER: There will be no 'Zero Hour' today. Regarding notices of Adjournment Motion, I have disallowed all the notices of Adjournment Motion.

We will now take up the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence.

मेरा कहना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स से संबंधित जवाब ठीक दो बजे दो और उसके बाद अगला सब्जेक्ट लिया जाए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : Shri Jyotiraditya Scindia may speak now.

12.19 hours**DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2017-2018****(i) Ministry of Defence**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय अध्यक्ष महोदया, रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बात है, बैठ जाइए। अभी कुछ नहीं होगा।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. I have not allowed anybody to speak.

... (Interruptions) ... *

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरात्य जी, आप अपनी बात कहें।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, पहले थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था तो यह आप से सीख रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, हम तो आपके आदेश पर चलते हैं।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I know that but I have not allowed you, Shri Mohammad Salim.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए, कुछ नहीं किया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे जब चाहे उठकर नहीं चिल्ला सकते हैं, बैठिए।

... (व्यवधान)

* Not recorded

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि रक्षा क्षेत्र की अनुदानों की माँगों की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं अरुण जेटली जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। यह कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी जब सरकार पहली बार बनी थी, तब भी रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। शायद माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जी के मन की बात सुन ली और देश की सुरक्षा के मुद्दे के बावजूद उन्होंने उनको गोवा की सुरक्षा देखने के लिए प्रस्थान करवा दिया।

महोदया, हमारे देश के नागरिक हमारी सेना के जवानों के कारण आज चैन की नींद सो पाते हैं। सीमावर्ती इलाकों में हमारे जवान मुस्तैदी के साथ हमारी भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहते हैं। इस बजट के प्रस्ताव को जब मैं देखता हूँ, तो पाता हूँ कि जब भी उसमें हमारी सेनाओं के जवानों की बात आती है, तो न जाने क्यों इस सरकार की नींद ही नहीं टूटती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, जिसे मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि: “आप मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको एक मजबूत भारत दूँगा।”

महोदया, जनता ने इनको एक सुनहरा मौका दिया, लेकिन तीन सालों से यह सरकार हमारे सेना बल के विकास और उसकी प्रगति के लिए कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पाई है? आज सेना के तीनों अँग, चाहे वह आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, इन तीनों में कायापलट की आवाज उठ रही है। बजट के प्रावधानों में इसके लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं मानता हूँ कि चाहे हम इस सदन में उधर बैठे हों या उधर बैठे हों, रक्षा क्षेत्र के विषय पर हमारा एक ही मत होना चाहिए। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते यह हमारा दायित्व भी है हम इस सरकार को सचेत और सतर्क करें और उसकी कमियों को उजागर करें ताकि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर कभी भी कोई प्रश्नचिन्ह न लग पाए। यदि हम आज भारत की जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों का आंकलन करें, तो हमें इसकी वस्तुस्थिति पता चलेगी। हम अपने ईस्टर्न फ्लैन्क पूर्वी क्षेत्र को देखें, तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश में चीन दखलंदाजी कर रहा है। मणिपुर और नागालैन्ड में हम नए इंसर्जेंट्स के साथ जूझ रहे हैं। वहाँ अक्साई चिन में ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): क्या वे पहले ऐसा नहीं करते थे?

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : क्या पहले ऐसा नहीं था?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आप डिफेंसिव पोजीशन में क्यों आ रहे हैं? आपको तो सत्ता में देश की बेहतरी करने के लिए ही लाया गया है। निशिकान्त जी, आप शुरुआत से ही डिफेंसिव पोजीशन में मत

रहिए। अक्साई चिन में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। वेस्टर्न फ्लैन्क में पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है। एल.ओ.सी. पर फायरिंग हो रही है। दिन-प्रतिदिन आतंकी भारत के सीने पर नए घाव लगा रहे हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर में चार सालों से ज्यादा सीजफायर वॉएलेशन और आतंकी घटनाएँ घटीं। हमने पठानकोट और उरी देखा है। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : ... (व्यवधान) हमने पी.ओ.के. देखा है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आपने तो मान लिया है कि पी.ओ.के. पाकिस्तान की धरती है। आपके प्रधान मंत्री ने मेरठ के भाषण में कहा था कि पाकिस्तान की धरती पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वह पी.ओ.के. नहीं रहा। भारत ने उस पर अपना अधिकार कर लिया? निशिकान्त जी, आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। ... (व्यवधान) आप जितना बोलेंगे, मुझसे उतनी ज्यादा आप अपनी पोल खुलवाएंगे। ... (व्यवधान) महोदया, यह वास्तविकता है कि एक तरफ तो पश्चिमी फ्लैन्क पर पठानकोट की घटना हुई थी। उसके बाद जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, जिसका समर्थन हम सबने किया था। उसके बाद पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार और भी बढ़ गई।

श्री निशिकान्त दुबे : आपने माना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अगर आप मेरा वक्तव्य पढ़ते तो शायद यह प्रश्न संसद में न करते। कठिनाई यह है कि आप न अखबार पढ़ते हैं, न टी.वी. देखते हैं। आप बार-बार बयानबाजी करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार चाहे नगरौटा हो, पैम्पोर हो, पुंछ हो, गुरुदासपुर हो, यही नतीजा निकला और चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, जे.ई.एम. हो या जे.यू.डी हो। इनका एक ही मकसद है कि इन्होंने हमारे आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया है। जहां पूर्वी फ्लैन्क और पश्चिमी फ्लैन्क की हम बात कर रहे हैं, वहां हम अपनी उत्तरी फ्लैन्क की भी चर्चा करेंगे। चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों देशों की मिलीभगत के आधार पर, पी.ओ.के. की जमीन के आधार पर यह चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। ग्वादर पोर्ट में चीन निवेश कर रहा है, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि ग्वादर पोर्ट जब एक बार बन जाएगा, उसके बाद एक लाख चीनी टूप ग्वादर पोर्ट, हमारे पश्चिमी फ्लैन्क पर तैनात हो जाएंगे। समुद्री सीमा की हम चर्चा करें तो अध्यक्ष महोदया वहां तनाव बढ़ रहा है। चीन शातिरता से जो उनकी स्ट्रैटेजी है 'String of Pearls' की स्ट्रैटेजी। वे कोशिश कर रहे हैं कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। चाहे म्याँमार में कोको द्वीप में निवेश हो, चाहे बांग्लादेश में चिट्टरगोंग पोर्ट में निवेश हो, चाहे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में निवेश हो, वे अपने स्वार्थ के लिए सारे देशों में निवेश करना चाहते हैं। इण्डियन ओशियन और साउथ चाइना सी दोनों में जब चीन का

दबदबा पड़ेगा, तब हमारे ट्रेड रूट्स के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा, इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं या नहीं? आज चीन बंगलादेश को दो सबमरीन बेच रहा है। श्रीलंका के साथ मछुवारों के मामले पर हमारा तनाव बढ़ रहा है। जिस पाकिस्तान को हमने पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ था, आज वह पाकिस्तान भारत के ऊपर पलटवार कर रहा है। आप मानिये या ना मानिये यह वास्तविकता है। जिस चीन की बात की बात आप लोगों ने की थी कि हम लोग चीन को लाल आंख दिखाएंगे, वही चीन भारत की मिट्टी पर आकर ब्रिक्स के सम्मेलन में पाकिस्तान का समर्थन करके चला जाता है, आप देखते ही रह जाते हैं। असलियत यह है कि युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन आज हमें मुस्तैदी से हर संभावना के लिए तैयारी करनी होगी। तीन साल से अगर हम रक्षा क्षेत्र को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की न तो कोई नीति है और न ही कोई नीयत है। यह सीधे-सीधे बजट में झलकता है। अगर बजट के प्रावधानों को हम देखें तो पायेंगे कि इस साल रक्षा बजट को केवल 6 प्रतिशत बढ़ाया गया है। महंगाई के माहौल में जब भारत की मुद्रा विदेशी मुद्रा के दरमियान गिर रही है। क्या यह 6 प्रतिशत स्वयं में काफी है?

अध्यक्ष महोदया, सन् 1962 से भारत में यह पहली बार हुआ है कि जी.डी.पी. का भाग में रक्षा बजट केवल डेढ़ प्रतिशत तक सीमित हो चुका है। पहली बार सन् 1962 से ऐसा हुआ है। यू.पी.ए. सरकार के समय में यह ढाई प्रतिशत तक बढ़ चुका था। और कई समितियों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि भारत का रक्षा बजट कम से कम 3 प्रतिशत होना चाहिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : परसेंटेज छोड़कर पैसा बता दीजिए?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अनुराग भाई, परसेंटेज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो। जी.डी.पी. के भाग के प्रतिशत के आधार पर ही वह राशि हमें देनी होगी। जब जी.डी.पी. बढ़ रहा है तो केवल राशि ही नहीं उसका परसेंटेज हमको देखना होगा। अध्यक्ष महोदया, वास्तविकता है कि आज मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार ने रक्षा क्षेत्र को ताक पर क्यों रख दिया है? अपने जवानों को पर्याप्त वेतन और पर्याप्त पेंशन देना यह हमारा दायित्व नहीं होना चाहिए, यह हमारा धर्म होना चाहिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आपने नहीं निभाया, हमने निभाया है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : हमने भी निभाया है। मैं उस पर भी आऊंगा, आप चिंता मत करो। मुस्कराते हुए सब कुछ कह दिया, मुझे मालूम है। मिलिट्री को और ताकतवर बनाने के लिए हमें नये हथियार देने होंगे। टेक्नोलोजी की मदद से हमें आधुनिकीकरण लाना होगा। हैरत की बात यह है कि हम इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों के भविष्य को

परिभाषित किया जाता है। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल 86 हजार करोड़ रुपये तक सीमित हो चुका है। अगर आप जी.डी.पी. का तीन प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देते तो सेना बलों को तीन लाख करोड़ रुपये मिलते, जिसके आधार पर अस्त्र-शस्त्र की कठिनाइयों का समाधान हम लोग निकाल पाते। आपने जो 86 हजार करोड़ रुपये दिये हैं, इसमें से 90 प्रतिशत राशि, जो ऑलरेडी हम लोगों की कांटेक्टिड लॉयबिलिटीज हैं, राफेल फाइटर्स के लिए, सुखोई फाइटर्स के लिए, विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 90 प्रतिशत राशि उसी के भुगतान में जाने वाली है। मतलब केवल दस प्रतिशत बचा। अब संसद के अंदर प्रश्न यह है कि क्या दस हजार करोड़ रुपये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। कठिनाई यह है कि आज हमारे जवानों को नये हथियार मिलते नहीं हैं, जो सीमा पर जूझ रहे हैं। यह सरकार न तो एडिक्वेट बजट दे रही है और जो बजट दे रही है, वह भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राशि दी गई, पिछले साल सात हजार करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लौटाये गये। 2015-16 में 13 हजार करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोबारा लौटाये गये।

महोदया, प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने रेवाड़ी में 2013 में कहा था, जब वह गुजरात के मुख्य मंत्री थे। जब चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट से घुसपैठ हो रही थी, तब उन्होंने कहा था, जिसे मैं कोट करना चाहता हूँ -

“यह सेना की कमजोरी के कारण नहीं हो रहा है, यह सब सीमा की समस्या नहीं, यह दिल्ली की समस्या है। इस समस्या का समाधान भी दिल्ली से खोजना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान दिल्ली में सक्षम देशभक्त सरकार बनाकर हो सकता है।”

अब मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कहां गई आपकी देशभक्त सरकार? हम क्यों रक्षा क्षेत्र में समाधान, विकास और प्रगति नहीं ला पायें? इसका उत्तर रहस्यमय नहीं है, इसका उत्तर साफ-साफ है, वह समाधान तभी हो पायेगा, जब हमारे रक्षा मंत्री दिल्ली में तो मौजूद रहें। जब रक्षा मंत्री दिल्ली में नहीं हैं तो समाधान कहां से निकल पायेगा। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : रक्षा मंत्री सामने बैठे हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैं पूर्व रक्षा मंत्री की बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम था कि आप उचकोगे, आपकी सीट के अंदर जो स्प्रिंग लगा है, उसके आधार पर आप उचकते ही जाओगे। मैं पूर्व रक्षा मंत्री जी की बात कर रहा था।

महोदया, यदि हम आर्म्ड फोर्स की समीक्षा करें, यदि हम आर्मी की बात करें तो पठानकोट के हमले के बाद इस सरकार ने आर्मी के वाइस चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोस के अंडर समाधान निकालने के लिए एक कमेटी गठित की थी। पिछले मई महीने में लेफ्टिनेंट जनरल कम्पोस ने अपनी रिपोर्ट इस सरकार को दी और आज तक वह रिपोर्ट धूल खा रही है। उसके बाद देश को अगर कुछ मिला तो उरी और नगरोटा का हमला मिला। आज हमारे फारवर्ड बेसिस में फ्यूल सिक्युरिटी के लिए स्टोरेज का कोई प्रावधान नहीं है। फायर रिटारडेंट टैंक्स की बात तो हम भूल ही जाएं। फैंसिंग और पेरिफेरल बाउंड्री वॉल आज तक हमारे फारवर्ड बेस आर्मी कैम्प में नहीं लगी। क्या आज हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की जान इतनी सस्ती हो गई है। यदि हम उपकरण की बात करें तो हमारे यहां साढ़े तीन लाख बुलेटप्रूफ जैकेट्स की जरूरत थी, परंतु तीन सालों में हम पचास हजार ही दे पाये हैं। बाकी कब दे पायेंगे, यह प्रश्न संसद में जरूर उठेगा। हमारे यहां बुलेटप्रूफ हैडगियर की किल्लत है। विशेषज्ञों द्वारा कहा जाता है कि हमारी आर्मी रात के समय में आपरेशनली ब्लाइंड हो जाती है, क्योंकि हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेज नहीं है। हमारे स्नाइपर्स के पास आधुनिक साइट्स नहीं है। पाकिस्तान के स्नाइपर्स ने उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे सीमावर्तीय इलाके पर एक-एक कर के हमारे जवानों की जान ली, लेकिन हमारे स्नाइपर्स के पास पुराने ड्रागुनोव्स स्नाइपर राइफल की साइट्स आज मिल पा रही हैं। महोदया, सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि वॉर वेस्टेज़ रिज़र्व को देखा जाए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि अगर युद्ध हो तो उस युद्ध का सामना करने के लिए कितने दिन हमारे पास स्टॉक है। हमारे कम से कम चालीस दिन का वॉर वेस्टेज़ रिज़र्व होना चाहिए। ... (व्यवधान) आज आधा नहीं केवल दस दिन का वॉर वेस्टेज़ रिज़र्व का स्टॉक है। आज विश्व की दूसरी बड़ी आर्मी का क्या हाल है। हमारे पास कमी है दो लाख असॉल्ट राइफल्स की, डेढ़ लाख कार्बाइन की, 16 हजार गनों की, साढ़े तीन हजार स्नाइपर राइफल्स की और खर्च में कमी रोज़ दिन प्रति दिन की जा रही है।

महोदया, रक्षा संबंधी स्थायी समित ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और मैं कोट करना चाहता हूँ कि -
 “We are disturbed at the Government’s apparent lack of sincerity to improve the situation of military installations despite repeated attacks.”

अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस आलोचना को भी आप देशद्रोही का दर्जा देंगे? जो दल आर्मी की दुहाई देती है। उस आर्मी की स्थिति आपने क्या बना दी है? कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए 25254 करोड़ रुपये इस साल दिए हैं। उसमें से 23 हजार करोड़ रुपये आर्मी के पूर्व के कॉन्ट्रैक्ट्स के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आधुनिकीकरण के लिए आपने बजट में साढ़े छह प्रतिशत की कटौती कर के दी है। 21535 करोड़ रुपये से 20148 करोड़ रुपये कर दिए गए। जहां फण्ड्स की तंगी हो और आप कहे

कि जवान सीमावर्तीय इलाके पर मुस्तैदी से कार्य करे। हथियार की कमी के आधार पर क्या यह देशवासियों के साथ नाइंसाफी नहीं है। हर उस माँ के साथ नाइंसाफी है, जिसका लड़का सरहद पर खड़ा होता है। यह नाइंसाफी हर उस बच्चे के साथ है, जिसका बेटा पाकिस्तान के स्नाइपर्स के हत्यारों के आधार पर शहीद हो जाता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त समाधान और पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदया, आज हमारे आर्मी के जवानों ने कपकपाती सर्दी देख ली, गर्मी की लू देख ली, लेकिन आज तक अच्छे दिनों का सामना हमारे जवानों ने नहीं किया है।

महोदया, अब अगर हम एयरफोर्स की समीक्षा करें तो वायुसेना की हालत तो और भी नाजुक है। आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए 42 स्कॉर्ड्स की जरूरत है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति के मुताबिक आज हमारे पास 33 स्कॉर्डन्स हैं। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : आपने दस साल में क्या किया है? ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: What is this going on? Nishikantji, this is very bad. Every now and then, you should not interfere. It is not proper.

... (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : निशिकांत जी, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी क्षमता सुनने के लिए भी तो रखिए। ... (व्यवधान) अभी-भी आप विपक्ष में हो या सरकार में हो? थोड़ा मुस्करा लो। ... (व्यवधान) निशिकांत जी, इतना गुस्सा मत दिखाओ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी, बैठे-बैठे इस प्रकार के कमेंट मत कीजिए।

सिंधिया जी, आप भी उनकी बात का जवाब नहीं देंगे।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, हमारे पास 33 स्कॉर्डन्स हैं और कहा गया है कि सन् 2027 तक ये घट कर 19 रह जाएंगे और 2032 तक घट कर 16 ही रह जाएंगे। यह भी हम याद रखें कि इसी साल हमारे मिग-21 और मिग-27 भी फ्रेज आउट होने वाले हैं। हमें सोच-विचार और विश्लेषण कर के यह देखना होगा कि पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर दो फ्रंट वॉर होगा, तब क्या होगा क्योंकि ये दोनों मिलीभगत के साथ काम कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में चीन है तो पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन साथ में चाइना-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। आज जब एक तरफ पाकिस्तान के पास J.F. -17 thunder fighters हैं, चीन के पास J.F. -10 & 20 के फाइटर्स हैं तो क्या भारत को

5th generation advance fighter aircraft नहीं खरीदना चाहिए? यह प्रश्न आज उठता है। जब हमारे भारतीय वायु सेना के चीफ बी.एस. धनोआ जी ने स्वयं कहा है and I quote:

“Our numbers are not adequate to fully execute an air campaign in a two-front scenario.”

आज यह सरकार कर क्या रही है? मेरे दोस्त निशिकांत जी ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या किया था? मैं बताऊंगा कि यूपीए सरकार के समय हमने रफायल की डील की थी, 126 की डील की थी, ताकि वायुसेना के क्षेत्र में हर संभावना के आधार पर हम आगे चल पाएं। मतलब सात स्क्वाड्रन, 33 से बढ़कर 40 स्क्वाड्रन हमारे हो जाते, लेकिन आज आपने क्या किया है, तीन साल में सरकार में बैठकर राफेल की डील जो सात स्क्वाड्रन की थी, उसको घटाकर केवल दो स्क्वाड्रन तक सीमित कर दिया। 126 से केवल 36 फाइटर एयरक्राफ्ट। वास्तविकता यह है कि यूपीए सरकार ने कहा था कि 126 एयरक्राफ्ट में से 108 एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे। भारत में बनेंगे, मतलब निवेश भारत में होगा। भारत में बनेंगे, मतलब नौकरियाँ भारत में बढ़ेंगी। भारत में बनेंगे, मतलब भारत की डिफेंस मैनुफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी। भारत में बनेंगे, मतलब आसपास के क्षेत्र, आई. टी. का क्षेत्र, रेडार, जी.पी.एस. में भी इसकी संभावना बढ़ पाएगी। आपने क्या किया? पहला कदम आपने उठाया कि सात स्क्वाड्रन से दो स्क्वाड्रन तक सीमित कर दिया। वे 36 के 36 आप फ्रांस से खरीद रहे हैं। यूपीए के समय में एक फाइटर का दाम हमने 715 करोड़ रुपये सुनिश्चित किया था। आपने उसे बढ़ाकर 1,615 करोड़ रुपये कर दिया, ढई गुना से ज्यादा दाम बढ़ा दिए। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र को बना नहीं सकते हैं तो कम से कम हमारे एयरफोर्स के क्षेत्र का... * तो मत कीजिए। हमारे एयरफोर्स के जवान के दिल की तमन्ना आसमान को छूने की है। आपने उनको पंख नहीं दिए, लेकिन उनके पंख काटने का काम आपने किया।

महोदया, अगर हम नेवी की बात करें, तो वर्ष 2027 तक हमें 212 वॉर शिप्स की जरूरत है।
...(व्यवधान)

महोदया, मुझे 5-6 मिनट की जरूरत है, क्योंकि मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का पहला स्पीकर हूँ।

माननीय अध्यक्ष : फिर आपके दूसरे सदस्य नहीं बोल पाएंगे।

* Not recorded

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : हमारी 138 वॉर शिप्स की आज क्षमता है, जबकि 458 एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। हमारे पास आधे भी नहीं हैं। समुद्री सीमा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास आज नेवी के क्षेत्र में 11 प्रतिशत कैपेक्स लौटाया गया है, 12 प्रतिशत की कैपेक्स में कटौती इस सरकार द्वारा की गई है। केवल 67 प्रतिशत नेवी की डिमांड को इन्होंने स्वीकृत कराया है। आज जहाँ जहाजों की जरूरत है, यहाँ यह सरकार कैपेक्स में भी कटौती कर रही है।

महोदया, आज मेक इन इंडिया की बात की जाती है। यह इस सरकार का सबसे बड़ा ... * है। प्रधान मंत्री जी ने कहा था, आई कोट - "इंडिया इज दि वल्ड्स टॉप डिफेंस इंपोर्टर का तमगा जल्द भारत के माथे से हट जायेगा।" वादा किया था कि वर्ष 2020 तक 70 प्रतिशत हमारी डिफेंस मैनुफैक्चरिंग भारत में होगी, लेकिन जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो एयरफोर्स को जो 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं, हिन्दुस्तानी विक्रेताओं से कितना खरीदा, केवल 268 करोड़, केवल 1 प्रतिशत और आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप पॉलिसी, जो डिफेंस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में अटकी हुई है। उसके आधार पर अब सारे डिफेंस कांट्रैक्ट होल्ड पर रखे गए। यह सरकार एफ.डी.आई. की बात करती है। ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में तीन साल में एफ.डी.आई. में केवल एक करोड़ 13 लाख रुपये का प्रस्ताव आया है और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के आधार पर केवल एक प्रस्ताव। हमारे साइन्टिस्ट तेजस और हमारे अर्जुन टैंक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज और भी जरूरत है कि रिसर्च में, डी.आर.डी.ओ. में हमारे पीएसयूज को और प्रावधान बजट का किया जाये। जब हमारी सेना ही, नेवी तेजस को न ले पाये, आर्मी अर्जुन टैंक्स को न ले पाये तो फिर दूसरे देशों में हम इनको कैसे बेच पायेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी ने संदेश को सोल्जर्स की बात की थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब नायक यज्ञ प्रताप ने अपनी विडम्बना सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उस समय मार्मिकता से उनकी कठिनाई का समाधान करने के बदले उसको हॉस्पिटल भेजा गया और उसको उसके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने कहा था कि आज हमारे हाई ऐलिटिड्यूड पर हमारे जवानों को ठीक खाना नहीं दिया जाता, उनके खाने का प्रबन्ध नहीं किया जाता। मेरे दोस्त अनुराग ने वन रैंक-वन पेंशन की बात की। वन रैंक-वन पेंशन यूपीए सरकार ने मंजूर करवाया था और आखिरी बजट में प्रवेश करवाया था।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आप एक रुपया नहीं दे पाये। आपने पैसा कितना दिया था?...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आपका वन रैंक-वन पेंशन केवल एक वन टाइम इन्क्रीज है। आर्मी की क्या माँग है, आर्मी की माँग है कि वर्ष 2015 को बेस ईयर बनाया जाये। आपने वर्ष 2014 को बेस ईयर बनाया है।... (व्यवधान) आर्मी के जवानों की माँग है कि यह हर साल रिव्यू होना चाहिए।... (व्यवधान) आपने पांच सालों में एक बार रिव्यू करवाया है।... (व्यवधान) आर्मी की माँग है कि प्री-मैच्योर रिटायरमेंट के लिए प्रावधान किया जाए।... (व्यवधान) आपने उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।... (व्यवधान) जब रामकृष्ण ग्रेवाल ने अपना जीवन लिया, तब उनके परिवारजनों के साथ आपने क्या सलूक किया, यह देश की जनता को मालूम है।... (व्यवधान) यह मुखौटा आज आपके सिर से उतर गया है।... (व्यवधान) यू.पी.ए. सरकार ने सदैव हमारे जवानों के लिए 'जय जवान, जय किसान' का नारा बुलन्द किया है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंटरी डिफेंस कमेटी ने यह कहा है कि यह बजट वोफुली इन-एडैक्वेट है। कब इस सरकार की गहरी नींद टूटेगी? अगर आप इसका आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तो यह एक टिकिंग टाइम बम है।

HON. SPEAKER: Now, you please conclude.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों हैं। रक्षा मंत्रालय से नॉन लैप्सेबल फण्ड के द्वारा एक प्रस्ताव गया है। आज जवानों की माँग है कि इसे आप स्वीकृत करवाएं और इसे आप अपनी तरफ से पूरी तरह से सहमति दें, ताकि यह संदेश जवानों को जाए कि उनके आधुनिकीकरण से कोई समझौता नहीं होगा। बहादुर जवानों की जुबान नहीं उनके हथियार बोलते हैं, उनकी ताकत बोलती है - यह बीजेपी की सरकार ने कहा। लेकिन, आज इस एन.डी.ए. सरकार की केवल जुबान बोलती है। आज आर्मी के जवानों के लिए शस्त्र नहीं, पेंशन नहीं, खान-पान नहीं हैं। मैं तो इतना कहूंगा -

कैसे भूल जाते हो वीरों को, जिन्होंने प्राण गवाएं हैं,
कुछ याद उनको भी कर लो, जो घर लौट कर नहीं आए हैं,
जो अब तक नहीं खौला, वह खून नहीं पानी है,
यह कैसी लापरवाही, यह कैसी आपकी मनमानी है।

HON. SPEAKER: Now, shri Arun Jaitley ji will intervene in this discussion and reply will be given by Dr. Subhash Ramrao Bhamre, the Minister of State in the Ministry of Defence.

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैडम, इस बहस का उत्तर मेरे सहयोगी डॉ. सुभाष भामरे देंगे, क्योंकि उस वक्त शायद इस संबंध में रूस के साथ एक डायलॉग है। मैं उसमें रहूंगा, इसलिए मैं यहां नहीं रह पाऊंगा।

जो चर्चा कल हुई और जो चर्चा आज आरंभ हुई, उसके संबंध में मैं केवल दो-तीन विषय कहना चाहूंगा। देश की सुरक्षा, देश के सैनिकों की तैयारी, सुरक्षा के संबंध में देश की तैयारी - ये कोई राजनीतिक विषय नहीं हैं। यह ऐसा विषय नहीं है, जिसमें राजनीतिक दल एक-दूसरे के ऊपर प्रहार करते रहें, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जो कई वर्षों से हैं और कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी ऐसी बनी हैं, जो कई दशकों से बनती चली आई हैं।

आज भी विश्व की एक बहुत बड़ी सेना में से हमारी सेना है। जब-जब इस देश के ऊपर संकट आया है तो कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि सेना की जो जिम्मेदारी रहती है, सेना ने उसे निभाया न हो। आज भी सैनिकों के सामने कई चुनौतियां आती हैं। सिंधिया जी अभी जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है, एक बहुत बड़ी समुद्र की सीमा है, समुद्री तट है। उसके साथ-साथ पश्चिम और उत्तर की वह सीमा है, जिसके ऊपर तनाव भी रहता है। देश में कई स्थानों के ऊपर इनसर्जन्सी होती है। वहां भी सैनिकों को एक रोल निभाना पड़ता है। इसके साथ-साथ कई बार ऐसी नैचुरल कैलिमिटीज़ भी आती हैं जब देश के अंदर बाकी व्यवस्थाएं अपना काम नहीं कर पातीं, तो विभिन्न प्रकार के सैनिक दल वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा, जिसे एक भी उदाहरण याद हो कि इस देश के सैनिकों से उम्मीद थी और उसके ऊपर वे खरे न उतरे हों। देश के अंदर सीमा पार से आतंकवादी आएँ, हमारे सैनिकों पर या हमारी पारा मिलिट्री फोर्सों पर या हमारे मासूम नागरिकों के ऊपर हमला कर दें, ये घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं।

सीमा को सुरक्षित करने में पिछले कई वर्षों से सेना ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए यह बेहतर होगा कि देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए विषयों को हम बाईपार्टिशन की दृष्टि से एक बार देख लें। यह कहना बहुत सरल है कि देश की सुरक्षा के लिए साधनों की उपलब्धि और भी अधिक होनी चाहिए। यह स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था जो पहली सरकार में भी थी, उसको हम लोग सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ समय के लिए मेरे पास दोनों जिम्मेदारी है। हमारा देश जितना भी राजस्व इकट्ठा करता है, उस में से सबसे बड़ा खर्च देश की सुरक्षा के लिए हो, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसके साथ-साथ और भी डिमांड्स रहती हैं। हम जो राजस्व इकट्ठा करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो पुराना ऋण लिया

है, उसके ब्याज के लिए चला जाता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों को भी देना पड़ता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए सब्सिडी के रूप में देना पड़ता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास कार्यों में देना पड़ता है।

जब सरकार इतनी कम्पीटिंग तरीके से अपने आप को चलाती है। सरकार का अपना सैलरी बजट होता है, पेंशन बजट होता है और सातवें पे कमीशन के बाद यह थोड़ा और बढ़ गया है। गरीबों के सहायता के लिए सब्सिडी जाती है। इसलिए एक प्रयास रहता है कि हम इन साधनों में से अधिक से अधिक साधन देश की सुरक्षा के लिए दें। देश की सुरक्षा के लिए हम जो साधन रखते हैं, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा सैनिकों के वेतन तथा पूर्व सैनिकों के पेंशन पर चला जाता है। इसके साथ-साथ जो कैपिटल एक्पेंडीचर है, जहां सेनाओं का मॉर्डनाइजेशन हो, वे अपने लिए और अधिक एक्विपमेंट खरीद पाएं, उसको मॉर्डनाइज कर पाएं, देश की सुरक्षा की जो आवश्यकता है, उसके अनुकूल कर पाएं। इसके लिए शासन प्रयास करता है। इसमें दो स्वाभाविक चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ कोई पिछले तीन वर्षों में पैदा नहीं हुई हैं, इससे पहले अधिक ज्यादा थी। एक चुनौती साधनों की है और दूसरी चुनौती प्रक्रिया की है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो-जो आवश्यकताएं हैं, उन सब की खरीदारी की जाएं। मैं साधनों के संबंध में केवल इतना ही कहूंगा कि जो भी सरकार, शासन और देश के साधन पड़े हो, उसमें एक बहुत बड़ी व पहली प्राथमिकताओं में से एक देश की सुरक्षा है।

I would like to tell this to Prof. Sugata Bose. I missed your speech yesterday but I went through the detailed notes of your speech.

At the end of the day, what is it that we are trying? It is to increase the resource. Now, how do you increase the resource? The revenue mobilisation of the State must increase, that is, the primary resource that the Government gets, and this is not necessarily to be done by raising the level of taxation. That could at times be a retrograde method of trying to raise the revenue. The obvious method is, you expand the base. You come out with more modern methodologies of increasing the revenue. You put a check on evasion whenever it is possible. Therefore, whenever we take political positions on those issues, at the end of the day, we must realise that the size of the entire revenue cake has to increase. It is only then that the slice, which will be available for national security, will also increase. Ultimately, in each measure which we are taking – in some of which we

are all together and in some of which we may have different points of view – the intention of the Government is to increase that base.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): What you are saying is correct. We have to increase the base and also spend more on defence side. If you are restricting expenditure on other Departments, it is alright. But the Central Government has to spend on all sectors like welfare programmes, skill development, etc. That is why you are not in a position to spend more on Defence and other requirements. If you allow the State Governments to do certain things, it can take away a lot of federalism. But you are diluting the federal system. If you are having all powers on your side, then revenue from all sectors will come to you and the base of States will reduce.

Through GST also, you are reducing the base of States. You are bringing everything towards the Centre. If you go on concentrating on all the State subjects, definitely you cannot have sufficient funds for Defence. ... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: You gave two illustrations and let me respectfully disagree with both.

Ultimately, the choice is not between defence expenditure and skill development, India will need both. Therefore, you cannot say that let us stop skill development. ... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : Why are you concentrating on all things? That is my point.

SHRI ARUN JAITLEY: At the end of the day, you still have a very large population. You have to skill your people in various skills in order to make them employable. But this has to be an effort as far as States are concerned and as far as Centre is concerned.

When you mentioned GST, I know your party's and State Government's positions have been slightly different from everybody else. But one of the objects was to have a more efficient indirect taxation system which brings an end to

evasion and, therefore, the revenue of the States and the Centre also increases. That is why we were able to develop a bipartisan consensus on it.

At the end of the day, let me only say that our effort whether through various measures that we have been taking in order to check black money, evasion, increase the tax base, GST, etc., ultimately a more resourceful State will always be able to spend more on its primary responsibility for the security of the country and that is one of our primary expenditures.

अब उस प्राइमरी एक्सपेंडिचर के सम्बन्ध में हम यह भी समझ लें कि हर जो प्रक्रियायें हम लोगों ने बनाई हैं, इसमें लीगेसी इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसेज अपने आप में समय लेते हैं, इवैल्युएशन है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप उसको कम कर सकते हैं। लीगेसी की बात मत करिए, आप उसको सुधारिये। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : लीगेसी खत्म हो सकती है क्या? ... (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मैं आपको बता देता हूँ, जो सुधारा है। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कितने साल ऐसे बोलेंगे? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आजकल बैठे-बैठे चर्चा करने की बहुत बुरी आदत लगा रहे हैं। ऐसा कोई भी मत करो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कितने साल आप ऐसा बोलते रहेंगे? ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not saying that it is only from one side. यह दोनों तरफ से है।

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : यहां से भी, अभी भी निशिकान्त जी कुछ बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है।

... (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मैं केवल तीन विषयों का जिक्र करता हूँ, बाकी डॉ. भामरे उसको डील करेंगे। यह छवि न जाए कि देश के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। यह जो माहौल एक-दो भाषणों से बना, मुझे खेद है कि यह माहौल बना कि जैसे आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर इसका असर है। हमारी सेनायें पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी चुनौती के लिए प्रिपेयर्ड हैं। मैं आपके सामने केवल सूची दे दूँ, and I will just read it out to you. In the last two years, from 2014-15 to 2016-17 and till date, 147 contracts have been concluded of a total value of Rs.2,00,957.66 crore.

13.00 hours

The equipment such as rockets, radars, artillery guns, helicopters, aircrafts, missiles will be supplied under these contracts, which will meet the critical requirements of the Indian Armed Forces.

Now, amongst the prominent ones, let me give you a list, 155 mm ultra-light holster; BrahMos missiles; Pinaka rockets; ballistic helmets are for the Army. For the Navy and the Coast Guard, the ongoing shipbuilding projects of P17A frigates; deep-sea rescue vessels; P81 long-range maritime reconnaissance aircrafts; upgrade of KAMOV-28 helicopters; Dornier aircrafts; off-shore petrol vessels; and fast petrol vessels. For Air Force there is the Rafale fighter aircrafts; heavy-lift helicopters; Apache attack helicopters. Additionally, there is a large number of increased capabilities in many other areas.

आपने कहा 'मेक इन इंडिया'। मेक इन इंडिया के पीछे एक उद्देश्य था, एफडीआई केवल उसका एक हिस्सा है और एफडीआई के पीछे उद्देश्य यह था कि जब हम विदेशियों से बाहर से खरीदते हैं, तो क्यों न आरंभ में ज्वाइंट वेंचर से अपने देश में बनाना शुरू करें। स्वाभाविक है कि पिछले दो वर्षों में कई ऐसे बड़े विदेशी सप्लायर्स हैं जो अपने भारतीय पार्टनर ढूँढ रहे हैं। कई ऐसे अरेंजमेंट्स हुए हैं। यह एक लम्बी प्रक्रिया होती है। मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस तब आरंभ होता है, जब उन्हें आर्डर मिलने की संभावना हो और आर्डर इसमें केवल सरकार और फौज की तरफ से मिलता है। यह कहना कि भारत में मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। आपके शासन में भी पब्लिक सैक्टर्स थे। वे पब्लिक सैक्टर्स काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। कुछ निजी लोग अब इसमें आने शुरू हुए हैं, इसलिए इस सैल्फ क्रिटिकल एक्सरसाइज़ में हम इतनी अतिशयोक्ति न कर दें। अगर मैं आपको आंकड़ा दूँ, यह केवल पिछले तीन वर्ष का है, इससे पहले भी होता होगा। 134 कैपिटल प्रोक्योरमेंट केसेज़ ऐप्रूव हुए हैं। इनकी सप्लाय कई वर्षों तक चलेगी। इनकी टोटल कीमत

4,00,450.30 करोड़ रुपये है। 4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर के 134 proposals have been approved. 134 में से 2 लाख 51 हजार करोड़ रुपये के 100 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जो बॉय एंड मेक इन इंडिया वाले हैं। इसमें एक लाख 19 हजार करोड़ रुपये के करीब के 34 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बॉय ग्लोबल हैं, इसलिए इस सैल्फ क्रिटिकल एक्सरसाइज़ में हम चले जाएं कि देश के अंदर मेक इन इंडिया में इसमें कुछ नहीं हुआ। ये सब पिछले तीन सालों में हुआ। स्वाभाविक है कि इसकी जो प्रक्रिया होगी, वह पहले से आरंभ हुई होगी। जो प्लांट्स होंगे, पीएसयूज़ भी होंगे, जो पहले से काम कर रहे हैं, स्टेट कम्पनीज़ हैं जो पहले से काम कर रही हैं। अब जो एफडीआई पॉलिसी हम लोगों ने और ओपन आउट की है, उसके बाद निजी लोग भी इस प्रक्रिया में आने लग गए हैं। 2016 की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें भी जो समय-सीमाएं लगती थीं, खड़गे जी जो विषय उठा रहे थे, उसे थोड़ा कम्प्रेस किया गया है। कम्प्रेस करने के पीछे एक उद्देश्य यह है कि इवैल्युएशन ठीक हो जाए। उस इवैल्युएशन के साथ-साथ प्राइस डिटरमिनेशन सही हो जाए। प्राइस डिटरमिनेशन के साथ-साथ प्रोसेसिंग में ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि यह ऐसी परचेज़ होती है, जिनमें कई बार ट्रांसपेरेंसी पर असर पड़ता है तो एक विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हो जाता है और बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए समय को कम्प्रेस किया जाए।

आपने ओआरओपी का विषय उठाया। ओआरओपी के संबंध में 2014 के इंटरिम बजट में फरवरी में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, नॉमिनल लिप सर्विस। अप्रैल, 2014 में जब चुनाव चल रहा था और यह विषय गरमाया था, तो यह विषय एक कमेटी को दे दिया गया। इसे लागू करने का काम 7 नवम्बर, 2015 को हमारी सरकार ने किया। इसमें एक ही बैंक का व्यक्ति, चाहे उसका रिटायरमेंट कभी भी हुआ हो, उसे एक जैसी पेंशन मिलेगी। यह पेंशन, जो उसकी फिटमेंट होगी, जो सिविलियन कर्मचारियों के संबंध में पे कमीशन हर दस साल बाद करता है, तो सेना के लोगों के संबंध में हम इसे हर पांच साल बाद रिव्यू करेंगे। अब इसमें हर साल का हजारों करोड़ों रुपये का रैकरिंग एक्सपेंडीचर है और बहुत बड़ा एरियर था। एरियर चार किश्तों में देना था, जिनमें से दो किश्तें दी जा चुकी हैं। हम अब तीसरी किश्त देने वाले हैं। सेवन्थ पे कमीशन से जो एनोमलीज आयीं, उसे एक कमेटी को रैफर कर दिया गया। कमेटी एक एडवांस स्टेज पर है और उसमें अपनी कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष महोदया, मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि प्रोक्योरमेंट की पूरी प्रक्रिया है, जिस पर तैयारी निर्भर करती है, उसकी एक व्यवस्था है। वह व्यवस्था चल रही है और उसे और तेज करने का प्रयास है। हमारी आर्म्ड फोर्सिंग की कोई भी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होगी, चाहे कहीं दूसरा खर्चा हमें कम भी करना पड़े, उसके साथ कोई समझौता करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर और ड्यूटी चार्ज होल्डर डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने सरकार की तरफ से बहुत सारे विषयों पर अपने बयान रख दिये हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद आज कुछ बातों का जवाब देना आवश्यक है। विपक्ष से भले ही उम्मीद की जाये कि जब रक्षा सौदों की बात होगी, जब भारत की सुरक्षा का विषय उठेगा, तो उसमें राजनीति नहीं होगी, लेकिन यह विचार वैसा ही है, जैसे शांति प्रस्ताव पर हम शांति की मांग करें। शांति प्रस्ताव पर जिस तरीके से शांति नहीं होती, उसी प्रकार मैं विपक्ष को उनकी बातों का जवाब देने के लिए आज खड़ी हुई हूँ।

13.07 hours

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि माननीय सिंधिया जी ने अपने भाषण में कोको आईलैंड का जिक्र किया। उस विषय में मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कोको आईलैंड या कोको द्वीप समूह अंडमान के समीप था और वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा बर्मा को सौंप दिया गया था। आज चीन को वह लीज पर दे रखा है और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। अब वर्ष 1950 में किसकी सरकार थी, इसे माननीय सिंधिया जी बेहतर जानते हैं। उसी प्रकार आज पीओके रीजन, यानी पाकिस्तान आक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र किया। इसमें चाइना द्वारा कोरीडोर स्थापित करने की बात की गयी और तमाम सीज फायर वायलेशन की बात हुई। अब भारत का एक तिहाई हिस्सा किसके समय में दूसरे देश के हाथ में गैरकानूनी ढंग से चला गया, यह भी वे बेहतर समझते हैं। इतिहास में शायद अतुल्य उदाहरण नहीं है कि वर्ष 1947 से लेकर अब तक लगातार भारत की सीमाओं के साथ किस प्रकार का खेल होता आया है। काबुवेली मणिपुर का हिस्सा है। 13 जनवरी, 1954 में बर्मा को 14 वर्ग मीटर का हिस्सा सौंप दिया गया, जिसका एक हिस्सा आज फिर चीन सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है और भारत की सुरक्षा में विध्वन डाल रहा है। बेरूबाली, पश्चिम बंगाल के हिस्से को, जो पूर्वी बंगाल में था, बंगला देश, जो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, वर्ष 1961 में दे दिया गया। डॉ. बिधान चंद्र राय उस समय बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्बली में मुख्य मंत्री थे। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। 1200 ग्राम निवासियों ने अपनी अंगुली काट कर, खून से इसका विरोध प्रदर्शित किया और लिखकर दिया - 'हमारो रक्त देबो', **we will sacrifice our blood.** 'प्राण देबो, पर बेरूबाली देबो न।' यह कहने के बावजूद बेरूबाली को दे दिया गया। 'हिन्दू-चीनी-भाई-भाई' का नारा 1962 में दिया गया। आप सब आज चीन का जिक्र कर रहे हैं। इस इतिहास के लिए जिम्मेदार कौन है, यह मैं सिंधिया जी से जरूर प्रश्न करना चाहूंगी।

आज माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि सैन्य शक्ति में सैनिकों के पास क्या-क्या नहीं है, मैं उनका ध्यान लेफ्टिनेंट हैंडरसन के नोट्स की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री को इनडाइट किया था कि भारतीय सैनिकों के पास जुराबें तक नहीं थीं। गोपीनाथ बारदोलोई जी ने उत्तर-पूर्वी हिस्से को भारत के साथ रखा, लेकिन जब चिटगांग और सिलहट की बात आती है तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, यह भी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के बारे में रामायण में एक पंक्ति है :

‘परम रम्य गिरीवर कैलासू, सदा जहां शिव उमा निवासू।’

यह रामायण की पंक्ति है, लेकिन आज कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पास है, क्योंकि वर्ष 1953 में भारतीय सेनाओं को वहां हटा से लिया गया था। इंदिरा गांधी जी को पूरा भारतवर्ष वर्ष 1971 के युद्ध के लिए जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि कच्चातिवू द्वीप, जो हिन्द महासागर में है, उसे इंदिरा जी ने श्रीलंका को दे दिया था। वर्ष 1971 में 95,000 सैनिकों को बिना किसी परमानेंट रिज्योल्यूशन, बिना ट्रीटी के छोड़ दिया गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी वाली बातें सच होती हैं कि आप उनको बार-बार छोड़ेंगे और वे बार-बार आक्रमण करेंगे। हाजीपीर, रन ऑफ कच्छ, तिलहट पोस्ट, एलटीटीई के साथ भारतीय सेनाओं का जूझना, तीन बीघा जमीन बांग्लादेश को वर्ष 1993 में दिया जाना आदि ऐसे ही मामले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कोशिश कि गुजरात का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, जिसे आज के भारत के प्रधानमंत्री जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसमें आगे बढ़कर रोक लगाई थी। इस तरह से भारत लगातार अपनी सीमाओं को खो रहा है और यह कई सालों से हो रहा है, लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए सेनाओं को काम करने की आवश्यकता है और सैन्य शक्ति को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

मैं आज आपके माध्यम से दो अन्य विषय ध्यान में लाना चाहती हूँ। गिलगित-बाल्टिस्तान किसके समय में, किसने हथियाने की कोशिश की और आज उसे एक प्रॉविस डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा देश, जहां पर नेता प्रतिपक्ष हाफिज सईद जैसे लोगों के साथ स्टेज शेयर करते हैं। 11 अगस्त, 1947 को बलूचिस्तान को एक राज्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की हरकतें कश्मीर में हुईं, बलूचिस्तान के विरोध में भारत ने कुछ बात ही नहीं की। उस मुद्दे का आज तक हम उपयोग भी नहीं कर पाए। भारत का एक बड़ा हिस्सा काटकर, छांटकर ट्रंकेट किया गया। ऐसी तमाम बातें हैं, जब भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। भारतीय सेनाओं ने कभी उसमें कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, वे हिन्द महासागर से लेकर उत्तर-पूर्व, उत्तर के बॉर्डर्स और

अन्य सभी क्षेत्रों में हैं। अगर उसका वर्गीकरण किया जाए तो उसमें आतंकवाद और आतंकवाद से इंटरनल सिक्योरिटी को उत्पन्न हुए खतरे प्रमुख रूप से सामने आते हैं। सीमा पार से आतंकवाद इस देश में घुसपैठ के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से फैलाने की कोशिश कर रह हैं, वह हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है।

अगर रक्षा बजट को बांटकर देखा जाए तो पाएंगे कि 3,59,584 करोड़ रुपये, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रक्षा के लिए दिए हैं, उनमें से तकरीबन 50 प्रतिशत धनराशि सैन्य बलों की पेंशन एवं सैलरी में खर्च कर दी जाती है। अगर हम देखें, तो वर्ष 2013-14 से पूरे विश्व भर में परसेंटेज के रूप में सबसे अधिक बजट सउदी अरब का है, लेकिन बहुत से ऐसे देश, जो बहुत सुरक्षित हैं, उनका रक्षा बजट उनके जीडीपी का मात्र दो प्रतिशत है, जबकि भारत का रक्षा बजट दो प्रतिशत से ऊपर है। इसे तीन प्रतिशत करने की कोशिश होनी चाहिए। शेतकर कमेटी के आधार पर इसको ढाई प्रतिशत करने की मांग है। इस बजट को खर्च वाला बजट माना जाता है, डिफेंस खर्च का केन्द्र है।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि जो बजट अर्थव्यवस्था का बड़ा सहयोगी बजट हो सकता है, हमें उसे उसी प्रकार से देखने की आवश्यकता है। अगर देश को विकास करना है तो आर्थिक विकास के लिए भारत की रक्षा और सुरक्षा का प्रबंधन भी करना होगा, लेकिन आर्थिक विकास में एमएसएमई के माध्यम से यही बजट आर्थिक ऊर्जा भी बन सकती है। अगर प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें और भारत की जो नीति रही है, अब उस नीति में 'मेक इन इंडिया' का दौर चला है। 'मेक इन इंडिया' में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और उनके साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाये, क्योंकि हम यह 70 प्रतिशत इम्पोर्ट करते हैं, जब कि कायदे से भारत को इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए।

माननीय सिंधिया जी और कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत अफगानिस्तान से एक बंदूक मांगता रह गया, लेकिन उन्होंने वह बंदूक तक एक्सपोर्ट नहीं की थी। किस दबाव में इन लोगों ने काम किया है, आज यह भारत के सामने है। उसकी कड़ी से कड़ी निंदा नहीं होती और आप कड़ी निंदा करके भारत की सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up. We have to pass this Demand before 2.00 p.m. Then, we have to take up the Demands of the Home Ministry also.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : What is the direction?

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to be very brief.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : I am trying to be very brief. In that brevity, I have to point out certain facts which have been specifically addressed by the Opposition and which have not been answered so far. The specific fact which has been brought is Rafale Deal. इन्होंने रैफेल डील की बात की है, मैं देश को याद दिलाना चाहती हूँ कि वहां पर किस-किस तरीके की डील होती थी, शायद उन्हें पूरा देश याद करता है। वह जीप स्कैंडल हो, बोफोर्स हो या अन्य हो, उनके यहां स्कैम-बैन ट्रीटी चलती थी। पहले स्कैम होता था, स्कैम के बाद बैन होता था और उसके बाद रिअटरेट और शोर-शराबा होता था। स्कैम-बैन ट्रीटी को इस सरकार ने आकर बंद किया है, रक्षा सौदों से घोटालों को समाप्त किया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसकी आज बहुत खुशी से बात उठाई जा रही थी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पालिसी पर पिछले 70 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। आज सिक्वोरिटी और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पालिसी के ऊपर हमारी सरकार ने पहली बार काम किया है।

फाइटर जहाजों के दाम की बात भी सदन में कही गई है। फाइटर जहाज के दामों पर यह गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि किसी भी जहाज को खरीदने के बाद उसकी मेंटेनेंस से लेकर जो भी खर्चा होता है, वह कांट्रैक्ट का हिस्सा होता है। मेंटेनेंस कांट्रैक्ट इतने अधिक थे कि जो ओरिजिनल मैनुफैक्चरर्स हैं, उन्हें पूरे समय जब तक आप उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप पैसे देते रहेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड की बात आज के दिन मैं याद न ही कराऊं, तो बेहतर होगा।

महोदय, नेवी की बात हुई थी, तो स्कॉर्पियन की याद आती है। उसके साथ और भी ऐसे जहाज और पनडुब्बियों की बात याद आती है, जहां इटली से मसौदे किए गए और उनकी क्वालिटी बिलकुल खराब थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप गवर्नमेंट अप्रूवल पॉलिसी भारत सरकार की बेहतरीन पालिसी है और इसी पॉलिसी के तहत कार्य किया जा रहा है और ऐसे में एटमी बम और जो दूसरी धमकियां दी जा रही हैं, उन धमकियों से प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बजट भले ही छह प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन सेनाओं का मनोबल 600 प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि उन्हें अपना काम करने के लिए दिल्ली का रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऑन द स्पॉट अपना काम करने की पूरी अनुमति है। 'सठम साठये समाचरेत' जैसा समय है, उसी तरह से काम करना चाहिए और उसी समय के अनुसार जो वे-फार्वर्ड है, वह मैन पॉवर रिडक्शन पर भी काम करने की जरूरत है, जो कि चीन ने की है। हमें चीन से यह बात सीखने की आवश्यकता है कि जब मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग और इस तरह की चीजें हों तो मैनपावर रिडक्शन पर भी काम किया जाए। यूटीलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिनमें खास कर सेना के पास जो बहुत बड़ी जमीन है, मैंने अपने क्षेत्र में उसके आडिट की बात की थी, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा सेना की जमीन का आता है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आर्मी ने आडिट करना शुरू किया, तो यह बात सामने आई। एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं यहां राइडिंग क्लब चलाती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास इस संबंध में कोई कागजात हैं, तब उस महिला ने कहा कि नेहरू जी ने उसे जमीन दी थी। मैंने कहा कि ...* आप इस जमीन से संबंधित कागज दिखाइए। यह दिल्ली के रेस कोर्स के आस-पास की है और यही स्थिति सेना की जमीनों का हाल पूरे देश भर में है। सेना की जमीनों का आडिट होना चाहिए और आडिट के बाद यह बहुत बड़ा रिसोर्स भारत के पास होगा, जो कि गरीबी उन्मूलन में और सेना के लिए सक्रियता से रिसोर्स जुटाने में काम आ सकता है।

इनडीजिनस आर एंड डी में एक तरफ इसरो है, जिसने क्रायोजनिक ईंजन से लेकर बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और इतने सारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में एक साथ भेजा। इसने भारत को दुनिया में एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया और दूसरी तरफ डीआरडीओ है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली मैसेज सैंडिंग में कहीं न कहीं कमी रही, नहीं तो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और इसरो के वैज्ञानिकों के काम में अंतर नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं वह अंतर पालिसी के लेवल का रहा होगा और डीआरडीओ, चाहे वह ड्रोन्स बनाने की क्षमता हो, चाहे क्लस्टर बनाने की क्षमता हो, चाहे सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने की क्षमता हो या टायलेट्स बनाने की क्षमता हो, डीआरडीओ के पास बहुत तकनीकें हैं, बहुत इन्वेंशंस हैं, लेकिन उनका सही प्रयोग नहीं किया गया है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहती हूँ कि इस विषय में भी काम करने की जरूरत है।

हमें इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की आवश्यकता है। डिफेंस इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की आवश्यकता है और साथ में ओपन इंटरव्यू की आवश्यकता है, ताकि जो आईएस लॉबी है, जो कि एक संगठन के रूप में काम कर रही है, वह डिफेंस प्रोक्योरमेंट परचेज पर बहुत अधिक हस्तक्षेप न कर पाए और मिलिट्री आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग इसमें सम्मिलित हों। ओपन इंटरव्यू बेस पालिसी के आधार पर उसका संगठन होना चाहिए।

महोदय, एक आखिरी बात मैं आपके माध्यम से सदन के सामने लाना चाहती हूँ। वर्ष 2008 में किसकी सरकार थी, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं और नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन इसी सिविल सर्वेंट लॉबी को दिया गया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर स्टेगनेशन है और जैसे ही नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन हो जाएगा, उससे बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है और अगर यह इतनी अच्छी पालिसी है, तो यह सभी पर लागू हो जानी चाहिए। नॉन अपग्रेडेशन को हटाया जाए और यहां से जो कटौती हो,

* Not recorded.

मतलब जो खर्चा यहां से बचे, उसे डिफेंस बजट में एड किया जाए। 'मेक इन इंडिया' कैम्पेन को सीधे तौर पर ट्रेड और कॉमर्स से जोड़ कर एमएसएमई के तहत जोड़ा जाए, तो डिफेंस बजट अपने आप बढ़ जाएगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Members who want to lay their speeches are allowed to do so, and those speeches will form part of the record.

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Sir, first of all I would like to express my profound gratitude and indebtedness to our beloved leader Amma for giving me an opportunity to be here in this august House. Thank you very much for allowing me to speak on the discussion on Demands for Grants for 2017-18 in respect of the Ministry of Defence.

While presenting the Union Budget 2017-18 on Feb 1, 2017 the hon. Finance Minister allocated Rs.3,59,000 crore to the Ministry of Defence and in his previous budget the Finance Minister also made certain changes in the format of Defence Demands for Grants bringing further complexity to the task of estimating the various heads that make up India's official defence budget.

The bigger question that faces the defence community is whether the latest allocation is adequate to meet the security needs of the country. The hon. Finance Minister had stated that for defence expenditure excluding pensions he had provided a sum of Rs.2,74,000 crore including Rs.86,500 crore for modernization from the last year's Rs.2.58 lakh crore. There is an apprehension in the minds of the common people that the modest 65 per cent hike in allocation shows that defence spending remains a low priority area for the Government.

The allocation on defence spending increased by just six per cent might hurt the military's modernisation plans, crucial to keeping up with China's expanding might. The meagre hike is unlikely to meet the impact of inflation, depreciation of the rupee and the imposition of customs duty on military imports from last year.

Another glaringly noticeable aspect is that the under utilisation of capital allocations provided in the 2016-17 budget, resulting in a surrender of Rs. 6,970 crore. The surrendered amount has largely been absorbed in the revenue expenditure which has increased from its original estimates by Rs. 5,876 crore.

There has been a further decline in defence budget's share in both Central Government expenditure and the GDP. With a share of 1.56 per cent

of the estimated GDP of 2017-18, the defence budget is the lowest since 1956-57. Pegged at 1.62 per cent of the GDP this year, the allocation is unlikely to cater for major weapons purchases. This is despite the recommendation of a key defence ministry panel that the spending should be 2.5 per cent of the GDP. For a vast country like our India, which has to keep an extra vigil over its LoC and borders this low allocation will create a sense of fear and complacency in the minds of the defence personnel.

Another major feature is the further increase in the share of the revenue expenditure in the total defence budget. This increase is primarily due to the hike in the manpower cost of the Armed Forces, which accounts for over 83 per cent or Rs. 11,071 crore of the overall growth of Rs.13,291 crore in the defence budget. In the last several years, it is a recurring feature with a debilitating effect on two vital elements of the defence budget: revenue stores and capital modernization which together play a vital role in the operational preparedness of the Armed Forces. But defence planners and experts believe spending over the years has not been balanced and hurt a military laden with obsolete weapons and equipment.

From basic gear such as bullet-proof vests and assault rifles to hi- tech platforms such as warplanes and next generation submarines, many of India's defence modernisation programmes are on a slow track for want of money. The 3000-kilometre long border in the North will require a laser wall fencing in some places, barbed-wire fencing with high end CCTV cameras, laser fitted thermal cameras, buried detectors and sensors, and perimeter protection system in some places. This itself requires huge funds for effective installation and commissioning as well as working.

The combined share of the important two elements the revenue stores and capital modernization has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17. This does not augur well, especially when there exists a huge

demand for defence preparedness, and the Armed Forces have grave shortages in areas ranging from ammunition, assault rifles, bullet-proof jackets, night fighting-devices to howitzers, missiles, helicopters, fighters and warships. Needless to say, for adequate defence preparedness, the present ratio needs to change for the better, for which allocation under revenue stores and capital modernisation needs to be augmented substantially.

Among the defence services, the Indian Army with a budget of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in defence budget, followed by the Air Force, Navy, Defence Research and Development Organisation (DRDO) and Ordnance Factories. The lion's share for the Army is primarily because of its overwhelmingly numerical superiority over the sister services. Accounting for over 85 per cent of the uniformed personnel, bulk of the Army's budget goes into meeting the pay and allowances of the personnel. In 2017-18, only 17 per cent of Army's total allocation has been earmarked for capital expenditure. The comparative figures for the Air Force and Navy are 58 per cent and 51 per cent, respectively.

For modernisation and the capital procurement budget of the three Forces, the overall allocation in the 2017-18 budget has declined, although marginally, over the previous allocation. Among the three forces, Air Force is the only service whose modernisation budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets. The increase in the Air Force budget is in view of its signing several mega contracts, including the Rafale fighters, Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

The decline in the modernisation budget is a source of great concern. In 2016-17, only 12 per cent of the total modernisation budget of Rs.70,000 crore was available for signing new schemes, with the rest being earmarked for the committed

liabilities arising out of contracts already signed. However, there has been an under utilisation of Rs. 7,393 crore which works out to 10.5 per cent. The Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds and this has become a recurring feature despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the Ministry of Defence in the past two and a half decades. This causes a great concern Sir. The need of the hour is adequate fund allocation and the complete utilisation of allotted funds. The judicial spending on appropriate projects is very much required.

Given that steady modernisation is a prerequisite for building up a strong military capability, the Ministry of Defence has a big task ahead to bring in efficiency and expeditiousness in the procurement process. The fact that all defence imports now attract customs duty and the rupee has depreciated against the dollar, it will be interesting to see how the large pending procurements go ahead.

Unlike in the previous Budget, the Union Budget has not provided any specific incentive to push the 'Make in India' initiative in the defence sector, although some industry-wide proposals have been promised. Among others, the Government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of up to Rs. 50 crore. This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings, Ordnance Factories and large private companies.

The lack of any specific incentive for the defence industry may be a source of disappointment, as industry has repeatedly demanded certain concessions which are currently extended to other sectors. In the Union Budget itself, the FM extended the

'Infrastructure Status' to the 'Affordable Housing', sector, allowing the industry in that sector to avail certain tax-related benefits. Needless to say, Infrastructure Status is one of several long pending demands of the defence industry.

Within the defence budget, however, there has been a small allocation of Rs. 44.63 crore made for prototype development under the 'Make' procedures which have recently been revised by the MoD and some 23 projects have been identified for execution. Of the total amount, Rs. 30.08 crore is earmarked for Army and the balance Rs. 14.55 crore for Air Force.

The meagre increase of five per cent in the official defence budget is grossly inadequate especially in view of the vast voids existing in military capability and the diminished and incremental effect on modernisation and operational preparedness. There is a need to augment resources substantially, particularly under two critical heads of the defence budget - stores and capital procurement - which have come under severe pressure in the last several years with a huge negative consequence on India's defence preparedness.

For the overall development of Defence, while the demand for higher allocations is a genuine one, it must also be fully geared up to utilise the available resources in a time-bound manner. There is hardly any merit in asking for more resources while the present capacity to utilise the available resources, particularly those under the capital head, is constrained.

The Government had announced a centralised travel system for soldiers through which tickets could be booked online. Defence personnel now do not have to face the hassle of standing in queues and getting their travel tickets. We welcome this decision.

Increase of incentives and compensation for soldiers who brave their life fighting our enemies in hostile weather is a must.

Our immortal leader, Amma had constantly advocated for better focus and more allocation for Defence. There is a need to increase our attention on the Southern India. There is an urgent need to focus little more on the possible threats emanating from the southern coast of Bay of Bengal. The frequent attacks and killing of Indian fishermen by Sri Lankan Navy has to be treated as an unfriendly aggression. If we are silent and unmoved for some more time then there is a possibility that the tiny nation like Sri Lanka can take Indian Military for granted which could easily be exploited by our enemies. I urge the Government to take a serious note on the fishermen issue in the south Indian coasts which require an authoritative, "nip in the bud" action from Indian Defence Forces.

India need to take serious note on the frequent aggressions made in the Northern side, by our diplomatically friendly neighbours both Pakistan and China. The long border line between these two countries with our country needs an extra vigilant 24x7 security and surveillance and ever ready preparedness through all seasons round the year. This is really a Herculean task and we all must show our sincere gratitude and indebtedness to the brave soldiers, who toil in such hostile environment to save our country and make the people of our country live in peace.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Minister is going to reply at 1.45 p.m. Therefore, I would request the hon. Members to be brief.

***SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** The total defence outlay for 2017-18 is estimated at Rs. 3,59,854 crore. This budget allocation is 2.1% of India's estimated GDP which is less than the 3% recommended by the Standing Committee on Defence.

Defence expenditure over the years has been declining as percentage of GDP. For instance, defence spending as proportion of GDP declined from 2.4% of GDP in 2011-12 to 2.1% in 2017-18.

The expenditure of the Centre on the Jammu and Kashmir (J&K) Light Infantry for 2017-18 is increased to Rs. 1,261 crore from the previous year's budget estimate of Rs. 1,210 crore. Though this is a decisive move, the issue lies in the entire budget not being utilized in 2016-17. Of the total budget allocation, only Rs. 1,175 crore was sanctioned for use on J&K Light Infantry during the financial year 2016-17.

Centre's revenue expenditure allocated for defence ordnance factories has declined by more than 17% to Rs. 1,184 crore in 2017-18, compared to the revised estimates for Rs. 1,432 crore. This is even less than the budget expenditure for 2016-17 financial year of Rs. 1,217 crore. Ordnance factories are indispensable part of securing and maintaining the defence equipments. These include high cost and extremely inflammable apparatus which need to be guarded safely. In 2016, there were instances of negligence near the ordnance factories which led to explosions. To ward off such accidents, the Government must invest in defence ordnance facilities to improve their conditions. The budget did increase the capital outlay for defence ordnance factories to Rs. 803 crore in 2017-18 Budget, but the increase falls short of the proportional increase in the defence budget.

In this year's Budget, the Government has increased its allocation for research and development (R&D) by 8% to Rs. 7,266 crore, from budget allocation of Rs. 6,728 in 2016-17. As India needs to upgrade its defence

* Speech was laid on the Table

technologies to the level of developed countries and focus on modernizing the defence equipment, this is a positive move. There is yet scope for the Centre to increase the R&D expenditure.

The 2017-18 Budget allocated Rs. 86,488 crore for capital outlay on defence services. This is more than 20% increase in the capital outlay for 2016-17 when compared to the revised estimates of Rs. 71,700 crore. Though this is an affirmative move, the capital outlay for 2016-17 is left underutilized. Out of Rs. 26,791 crore allocated for capital outlay of the Army, only Rs. 23,709 crore was spent in 2016-17 according to the revised estimates. Out of its budget capital outlay of Rs. 22,000 crore, Navy spent 11% lower in 2016-17. Air Force also spent only Rs. 28,210 crore in 2016-17 which is 5% lower than its budget allocation. Though the capital outlay for defence services is increased by 10% in 2017-18 Budget, I would like to question the Government whether it will be underutilized, as done in the current financial year. And also ask the Government how it will ensure that allocated funds are released for spending in 2017-18.

As the situation in the Defence sector is at the present, it faces shortage of arms and ammunition for 50% of the stocks. This was mentioned by the Comptroller and Auditor General (CAG) in his 2015 report. The CAG report in 2015 also noted that Special Forces Battalion of Indian Army is functioning without any combat free fall (CFF) parachutes, for past decade. Army Aviation Corps is afflicted with 32% shortage of helicopters against its authorized strength. 52% of the fleet of the Corps is more than 30 years old. With much of the fleet of Indian Air Force being obsolete, the Government must augment the rate of replacement of the fleet and focus on modernizing the defence services.

Our shipping yards have their capacities depleted to the extent where repairing and maintaining of the defence equipment is taking years. This is noted by the Standing Committee. These shortages in capacities of Army, Navy and Air Force, can have serious repercussions for defence preparedness and border security.

Standing Committee has recommended some measures to improve the overall efficiency of the Defence sector spending. With 'One Rank One Pension' and Seventh Pay Commission's recommendations, there is an increase in the share of revenue expenditure because the salaries and pensions constitute the committed liabilities of the Government, compared to the capital expenditure. It recommended that the ratio of capital to revenue expenditure must be in favour of capital spending and building of ammunition stocks. To ensure better monitoring of the defence procurements, the Committee also recommended an expert committee to oversee procurements.

Standing Committee on Defence in 2015-16 also pointed out the issues related to defence training academies in India. The Committee noted that of the total sanctioned strength of 13,839 for Coast Guard, only 10,646 positions are filled and more than 3,000 posts are lying vacant. One of the main reasons cited by the Coast Guard is the limited infrastructure at the Indian Naval Academy and other training establishments of the Navy. These infrastructural constraints are thus limiting the intake of training personnel. The Government must take note of this and establish exclusive training academy for Coast Guard.

The other issue is the admission of girls to Sainik Schools. Sainik Schools, a joint venture of the Central and State Governments, prepare boys for entry into the National Defence Academy (NDA). At present the Sainik Schools do not admit girls. This is because, NDA has no provision of entry of girls and the Sainik Schools act as feeder institutions for NDA. Thus, in view of the shortage of officers in armed forces and increased willingness of girls to join Armed Forces, the Committee recommended that NDA must augment infrastructure to admit girl cadets. Subsequently, the Government must also initiate admitting girls to Sainik Schools, by building hostel and boarding facilities there.

Since the expenditure involved in establishing and maintaining the Sainik Schools is only a small part of the defence budget, the Committee also recommended them to be funded completely by the Central Government.

I would like to bring to the attention of the Government, the soldiers who laid their life fighting in the cross border fights in the past two years. From Maharashtra, as many as 25 soldiers died protecting the borders in 2016-17. The district-wise deaths of the soldiers constitutes 2 from Kholapur, 6 from Satara, 2 from Sangli, 1 from Solapur, 1 from Pune, 2 from Nasik, 2 from Ahmednagar, 1 from Aurangabad, 1 from Beed, 1 from Sindhudurg, 1 from Amravati, 1 from Yavatmal, 1 from Nanded, 1 from Parbhani, 2 from Akola districts of Maharashtra.

Deepak J. Ghatge of Borgaon village of Satara district, Mahadeo Tupare of Mahipalgad of Kholapur district died in March, 2017 in firing along the Line of Control (LoC). Sanju Suresh Khandare of Mana village in Akola district, Anand Gawai of Borgaon village in Akola district, Vikas Pandurang Samundare of Ganjpur village in Beed district died in the avalanche event in January, 2017. In Pampore attack of J&K in December, 2016, Farate Sourabh Nandkumar of Bhekrai Nagar village in Pune district laid his life. Major Kunal M. Gosavi of Pandharpur city in Solapur, Lance-Naik Sambhaji Y. Kadam of Jana village in Nanded died in Nagrota fight in Nov. 2016. In October, 2016 cease fire violations along LoC, BSF jawan Constable Koli Nitin, Subhash, hailing from Sangli died in the cross fire.

I would also like to bring to the attention of the Government the delays in the pensions entitled to war-widows. Kashibai Dhondi Yadav of Khawaspur village in Solapur district did not receive her war-widow pension after the death of her husband in World War II. It was only in February 2017, after 58 years was the pension released to her. This is only an example and there are many widows who have to fight for their entitlements. Though the Defence Minister has proposed doubling of the pension to widows whose husbands died fighting, the Government must take measures to ease the release of funds to widows.

Finally, I would like to draw to the attention of the Government to the issues associated with Ex-servicemen Contributory Health Scheme (ECHS). As

reported in February, 2017, as many as 24,000 war veterans from my state of Maharashtra were awaiting to be benefitted by the ECHS facility. This is due to lack of adequate medical infrastructure and facilities. Prior to the establishment of ECHS in 2003, Military Hospitals catered to the medical needs of the retired military men. Many of the ex-servicemen do not have the financial means to meet the medical expenses in their old age.

According to the ECHS scheme, medical services can be availed by the service personnel in hospitals which are outsourced for the purpose. But as of January 2017, ex-service men based in Pune, Maharashtra were denied medical services at the private hospitals because of pending bills. Bills worth Rs. 80 crore for ECHS scheme were pending with the private hospitals. So, I request the Government to release funds to disburse the pending bills and provide medical services to ex-servicemen.

I urge the Ministry of Defence to consider implementing these recommendations of the Standing Committee and CAG and increase the capital expenditure of the Defence sector.

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस में देश की सैन्य शक्ति, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं सेना के अत्याधुनिक हथियार, सेनाओं की रंग-बिरंगी आकर्षित करने वाली टुकड़ियां और हवा में कलाबाजी करते तिरंगे के साथ लड़ाकू विमानों को देख कर हमें अपनी सेना पर गर्व होता है और यह भरोसा हो जाता है कि हमारे देश की सेनाएं देश की रक्षा करने के लिए न केवल पूर्णरूप से सक्षम हैं, बल्कि हमारा देश दुनियाभर में एक ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश बन गया है परंतु रक्षा बजट को देखते ही हमें निराशा होती है। रक्षा बजट देखने से हमें अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि हर साल रक्षा बजट में मामूली बढ़त की जाती है जो की सैन्य तैयारियों के लिए नाकाफी होता है।

सरकार ने रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट दिया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सेना के पास दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जरूरी और बुनियादी हथियारों की कमी है, हमारी सेना के पास युद्ध के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं है, हमारी सेना के जवान कितनी कठिन और विषम परिस्थितियों में रहते हैं, तथा उनके पास बुनियादी सुरक्षा और सुविधाओं की कमी है जिसे देख-सुनकर बहुत दुःख होता है। सरहद पर प्रतिदिन बढ़ती चुनौतियों और खतरों को देख कर हर बार ऐसा लगता था कि इस बार रक्षा बजट में उचित बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हुई। लगता था कि इस बार रक्षा बजट और सैन्य प्रशासन की व्यवस्था में बदलाव किया जायेगा परंतु ऐसा कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला।

जैसे कि हम जानते हैं कि हथियार खरीदने की कुल प्रक्रिया काफी लंबी है। और हमारे पास हथियारों का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों की भी कमी है और हथियार खरीदने वाली फाइलें सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, विशेषज्ञ समितियों और वित्त मंत्रालय के बीच फंस कर रही जाती हैं जिसके कारण उचित समय पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और सेना को हथियारों की कमी से जूझना पड़ रहा है।

वर्तमान सरकार में हथियारों की खरीद को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन वास्तविकता में स्थितियों में कोई ज्यादा आमूल-चूल बदलाव देखने को नहीं मिला है और स्थिति जस की तस बनी हुई है परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय आवंटित बजट को पूरा खर्च नहीं कर पाता है। जिसके कारण हथियारों की खरीद में अतिरिक्त समय लगने से सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ता है और पिछले समय में सैलरी और पेंशन में हुए टकराव से भी सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ा है और यह बहुत दुःखद है कि जहाँ एक ओर सेना में हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी है, तो दूसरी तरफ लंबे

* Speech was laid on the Table.

समय से रक्षा मंत्रालय अपने पूरे बजट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया है। इस बात को नाकारा नहीं जा सकता है कि देश का हथियार खरीदने और सेना को अपग्रेड करने का काम बहुत पिछड़ गया है और रक्षा मंत्रालय आवंटित बजट को ही खर्च करने में विफल रहा है। सरकार को इस संबंध में गहराई से सोचने की जरूरत है।

देश की सुरक्षा को देखते हुए मेरा मानना है कि भारत भारतीय सेना में दो मुख्य कमियां हैं इसमें सबसे बड़ी कमी है कि सेना में योग्य अधिकारियों की कमी है और वर्तमान में लगभग 14 हजार अधिकारियों की कमी है और मैं समझता हूँ कि इस कमी को पूरा करने के लिए रक्षा बजट में आकर्षक वेतन पैकेज आना चाहिए और योग्य अधिकारियों के लिए सॉर्ट सर्विस कमीशन की योजना बनाई जानी चाहिए। सेना में दूसरी बड़ी कमी है कि सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी चल रही है और इस कमी को शीघ्र पूरा किये जाने की जरूरत है इसके साथ ही साथ वायुसेना को भी तेज करने की आवश्यकता है।

हमें अपना रक्षा बजट अगले एक दशक तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सालाना तीन प्रतिशत रखना होगा। अभी यह सिर्फ़ ढाई प्रतिशत ही चल रहा है। हमारी इच्छा है कि हम एशिया में अग्रणी सैन्य ताकत बनें। लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब भारत का रक्षा बजट जीडीपी का सालाना तीन प्रतिशत चलता रहे। भारतीय रक्षा मंत्रालय की जो खरीद प्रक्रिया है उसमें हथियारों की खरीद को ही रोका जाता है। इसलिए जरूरत है रक्षा मंत्रालय में लालफीताशाही को दूर करने की। चौथी बड़ी जरूरत है तीनों सेनाओं के लिए एक प्रधान सेनापति (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) की नियुक्ति की। चूंकि अगला युद्ध तीनों सेनाओं को मिल कर ही लड़ना होगा, इसलिए तीनों के बीच एकीकरण के लिए जरूरी है कि उनका एक प्रधान सेनापति हो।

***SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR):** The Ministry of Defence has been allocated the highest amount among all central ministries in this year's budget. In 2017-18, the Ministry of Defence has been allocated Rs. 3,59,854 crore (including pensions) for expenditure across various services, production establishments and research and development organizations. This forms 16.8% of the central government's budget of 2017-18 and 2.1% of India's estimated GDP.

The 2nd Report of the Standing Committee on Defence (Dec 2014), recommended that India's defence budget should be about 3% of GDP to ensure adequate preparedness of the defence services. India's defence budget 2017-18 had decreased from 2.4% of GDP in 2011-12 to 2.1% of GDP in 2017-18. This year's allocation is also the lowest allocation as a share of GDP since 2011-12. The Government should explain this anomaly and the reason behind the decreasing share, given the dire need for modernization of defence equipment and pressing need to improve the service conditions of the defence personnel.

The Ministry of Defence's budget is estimated to grow by 4% in 2017-18 over revised estimates 2016-17. This is low as compared to 19% growth between 2015-16 and 2016-17. The 4% growth is primarily because of an increase in salaries of the defence services and capital outlay. Capital outlay includes purchase of defence equipment, weaponry, aircrafts, naval ships and land for the defence services, production establishments and research organizations. However, it is to be noted that allocation for defence stores is 1% less than last year's expenditure on the same. Stores include ammunition, petrol, oil, rations and spares that are key to maintaining defence capital and ensuring preparedness of the defence forces. Even when you analyze the way spending took place by the Ministry last year, the increase in the Revised Estimates over Budget Estimates was primarily due to higher expenditure on salaries and pensions of Army, Navy and Air Force. On the other hand, the revised expenditure on capital outlay was

* Speech was laid on the Table

8% below the budget estimates 2016-17. This year, salaries and pensions of the defence services form the largest portion of the defence budget (50% of the budget or Rs. 1,80,823 crore). This is followed by capital outlay (24% or Rs. 86,488 crore), i.e. expenditure on defence equipment, weaponry, aircrafts, naval ships, land, etc. This under spending on capital outlay is a worrying trend.

It may be noted that a 2015 CAG audit report has found that 50% of the ammunition stocks with Army were at critically low levels in 2012-13 (i.e. they would last for less than 10 days of intense conflict, while the requirement was to last for 40 days). The situation has worsened since 2008-09, when about 15% of the stocks were at critically low levels. Even with regard to repairs and refits, the Standing Committee has noted poor capacity of shipyards to carry out maintenance of naval fleets. The Standing Committee noted that Army is operating with large scale vintage equipment. Further, there is shortfall in number of bulletproof jackets, vehicles, small arms, infantry specialist weapons, surveillance equipment, communication equipment, radars and power generators. This may have serious implications for border security and defence preparedness. In this context, I opine that it is essential to have a revenue capital ratio in favour of the capital segment to ensure all the services are in a war-ready mode.

Another important issue that deserves attention is the increasing import bill of the Defence Ministry. India's defence requirements are met through both imports and domestic sources. However, there is greater reliance on imports. Currently, indigenous content in defence acquisition is about 35%. Going forward; the target of the government is to achieve about 70% indigenization in defence procurement by 2027. The Committee has observed that a substantial percentage of raw material and parts used by local production establishments are procured from outside India. The 'Make in India' project seeks to correct the over-reliance on imports especially in the defence sector. To this extent, the programme is welcome.

While I support the demand for grants for defence, I would like to request the Hon'ble Minister to look into the critical issues I have highlighted in the speech and try and take corrective action.

***श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख):** आपने मुझे वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारी सरकार भारत देश की एकता अखण्डता एवं संप्रभुता बनाए रखने एवं देश की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई सराहनीय कार्य किये हैं। हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के मुकाबले वित्त वर्ष 2017-18 में रक्षा मंत्रालय के अनुदान को बढ़ाकर 262390 करोड़ रुपए कर दिया है। भारत देश की संप्रभुता का बार-बार उल्लंघन करने का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णयात्मक कदम उठाए हैं। आतंकवादियों द्वारा देश में सीमापार से बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए 29 सितंबर, 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैडों पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे रक्षा कर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व है और हम उनके प्रति सदैव कृतज्ञ और ऋणी रहेंगे। हमारी सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की चार दशक पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। इसके लिए छः हजार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की दो किरस्तें जारी की गई है, इससे करीब 19.60 लाख पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। हमारी सरकार ने रक्षा खरीद में हो रही अनियमितताओं पर भी अंकुश पालिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रक्षा मंत्री जी की सराहना करती हूँ तथा उन्हें धन्यवाद देती हूँ तथा मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से मांग करती हूँ कि रक्षा मंत्रालय के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को शामिल किया जाये। रक्षा कर्मियों की भर्ती में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आयुध कारखानों में कर्मियों की कमी को अतिशीघ्र दूर किया जाये। रक्षा कर्मियों के खानपान संबंधी शिकायतों का प्रभावशाली ढंग से समाधान करने की आवश्यकता है। रक्षा कर्मियों को और बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तथा उनकी शिकायतों के निपटान के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें। सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के कल्याण हेतु बेहतर तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है तथा सेवा के दौरान शहीद रक्षा कर्मियों के परिवारों के कल्याण हेतु नई प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 32 मिश्रिख क्षेत्र में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाये। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भर्ती के और अधिक अवसर सृजित किये जायें। टेरिटोरियल आर्मी में भी पुरुषों के समान महिलाओं को अवसर प्रदान किया जाये।

प्रत्येक विद्यालय में एन.सी.सी. पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया जाये तथा रक्षा भर्तियों में एन.सी.सी. कैंडिडेटों को प्राथमिकता दी जाये। जिससे नवयुवकों में देश प्रेम की भावना के साथ-साथ देश रक्षा में समर्पित हो जाने की भावना का सूत्रपात होगा। जनपद स्तर पर सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी

* Speech was laid on the Table.

सुविधायें प्रदान की जायें, उसकी मानिट्रिंग में स्थानीय सांसदों को भी शामिल किया जायें। मुझे विश्वास है कि हमारा रक्षा बजट देश की सीमाओं एवं आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक मजबूत कदम साबित होगा।

***DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):** Defence of the country is important. Security of the country is of paramount importance. National interest is of paramount importance. Providing security to the nation comes first. It is not a matter of surprise to know the defence budget for 2017-18 is put at Rs. 2,74,114 crore, which is just 6 per cent up if you compare it with the last year's defence budget for 2016-17.

We all know about One Rank One Pension. Still the people concerned are not happy. This year too, enough provision has not been kept for defence pension, an increase of only Rs. 115 crore is provided for defence pension.

It seems there is a competition in defence spending with our neighbouring countries like China and Pakistan. Even US President Donald Trump recently told the US Congress that there would be a hike in its defence spending. China's defence budget is only 1.3 per cent of its GDP, whereas India spends 1.57 per cent of its GDP on military.

With such a scenario, where do we go? What are we aiming at? Should not the Government think of spending more on education and health, where we lag far behind even on an average, and only 1% of our budget is allocated to health and education? I wonder about our preparedness in the eventuality of a conflict situation. But we can find instances of underutilization of available resources. We have problems galore and we could find in all directions – be in our borders or cross border terrorism in Jammu and Kashmir, unrest and militancy in the North-East, and economic blockade in Manipur, etc. and the most potent of all is the Left- Wing Extremism in some States. How to tackle these issues without providing enough resources to the forces taking on extremists, terrorists, separatists, etc. who are trying to instill unrest in the country? I would urge the hon. Minister to respond to this.

* Speech was laid on the Table

There are many defence establishments and undertakings across the country. There is a need to renovate and upgrade these establishments in order to ensure more production and output, for which there is a need to pump more money.

Earlier, there were occasions when kickbacks were paid. Agusta Westland was banned for alleged kickbacks in the purchase of 12 AW 101 transport helicopters. I want to know what transparency had been brought about by the current Government in clearing defence deals running into crores of rupees.

There is a need to modernize domestic defence manufacturing sector. At present, only there is a hike of 6% concerning military modernization. More money should be allocated towards modernization only that we can say that our defence preparedness is on par with other countries, including our neighbours like China. There is no sync between 'Make in India' and defence production, as I said we are the largest arms purchaser in the world. Pension expenses are ballooning, and the Government has to do something in this regard.

In the end, I would like to say with caution and concern – where are we heading to? What is in store with such major spending on defence? India is considered as the world's largest importer of major arms in the last 5 years and its overseas procurement was far greater than that of China and Pakistan, as per a Stockholm-based think tank – the Hindustan Times, dated 20.2.2017 – India is world's largest arms importer: SIPRI. Have any efforts been made to justify such huge spending on import of major arms?

This Government is a Government of announcements and not following up. Our Prime Minister and our former Defence Minister made announcements repeatedly that we would indigenously produce arms, Make in India, Start-up India, etc. What is the reality?

Finally, I would say that the recommendation of the Shekatkar Expert Committee, which recommended higher budget allocation for India's defence

budget, has not been acceded to. The defence allocation does not commensurate with the demands of Defence Ministry.

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** वर्तमान समय में सुरक्षा के संदर्भ में जिस प्रकार से देश के सामने समस्याएँ आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरफ से खड़ी की जा रही हैं ऐसे समय में मैं सरकार को अपनी सेना को एवं खुफिया एजेंसी को उन पत्रकारों का यशस्वी रूप से सामना करने एवं उनके ऊपर विजय पाने के लिये अभिनंदन करती हूँ।

वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से सुरक्षा के क्षेत्र में भारत स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, उसके लिये मैं अपने डी.ओ. विंग का भी अभिनंदन करती हूँ। आज सुरक्षा के क्षेत्र में भारत समर्थ भारत सुरक्षित भारत की दिशा में प्रगति कर रहा है। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा के क्षेत्र में पैसों का आवंटन बढ़ने के कारण यह स्थिति हम प्राप्त कर सके हैं।

देश में देश विरोधी ताकतों द्वारा देश को अस्थिर करने का प्रयास जिस तरह से निरंतर हो रहा है उसको देखते हुए खुफिया एजेंसियों को मजबूत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता देश में है। विशेषकर जम्मू व कश्मीर, गुजरात, बिहार, उत्तरांचल जैसे अन्य देशों के नजदीकी राज्यों के सीमावर्ती विस्तार में इस प्रकार की गतिविधियों का नियंत्रण करना जरूरी है। इस हेतु मेरी सरकार से मांग है कि इन राज्यों में रक्षा मंत्रालय की उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करने की और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस तंत्र से जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। गुजरात में सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडर्न इक्वीपमेन्ट एवं निवृत्त सेना के अधिकारियों एवं जवानों को बसाने, उन्हें अच्छे जीवन यापन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी गतिविधि को तुरंत कंट्रोल किया जा सके।

साथ ही साथ मैं माननीय केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि सूरत में हजीरा का बहुत बड़ा विस्तार देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों से घिरा हुआ क्षेत्र है। जहां एक एक औद्योगिक इकाई कई हजार लोगों को रोजगार देने के साथ साथ खरबों रुपयों का निवेश अपने आप में संजोये हुए है। जहां से पाकिस्तान का रास्ता शायद 2 या 3 घंटे का होगा। यानी एक तरह से सूरत शहर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हजीरा क्षेत्र में कोस्टगार्ड का केंद्र स्थापित हो इस ओर सरकार तुरंत निर्णय ले, साथ ही साथ गुजरात के पाकिस्तान से सटे समुद्री विस्तारों में अत्याधुनिक साधनों की आपूर्ति की जाए। क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा गुजरात के मछुआरों को गुजरात की समुद्री सीमा से अपहरण करके ले जाता है एवं उन परिवारों को न सिर्फ अपने व्यक्ति के जीवित आने-जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती है अपितु मछुआरों के साधन बोट को भी वह पाकिस्तान ले जाते हैं। यह समस्या श्री लंका से भी हमें हो रही है। उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

* Speech was laid on the Table.

देश में सुरक्षा से संबंध रखने वाले अभ्यासकीय क्षेत्रों का अविष्कार एवं इन्हें बढ़ाना यह आज की आवश्यकता है। जिस तरह से उच्च अभ्यास में थीसीस एवं शोधकार्य अति आवश्यक है उस तर्ज पर सुरक्षा के क्षेत्र को भी उन अभ्यासक्रमों से जोड़ कर उस क्षेत्र में संशोधन, शोध पेपर के लिए सोचने की आवश्यकता है। उससे भी आगे चलकर देश में आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को सुरक्षा क्षेत्र की ओर करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा काम इस क्षेत्र का शायद 4 दीवारों के बीच हो रहा है।

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 74 हजार 114 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष यह 2 लाख 58 हजार 589 करोड़ रु. था। इस तरह रक्षा मद में 15 हजार 525 करोड़ रु. की कुल बढ़ोत्तरी की गयी है।

रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित यह धनराशि पेश किए गए कुल आवंटन का 12.38 फीसदी है। रक्षा बजट की इस धनराशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं है। इस आवंटित धनराशि में से 1 लाख 87 हजार 526 करोड़ रु. राजस्व व्यय के लिए और 86 हजार 488 करोड़ रु. योजनागत व्यय के लिए रखे गए हैं।

आतंकवाद के साथ-साथ पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं की चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट का एक अहम हिस्सा सेना के आधुनिकीकरण तथा उसकी ताकत बढ़ाने में लगेगा। बजट राशि का उपयोग हथियारों की खरीद-फरोख्त तथा कलपुर्जों को उन्नत बनाने तथा रक्षा संबंधी साजो सामान के निर्माण व क्रय पर खर्च किया जाएगा।

भारत का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों और चुनौतियों का एक जटिल तानाबाना है। भारत की सामरिक अवस्थिति और इसके बढ़ते हुए वैश्विक संबंध के कारण इस प्रकार के ऐसे मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को निरापद रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं।

निकटतम पड़ोसी देशों और आगे के भूभाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और हल-चल से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए तैयारी की अवस्था को बढ़ाने की जरूरत हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी बनाने के नए व सफल प्रयास किए गए हैं।

शक्ति के वैश्विक संतुलन में हुए परिवर्तन, जैसा कि एशिया प्रशांत क्षेत्रों के हाल के घटनाक्रमों से परिलक्षित होता है, ने बड़ी शक्तियों और राष्ट्रों के बीच सैन्य और राजनयिक मेलजोल के नए आयाम विकसित किए हैं। यह सब कुछ नये-नये समुद्री विवादों, सैन्य तैनातियों और बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से उभरी चुनौतियों में दिखते हैं और ये सभी कारक क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा की स्थिति की जटिलताओं को और बढ़ाते हैं।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता बने रहने में ही भारत का सामरिक और आर्थिक हित निहित है। भारत का यह विचार कि सभी देशों को संयम से काम लेना चाहिए और बल प्रयोग किए बिना अथवा बल प्रयोग की धमकी दिए बिना सभी द्विपक्षीय मुद्दों को राजनयिक माध्यम से निपटाना चाहिए।

* Speech was laid on the Table.

पिछले सालों की तुलना में रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि सरकार की दूरदृष्टि को स्पष्ट करती है क्योंकि हाल ही में भारत की रक्षा चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। भारत द्वारा हाल ही में किए गए अग्नि-5 और अग्नि-4 मिसाइलों के परीक्षण से चीन व पाकिस्तान घबरा गए हैं। भारत के परीक्षण से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हुए एमटीसीआर में इस पर चिंता जाहिर की है। वहीं चीन भी कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है।

पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ता गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती बन सकता है। चीन और पाक की इन हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों को आक्रामक तौर पर मजबूत होने के साथ-साथ अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों से भी लैस होना होगा।

समुद्र की तरफ से भी भारत को चुनौतियां मिल रही हैं। चीन ने जहां ग्वादर बंदरगाह में अपना युद्धपोत उतार दिया है, वहीं पाकिस्तान को दो नए युद्धपोत मुहैया कराए हैं। इसलिए सुरक्षा तैयारियों का पुख्ता होना आवश्यक है। इस लिहाज से रक्षा बजट में की गई बढ़ोत्तरी स्वागत योग्य है।

इस आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए कुछ विशेष प्रावधानों के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने रेलवे का वारंट लेकर टिकट बुक कराने में सैन्यकर्मियों के भटकने की समस्या का हल करते हुए ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। इसके लिए एक केन्द्रीयकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जरिए अधिकारी और जवान अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाईन बुक करा सकेंगे।

इसी तरह रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पेंशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके जरिए केन्द्रीय कृत रूप से पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।

अंत में लगातार दूसरे साल रक्षा बजट में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने के लिए मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ और अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।

*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Defence is the highest priority sector in this Budget. Indian position is 6th among the countries providing highest expenditure on Defence. But India's defence Budget Allocation is decreasing as a percentage of GDP. Last year also budget allocation share of GDP was 2.3% but this year, the share of GDP is 2.1%, though this is the highest allocation among all Ministries. Actually pension and salary comprises 50% of the total allocation. Then where is the money for modernisation of arms and ammunition?

According to CAG audit report 2015 our stock of ammunition with Army is critically low and they can fight only 10 days of intense conflict. It is not desirable. So, the Defence Minister should look into the matter with special care. It is disheartening that after 70 years of Independence, our shipyard has a poor capacity of repair, refit and maintenance of Naval fleets. The repair and upgradation of INS Sindhu Kirti Submarine took 10 years from 2006 to 2016. Till this period technology around the world has changed much more.

In case of Air force, it is seen from some report that "the rate at which fighter aircrafts are retiring exceeds the rate at which their replacement is inducted". It is also remarkable that Government has declared Make in India programme. In spite of that our country is one of the highest defence equipment importing countries till now. A huge amount of foreign exchange is spent every year. So, indigenisation of defence procurement is very much essential now. It will also help us to generate a lot of employment. Finally, Peace is our goal, War is the last option but we must be ready for any situation.

* Speech was laid on the Table

***SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):** This discussion comes at a very important time in our strategic and national security and means are changing. We are in a more dynamic and vibrant position in the world today, where our defence forces are expected to play a crucial role. We successfully retaliated after the horrific Uri attacks carried out by some extreme militant groups from across the border by launching surgical strikes. I commend the strategy, timing and valour of our forces who carried out that operation. Not only has this sent out a signal to the world that India is a force to reckon with, but has given a sense of contentment and pride in every Indian's heart. I recall after the surgical strikes the "Defence Forces" became a part of the discourse in street corner meetings also.

However, I raise a larger issue with regard to this Uri attacks and then the surgical strike reply. However, it is observed that even after sending this intended strong message there have been repeated cross border firings, ceasefire violations, shellings and gunfire along the Line of Control, and militants' strikes in the Kashmir area. In between September 28th and October 10th alone, there were approximately around 15 such incidents reported. This bring to fore a very important issue at hand.

First, the effectiveness of such retaliation in reducing the cross border tension. The Government has been maintaining that they are following a strong stance against terrorists and those who harbor terror. India has responded with force and diplomatically in International Forums. The efforts are laudable, but unfortunately the situation on ground remains unchanged. Reports of fresh firings, ceasefire violations and attacks are increasingly being reported on a regular basis. The borders with Pakistan have remained volatile even after the strike. Therefore, the Government along with the defence forces need to come up with a specific plan and the roadmap in dealing with this kind of events in future. Secondly, I

* Speech was laid on the Table

raise an important issue of national and border security. It is surprising how these militants came into our side of the border and especially attack army buildings and soldiers so easily. The defence intelligence in India is said to be roust, but unfortunately this had missed their purview. Therefore, I request the Minister to look into this and ensure no further defence intelligence lapses arise.

I would like to move onto one more issue which deeply concerns me, the depleting squadron of Indian Air Force. Compared to its two sister services (Indian Army and Indian Navy), the Indian Air Force (IAF), the world's fifth largest, is not only the most capital intensive but also the most dependent on foreign supplies. Whether it is fighter planes or transport fleets or mid-air refuellers or trainers or helicopters, the IAF buys everything from foreign vendors. Our indigenously produced fighter aircraft, Tejas (Light Combat Aircraft or LCA) is yet to get Final Operational Clearance (FOC) to be inducted into the IAF. And our indigenous helicopters like Dhruv, Cheetah and Chetak (the last two are licensed products of the French designs), produced at the Hindustan Aeronautical Ltd., are not good enough yet to carry on the advanced multi-task roles that a modern air force needs.

It is to be noted also that almost half of the fighter planes currently in use by the IAF are set to be decommissioned over the next nine years. Presently, IAF has around 32 active fighter squadrons against government's authorized strength of 42 Squadrons (going by IAF's estimate, India actually needs 45 squadrons). Though, according to the latest Parliamentary Standing Committee report on Defence, the actual strength may be down to 25 squadrons, which is very dangerous. We must immediately look into this issue and over the next 3-4 years itself fill up all the requirements.

This brings me to one of the major issue that concerns me in the budget -the overall expenditure and especially the capital outlay segment. India's defence budget 2017-18 has decreased from 2.4% of GDP in 2011-12 to 2.1% of GDP in 2017-18. This year's allocation is also the lowest allocation as a share of GDP

since 2011-12. It has been recommended that India's defence budget should be about 3% of GDP to ensure adequate preparedness of the defence services. As a share of the total central government budget, the defence budget has been about 16%-17% every year between 2011-12 and 2017-18. However, there has been a decrease from last year's 17.1% to this year's 16.8%. It is to be noted that the Ministry of Defence budget is estimated to grow by 4% in 2017-18 over revised estimates 2016-17. This is low as compared to the 19% growth between 2015-16 and 2016-17. The interesting aspect here is the fact that even this 4% growth is primarily because of an increase in salaries of the defence services and capital outlay.

In 2017-18, defence capital expenditure is budgeted at Rs. 91,580 crore, and it accounts for 25% of the defence budget. This is significantly lower as compared to 2010-11 and 2011-12 when it used to be 33% of the defence budget. It may be noted that in 2016-17, share of capital expenditure was the lowest in the last 10 years, at 24% (Rs. 84,460 crore) of the defence budget. All these are not healthy sign for the defence forces. I urge the Government to increase the defence budget as per the advised norms of 3% by various expert panel and committees and give a major impetus on capital expenditure. We need to bear in mind that we need to equip our forces with all the state of the art and modern equipment, at least something we can give them back for the sweat and blood they spill for our nation.

One more worrying aspect which I would like to bring out is the fact that expenditure on the defence services is typically lower than the requirements projected by the defence services. For example, the Ministry of Defence deposed before the Standing Committee on Defence that in 2014-15, Army, Navy and Air Force projected their requirement of funds to be Rs. 2,84,080 crore. However, they were allocated Rs. 2,10,404 crore, and of this Rs. 1,70,373 crore was ultimately spent. This implies a shortfall of 29%. The projected requirements of the defence services in 2017-18 and comparable revised expenditure in 2016-17

are unavailable in the public domain as of February 2017. Therefore, I can only hope that this situation has been reversed.

Lastly, I would like to say that though India's defence requirements are met through both imports and domestic sources, there is greater reliance on imports. Currently, indigenous content in defence acquisition is about 35%. It is noted that India was the world's largest importer of arms between 2010 and 2014, and this is not a positive signal. In this age of "Make in India", it is surprising how our domestic defence manufacturers are not given a boost. I urge the Government to look into this matter also and in the times to come equip our domestic defence industry capable of producing top quality, state of the art arms and defence machinery.

The rejection of Naval version of Tejas Fighter by Navy after spending more than Rs. 1000 crores, delaying procurement of assault rifles to replace the INSAS rifles, huge amount of projects uncleaned by the Finance Ministry and finally the all-important issue of mismanagement of raising Mountain Strike Corps. All these issues concern national security and therefore require detail introspection in diagnosing the loose ends. The more important aspect is that instead of mere diagnosing, create an effective way forward plan and implement it.

I, therefore, conclude by hoping that the Ministry will look in the matters raised by me and salute the armed forces of our nation for their bravery, valour and sacrifice in serving our country.

***SHRI S. RAJENDRAN (VILUPPURAM):** Defence of the country is of utmost importance. Security of the country always comes first. National interest should be given priority over other issues. The defence budget for 2017-18 is Rs. 2,74,114 crore.

I think there are still some issues pending on One Rank One Pension. It seems ex-servicemen and those who were in front during the wars and in protecting our country have some issues pending. I would urge the Government to address them immediately and resolve to their satisfaction. There is no need to prolong this issue.

Due to the security and unrest on our borders and inside the country, we are forced to spend more on defence. We should not compete with anyone but at the same time we have to strengthen our defence to secure our country from enemies.

I have no hesitation to say that we should be spending more on education and health and in providing employment and waiving off loans of farmers, who are committing suicide every other day.

In my State, Tamil Nadu, there are few establishment of defence, like Heavy Vehicles Factory in Avadi, Chennai, etc. These should be modernized and more money should be pumped in to make it modern and to ensure more production which would pave way for employment. I hope the Minister would look into this aspect.

Many personnel of CRPF, and other para-military forces have come out with glaring and despicable living conditions and food being served to them. There is a need to improve the quality of food being served to them as they are the custodians of our country. They should be treated with respect and dignity. Regular inspections should be carried out by higher officials to keep tab on food being supplied at their places of service and duty so that such incidents which

* Speech was laid on the Table

bring disrepute to the Forces and our country as a whole are averted. Would the hon. Minister respond to this and give to the the status in this regard?

There is a general perception that deals are made without any transparency and that scams are simmering and would come out sooner rather than later. Would the Government state the precautions taken in ensuring transparency while signing deals with foreign defence companies? Would the hon. Minister elaborate on the mechanism of transparency being adopted by his Ministry?

I would request the hon. Minister to reply to some of the issues raised by me. With these words, I conclude.

***DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR):** In the Union Budget 2017-18, the budget allotted to Ministry of Defence is 3,59,854 crore (excluding pension quota) though slightly more than 2016-17. The hike is only 6% which is inadequate as per recommendations of experts. Military experts, Shekatkar expert committee and Parliamentary Standing Committee recommended higher allotment. Instead of Shekatkar recommendation of 2.5% and Parliamentary Standing Committee recommendations of 03% of GDP, the budget is only 1.6% of GDP.

In the purview of recent increase in terrorist attacks, military invasion from enemy neighbouring countries as well as global security turmoil, there may be a need of more budgetary allocation for strengthening and improvement of defence sector.

There are issues and several factors which weaken the defence activity and limit greater allocation. One of the factors which may not be the major one is underutilization of capital budget as close Rs. 7,000 crore for the last year. Full utilization of funds is a requirement, but spending should be wise as per proper need based utilization.

Demonetization has adversely affected people and public sector income but it seems government's capital has not been affected rather partially gained. If this is the state, there should have been proportionate increase in budgetary allotment but unfortunately allocations do not show that. 50% of the budgetary expenditure goes to salaries and pensions, but still it is beyond satisfaction of the military personnel. Recently, there was agitation and grievances from cadre level military personnel working at border and remote unreachable areas regarding pay scale discrepancy, facilities and other amenities in working places.

Shamefully India is the highest importer of weapons, 13% in global perspective. It imports arms and related things mainly from Russia which is the

* Speech was laid on the Table

major exporter and other countries like the US, EU Israel, Korea. Import takes a major share from budget capital. India should reduce the expense of imports. India must concentrate on replacement of obsolete model to modern ones which will reduce the maintenance and repair costs. We must procure our own indigenous arms and defence instruments. Funds should be judiciously utilized for new invention and research technology development which will fulfill the aim of “Make in India” programmes. If properly utilized probably little excess fund allocation may help this progress. Indigenous products and self sufficiency will reduce procurement cost, maintenance cost and sale scams and increase export opportunity.

India’s coastal span spreads through Indian Ocean, Bay of Bengal, and part of Arabian Sea. These sea coasts are under constant threat. Recently, there are more accidents in Navy and Air Forces, aircrafts and submarines, Radars, Satellites, etc. It shows internal/external security is at stake. Budget allocation for Navy and Air Force needs more funds for procurement of modern naval warships and submarines, etc. and expansion of Naval army. To tighten the security as well as for betterment of navy and air Force, we need to procure modern aircrafts, naval warship, submarines, as well as manpower, etc. There is hardly any increased budget allocation in this sector. It needs more fund allotment.

There is a shortage of manpower in ordnance factories in the army and the navy. There should be budgetary provisions for new recruitment, plans, programmes for attracting new generations.

From budgetary allocations, since last few years it is seen that most of the budget allocated goes for salaries and pension as well as for importing. In some parts, there is injudicious utilization and unutilized portion of capital budget. There may be provision of shifting of budgetary allocation according to need.

* **श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगांव):** माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी रक्षा सेनाओं के लिए आबंटन की राशि में भारी बढ़ोत्तरी की है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा रक्षा बजट आबंटन में गत वर्षों की तुलना में काफी सुधार किया गया है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के आबंटन से लगभग 16 हजार करोड़ रुपए अधिक है। उल्लेखनीय है कि 2,74,114 करोड़ रुपए की इस राशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं है।

स्मरण रहे वर्ष 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,58,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। इसके अलावा 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान एक रैंक एक पेंशन के लिए अलग किया गया था तथा वर्ष 2015-16 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,46,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा सेवाओं के बजट 2017-18 में किए गए निम्नलिखित प्रावधान निश्चय ही प्रशंसनीय हैं-

बजट में रक्षा सेवाओं के लिए नयी खरीदी के लिए 10 प्रतिशत रकम बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रक्षा पूंजी के लिए सरकार द्वारा 86,488 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। पेंशन पाने वाली रिटायर्ड सैनिकों के लिए अतिरिक्त 85,740 करोड़ रुपए के आबंटन की घोषणा की है। सेंट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रेवल सिस्टम का विकास किया गया है ताकि सैनिक व अफसर भी रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करा सकें तथा उन्हें रेलवे वॉरंट लेकर लाइन में न खड़े रहना पड़े। वायु सेना के लिए आधुनिक रफेल लड़ाकू विमान, अपाचे मारक हेलीकाप्टर व चिनुक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए वायु सेना के लिए आबंटन में बढ़ोत्तरी की है। रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित वितरण प्रणाली शुरू की जाएगी।

पड़ोसी देशों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए हमारी सरकार ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है। इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जाएगी। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित किया गया है। यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आबंटन किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपये का 12.78 प्रतिशत है कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट में जिन मदों में सर्वाधिक आबंटन हुए हैं, उनमें रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

* Speech was laid on the Table.

पिछली बार बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 11 प्रतिशत थी। उससे पिछले साल यह आवंटन तकरीबन 10.5 प्रतिशत था। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सेनाओं के आधुनिकीकरण की मांगों और जरूरतों के हिसाब से हालिया वर्षों में इस क्षेत्र के बजटीय आवंटन में बढ़ोत्तरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं हाल में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए चिंता का सबब रही है। हिंद महासागर में चीन, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक भारत को घेरने की कोशिशों के तहत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल (मोतियों की माला) का निर्माण करने की कोशिशों में है। इस क्षेत्र में उसकी परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों को भी देखा गया है। हाल में इस क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने भी भारत को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस सबकों देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा मंत्रालय की बजट में की गई वृद्धि निश्चय ही नितान्त आवश्यक थी जिसका सरकार ने पूरा पूरा ध्यान रखा है तथा वह धन्यवाद की पात्र है।

यहां मैं एक छोटी सी बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। जहां सरकार ने एयर फोर्स के बजट को 26,216 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 30885 करोड़ रुपए किया है वहीं थल सेना तथा नौ सेना के बजट में थोड़ी कमी हुई है जो चिंता का विषय है। थल सेना का बजट 2016-17 के 21535 करोड़ रुपए से घटाकर 2017-18 के लिए 20148 करोड़ रुपए किया गया है तथा नौसेना का बजट 2016-17 के 21323 करोड़ रुपए से घटाकर 2017-18 के लिए 18749 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमारी नौसेना तथा थल सेना को भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी की नितांत आवश्यकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जलगांव में वरणगांव और भुसावल में दो आयुध निर्माण फैक्ट्री हैं। वरणगांव फैक्ट्री में छोटे हथियार और उनके एम्युनिशन का उत्पादन होता है तथा भुसावल फैक्ट्री में ड्रम, बैरल तथा एम्युनिशन बाक्स का निर्माण होता है। इन फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों फैक्ट्रियों के समयबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाएं।

हालांकि हमारी सरकार आने के बाद रक्षा खरीद प्रक्रिया में काफी तेजी आयी है परंतु अभी भी थोड़ी कम महसूस की जा रही है। हमारी थल सेना पुरानी बोफोर्स तोपों के बदले नई तोपें खरीदने तथा नयी एसल्ट राइफल खरीदने की जरूरत काफी समय से महसूस कर रही है। इस प्रकार हमारी नौसेना भी आधुनिकीकरण, पनडुब्बियों व लडाकू विमान वाहक जहाजों की कमी से काफी समय से जूझ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार थल सेना तथा नौसेना की इन जरूरतों पर ध्यान देगी तथा शीघ्रातिशीघ्र इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

इसके साथ ही मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी द्वारा पेश की गई रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ तथा वित्त मंत्री जी को रक्षा मंत्रालय की मांगों में की गई भारी बढ़ोत्तरी के लिए धन्यवाद देता हूँ।

***SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH):** I support the Demands for Grants under the Ministry of Defence for the year 2017-18. Hon'ble Finance Minister in his budget speech announced an allocation of Rs. 2,74,114 crores for defence, excluding pensions. The allocation of the huge sum will undoubtedly boost our defence system with more procurement of defence equipment. This will also enhance our defence acquisition as well as defence production. Our country must have most advanced defence technology to meet the growing challenges from across the border. The increase in the defence budget will ensure enhanced safety and security of our nation. Our country's defence system needs more modern equipment particularly for the soldiers guarding the frontiers and the Siachen Glacier situated at an average altitude of 5,400 meters above sea level. I thank the Hon'ble Finance Minister for increased allocation of funds for the Ministry of Defence which will certainly go a long way in bringing our defence forces at par with the highly modernized defence forces in the world.

* Speech was laid on the Table

* श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी रक्षा सेनाओं के लिए आबंटन की राशि में भारी बढ़ोतरी की है जिसके लिए बधाई देता हूँ। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा रक्षा बजट आबंटन में गत वर्षों की तुलना में काफी सुधार किया गया है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के आबंटन से लगभग 16 हजार करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,58,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। इसके अलावा 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान एक रैंक एक पेंशन के लिए अलग किया गया था तथा वर्ष 2015-16 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,46,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा सेवाओं के बजट 2017-18 में किए गए निम्नलिखित प्रावधान प्रशंसनीय हैं-

बजट में रक्षा सेवाओं हेतु नयी खरीदी के लिए 10 प्रतिशत रकम बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रक्षा पूंजी के लिए सरकार द्वारा 86,488 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। पेंशन पाने वाले रिटायर्ड सैनिकों के लिए अतिरिक्त 85,740 करोड़ रुपए के आबंटन की घोषण की है। सेंट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रेवल सिस्टम का विकास किया गया है ताकि सैनिक व अफसर भी रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करा सकें तथा उन्हें रेलवे वॉरंट लेकर लाइन में न खड़े रहना पड़े रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित वितरण प्रणाली शुरू की जाएगी।

पड़ोसी देशों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए हमारी सरकार ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा है। इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित किया गया है यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आबंटन किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपए का 12.78 प्रतिशत है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट में जिन मदों में सर्वाधिक आबंटन हुए हैं उनमें रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

हमारी नौसेना तथा थल सेना को भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी की नितांत आवश्यकता है। हांलाकि हमारी सरकार आने के बाद रक्षा खरीद प्रक्रिया में काफी तेजी आयी है। हमारी थल सेना को पुरानी बोफोर्स तोपों के बदले नई तोपें खरीदने तथा नई एसल्टथ राइफल खरीदने की जरूरत काफी समय से महसूस कर रही है। इसी प्रकार हमारी नौसेना भी आधुनिकीकरण, पुनड़ब्धियों व लड़ाकू विमान वाहक

* Speech was laid on the Table.

जहाजों की कमी से काफी समय से जूझ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार थल सेना तथा नौसेना की इन जरूरतों पर ध्यान देगी तथा शीघ्रातिशीघ्र इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान झारखण्ड राज्य विशेष रूप से चतरा, लातेहार एवं पलामू जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि अत्यंत पिछड़ा हुआ है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि एक सैनिक स्कूल इन जिलों में स्वीकृत किया जायें। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा। साथ ही मेरा आग्रह है कि झारखण्ड राज्य के लातेहार जिला में एक फील्ड फायरिंग रेंज खोलने का प्रस्ताव पूर्व में किया गया था परंतु अभी कई वर्ष के बाद भी फील्ड फायरिंग रेंज खोलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य के लातेहार जिला में एक फील्ड फायरिंग रेंज स्वीकृत किया जायें। इसके अलावा मेरा एक सुझाव है कि मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा के जवान श्री शक्ति सिंह जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में विगत 16 अगस्त 2016 को शहीद हुए थे। यहां पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शहीद शक्ति सिंह को भारत सरकार से मिलने वाला अनुदान, सहयोग राशि कुछ भी प्राप्त नहीं है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी संभवतः पूरी सहयोग राशि एवं नौकरी प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा कई जवान शहीद होते रहते हैं। मेरा सुझाव है कि जिस किसी भी जिले में कोई भी जवान शहीद होता है तो उस जिले में कम से कम एक शहीद स्मारक स्थापित किया जायें। अगर पूर्व में शहीद स्मारक बना हुआ है तो उसके पास ही अन्य शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की जायें। इस तरह से हर जिले में सभी शहीदों की शहादत का सम्मान होगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद किया जा सकेगा। इसलिए शहीद स्मारक निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। हालांकि प्रदेश सरकारें अपने स्तर पर कार्य करती हैं।

इसके साथ ही मैं पुनः वित्त मंत्री जी द्वारा पेश की गई रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

*श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): देश के इतिहास में वर्तमान सरकार ने एक साथ 104 प्रक्षेपण कर विश्व में नया कीर्तीमान स्थापित किया है। 2017-18 के केन्द्रीय बजट में बचाव के लिए आवंटन में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए आबंटित किए जो वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा पेंशन इस आबंटन का हिस्सा नहीं है। यह 2017-18 के लिए 21,46,735 करोड़ रुपए के केन्द्रीय सरकार के खर्च के कुल आबंटन के 12.77 प्रतिशत के लिए है।

इसमें से 1,82,534.42 करोड़ रु. राजस्व व्यय के लिए हैं और 91,579.7 करोड़ रु. व्यय हुए हैं। नई खरीदी के लिए पूंजीगत आबंटन में से सेवाओं को 86,488 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 78,586.68 करोड़ रुपए के आबंटन से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष के लिए बजट आबंटन 258,589.32 करोड़ रु. था, जिसे 2,5,9,480,13 करोड़ रु. में संशोधित किया गया था। रक्षा सेवाओं के लिए इस साल पूंजीगत आबंटन 78,587 करोड़ रु. था, जिसमें से 71,700 करोड़ रु. मंत्रालय ने खर्च किए थे।

आबंटन के लिए पेंशन को जोड़ने पर 2017-18 के लिए भारतीय रक्षा खर्च 359,854 करोड़ होगा। इस वर्ष के लिए पिछले बजट आवंटन से 5.5 प्रतिशत अधिक है और 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक है।

पेंशन के लिए निर्धारित राशि रु. 85,740 करोड़ है। वन रैंक वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) को पिछले वर्ष लागू किया गया था और बकाए के लिए अलग से आबंटन के साथ, पेंशन पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रही है।

श्री जेटली ने अपने भाषण में सशस्त्र बलों की कुछ लंबी चिंताओं के बारे में संबोधित किया। उन्होंने रक्षा पेंशनरों के लिए एक व्यापक वेब आधारित इंटरैक्टिव पेंशन वितरण प्रणाली की घोषणा की। साथ ही रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए कर्मियों के लिए एक केन्द्रीयकृत रक्षा यात्रा प्रणाली की भी घोषणा की।

"एक केन्द्रीयकृत रक्षा यात्रा प्रणाली अब विकसित की गई है जिसके माध्यम से हमारे सैनिकों और अधिकारियों द्वारा यात्रा टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं।

* Speech was laid on the Table.

उन्होंने कहा, "रेलवे वारंट के साथ कतार में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, "उन्होंने कहा, जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है।

पेंशन वितरण प्रणाली पर, श्री जेटली ने कहा कि स्थापित होने वाली प्रणाली को पेंशन प्रस्ताव होंगे और भुगतान केन्द्र स्तर पर होगा।

इसके अतिरिक्त, रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी), खरीद पर रक्षा मंत्रालय के शीर्ष निकाय ने 1 लाख करोड़ से अधिक की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

***SHRI T. G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH):** The budget 2017-18 has provided for Rs. 2,62,390 crore for Defence spending, which is 2.4% of GDP i.e. 12.77% of the total budgetary expenditure. It is only an increase of 5% than the last fiscal.

Various expert committees and the parliamentary standing committee on defence have argued for more allocation to defence, at least up to 3% of GDP, given the increased threat perspective from Pakistan and China. But the Central Government seems not to bother much about this.

That apart, there is under-utilization of capital expenditure and year after year, a minimum of 10% allocation for capital spending is being returned. There seems to be a Finance Ministry's mechanization employed covertly to siphon off a part of the funds earmarked for capital spending to offset its ballooning fiscal deficit.

Capital expenditure is a vital spending to go for advanced weaponry, arming and modernization of our armed forces. But that vital area of our security cover is totally neglected by all governments at the Centre. There seems to be no paradigm shift in the defence policy even after BJP has taken reigns, with respect to strengthening the capital spending. The capital expenditure is pegged constantly at Rs. 80,000 crore for the last 4 years.

Of the total budgetary allocation of Rs. 2,62,390 crore, revenue expenditure of Rs. 1,72,77,774 crore takes away the major share, leaving behind a paltry sum of Rs. 86,488 crore to capital expenditure. Major part of the revenue expenditure, nearly 72% goes to pension and salaries. After the introduction of 'one rank – one pension' principle, there is an alarming hike in pension fund from Rs. 60,238 crore to Rs. 85,740 crore. We have got 1.4 million armed personnel on roll, the biggest in the world, resulting in a worst scenario, wherein we have more army men with less weapons.

* Speech was laid on the Table

So, necessarily we have to skim the strength of our army men, lest, we may not opt for modernization in our weaponry. Even China's Red Army has been drastically skimmed over the years to strike a balance. So, we have to freeze the strength of our army personnel to bring down the revenue expenditure.

Even the insufficient fund allotted to capital build up is cut to slim by diverting a portion of it to meet out the ballooning revenue expenditure. As a result, we cannot procure new weapons and cannot overhaul our absolute weapons stock.

Diminished spending for procurement of modern and high-stake weaponry will further deteriorate over operational preparedness, even as the threats and challenges continue to increase. There is no perceptible jump in military modernization despite heightened tensions with Pakistan and the ever expanding capabilities of China. Pakistan seems to have surpassed us to stockpiling modern weaponry ever since the Kargil war.

Another war with Pakistan will expose the deficit in our capabilities. But still, our successive governments are not awakened to this reality. Still, funds allotted for modernization of our forces and capital procurement is shrunk by 0.9%.

Despite more than 60 years of their existence, our DRDO and the Defence, PSUs operate as a monopoly with attendant failures in innovation, cost and accountability. When compared with another Public Sector Organization viz. ISRO, the performance of DRDO is very poor. Still we are the largest importer of weapons in the world. We are 13% of the total global imports between 2012 and 2016. We have increased our imports by 43% in the last 4 years and we are dependent on imports for 70% of modern weapons, acquired by us. We are a failed nation as far as our military capabilities are concerned. Mere talk of becoming a super power is only a rhetoric.

The new procurement policy of NDA is yet to take off. Before it could take off, they may be taken off. It is said that the new procurement policy will bring

down procurement cost by 30% due to application of rationalism and transparency. It also aims to boost indigenous weapon making mainly through its 'Make in India' policy. But there is no perceptible boost given to encourage Make in India so far by the NDA. So, it has also become one of its hallow slogans. The 100% opening up of defence production to FDI has also failed to achieve the desired target. So, we continue to depend on foreign procurement.

Worst still is that each foreign arms purchase deal bring with it whooping commissions and kickbacks to grease the palms of our politicians and bureaucrats, resulting in purchase of low quality weapons at great cost. Even that purchase when materializes after years of manipulation will become outdated. Due to corruption, most of the procurement contracts are stalled diminishing our chance of acquiring weapon capabilities still further.

A study conducted by the Transparency International among 17 countries of the Asia Pacific region places India in 'D' category, indicating its high vulnerability to corruption due to low public accountability. Despite spending 2.4% of our GDP year after year on defence, we are still a heavy arms importer than a manufacturer. For almost 20 years, wary of corruption charges, the Centre procured weapons through government to government transactions only which did not suffice our requirement, affecting drastically our weapon capability.

To conclude, the recommendations of the standing committee on demand for defence grants for 2016-17 fiscal is reproduced for action.

- 1) The decline in capital acquisition will affect several procurement contracts.
- 2) Unless the capital spending is upwardly revised, at least during the stage of revised estimate, all pending contracts for procurement will not go through.
- 3) MOD surrendering over Rs. 35,000 crore of the capital allocation will not bode well for our national security.

* **श्री आलोक संजर (भोपाल):** रक्षा मंत्रालय की अनुदान माँग के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हमारे देश की सर्वोच्चता व ताकत से दुनिया वाकिफ़ है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कार्यशैली का सभी ताकतवर देश चिंतन कर रहे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में देश और देशवासियों के हित में कल्याणकारी योजनाओं को मूर्तरूप दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ देश की रक्षा में अपना सर्वस्व लगाने वाले हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने को तरजीह दी है।

वर्तमान सरकार सैनिकों के मान-सम्मान के प्रति चिंतित भी है और सचेत भी है। मान्यवर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने कृत्यों से यह सिद्ध भी किया है। प्रधानमंत्री स्वयं दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए अपने परिवारों से दूर देश की सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुँचे। गोलियों की आवाज़ों से जिनके कान पक गये थे, उनके बीच पटरियों को चलाकर परिवार भाव से अभिभूत करने का सद्प्रयास किया है, यही नहीं देशवासियों से अपील भी की है कि सार्वजनिक स्थान पर देश के सैनिक निकल रहें हो तो उनके सम्मान में जरूर खड़े हो। सैनिकों के प्रति सम्मान का यह एक छोटा सा उदाहरण है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग चार दशकों से लंबित "वन रैंक वन पेंशन" को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से देश के सैनिकों में अपार खुशी है कि उनकी पेंशन में लगभग तीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्तमान सरकार का एक और निर्णय जिसकी सराहना हो रही है, सरकार ने सैनिकों के रेल टिकट ऑनलाइन करते हुए उन्हें यात्रा वारंट से निजात दिलायी है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, इस प्रश्न में भी पूर्व सरकारों की अदूरदर्शिता स्पष्ट नज़र आती है, आवश्यकता है कि सैनिकों का भोजन, वर्दी, बुलेट प्रूफ़ जैकेट, उपकरण आदि हाई क्वालिटी की हो। पिछले दिनों एक दुखद समाचार हमारे सामने आया था जब बर्फीले तूफान में देश के कई सैनिक बर्फ में ज़िंदा दब गये थे। मेरा सरकार से आग्रह है कि सैन्य विभाग ऐसे उपकरण जल्दी खरीदे जिससे इस तरह की दुर्घटना घटित होने पर भी सैनिकों के जीवन की रक्षा हो सके।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पिछले डेढ़ दशक में एक लाख करोड़ से अधिक बजट का उपयोग नहीं हो पाया था, इसका बहुत बड़ा कारण नौकरशाही का सैन्य प्रशासन में हस्तक्षेप रहा है। यह विदित है कि पाँच सौ करोड़ रुपए के ऊपर के निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है, यही कारण है कि सैन्य बजट के उपयोग में देरी जो जाती है। इसी तारतम्य से कहना चाहता हूँ कि रक्षा अनुसंधान की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारा देश भी विकसित देशों के साथ बराबरी से खड़ा होकर हथियार आदि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो और निर्यात करने वाले देशों की श्रेणी में आ सके। गत वर्षों का हम चिंतन करें तो हमारे देश के अनेक

* Speech was laid on the Table.

लडाकू विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस महत्वपूर्ण विषय को नज़र अंदाज़ किया है, यह भी दुर्भाग्य की श्रेणी में ही आता है। लेकिन मैं सराहना करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री व रक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण पिछले एक दशक से पेंडिंग पड़े राफेल सौदे को पूरा किया, साथ ही देश के सामने उस सत्य को उजागर भी किया कि जो सौदा कांग्रेस सरकार के समय अस्सी हजार करोड़ में हो रहा था, उस सौदे को मोदी सरकार ने मात्र उनसठ हज़ार करोड़ रुपये में किया। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने देश के इक्कीस हज़ार करोड़ बचाये ही नहीं वरन फ्रांस देश को राज़ी भी किया कि नये विमान हमारे देश में ही निर्मित हो। स्वदेशी को तरजीह देते हुए बड़ा निर्णय भी किया कि स्वदेशी विमान "तेजस" सेना का हिस्सा बने।

परमाणु परीक्षण ने देश की शक्ति के दर्शन समूची दुनिया को तब करवा दिए थे जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज प्रसन्नता का विषय है कि वही शक्ति कई गुना बढ़कर फिर दुनिया को अचंभित कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण रियूजेबल स्पेस शटल से उपग्रह प्रक्षेपित करके किया है। मेक इन इंडिया जैसी चमत्कारिक योजना के कारण देश की साख रक्षा क्षेत्र में बढ़ी है। यह भी गौरव की बात है। हमारे वैज्ञानिकों की असीम मेहनत व लगन तथा प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण 104 उपग्रहों में से 16 अमेरिका के उपग्रह थे। मैं अंत में प्रधानमंत्री जी के लिए यही कहूँगा कि "मेहनतकश इंसानों को यह दुनिया करे सलाम" आपकी देश प्रेम की भावना ने मेक इन इंडिया के तहत ही मानव रहित ड्रोन "रूस्तम" का निर्माण होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली ने दुनिया के श्रेष्ठ हथियारों में अपनी जगह बनाई है। अंत में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व के कारण हमारा भारत हर क्षेत्र में विश्व के बड़े व शक्तिशाली देशों में उच्च स्थान पर खड़ा है।

***प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन)** : रक्षा के क्षेत्र में देश क्रांतिकारी परिवर्तनों से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक सामरिक शक्ति बन रहा है। "मेक इन इंडिया" चमत्कारिक योजना के बाद विगत दो वर्षों में देश ने रक्षा क्षेत्र में कई गौरवमय क्षण देखे हैं।

हमने सफलतापूर्वक रियूजेबल स्पेस शटल से उपग्रह प्रक्षेपित कर के विश्व में इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले तीसरे देश होने का गौरव प्राप्त किया है। एक राकेट से 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके भारत अंतरिक्ष आधारित सर्विलांस और संचार के वैश्विक बाजार में बड़ा खिलाड़ी बन कर उभरा है। एक समय था, जब अमेरिका ने भारतीय जमीन से अपने किसी भी उपग्रह का प्रक्षेपण कराने से इंकार कर दिया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है कि इन 104 उपग्रहों में से 96 अमेरिका के उपग्रह थे।

मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इसरो को न केवल फ्री हेंड दिया बल्कि 23 प्रतिशत ज्यादा बजट आवंटन किया। यही कारण है कि आज मिसाइल के क्षेत्र में हम आयातक नहीं बल्कि निर्यातक देश बन गये हैं। रूस जैसे देश ने भी हमें ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है। पिनाकी मल्टी बेरल मिसाइल और धनुष तोप ने दुनिया के श्रेष्ठ हथियारों में अपनी जगह बनाई है। मेक इन इंडिया के तहत ही मानव रहित ड्रोन नोइडा की एक फर्म बना रही है जिसे रूस्तम का नाम दिया गया है।

एनडीए सरकार ने लगातार रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। 2014-15 में जहाँ यह 2.29 लाख था 3 सालों में 45000 करोड़ बढ़ाया है, ये वृद्धि आवश्यक है क्योंकि हमें याद रखना चाहिए यूपीए सरकार में तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को 2 पत्र लिखे थे कि सेना के पास नए हथियार तो ठीक गोला बारूद भी पर्याप्त नहीं है। हम 10 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ सकते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने जहाँ पिछले वर्ष 249000 करोड़ बजट आवंटन था उसे इस बार 10 प्रतिशत बढ़ाकर 274000 करोड़ किया गया है। जहाँ एक और विश्व का रक्षा बजट 1.1 प्रतिशत से बढ़ा है लेकिन भारत का रक्षा बजट इस दौरान 10 प्रतिशत बढ़ा है। वर्तमान रक्षा बजट में 274000 करोड़ में पेंशन के लिए आवंटित बजट जोड़ने पर ये बजट 12.78 प्रतिशत हो जाता है। इस प्रकार रक्षा क्षेत्रों के खर्च में हम अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद चौथे देश बन गये हैं।

बहुत अफ़सोस की बात है कि पिछली सरकार द्वारा रक्षा सेवा को उपेक्षा पर रखा गया। यूपीए सरकार के सारे सौदे फिर चाहे वह एयर बस हो या एचडीडब्ल्यू सबमरीन सौदा हो या हाविज्जर तोप हो या

* Speech was laid on the Table.

अगस्ता वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट सौदा हो सबमे घूसखोरी के चलते सौदे निरस्त करने पड़े थे। 80 के दशक में खरीदी गयी दागदार तोप बोफोर्स के बाद देश में तोप नहीं खरीदी गयी और मजे की बात ये है कि हर रक्षा सौदे के भ्रष्टाचार की खबर इटली से प्रकाशित हुई या इटली में पकड़ी गयी। ये रक्षा सौदों में इटली कनेक्शन समझ में नहीं आता। पिछले 11 सालों में 6 कंपनियों पर दलाली के कारण बैन लगाया गया है इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियारों की कमी हो रही है। यूपीए सरकार की इन कमियों के कारण आज हमारी वायुसेना खराब दौर से गुजर रही है भारतीय वायुसेना में 14 स्काववर्डन मिग 21 और मिग 27 है लेकिन इनमें से ज्यादातर जर्जर हो चुके हैं।

2007 से अब तक 100 लडाकू विमान हादसे के शिकार हुए हैं अभी कल ही में राजस्थान के बाड़मेर में सुखाई विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया है। हमें तुरंत हमारी वायुसेना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले 10 साल से अटके राफेल सौदे का पूरा किया और न केवल पूरा किया बल्कि जो डील कांग्रेस सरकार ने 80000 करोड़ में की थी उसे मात्र 59000 करोड़ में सफलता पूर्वक पूर्ण किया उसमें भी और अधिक सोने पर सुहागा यह कि 25 प्रतिशत डिस्काउंट की छूट के साथ मोदी जी ने फ्रांस को मना लिया और इस शानदार डील को पूर्ण किया। इस डील में मोदी जी ने देश के 21000 करोड़ रुपए बचाए साथ ही विमान भारत में बनाये जाए इसके लिए भी मोदी जी ने फ्रांस को राजी कर लिया। साथ ही स्वदेशी लडाकू विमान "तेजस" को सेना में शामिल करने के साथ ही ज्यादा निर्माण की अनुमति दी।

मैं कहना चाहता हूँ कि बजट में रक्षा अनुसंधान में बहुत कम राशि दी गयी है मात्र 9 प्रतिशत जबकि तकनीक के इस युग में रक्षा अनुसंधान को ज्यादा स्वायत्तता और ज्यादा बजट की आवश्यकता है जिससे हम विकसित देशों से बराबरी कर हथियारों के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर और बड़े निर्यातक देश बन सकेंगे।

साथ ही गोला बारूद की भारी कमी होने के बावजूद पिछले बजट में 11000 करोड़ आवंटित बजट का उपयोग नहीं हो पाया। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं पिछले 15 सालों में 1 लाख करोड़ का बजट उपयोग नहीं हो पाया है। ये निराशाजनक है देश की नौकर शाही को सैन्य प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप से रोकना होगा। चूँकि 500 करोड़ के ऊपर के निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है। मिलिट्री के निर्णय यदि वित्त विभाग लेगा तो देर तो होनी ही है और बजट लेट भी होगा।

सरकार की सैनिकों के प्रति सम्मान और चिंता का ही परिणाम है कि सरकार ने 40 साल से प्रतीक्षित वन रेंक वन पेंशन की स्वीकृति दी है जिससे की सैनिकों में खुशी है उनकी लगभग 30 प्रतिशत पेंशन बढ़ गयी है।

सरकार ने सैनिकों के रेलवे टिकिट ऑनलाइन करके भी बड़ा काम किया है सैनिकों को यात्रा वारंट से मुक्ति दी है। लेकिन जल्द ही गुणवत्ता का खाना, अच्छे जूते वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेट आदि की कमी जो कांग्रेस की अदूरदर्शी नीति के कारण आज तक बनी हुई है वह कमी जल्द पूरी होनी चाहिए।

हाल ही में बर्फीले तूफान में हमारे 22 सैनिक शहीद हो गये वे बर्फ में ज़िंदा रह सके ऐसे उपकरणों की तुरत खरीदी की जानी चाहिए। ट्रम्प सरकार ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी सीआईए को सौंप दी अब उन्हें रक्षा विभाग, पेंटागन, व्हाइटहाउस पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है हमारी सेना को भी इतनी स्वायतता होनी चाहिए।

***SHRI P.K. BIJU (ALATHUR):** It is perhaps the appropriate occasion to discuss the rising uneasiness within the Indian Army on a number of significant issues. There remains an urgent need to address the lopsided promotion trends in the Army, rising infighting within the force, and their implications for India's national security. The armed forces continue to lose around 100 personnel to suicides every year despite successive governments holding that several measures have been taken to reduce the stress among soldiers. As many as 125 military personnel took the extreme step to end their lives in 2016.

The suicide of Subedar Ram Kishen Grewal, allegedly over delay in receiving arrears under the One Rank One Pension scheme, has set off a political storm. In a related move, the ex-servicemen groups demanding unconditional OROP have resumed their protest at Delhi's Jantar Mantar; it had been called off six months ago after assurances from the Defence Minister. Amidst all this, the real issues in the implementation of OROP have been lost sight of.

India's defence budget received a boost of 6.2 per cent in the Budget 2017. The defence outlay is pegged at just over 2.74 lakh crore. The allocation is about 12.78 percent of the total government expenditure of 21.47 lakh crore. India has one of the biggest armed forces and has been the world's largest importer of arms spending \$5.58 billion in 2013. India imported major conventional weapons such as aircraft, armored vehicles, artillery, radar systems, missiles, and ships designed for military use. Most of the weapons imported are dependent on Russian equipment and technologies. They are happy selling the weapons but, not convenient with transferring the technology to India. It is also an open fact that Indian research organizations were not able to keep pace with emerging technologies.

State run military complexes like DRDO, HAL and NAL have been constantly underperforming for long. Indigenous defence projects like Tejas and

* Speech was laid on the Table

Arjun MBT have taken decades to complete and have burned a big hole into government's pocket. Also, due to technological limitations caused by the sanctions after Pokhran tests, often, India ends up spending more to acquire components from other countries than building them up.

This put India into many major embarrassments in the past. GTRE's Kaveri engine took 20 years to build, failed in high altitude tests and was ultimately cancelled. The project alone cost Rs. 200 crores with little benefit. In the end, India ended up buying engine from Russia. Recently, China has made strategic advancements in defence manufacturing sector by mass-producing drones, which have been offered to and bought by Pakistan. India is yet to start an UCAV program.

Prime Minister had gone to the US after his government had raised the FDI cap in the defense sector from 26 to 49 per cent. But this is just not enough and the PM was conveyed this in as many terms by the American industrialist czars. They wanted 100 per cent FDI in defense, to begin with.

By making 100% FDI in defense, foreign companies can now operate independently in India, without interference from state run PSUs and tie up with private players to produce defense equipment in the stipulated time and budget. Like any other investment, there are some risks associated with FDIs being thrown open to the foreign entities completely. The cash rich investors could lobby in power circles to arm-twist their cash strapped Indian counterparts. If the investors grow too greedy, they could exploit the local resources just like colonialists. This could result in monopoly of the firms.

Several foreign defence manufacturers, such as Boeing, Dassault, BAE Systems, and Saab have offered to set up manufacturing units in India and generate much needed employment. The only thing keeping them away from doing so was the Transfer of Technology clause which required these companies to completely transfer the technology associated with their systems to Indian counterparts such as DRDO, HAL, GTRE, etc. Secondly, they did not want to

partner with state run units and wanted to rope in private players like Reliance, TATA and Mahindra instead (wanted >50% FDI). But, this does not guarantee that the companies might actually transfer the technology along with their product. We might just get stuff without knowing how it is made.

The image of the institution, which protects the country from external invasions, has been marred in the eyes of the common people. Add to this, the list of fatal accidents due to outdated or defective equipment along with problems related to spares and repairs involving army, air force and navy adversely affecting their morale. India requires more than **\$100 billion** to meet all the needs of armed forces in next 3-4 years. If we depend on import, a developing country like India cannot generate this kind of money on its own. So we need to strengthen our indigenous R&D process.

Privatization is not limited to FDI. Well functioning PSUs such as BEML, BRAHMOS and Cochin shipyard, etc. are on the path of privatization. Our national Pride ISRO has proved that Indian technology is cheaper and superior than others. But we are relegating in to a minor partner of US.

The government is taking a political leverage and boasting of surgical attack. But what about the attacks on our defense camps in Pathankot Air Force Station in 2016 and numerous other attacks in Kashmir. This is evidently showing the flaws in our military intelligence system.

Internal corruption is another major issues to worry about. Defence procurement corruption in India has been accessed to be “high”, with a large mass of its procurements shrouded in secrecy with low levels of accountability. Then there was 2009 scandal when four generals were exposed in a big corruption case involving 70 acres of land in Darjeeling in the eastern state of West Bengal. Kargil coffin scam, purchasing faulty boots since 2002 from an Italian firm, Agusta Westland helicopter scam, etc. shook the nation.

Soldiers are given low quality food and other amenities. It is shame for Government who always speak tall about nationalism and our soldiers. In 2010

themselves, CAG reported a dismal picture of the Army's procurement and supply of dry rations (rice, wheat, dal, sugar, tea, oil, tinned items) and fresh rations (vegetables, fruit, meat, milk), undertaken at an annual cost of Rs. 1,440 crore. The government has taken no action on the reports and the recent revelations of soldiers about low quality food are shaming our nation and shaking the spirit of our soldiers.

If the NDA government wishes to seriously address and tackle some of these troubling issues, and thereby strengthen the country's national security, the Defence Minister and the new Army Chief should take urgent measures to address the sources of this growing discontent within the country's ace force. Moreover, it is important that the senior Army leadership rises above parochial regimental considerations and look after the interests of the force as a whole rather than those of their own regiments.

At the end, I urge the government to take urgent steps to curb the internal disturbances in the force and desist from any move for privatization of defense, which is crucial for our national security.

* **डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर):** आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग 2017-18 पर कुछ बिंदु सामने रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो हम सलामत करना चाहते हैं अपने देश की सेना को जो हम देशवासियों को सुख चैन की और सलामत-सुरक्षित जिंदगी देकर अपने प्राणों की बाजी भी लगा देती है। हम अभिनंदित करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी भाई मोदी जी को और हमारे रक्षा मंत्री जी को भी जो हमारे देश के अंदर की सुरक्षा और हमारी सीमा सुरक्षा की निरंतर निगरानी रखके हमें देशवासियों की सलामती और हमारा देशाभिमान बढ़ाते रहते हैं।

हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र भाई मोदी के अथक प्रयत्नों से आज पूरे विश्व के देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध बनते चले आ रहे हैं निकटतम पड़ोसी देशों और भू-भाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और हल-चल से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए भी हमारी सरकार और सेना दोनों हमेशा तैयार रहती है और वक्त आने पर मुँहतोड़ जवाब भी देती है। साथ ही कई विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी बनाने के नए और सफल प्रयास भी किए गए।

भारत समानता, पारस्परिक लाभ और आपसी सम्मान के आधार पर अपने सभी पड़ोसी भागीदारों के साथ सुरक्षा सहयोग निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी किसी भी देश या प्रदेश द्वारा हमारे देश को अस्थिर करने के प्रयास, आतंकवाद और आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरे की चुनौती भी हमारे देश के सामने है, लेकिन हमारी सेना और हमारी सरकार इन चुनौतियों के लिए भी तैयार है और देश की शांति और सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी वजह से इस साल बजट में भी रक्षा मंत्रालय को 2,74,119 करोड़ का आवंटन किया गया है और 86,486 करोड़ सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया गया है।

हमारे जाबांज सैनिकों की लंबे अरसे तक की डिमाण्ड वन रेंक-वन पेंशन को लागू करके एक सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है और अब रक्षा मंत्रालय ने वन रेंक-वन पेंशन की विसंगतियों को जल्दी दूर करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। जस्टिस एल.नरसिंहा रेड्डी की रिपोर्ट का अध्ययन कर उसका लाभ पूर्व सैनिकों को देने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही हमारी सेना के वीर जवानों ने पड़ोसी देश में चल रहे आतंकियों के लॉच पैड का आधी रात को दुश्मन की रडार में भी न पकड़ने की चालाकी के साथ अपना जान की बाजी लगाने के साथ खात्मा किया। तब हमारे माननीय नरेन्द्र भाई भी पूरी रात पलक झपकाये बिना पानी की एक बूंद पिये बिना बैठे रहे वॉर रूम में और हमारे जवानों में नई चेतना उजागर करते रहे, ये है संवेदना।

* Speech was laid on the Table.

भूतकाल में रक्षा सौदों को भी नहीं छोड़ा हमारे शासकों ने लेकिन हमारी सरकार ने हमारे रक्षा सौदों को भी एकदम पारदर्शक कर दिया। सरकार नई ब्लैक लिस्टिंग पॉलिसी ला रही है। इसमें इन सौदों को हासिल करने की खातिर रिश्वत का सहारा लेने वाली कंपनियों पर एक्शन लिया जायेगा।

इसी तरह हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारी सरकार और हमारी सेना भारतवर्ष की आंतरिक-बाह्य शांति, सुरक्षा और सलामती के लिए हमेशा तैयार है। हम सलाम करते हैं हमारी सेना को, हमारे शहीदों को और हमारी सरकार को। इसी के साथ हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हैं।

* **डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर)** : रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भारत सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वह देश के हित में देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए राशि का आबंटन किया है। विशेषकर सीमा रक्षा पर सरकार की ओर से जो आर्थिक नियोजन किया है वह उचित है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों के ऊपर और देश की सुरक्षा के ऊपर राशि का नियोजन करना तो अनिवार्य है।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने रक्षा क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" के तहत भी बहुत काम किया है और डिफेन्स पॉलिसी 2016 के प्रोसेस में भी ट्रान्सपेरेंसी रखी है। समय को कॉम्प्रेस किया है। वन-रेंक-वन-पेंशन जो किया वो सेना में हर पांच साल बाद रिन्यू करने का निर्णय भी सरकार ने किया है।

जो व्यवस्था फोर्स में होनी है उसके लिए कितना भी खर्च क्यों न बड़े सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। देश की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिक को सुरक्षित रखना है। सीमा के बाहर भी दुश्मनो से जोरदार टक्कर हमारी सेना ले रही है। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उससे तो सारे देशों में यह पता चला कि हमारे देश की सुरक्षा में कोई सरकार कितनी सक्षम है। किसी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं होगी हमारे देश की तरफ नजर करके देखने की हमारे पास सभी अस्त्र है। हवाई मार करने के रैकेट हैं, सभी अत्याधुनिक मशीनरी भी हमारे सैनिकों के पास है। हमारे भारत के तीनों दल सक्षम है। उनके मनोबल को बनाये रखने का काम हमारी सरकार करती है। मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ।

* Speech was laid on the Table.

***श्रीमती प्रियंका सिंह रावत(बाराबंकी):** आज भारतीय सेना 38,000 अधिकारियों (वैसे इनकी कुल प्रस्तावित संख्या 49,631 है) और 11.38 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है। विभिन्न काडरों के पुनः अवलांकन और संचालन हेतु आई अजीत विक्रम सिंह रिपोर्ट लागू होने से सेना में आधार के मुकाबले ऊपरी ढांचा ज्यादा भारी हो गया और इसका हश्र यह हुआ कि धरातल पर काम करने वालों के बजाए मुख्यालय में बैठने वाले अधिकारियों की संख्या में काफी इजाफा हो गया। जाहिर है ऐसी व्यवस्था त्वरित और छोटे अंतराल के युद्ध जीतने के लिए बने आधुनिक रक्षा प्रबंधन के अनुरूप नहीं है।

पिछले एक दशक में दुनिया की सभी मुख्य ताकतों ने इस प्रकार की कवायद करने का यत्न किया है और अपने सैनिकों की संख्या में भारी कमी की है। वर्ष 2012 में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों की कुल संख्या में 20 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की थी। रूस की सेना ने भी अपने बड़े डिवीजनल हेडक्वार्टर आधारित सैन्य व्यवस्था में कटौती लागू कर इन्हें त्वरित प्रतिक्रिया और छोटे बलों में परिवर्तित कर दिया है। अमेरिका की सेना ने भी 2017 तक कुल 80,000 सैनिकों की गिनती कम करने का फैसला लिया है।

चीन ने हाल ही में अपने सैन्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 3,00,000 फौजियों को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके पीछे मंतव्य यह है कि पीएलए का पुनर्गठन करते हुए नवीनतम तकनीक से लैस चल सेना में तबदील करना।

पिछले एक दशक में भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमता में बड़े पैमाने पर तकनीक आधारित प्रणालियों का समावेश किया है, जिसमें संचार और डिजिटलकरण भी शामिल है। अब हमारे नए सैनिक ज्यादा पढ़े-लिखे और कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन जैसे आधुनिक यंत्र चलाने में माहिर है। इनमें अधिकांश के पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी है।

मगर सेना ने शायद ही कभी संस्थागत सुधारों, गैर उपयोगी विभागों और मानवीय संसाधनों पर होने वाले खर्च में कटौती करने का कोई प्रयास किया होगा। इसी बीच वे सैन्य विभाग जो परिचालन के हिसाब से इतने जरूरी नहीं हैं, उनमें नियुक्तियों की संख्या में कटौती की जानी चाहिए ताकि खर्च में कमी लाई जा सके। इसके लिए निम्न सुझाव है: सेना के सभी अंगों में सम्मिलित-अभियान-तालमेल में सुधार लाना ताकि किसी मोर्चे पर दोहरे-तिहरे प्रयास से बचा जाए और प्रत्येक यूनिट के मेडिकल, राशन, स्टेशन ड्यूटी और अन्य सुरक्षा संबंधी खर्चों में कमी लाई जा सके। हेडक्वार्टर्स खासकर फील्ड फॉर्मेशन प्रशिक्षण संस्थाएं और बेमानी पड़ चुकी संस्थाओं के मुख्यालय आकार में कमी की जाए। प्रचालन-तंत्र और प्रशिक्षण सुविधाएं जैसे कि इंएमई, ऑर्डनेंस, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर इत्यादि में कई विभागों का

* Speech was laid on the Table.

विलय और इनके आकार में छंटाई की जाए। गैर-जरूरी संस्थाएं जैसे आर्मी फार्मर्स, आर्मी पोस्टल सर्विस का विलय या फिर इनका काम ठेकें पर बाहरी क्षेत्र से करवाया जाए। सभी शांतिकालीन संस्थाओं का पुनः आकलन। भूमि या ऐसी सुविधाएं जो भले ही किसी भी यूनिट या फॉर्मेशन के अंतर्गत हो, उनका बहुउद्देशीय इस्तेमाल किया जाए।

इन दिनों सीमा तक सटे क्षेत्रों में भी ऑटोमोबाइल और सिविलियन कार्यों का रखरखाव एवं मरम्मत तंत्र काफी विकसित और सदैव उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर सेना ठेकें पर इनकी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को दे सकती है, विशेषकर माल ढुलाई में और यदि सीधे वाहन निर्माता को इस कार्य में सम्मिलित कर पाए तो भी ज्यादा बेहतर होगा। कई युवा अपने परिवार की परंपरा को निभाने या पारिवारिक दबाव के कारण के लिए सेना में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी रुचि किसी और क्षेत्र में होती है। पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी जी के संसद में दिए बयान के अनुसार 2011 में 10 हजार 315 जवानों ने फौज से नाता तोड़ लिया जबकि 2010 और 2009 में यह संख्या 7499 और 7249 थी।

हालांकि फौज में पहले से ज्यादा पढ़े-लिखे जवान भर्ती हो रहे हैं, लेकिन 35 की उम्र तक आते-आते वे बेहतर करियर के लिए फौज छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। सेना का प्रशिक्षण भले ही अनुशासित और बेहद कठिन हो, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए एक शानदार करियर विकल्प है। हालांकि इस समस्या से सेना अपने स्तर पर निपट भी रही है, लेकिन देश के युवाओं को सेना में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है और मैं चाहती हूँ सरकार इसके लिए विशेष प्रयास करें जिसमें स्कूलों के समय ही अनिवार्य सैन्य शिक्षा पाठ्यक्रम या ट्रेनिंग भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

***श्री हरि ओम पाण्डेय(अम्बेडकर नगर):** वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने रक्षा बजट बढ़ाकर 2 लाख 46 हजार 727 करोड़ रुपए कर दिया है, जो विगत वर्ष 2 लाख 29 हजार करोड़ रुपए था। यह अत्यंत सराहनीय कदम है, जो सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। यद्यपि सेना की जरूरतों को देखते हुए यह बढ़ोतरी भविष्य में और अधिक किये जाने की पूर्ण संभावना विद्यमान है। यह आवंटन पिछले साल के मुकाबले 7.5 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन सेना की जरूरत और रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर सकारात्मक बढ़ोतरी की संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। यदि वैश्विक चुनौतियों की बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट अब भी चीन से तीन गुना कम है। जो हमें सतत वृद्धि की और प्रेरित करता है। यदि आवंटित धनराशि के खर्च की बात की जाए तो विगत वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित 2 लाख 29 हजार करोड़ में से 2 लाख 22 हजार करोड़ रुपए खर्च हो पाए। रक्षा बजट में 7.5 फीसदी की इस बढ़ोतरी से समय से लंबित सौदों को अमलीजामा पहनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि सेना की आवश्यकता और बजट के प्रावधानों में अंतर को पाटने के लिए और पैसे की जरूरत बनी रहेगी। रक्षा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा वन-रैंक-वन-पेंशन के समन्वयपूर्ण समाधान हेतु किये गए प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। देश की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों में कट्टरपंथी तत्वों की बढ़ती सक्रियता एवं चीन के द्वारा उनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग एक चिंतनीय विषय है अतः इन तत्वों से निपटने हेतु सेनाओं का तीव्र गति से आधुनिकीकरण एवं इस बाबत रक्षा खरीद प्रक्रिया को त्वरित एवं सुचारु बनाने की महती आवश्यकता है जिससे देश की आन बान शान में चतुर्दिक संवर्धन हो सके एवं समस्त देशवासी गर्व से कह सकें कि.....

कल भी था यह पितामह,
है आज भी पितामह॥
आगे युगों, युगों तक,
यह भीष्म ही रहेगा॥

* Speech was laid on the Table.

***SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):** While presenting the Union Budget 2017-18 on February 01, 2017, the Finance Minister (FM), Arun Jaitley, allocated Rs. 3,59,854 crore (US\$ 53.5 billion) to the Ministry of Defence (MoD). As in his previous budget, the FM also made certain changes in the format of the defence Demand for Grants (under which defence money is distributed among the armed forces and other defence agencies), bringing further complexity to the task of estimating the various heads that make up India's official defence budget. The complexity apart, the bigger question that faces the defence community is whether the latest allocation is adequate to meet the security needs of the country. This *Issue Brief* examines the latest defence allocation in the light of its possible impact on modernization and operational preparedness of the defence forces. It however, begins with a macro survey of Indian economy and the context of the Union Budget, both of which have a direct bearing on defence.

Despite a gloomy global economic environment, the Indian economy continues to a bright spot, with the initial estimates of the Gross Domestic Product (GDP) showing a growth of over seven per cent per annum for three consecutive years between 2014-15 and 2016-17. The growth momentum is likely to be sustained at around 6.75-7.5 per cent in 2017-18, as projected by the latest Economic Survey. Besides the GDP growth, the economy has also witnessed other robust macro-economic indices pertaining to inflation, fiscal consolidation, current account deficit, rupee-dollar exchange rate, foreign exchange reserves and foreign investment inflows.

The impressive macro fundamentals notwithstanding, the Indian economy is widely perceived to be growing at much slower than its growth potential of 8-10 per cent. There is a growing concern that the sluggish recovery of world economy and recent anti-globalization tendencies seen in the West could affect India's effort to push for an export-led economic development. Back home, the subdued

* Speech was laid on the Table

corporate investment and depressing private final consumption expenditure are major markers of concern which, if left unaddressed, would likely halt the growth momentum. It is in this context that the Union Budget has focused on a government-led investment approach to spur the domestic economy. Investment on infrastructure, rural economy and the like have been the primary focus of the Union Budget 2017-18. The emphasis on these sectors is such that the government has deviated from its promised fiscal consolidation path to provide extra resources on these fronts. More significantly, the deviation has come even after a hefty 17 per cent growth in the estimated gross tax receipts. From the MoD's point of view, however, the Union Budget 2017-18 is an opportunity as neither the fiscal expansion nor the revenue buoyancy has resulted in a significant hike of resources.

While presenting the Union Budget to the Parliament, the FM stated that “for Defence Expenditure excluding pensions, I have provided a sum of Rs. 2,74,114 crores including Rs. 86,488 crores for Defence capital.” The FM’s overall stated figure of Rs. 2,74,114 is, however, not what the Defence Ministry considers as India’s official defence budget. An attempt is made to reconcile the defence-related allocations provided in the Union Budget with the traditional format used by the MoD and compare it with the previous years’ allocation and expenditure. Using the MoD format, the defence budget for 2017-18 amounts to Rs. 2,62,390 crore. The difference in amount (between FM’s and Ministry of Defence's figures) of Rs. 11,724 crore is allocated under what is considered Defence (Civil Estimates) which, inclusive of defence pension of Rs. 85,740 crore, does not form part of the official defence budget.

A noticeable aspect of the underutilization of capital allocations provided in the 2016-17 budget, resulting in a surrender of Rs. 6,970 crore (8.1 per cent). The surrendered amount has largely been absorbed in the revenue expenditure which has increased from its original estimates by Rs. 5,876 crore.

Another major feature is the further increase in the share of the revenue expenditure in the total defence budget. The increase is primarily due to the hike in the manpower cost of the armed forces, which accounts for over 83 per cent (or Rs. 11,071 crore) of the overall growth of Rs. 13,291 crore in the defence budget. It is significant to note that the manpower driven defence budget is not unique to 2017-18. In the last several years, it has been a recurring feature with a debilitating effect on two vital elements of the defence budget: revenue stores and capital modernization which together play a vital role in the operational preparedness of the armed forces. As Figure succinctly illustrates, the combined share of these two elements has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17. This does not augur well, especially when there exists a huge void in India's defence preparedness, and the armed forces have grave shortages in many areas ranging from ammunition, assault rifles, bullet-proof jackets, night fighting-devices to howitzers, missiles, helicopters, fighters and warships. Needless to say, for adequate defence preparedness, the present ratio needs to change for the better, for which allocation under revenue stores and capital modernization needs to be augmented substantially.

Among the defence services, the Indian Army with a budget of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in defence budget, followed by the Air Force, Navy, Defence Research and Development Organization (DRDO) and Ordnance Factories (OFs). The lion's share for the Army is primarily because of its overwhelming numerical superiority over the sister services.

Accounting for over 85 per cent of the uniformed personnel, bulk of the Army's budget goes into meeting the pay and allowances of the personnel. In 2017-18, only 17 per cent of Army's total allocation has been earmarked for capital expenditure. The comparative figures for the Air Force and Navy are 58 per cent and 51 per cent, respectively.

As regards modernization budget (or the capital procurement budget) of the three forces, as can be seen, the overall allocation in the 2017-18 budget has

declined, although marginally, over the previous allocation. Among the three Forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets. The increase in the Air Force's budget is in view of its signing several mega contracts, including for the Rafale fighters, and Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

The decline in the modernization budget is a source of great concern, especially given the limited budgetary scope available for signing new contracts. In 2016-17, only 12 per cent of the total modernization budget of Rs. 70,000 crore was available for signing new schemes, with the rest being earmarked for the committed liabilities arising out of contracts already signed. It is, however, to be noted that this limited scope has not been fully exploited as there has been an underutilization of a whopping Rs. 7,393 crore (or 10.5 per cent). The underutilization is across the services, although the Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds. What is of greater concern is that underutilization has become a recurring feature of India's defence budget, despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the MoD in the past two-and-a-half decades. Given that steady modernization is a prerequisite for building up a strong military capability, the MoD has a big task ahead to bring in efficiency and expeditiousness in the procurement process.

Unlike in the previous budget, the Union Budget has not provided any specific incentives to push the 'Make in India' initiative in the defence sector, although some industry-wide proposals have been promised. Among others, the government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of up to Rs. 50 crore. This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings, OFs and the large private companies.

The lack of any specific incentive for the defence industry may be a source of disappointment, as industry has repeatedly demanded certain concessions which are currently extended to other sectors. In the Union Budget itself, the FM extended the 'Infrastructure Status' to the 'Affordable Housing', sector, allowing the industry in that sector to avail certain tax-related benefits. Needless to say, Infrastructure Status is one of several demands long demanded by the defence industry.

Within the defence budget, however, there has been a small allocation of Rs. 44.63 crore made for prototype development under the 'Make' procedures which have recently been revised by the MoD and some 23 projects have been identified for execution. Of the total amount, Rs. 30.08 crore is earmarked for Army and the balance Rs. 14.55 crore for the Air Force.

The meager increase of five per cent in the official defence budget is grossly inadequate especially in view of the vast voids existing in military capability and the diminished and incremental effect on modernization and operational preparedness. There is a need to augment resources substantially, particularly under two critical heads of the defence budget – stores and capital procurement – which have come under severe pressure in the last several years with a huge negative consequence on India's defence preparedness.

From the MoD's perspective, while the demand for higher allocations is a genuine one, it must also be fully geared up to utilize the available resources in a time-bound manner. There is hardly any merit in asking for more resources while the present capacity to utilize the available resources, particularly those under the capital head, is constrained. The defence establishment must, therefore, look inward and find lasting solutions to procurement impediments. At the same time, the MoD also needs to look at the current profile of the defence budget and lose no opportunity for controlling manpower costs so as to allow other items of expenditure to grow in a healthy manner.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2017-18 के रक्षा अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, धन्यवाद।

आज रक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका आधुनिकीकरण है। सभी हथियार, गोला-बारूद, टैंक, हवाई जहाज, बख्तरबंद गाड़ियां आदि सभी के सभी सामान पुराने हो चुके हैं। उन सामानों में आधे से अधिक कबाड़खाने में पड़े हुए हैं। सुखाई विमानों में 60 प्रतिशत बेकार पड़े हुए हैं। आये दिन सुखाई, चेतक हेलीकॉप्टर्स और मिग विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आता रहता है, जवान शहीद होते रहे हैं, सुखाई के रख-रखाव की जिम्मेदारी एच.ए.एल हॉल की है, अगर (हॉल) के चेयरमैन लापरवाह हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके कारण देश का कितना नुकसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि ए.के. सक्सेना कमेटी की करीब 21 स्टडी रिपोर्ट्स सरकार के पास हैं। मिस्टर सक्सेना अतिरिक्त सी.जी.डी.ए. रिटायर हो चुके हैं। सरकार ने उनसे काफी रिपोर्ट्स तैयार करवाई थीं। उनमें कुछ प्रमुख हैं :- एल.टी.ए. ट्रैवल में घोटाला, जिसमें करीब एयरफोर्स के चार हजार लोग पकड़े गए, मगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, डिफेंस लैण्ड घोटाला, जवानों के लिए खाना, रहना और कपड़े आदि सामानों का घोटाला, डिफेंस में खरीदी गई गाड़ियों की रिपेयर में धांधली, एयर फ्यूल में चोरी और धांधली, डी.आर.डी.ओ की स्टडी रिपोर्ट, हॉक एयरक्राफ्ट घोटाला, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपये के कमीशन का पेमेन्ट हुआ था, इसी प्रकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के ऊपर स्टडी रिपोर्ट की कि कहां-कहां धांधली हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगर एक बार स्टडी कर ले और उस पर अमल करे तो रक्षा मंत्रालय को करीब 50 हजार करोड़ रुपये की सालाना बचत होगी, जो अभी लीकेज हो रही है। इस बचत से आधुनिकीकरण में काफी सहूलियत मिलेगी। सरकार कम से कम इन सभी स्टडी रिपोर्ट्स को वेब-वाइट पर डालकर पब्लिक डिबेट के लिए छोड़ दे। उसके बाद इस पर अमल किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी रक्षा मंत्री जी से लेना चाहता हूँ कि रक्षा विभाग के रेजीमेंट फण्ड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उससे कितनी इनकम हो रही है और यह पैसा आखिर कहां जा रहा है? जवानों के वेलफेयर के नाम पर इस फंड की लूट-खसोट हो रही है। यह पब्लिक मनी है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं, शहीद होते हैं, आप उनके परिवार में पत्नी, बच्चों और जवानों के बूढ़े माता-पिता के लिए क्या-क्या करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी गड़बड़ी है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, तभी उन शहीद जवानों के परिवारों का कल्याण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में करीब 12 लाख फौज है। मानक के अनुसार तीन जवानों पर एक रक्षा जैकेट होना अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास चार लाख रक्षा जैकेट्स हैं। आपके पास केवल फटी-पुरानी जैकेट्स पड़ी हुई हैं। इसके कारण हमारे जवान दुश्मन की गोलियों से शहीद हो रहे हैं। अभी तक आप स्वदेशी रक्षा जैकेट्स का निर्माण तक नहीं कर पाये, फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम कैसे सफल होगा। आप एम.आई. सेक्टर का भला कैसे करेंगे, जो आपका प्रमुख टारगेट है।

अब मैं रक्षा विभाग की भर्ती में परीक्षा पत्र लीक होने के मामले में कहना चाहता हूँ कि यह करप्शन का बहुत पुराना खेल है, यह बहुत पहले से चला आ रहा है, इसमें काफी पैसा वसूला जाता है, आप इसकी जांच जरूर करायें। आप गांवों के इलाके में चले जाइये, वहां पैसे के बल पर ही आर्मी और एयरफोर्स में बहाली हो रही है।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध कारखाना तत्कालीन रक्षा मंत्री, श्री जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा लगाया गया था। वह एक अत्याधुनिक कारखाना है, उस पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये गये, लेकिन आज तक उसकी एक यूनिट ही चालू हुई है, तीन यूनिट्स चालू नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कारखाने की चारों यूनिट्स चलाकर अत्याधुनिक आयुध सामग्री का निर्माण करायें। धन्यवाद।

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): The President of India is the supreme commander of the armed forces of the country. The Ministry of Defence is primarily responsible for ensuring the territorial integrity of the nation with the armed forces including Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and Indian Coast Guard.

India's 58 year old Defence Research & Development Organization has 50 laboratories, eight defence public sector units and 40 ordnance factories. However, India's armed forces are still dependent on imports for 70% of their defence equipment. Increase in Budget outlay for indigenization under the "Make in India" programme should be done. Besides, as India's economy continues to grow. There will be a natural attrition from the Armed forces. In 2015, India reportedly faced a shortage of 50,000 personnel, including 11,000 officers.

The modernization of men and material a long standing demand of the three wings of the armed forces. This is worrying because the security challenges, within and at the borders are formidable. Indian soldiers operate in some of the world's most inhospitable terrain, but their access to basic amenities wholesome food and modern gear allegedly remains limited. The absence of special incentives for indigenous research in the Budget has been another disappointment. There is a need to expedite acquisition of modern Bullet Proof Jackets for the Army.

The Government remains non-committal about weaning India away for its unhealthy dependence on imported arms and technologies. There is a need to allocate more funds for Defence Research and also need to focus on Mission Mode Projects as well as Technology Development (TD) and Development of Infrastructure Facilities (IF). More opportunities should be given to women in Defence sector for recruitment. We are proud of our soldiers. NCC course as an elective subject should be introduced at University level and organize more NCC

* Speech was laid on the Table

training camps there would lead for job opportunities as in India there are many unemployed youth. They will also get to serve for the motherland.

I request for one sainik school in West Bengal in my Parliamentary Constituency Arambagh in Chandrakona. It is SC/ST based area.

***SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI):** Defence of the country is of utmost importance. Security of the country always comes first. National interest should be given priority over other issues. The defence budget for 2017-18 is Rs. 2,74,114 crore.

I think there are still some issues pending on 'One Rank One Pension'. It seems ex-servicemen and those who were in front during the wars and protecting our country have some issues pending. I would urge the Government to address them immediately and resolve to their satisfaction. There is no need to prolong this issue.

Due to the security and unrest on our borders and inside the country, we are forced to spend more on defence. We should not compete with anyone but at the same time we have to strengthen our defence to secure our country from enemies.

I have no hesitation to say that we should be spending more on education and health and in providing employment and waiving off loans of farmers, who are committing suicide every other day.

In my State, Tamil Nadu, there are few establishments of defence, like Heavy Vehicles Factory in Avadi, Chennai, etc. These should be modernized and more money should be pumped in to make it modern and to ensure more production which would pave way for employment. I hope the Minister would look into this aspect.

Many personnel of CRPF, and other para-military forces have come out with glaring and despicable living conditions and food being served to them. There is a need to improve the quality of food being served to them as they are the custodians of our country. They should be treated with respect and dignity. Regular inspections should be carried out by higher officials to keep tab of food being supplied at their places of service and duty so that such incidents which

* Speech was laid on the Table

bring disrepute to the Forces and our country as a whole are averted. Would the hon. Minister respond to this and give to the status in this regard?

There is a general perception that deals are made without any transparency and that scams are simmering and would come out sooner rather than later. Would the Government state the precautions taken in ensuring transparency while signing deals with foreign defence companies? Would the hon. Minister elaborate on the mechanism of transparency being adopted by his Ministry?

I would request the hon. Minister to reply to some of the issues raised by me. With these words, I conclude.

* श्री देवजी एम.पटेल(जालौर): आज आतंकवाद और आतंकी संगठनों की गतिविधियां शांति और सुरक्षा के लिए संभवत सबसे गंभीर खतरे हैं। कुछ राज्यों द्वारा आतंकवाद के एक नीति के रूप में उपयोग ने अंतर राज्यीय विवादों को अधिक बढ़ाया है। आतंकी समूहों ने राष्ट्रीय आवाजाही और विशेषकर युवाओं में वैचारिक परिवर्तनों को अपनाया है और अपने आधार क्षेत्र से दूरस्थ इलाकों में भी खतरा उत्पन्न कर रहे है। भारत के पड़ोस से पनपने वाले आतंकवाद के खतरे हमेशा भारत के लिए चिंताजनक रहे हैं। इन सब को ध्यान में रख कर माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी रक्षा सेनाओं के लिए आबंटन की राशि में भारी बढ़ोतरी की है जिसके लिए वे बधाई के पात्र है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा रक्षा बजट आबंटन में गत वर्षों की तुलना में काफी सुधार किया गया है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के आबंटन से लगभग 16 हजार करोड़ रुपए अधिक है। उल्लेखनीय है कि 2,74,114 करोड़ रुपए की इस राशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं है। स्मरण रहे वर्ष 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,58,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। इसके अलावा 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान एक रैंक एक पेंशन के लिए अलग किया गया था तथा वर्ष 2015-16 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,46,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा सेवाओं के बजट 2017-18 में किए गए निम्नलिखित प्रावधान निश्चय ही प्रशंसनीय हैं-

बजट में रक्षा सेवाओं की नयी खरीदी के लिए 10% रकम बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रक्षा पूंजी के लिए सरकार द्वारा 86,488 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। पेंशन पाने वाले रिटायर्ड सैनिकों के लिए अतिरिक्त 85,870 करोड़ रुपए के आबंटन की घोषणा की है। सेंट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रेवल सिस्टम का विकास किया गया है, ताकि सैनिक व अफसर भी रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करा सके तथा उन्हें वॉरंट लेकर लाइन में न खड़े रहना पड़े। वायु सेना के लिए आधुनिक रफेल लड़ाकू विमान, अपाचे मारक हेलीकाप्टर व चिनुक हेली लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु वायु सेना के लिए आबंटन में बढ़ोतरी की है। रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित वितरण प्रणाली शुरू की जाएगी।

पड़ोसी देशों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए हमारी सरकार ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा है। इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित किया गया है। यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से

* Speech was laid on the Table.

ज्यादा का आवंटन किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपए का 12.78 प्रतिशत है कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट में जिन मदों में सर्वाधिक आवंटन हुए हैं उनमें रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

पिछली बार बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 11 प्रतिशत थी। उससे पिछले साल यह आवंटन तकरीबन 10.5 प्रतिशत था। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सेनाओं के आधुनिकीकरण की मांगों और जरूरतों के हिसाब से हालिया वर्षों में इस क्षेत्र के बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं हाल में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए चिंता का सबब रही है। हिंद महासागर में चीन, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक भारत को घेरने की कोशिशों के तहत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल (मोतियों की माला) का निर्माण करने की कोशिश में हैं। इस क्षेत्र में उसकी परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों को भी देखा गया है। हाल में इस क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने भी भारत को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस सबको देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रक्षा मंत्रालय की बजट में की गई वृद्धि निश्चय ही नितान्त आवश्यक थी जिसका सरकार ने पूरा ध्यान रखा है तथा वह धन्यवाद की पात्र है।

इन सब बातों के साथ मैं सुझाव के साथ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ मेरा संसदीय क्षेत्र जालोर और सिरोही भूगोलिक रूप से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यह क्षेत्र रेगिस्तान और पहाड से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की जनता स्वाभाविक रूप से साहसी वीर और कठोर परिश्रमी है। 2012 की जनगणना के अनुसार लगभग 3885286 है। इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के युवा देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत है। इस क्षेत्र में तीनों सेनाओं की संयुक्त भर्ती रैली आयोजित करने से यहाँ के युवाओं में सेना को अपने कैरियर के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। इस शिविर से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ देश सेवा का सुयोग प्राप्त होगा। इस तरह की रैली राजस्थान सहित देश के सभी जिला केन्द्र पर आयोजित करने की आवश्यकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला केन्द्रों पर सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है यहाँ के हजारों की संख्या में युवा सेना में सेवारत है तथा हजारों की संख्या में जिले में पूर्व सैनिक निवास करते हैं। इनके बच्चों को देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत शिक्षा देने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी द्वारा पेश की गई रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ तथा वित्त मंत्री जी को रक्षा मंत्रालय की मांगों में की गई भारी बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद देता हूँ।

*PROF. RICHARD HAY (NOMINATED : I support the Demands for Grants for Defence and I congratulate the Ministry and Government of India for displaying fortitude, commitment and vision to protect the country from intermittent enemy onslaughts. Our surgical strike was a strategic move which was appreciated and commented not only by all our countrymen but also by other nations.

I also congratulate the Government of India for honoring its commitment to implement One Rank One Pension which was denied to our brave soldiers for four decades. Under this scheme, uniform pensions are being paid to armed force personnel retiring at the same rank with the same length of service, irrespective of the date of retirement. Further, future increases in rates of pension will be automatically passed on to the existing pensioners through a revision carried out every five years. OROP has been implemented retrospectively. This shows how the Government of India recognize the service rendered by our defence personnel who are highly patriotic and serve the nation with courage and passion.

Under the Make in India concept, the defence procurement – indigenously will increase from 35% to 70% by 2027. This shows the Government of India reliance on indigenous products rather than depend on imports as was practiced for decades. This shows how the Government of India will obtain more and more support from the R&D Wings functioning in the country, viz., DRDO and also procure our Defence Requirements internally and thereby save foreign exchange.

* Speech was laid on the Table

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपने देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस देश की रक्षा-सुरक्षा में लगे हुए जवानों को वरीयता पर रखकर उन्हें आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नजर नहीं आता, इसके कई प्रमाण हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कठोर कदम उठाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसके साथ-साथ देश में जो हिंसक घटनाएं होती थीं, उनमें बहुत कमी आई है।

13.44 hours

(Hon'ble Speaker in the Chair)

महोदय, आज देश में आधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं और दुनिया में हमारा देश एक ताकतवर सैन्य शक्ति बन गया है। अगर हम पिछले तीन सालों पर नजर डालते हैं तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय का बजट है, उसमें औसतन दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के माध्यम से मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया है और उसमें 49 परसेंट एफ.डी.आई. जोड़कर एक अहम कार्य किया है। हम बाहर से इक्युपमेंट्स और हथियार परचेज करते थे, अब बाहर की टेक्नोलोजी हमारे देश में आयेगी और हमारे देश की कंपनियां उसे पूरा करेंगी। इस पर कई हिस्सों में काम शुरू हो गया है, जैसे मिलिट्री के लिए हेलिकॉप्टर, कोस्ट गार्ड के लिए शिप, लांग रेंज मिसाइल, वैपन लोकेटिंग रडार आदि बनाने की शुरुआत हमारे देश की कंपनियों ने इस प्रोसीजर के माध्यम से शुरू कर दी है। देश की सुरक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। यह एक ऐतिहासिक कार्य सरकार की तरफ से किया गया है। हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ट्रेनिंग का सिस्टम बनाया है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और पड़ोसी देशों से हमारे संबंध भी अच्छे बनेंगे।

इसके साथ ही हमारी सुरक्षा में लगे हुए जो जवान हैं, उनके साथ-साथ जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, जो एक्सआर्मी मैन हैं, उनके लिए लंबे समय से चले आ रहे वन रैंक-वन पेंशन वाले पेंडिंग मामले को हमारी सरकार ने मंजूरी दी है। जिससे कई परिवारों को उसका लाभ भी पहुंचा है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि हमारे जवानों के पास रक्षा जैकटों की कमी है। हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर भी अहम फैसला ले कर, जो मामला दस साल से पेंडिंग चल रहा

था, उस पर अहम कदम उठा कर, इसको स्वीकृति दी है। उसके माध्यम से जैकिट बनने का कार्य शुरू हो गया है और खरीदी भी हो कर कुछ जैकिटें हमारे देश के सैनिकों के लिए आ गई हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक-दो सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा कि हमारे देश के जो नौजवान वैज्ञानिक हैं, देश में आविष्कारों के लिए उनकी काफी भागीदारी रहती है, मैं आग्रह करूंगा कि सरकार उनको आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करे। मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के काफी नौजवान सेना में हैं, हर परिवार में से करीब-करीब एक सैनिक फौज में है। जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनकी बेटियों की शादियों के लिए मिलने वाली राहत राशि का प्रश्न भी इस सदन में प्रश्न काल में उठा था। उनकी बेटियों की शादियों के लिए सरकार की तरफ से जो राहत दी जाती है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ शहीदों की पत्नियों को वरीयता के आधार पर कहीं पर नौकरी देने का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Hon. Speaker, national security is the most important thing for our country to maintain peace and stability both within and outside the country. India's strategic location is crucial both for the South Asian Region and for the whole world. Of late, terrorism, insurgency and sectarian conflicts are on the increase both at national and international arena. Internal security is under threat due to cross border terrorism, militancy in the North-East, Left Wing extremism and terrorism in the hinterland. Surgical strikes undertaken recently along the Line of Control are credible and a strong message to Pakistan and China.

Madam, while announcing the allocation for Defence, the Finance Minister avoided any mention of the previous year's allocation. Perhaps, it was for a reason. The allocation of Rs. 2,74,114 crore excluding the outlay of Rs. 85,740 crore for defence pension means only six per cent more than the comparable budget estimate of Rs. 2,58,589 crore for 2016-17. The allocation is grossly inadequate to meet the security needs of the country.

The noticeable feature is the gradual decline in the defence budget share in both the Central Government expenditure and the GDP with a share of 1.56 per cent of the estimated GDP for 2017-18. This budget allocation is the lowest since 1956-57.

The revenue stores and capital modernization together play a vital role in the operational preparedness of the Armed Forces. The combined share of these two elements has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17. The present ratio needs to change for the better for which allocation under revenue stores and capital modernization needs to be augmented substantially. Among the Defence Services, the Indian Army with a budget allocation of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in the defence budget followed by the Air Force, Navy, DRDO and Ordnance Factories but a bulk of the Army's budget which is nearly 85 per cent goes into meeting pay and allowances. Only 17 per cent of

Army's total allocation has been earmarked for capital expenditure whereas for the Air Force, it is 58 per cent and for Navy, it is 51 per cent.

Under the Modernisation Head, Army Fund has been decreased by 6.4 per cent; for Navy also it has been decreased by 12.1 per cent. Only Air Force Fund has been increased by 12.1 per cent. The increase in the Air Force Budget is in view of its signing several mega contracts, like the Rafale fighters, Chinook heavy lift helicopters, etc. Only 12 per cent of the total modernisation Budget of Rs. 70,000 crore is available for signing of new contracts. There is a whopping under utilisation of funds of Rs. 7,393 crore and the Army accounts for 50 per cent of total unspent funds.

Under utilisation has become a recurring feature of the Indian Defence Budget may be because of the Ministry of Finance's machinations. Poor allocation coupled with under utilisation is severely affecting modernisation and procurement process.

Unlike the previous Budget, this Union Budget has not provided any specific incentives to push the 'Make in India' initiative in the defence sector. The reduction of income tax to 25 per cent from 30 per cent for micro, small and medium enterprises with an annual turnover of Rs. 50 crore will only benefit 6000 MSMEs which supply components to the DRDO, defence public sector undertakings, ordnance factories and large private companies. Perhaps infrastructure status as given for affordable housing should have been given to it for availing tax benefit which is a long pending issue.

There is only a meagre five per cent increase in the official Defence Budget and it is grossly inadequate taking the inflation and external and internal threats into consideration.

We are a country that has one of the largest armed forces. They selflessly do the work that we cannot imagine to do even for a day. It is unfortunate that they are not receiving the support that they deserve. The fact that our country allocates crores of rupees every year for defence but hardly provides adequate funds to

support these courageous souls is of great concern to us. All of us know, as Winston Churchill said, “We sleep soundly in our bed because rough men stand ready in the night to visit violence on those who would do us harm.” So, even one soldier treated improperly is unacceptable to us.

So, I appeal to the Government to consider increasing the Defence Budget allocation, especially to support not only our serving soldiers but also war veterans struggling to survive physical, psychological and financial trauma.

Thank you Madam for giving me this opportunity.

* **साध्वी सावित्री बाई फूले(बहराइच):** किसी भी देश का अस्तित्व, उस देश के आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर ही निर्भर होता है। मैं भारत के वित्त मंत्री को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि भारत की सुरक्षा को प्रथम वरीयता देते हुए 2,77,114 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए लगा दिया उनका भी ध्यान रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने 85,740 करोड़ रुपए भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान किया है। आज पूरा देश माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना कर रहा है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बाह्य सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है।

अगर हम श्रेणीबद्ध खतरों पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर के पार का आतंकवाद, पूर्वोत्तर का आतंकवाद ,कुछ राज्यों में नक्सलवाद तथा इन सबसे भयंकर खतरा आंतरिक आतंकवाद है। मैं पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वे योजनाबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम व योग्य साबित हुए हैं।

अगर हम पिछले 2012 में हिंसक घटनाओं की बात करें तो ये आंकड़ा 1025 से कम होकर 574 रह गया है तथा मारे गये सिविलियनों की संख्या 97 से घट कर 46 रह गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा, मणिपुर आदि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बनाये रखने में सफल रहे हैं। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अध्याय और जोड़ा है कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत लाचार व कमजोर नहीं है। अगर सीमा पार से एक गोली चलेगी तो भारत के वीर सैनिक अनगिनत गोलियां चलाकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिम्मत रखते हैं। आज भारत का हर नागरिक अपने को सुरक्षित व सम्मानित महसूस कर रहा है।

एक अनुरोध मैं भारत सरकार से करना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे पड़ोसी देश अपने रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि किए जा रहे हैं, उसके अनुपात में हमारे यहां का बजट कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

आज विश्व में बदलती परिस्थितियों को देखकर, थल सेना, वायु सेना, जल सेना सभी को मजबूत करना सरकार का कर्तव्य है। मैं पुनः देश के रक्षा मंत्री को बधाई देती हूँ। हमारे देश की तीनों सेनाये भारत का गौरवपूर्ण इतिहास रचने में सक्षम है।

एक महत्वपूर्ण विषय, जिस साहस और ईमानदारी के साथ देश में नोटबंदी का फैसला, हमारे निर्भीक व ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया, उससे सीमा पार सेफलफूल रही आतंकवाद की फैक्टरी की

* Speech was laid on the Table.

कमर टूट गई है। सीमा पर सेना तो लड़ती ही है लेकिन जब देश पर संकट आता है तब प्रत्येक भारतवासी सैनिक बनकर सैनिकों के हौसले बुलंद करता है। उसी क्रम में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेना दिवस पर कहा था-

"हम भारतीय सेना के योगदान और अमूल्य सेवाओं को सलाम करते हैं, सेना ने देश की सम्प्रभुता तथा 125 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले। हमारे सैनिकों का बलिदान सदैव देश याद रखेगा।"

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Defence is one of the vital and important ministry which mainly concerned about the security and peace of the country. Hence, allocation of budgetary support to the Ministry of Defence becomes a necessity.

If we look at the previous performance during the year 2015-16, it is worrying since there is under spending of Rs.13,188 crores from its capital budget. It comes to nearly 14 per cent of the budgetary allocation for the year 2015-16. When that is the case, there is apprehension about spending the amount allocated to the Ministry of Defence for this year. This will be definitely a reflection on the performance of the Government particularly with regard to the security of this nation. Time and again our efficiency in the defence will be subjected to test in view of the attempts being made by the neighbouring countries.

Modernization of Indian armed forces for the strength of the country has been rather slow. Technologically, we are little behind indigenous development of modern defence hardware continues to remain a serious concern. Much thrust should be given by the Government in this area to make our defence more powerful. We are bound to increase our strength regarding modernization in every angle.

We have been seeing videos of Army jawans through social media in which serious allegations of harassment by superiors is made. This definitely reflects on the performance and commitment of the Government regarding army personnel. This is time to infuse confidence among the army personnel. PMO should took this matter very seriously and also get the matter seriously examined and necessary action is taken.

Shortage of military personnel is another serious concern. Government should take immediate steps to fill up the required personnel. Lots of youths in this are prepared to join military and serve the nation. We must have a

* Speech was laid on the Table.

comfortable and safe defence of the country. National security of the country should be the paramount consideration for our Government.

***SHRI D. K. SURESH (BANGALORE RURAL):** The government has hiked defence allocations by Rs. 14,748 crore, with the current year's revised estimates (RE) of Rs. 345,106 crore enhanced to Rs. 359,854 crore in the coming year. That modest rise of 3.5 per cent is well below the inflation level.

Inclusive of pension, the defence budget accounts for 16.8 per cent of government spending in 2017-18, which will be 2.14 per cent of the Gross Domestic Product. This figure is down from 17.1 per cent of the spending and 2.29 per cent of GDP this year.

The drop comes despite the significantly increased salary outgo expected in the coming year, once the recommendations of the 7th Central Pay Commission are implemented. Added to the increased pension bill triggered last year by the implementation of the One Rank One Pension formula, the 1.6 million-strong military's manpower bill will account for over half the defence allocation. As has become the norm over the last 15 years, the capital budget-which pays for new equipment and force modernization – has been dressed up for the budget party. While apparently been increased by Rs. 7,281 crore from Rs. 79,207 crore this year to Rs. 86,488 crore in 2017-18, about a nine per cent hike, this has been achieved by under-spending the current year's capital allocation. The Rs. 86,189 crore capital budget allocation this year is scaled down in the revised estimates to Rs. 79,207 crore, which means the Defence Ministry has underspent its equipment modernization budget by almost Rs. 7,000 crore, some eight per cent of its allocation.

The preceding year, 2015-16, was even more worrying, with the Defence Ministry under-spending Rs. 13,188 crore from its capital budget, almost 14 per cent of the year's allocation. There is little to suggest that this year's allocation will be fully spent. With sanctions for procurement controlled by civilian bureaucrats in the defence and finance ministries, the military's procurement

* Speech was laid on the Table

officers openly complain that towards the end of each financial year, the bureaucrats place an informal block on most procurements, causing the earmarked funds to lapse on March 31.

After the BJP manifesto promised to expedite procurements, the military hoped this might change. However, the reverse has happened. Compared to the Rs. 79,128 crore spent on capital procurements in 2013-14, the last year of the United Progressive Alliance government, the National Democratic Alliance spent Rs. 80,884 crore in 2014-15; Rs. 79,846 crore in 2015-16; and Rs. 79,207 crore in 2016-17, according to the revised estimates.

The capital budget has flat-lined, which is inexplicable for a country that is growing at seven per cent. We talk of building military strength, but the reality comes home with every budget. The modernization of the Indian Armed forces over the years has been rather slow and, technologically, they are not where they should have been. Indigenous development of modern defence hardware continues to remain a concern, and Indian policy aspiration for defence self-sufficiency remains largely elusive. The aim of the research is to highlight how the Indian Armed Forces are responding to the emerging security scenario in the region and beyond, and to address issues in defence policy-making, progress with defence modernization and military effectiveness.

The Indian defence industry suffers from major policy, structural, and cultural challenges that beset a military-industrial complex that continues to struggle in terms of delivering modern defence hardware that could have added to the greater Indian defence indigenization and production. Experts see a number of systemic flaws in the Indian defence establishment and civil-military relations, which present major challenges for India's military modernization aspirations. As India's defence requirements are likely to increase in the foreseeable future because of the dynamic security environment, indigenous development of modern defence hardware and technology is likely to remain a top priority.

As India is an aspiring great power (and it is believed that great powers have great arms industries), its ability to acquire autarky and self-sufficiency, in terms of the development of advanced defence hardware and technology, to fulfill the requirements of its Armed Forces would be crucial so as to address its national security concerns. The study here shall highlight the impediments to India's defence modernization and its likely implications for India's national security.

We all have seen a video of an Army jawan on Friday surfaced on social media in which he has alleged harassment by superiors for writing to Prime Minister Narendra Modi over the problems faced by the soldiers, soon after similar videos of complaint came to light from a BSF jawan and a CRPF constable. In the video, Lance Naik Yagya Pratap Singh, posted in 42 Infantry Brigade in Dehradun, said that after he wrote to the Prime Minister, the Defence Minister, the President and the Supreme Court in June last year, his brigade received a communication from PMO asking for a probe into his grievances. But, Singh said, instead of investigating the issue, his superiors began harassing him and also initiated an enquiry, which could potentially result in his court-martial. He stressed that no sensitive information was leaked or mentioned in his letter to the Prime Minister. If this is the way our army personals are treated, what will be the result which they can deliver? I appeal the Union Government to conduct immediate necessary enquiry to the problems faced by soldiers in army as well as paramilitary forces.

According to statistics available in the government, the Indian armed forces are faced with a shortage of over 52,000 personnel, including 11,000 officers. Army is grappling with the maximum shortage of 33,998 personnel, including 9,642 officers. Government should take adequate measures to make armed forces' jobs attractive such as additional family accommodation through Married Accommodation Project (MAP) and improvement in promotion prospects in the Armed Forces. I would also like to urge upon the government to take all measures including liberalized leave policy, conduct of yoga and meditation as part of unit

routine, provision for better infrastructure and facilities, to create appropriate environment for defence personnel, so that they can perform their duty without any mental stress.

I also urge upon the Government to implement One Rank One Pension in its true spirit rather than the name sake implementation which you have done, that can benefit the ex servicemen who worked in difficult situations for the protection of our country in entire good time of their life. According to the Defence Ministry, as of November 2016, 1,27,561 pensioners had not received the benefits of OROP. I also demand to implement the 7th pay commission recommendations to the army personals as well. It is very unfortunate that they are still away from those benefits even after all other sectors have started getting this benefit.

***DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH):** I share my views on an issue that is critical to the safety and security of our country. Since the time nations were formed and boundaries delineated, security from external threat has been a key area of nations across the world. I am talking of security, both in peace time and war time. No nation can concentrate on the welfare of its people in the absence of security. Thus, securing the country is of utmost importance, especially for a country like India whose territory is under constant threat from the north, north-east and the north-west.

I would like to say something about our defence preparedness and modernization. In the Union Budget 2017-18, the Finance Minister, Shri Arun Jaitley has allocated Rs. 3,59,854 crore to the Ministry of Defence (MoD). There is a decline in the share of the defence budget in the central government expenditure and also the GDP. With a share of 1.56 per cent of the estimated GDP of 2017-18, the defence budget is one of the lowest since independence. Another important aspect is the increase in the share of the revenue expenditure in the total defence budget. The increase is primarily due to the hike in the manpower cost of the armed forces, which accounts for over 83 per cent of the overall growth in the defence budget. This has adversely affected the revenue stores and capital modernization both of which are vital for the operational preparedness of our armed forces. This is not good when we have a huge void in our defence preparedness, and our armed forces face shortages in many fields, including ammunition, assault rifles, bullet-proof jackets, night vision-devices, howitzers, missiles, helicopters, fighters, minesweepers and warships. This has to change if we want to augment our defence preparedness. The decline in the modernization budget is a source of great concern, especially given the limited budgetary scope available for signing new contracts. There is no special incentive to push the 'Make in India' initiative in the defence sector also. It is a great disappointment.

* Speech was laid on the Table

The small increase in defence budget is not going to increase the military capability of our country and the allocation should be increased to meet the threat perceptions from our neighboring countries as also to commensurate with our ambition to be a major player in the world.

***श्रीमती संतोष अहलावत(झुंझनू)**: मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने देश के उस नागरिक के बारे में सोचा जिसने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में दे दिया और आज हम सब सुरक्षित है और रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ देश के प्रत्येक सेना के जवान की जो देश की सीमाओं पर दिन हो या रात, सर्दी, गर्मी और बरसात में अपने घर परिवार को छोड़ कर पुरी मुस्तेदी से देश की सीमा पर एक अभेद दीवार की तरह खड़ा है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सरकार बनते ही वन-रेंक-वन-पेंशन लागू किया। मैं विपक्ष के उन सभी साथियों से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगी कि आज वे वन-रेंक-वन-पेंशन पर प्रश्न उठा रहे है, मैं विपक्ष के अपने सभी साथियों से पूछना चाहूंगी कि हमें तो अभी केवल 34 महीने ही सरकार में हुए है और वन-रेंक-वन-पेंशन को लागू किया और जो कुछ कमियां है उन्हें पूरा करने का काम कर रहे है परंतु वे करीब 60 सालों तक सरकार में रहे लेकिन तब भी उन्होंने वन-रेंक-वन-पेंशन को लागू नहीं किया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके द्वारा अब मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण देश में हो रहा है। हमारे विपक्ष के साथियों को अब यह परेशानी हो रही है कि हम दूसरे देशों से खरीदारी क्यों नहीं कर रहे। अब इस परेशानी का इलाज़ तो हमारे पास नहीं है। हमारी सरकार का नारा है। सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में रक्षा के लिए पेंशन को छोड़ कर 2,74,114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो सरकार का देश की रक्षा और सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता दर्शाता है।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट 2016 को लेन का काम किया जिसमें खरीददारी की मूल्य समीक्षा, समय सीमा की बाध्यता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ और एक बार फिर से आप का तथा सरकार का धन्यवाद करती हूँ और समर्थन करती हूँ।

* Speech was laid on the Table.

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : महोदया, आपने हमें सदन में रक्षा बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ।

किसी भी देश का अस्तित्व उस देश की आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा पर ही निर्भर होता है। मैं भारत के वित्त मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भारत की सुरक्षा को प्रथम वरीयता देते हुए 2,77,114 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लगा दिया, उनका भी ध्यान रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने 85,740 करोड़ रुपये का भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान किया है। आज पूरा देश माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना कर रहा है।

महोदया, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बाह्य सुरक्षा के साथ-साथ आन्तरिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है।

महोदया, अगर हम श्रेणीबद्ध खतरों पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर के पार का आतंकवाद, पूर्वोत्तर का आतंकवाद, कुछ राज्यों में नक्सलवाद तथा इन सबसे भयंकर खतरा आन्तरिक आतंकवाद का है। मैं पुनः रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि ये योजनाबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम व योग्य साबित हुए हैं।

अगर हम पिछले 2012 में हिंसक घटनाओं की बात करें तो यह आँकड़ा 1,025 से कम होकर 574 रह गया है तथा मारे गये सिविलियनों की संख्या 97 से घटकर 46 रह गई है।

महोदया, यशस्वी प्रधान मंत्री जी त्रिपुरा, मणिपुर आदि पूर्वोत्तर राज्यों में शान्ति बनाये रखने में सफल रहे हैं। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने एक अध्याय और जोड़ा है, वह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत लाचार और कमजोर देश नहीं है। अगर सीमा के पार से एक गोली चलेगी तो भारत के वीर सैनिक अनगिनत गोलियां चलाकर ईंट का जवाब पत्थर से देन की हिम्मत रखते हैं। आज भारत का हर नागरिक अपने को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे पड़ोसी देश अपने रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि किए जा रहे हैं, उसके अनुपात में हमारे यहां का रक्षा बजट कम है। इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

आज विश्व में बदलती परिस्थितियों को देखकर थल सेना, वायु सेना और जल सेना, सभी को मजबूत करना सरकार का कर्तव्य है। मैं पुनः देश के रक्षा मंत्री को बधाई देती हूँ कि हमारे देश की तीनों सेनाएं भारत का गौरवपूर्ण भविष्य रचने में सक्षम हैं।

महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय है कि जिस साहस और ईमानदारी के साथ देश में नोटबंदी का फैसला हमारे निर्भीक और ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया, उस ने सीमा पार से फल-फूल रहे आतंकवाद की फैक्ट्री की कमर तोड़ दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, सीमा पर सेना तो लड़ती ही है, लेकिन, जब देश पर संकट आता है, तब प्रत्येक भारतवासी सैनिक बनकर देश के हौसले को बुलन्द करता है। उसी क्रम में, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 'सेना दिवस' पर कहा था कि हम भारतीय सेना के योगदान और अमूल्य सेवाओं को सलाम करते हैं। सेना ने देश की सम्प्रभुता तथा 125 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले। हमारे सैनिकों का बलिदान देश सदैव याद रखेगा।

महोदया, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप दो मिनट में बोल सकते हैं तो बोलिए। हमारे पास समय नहीं है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, आपका जो भी आदेश होगा, हम उसी को मानेंगे, लेकिन, हमारी पार्टी के लिए पांच मिनट का समय तो होगा ही।

माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी के पास अब समय नहीं है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

राष्ट्र के सवाल पर, वतन के सवाल पर और इस चमन और बगिया के सवाल पर हम सभी एक हैं, एक रहेंगे। जो भी हमारी भूमि पर नज़र गाड़ेगा, जो हमारे झंडे को नीचे झुकाना चाहेगा, उसकी नज़र हिन्दुस्तान ने हमेशा उतारी है और उतारने का काम करेगा।

अध्यक्ष महोदया, जो शहीद होते हैं, उनके लिए हम गुनगुनाते हैं कि 'आंख में भर लो पानी।' उनको सलाम भी करते हैं। वे ही हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं और वे ही हमारे देश के रखवाले हैं। वे ही अपनी साहस और अपनी पराक्रम से हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हैं। हम जल सेना, थल सेना और वायु सेना को सलाम करते हैं, जो लहू से लथपथ होकर भी पराक्रम और वीरता के साथ दुनिया में 'जय हिन्द' के उद्घोष के साथ इस राष्ट्र को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। हम हमीद को नहीं भूल सकते, हम अन्य सैनिकों को नहीं भूल सकते। आज हमारा रक्षा बजट बढ़ना चाहिए।

हम डेलीगेशन में कश्मीर गए थे। माननीय रक्षा मंत्री जी भी गए थे, गृह मंत्री जी भी वहां गए थे। उस समय कुछ चर्चा भी हुई थी। उसका ज़िक्र हम इसमें नहीं करना चाहेंगे, लेकिन, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सैनिकों की सेवा में भी आरक्षण होना चाहिए। जो अवकाश प्राप्त सैनिक हैं, उन्हें फिर से उनके अपने राज्यों में सेवा में रखना चाहिए, ताकि उनकी सेवा हम ले सकें।

बिहार में अत्याधुनिक आयुध निर्माण कारखाना है, इसे जल्द पूरा करना चाहिए। जो पूर्व सैनिक हैं, उन्हें और उनके बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए। जहां हम तीनों सेनाओं की बहादुरी को झुक कर सलाम करते हैं, सीना तान कर उन्हें सलाम करते हैं, वहीं यह भी कहना चाहते हैं कि 'एक रैंक, एक पेंशन' की योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए और आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाया जाए।

आज जिस सीमा पर बाह्य खतरे हैं, इसके लिए देश को एलर्ट रहना चाहिए। 'अच्छे दिन' तभी आएंगे, जब हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी। अलगाववादी ताकतों के ऊपर और सीमा पार से जो हमले होते हैं, उनके ऊपर हमें मज़बूती से कार्रवाई करनी चाहिए।

सैनिकों के लिए जैकेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें खराब खाना मिलता है, उन्हें जूते, वर्दी नहीं मिलते हैं। उन्हें मज़दूर नहीं करना चाहिए। उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं मानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, आपके आदेश से हम दिनकर की एक कविता कह देते हैं -

मांगो-मांगो वरदान, धाम चारों से,
मंदिर-मस्जिद, गिरिजों-गुरुद्वारों से,
जय कहो वीर विक्रम की, शिवाबली की,
उस धर्म खड़ग ईश्वर के सिंह अली की,
जब मिले काल - जय महाकाल बोलो रे,
सत् श्री अकाल, सत् श्री अकाल बोलो रे।

समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा,
जिसका है यह न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा,
धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं,
गंगा का पथ रोक, इन्द्र के गज जो खड़े हुए हैं,
कह दो उनसे झुकें अगर तो जग में यश पाएंगे,
अड़े रहे तो ऐरावत को पत्तों की तरह बहा देंगे।

यही हमारा राष्ट्रीय गौरव है, यही अस्मिता है। हम अपने सैनिकों को सलाम करते हैं।

14.00 hours

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity.

HON. SPEAKER: You make only points.

SHRI GAURAV GOGOI : Madam, I will make only six points.

HON. SPEAKER: But within five minutes.

SHRI GAURAV GOGOI : My six points will be finished within five minutes. I guarantee you that.

The first point I would like to make is on dignity. I rise to support the spirit and courage of our Armed Forces. Our brave soldiers have triumphed whenever they have been tested, whether it is in 1947, 1965, 1971, 1999 and the countless surgical strikes that they have done. My only request to all political parties is to

remember that the Armed Forces are of the nation and they secure our boundaries. It is not for the bragging rights of any party during election season.

My second point, Madam, is on parity. Through you, I request the Government to create parity between civil, paramilitary and military officers. In the same conditions, different benefits cannot be accorded to officers belonging to different sectors. They must be looked through the lens of equality and equity. The recommendations of the Seventh Pay Commission, unfortunately, have been disappointing, especially when it comes to Hazard Allowances and promotion of ranks. How can a military officer be earning less than a civil officer while both of them are working in the same location? It sends a wrong message.

My third point is on recruitment. The Government needs to look towards Indian Armed Forces as a way of mobilizing young men and women to fulfill their duty towards our nation. Unfortunately the number of vacancies in our forces is staggering. The total number of vacancies is 73,402 in Defence Services. In the case of technical personnel, when it comes Ordnance Factories, the vacancy position is close to 48 per cent. We need to fill up these vacancies, we need to induct more women in Indian Armed Forces and we also need to make our Armed Forces more attractive. It is unfortunate that a former General says that the attractiveness of Indian Armed Forces is decreasing. We need to address this problem by establishing new Sainik Schools. The Ministry has written to me confirming their intention to start a new Sainik School in Golaghat District of Assam. I hope they start that and I hope they start even more Sainik Schools in other parts of India. When it comes to Assam, there are a lot of Air Force Squadrons which are based there. But the infrastructure in airports and air connectivity for civilians can also be improved in Tezpur and Jorhat if the Air Force and the Army share their properties.

My fourth point is on preparedness. As has been raised by our Chief Whip Shri Jyotiraditya Scindia, the number of Air Force Squadrons is definitely worrying. Today's war will be fought over the air and over the seas. Had this

Government followed the UPA Policy on Rafale fighters, our total squadron strength would have been close to 40, but now we are restricted to 35 squadrons and 90 aircrafts are pending. Where will this Government get the remaining 90 aircrafts by a new Rafale Policy? The recent fire in an Ordnance Factory is extremely worrying. We hope that the Government has undertaken a proper inquiry. I would request the Government to share the results as to why our Ordnance Factories are so much vulnerable. We hope that a similar Ordnance Factory can be established in Assam to service the Air Force Squadrons which are operating there.

My fifth point, Madam, is on rations. No Army can fight on an empty stomach. The rations given to our soldiers are woefully inadequate. Despite complaints on social media, it is worrying to see that the Budget of 2017-18 on stores and rations, instead of being increased, is being reduced.

Madam Speaker, we need to be more sensitive. If a soldier is complaining about the poor quality of food, let us not question his mental health, but instead question ourselves. If similar rations were served everyday in the Central Hall of this Parliament, what would we, as MPs, do? If we want better rations in the Central Hall, then surely, our jawans need to get even better rations than what we deserve as parliamentarians.

My last point, Madam Speaker, is on perspective. Time has come to reflect on our perspective, on our military posture. Are we going to be a large Army stuck in a defensive position, vulnerable to a policy of bleeding by thousand cuts or will we need to be more agile, more strategic, more tactical and become a modern, tactically offensive Army?

In the end, Madam Speaker, I would like to conclude by what I started with. What our Army and Armed Forces need is dignity and respect. सम्मान से बड़ी और कोई चीज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो युवा मिलिट्री फोर्स में हैं, उनको जो सम्मान देना चाहिए, हम इस बजट के द्वारा उनको दें। नए पीढ़ी को आर्मी की तरफ जागरूक करते हुए, एयरफोर्स और नेवी को

सहायता देते हुए, हम इंडिया के आर्मी को 21वीं सदी में एक मॉडर्न आर्मी बनाएं, एक मॉडर्न आर्म्ड फोर्सिस बनाएं। इसी के साथ मैं अपना भाषण यही पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Thank you. That is like a good boy. आपने समय पर अपना भाषण समाप्त किया है।

*श्री नारणभाई काछड़िया(अमरेली): वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट को पेश करते समय मा.प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने यह विशेष रूप से ध्यान रखा की पुलिस ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे पुलिसकर्मी का मनोबल तो बढे ही साथ ही देश की जनता के साथ भी पुलिस का तालमेल ठीक बैठ सके, मैं इसकी सराहना करता हूँ। इसी कार्य को करने की दिशा में इस बजट में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु अधिक निधियां मुहैया करायी गयी है निश्चित रूप से इन निधियों के प्रयोग से हमारा पुलिस बल और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि गुजरात राज्य की समुद्री सीमा अत्यंत संवेदनशील है जिसकी सुरक्षा हेतु सरकार को प्राथमिकता प्रदान करते हुए यथासंभव प्रयास करने होंगे। गुजरात राज्य में राजुला जाफराबाद के समुद्र में वहां के स्थानीय निवासी जो मछली उद्योग पर ही निर्भर करते हैं, जब वे मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट लेकर समुद्र में आते हैं तो अनेकों बार उनकी बोट बड़े-बड़े जहाजों से टकराकर नष्ट हो जाती हैं और मछुआरों की मौत भी हो जाती है। अतः मेरी मांग है की समुद्र के मध्य में यदि कोस्टगार्ड की गश्त बढ़ा दी जाये तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है और साथ ही साथ मछुआरों को उनका हक और न्याय दिलाने की प्रक्रिया में मदद हो सकती है। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ एवं मेदी के बीच समुद्री तटीय इलाका पूरी तरह से पुलिस/बी.एस.एफ की समुद्री टुकड़ी की निगरानी से वंचित है। अतः मेरा निवेदन है की समुद्री तटीय इलाके की सुरक्षा को दुरुस्त करने की दिशा में उचित प्रयास किये जाएं। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए देश में तटीय पुलिस स्टेशनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के साथ-साथ समुद्री पुलिस स्टेशनों के लिए अनुभवी पुलिस कर्मियों की भर्ती की आवश्यकता है।

* Speech was laid on the Table.

***श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा)** : हर गणतंत्र दिवस हमें देश की सैन्य शक्ति, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिलता है । सेना के अत्याधुनिक हथियार, सेनाओं की रंग-बिरंगी मनभावन टुकड़ियां और हवा पर कलाबाजी करते तिरंगे के रंग बिखरते हुए लड़ाकू विमानों को देख कर मन प्रसन्न हो जाता है । हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा करने के लिए न केवल सक्षम हैं, बल्कि दुनिया में हमारा देश एक ताकतवर सैन्य शक्ति बन गया है ।

आगामी वित्त वर्ष में कुल 356854 करोड़ रूपए का रक्षा बजट आवंटन किया गया और इसका 91 फीसदी हिस्सा यानी 328000 करोड़ तीनों सशस्त्र सेनाओं को दिया गया है। बाकी बचे नौ फीसदी हिस्से में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, आयुष कारखाना बोर्ड, सीमा सड़क संगठन तटरक्षक बल और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री जैसे अन्य संगठन शामिल है। हम भारतीय सेना के योगदान और अमूल्य सेवाओं को सलामी देते हैं । सेना देश की संप्रभुता तथा 125 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डालते हैं।

* Speech was laid on the Table.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : थैंक्यू मैडम। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अंदर रक्षा क्षेत्र में 53.5 बिलियन डॉलर का प्रावधान किया है। दुनिया के सारे देशों का जो रक्षा बजट है, वह दो हजार बिलियन डॉलर के करीब है। देश की रक्षा जरूरतों को समझते हुए, पिछले तीन वर्षों में भारत माता के लाल, जननायक श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विदेशों की जितनी भी यात्राएं की हैं। हिन्दुस्तान की रक्षा सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने पग उठाए हैं, फिर चाहे वह राफेल का समझौता हो, पनडुब्बियों का समझौता हो, देश के अंदर आसल्ट राइफल की बात हो, जवानों के जैकेट्स की बात हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, फाइटर हो, वारशिप्स हो, उन सब के अंदर बढ़-चढ़ कर एक नीति बनाने का कदम उठाया है।

महोदया, मैं अंबाला लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे यहां दो कैंटोन्मेंट बोर्ड हैं। वर्ष 1962, 1965 और 1971 अभी तक देश के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं, वे मेरे इस अंबाला कैंटोन्मेंट क्षेत्र को, चाहे वह चीन हो, पाकिस्तान हो, सब ने निशाना बनाया है। मैं एस.डी. कॉलेज, अंबाला छावनी में प्री-यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। वर्ष 1971 की लड़ाई में जब हमारे एयरबेस को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया, हमारे रेलवे सिस्टम को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया। उन सब बातों को देखते हुए आज जो नीति बनाई जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक उसी का परिणाम है।

अभी मैंने बहुत से अपने विपक्ष के साथियों को सुना है। सब ने भोजन के बारे में बात की है। मैं अभी लेह-लद्दाख गया था और डी.आर.डी.ओ. की एक बैठक की थी। वर्ष 1962 में जो चीन की लड़ाई हुई, उसमें हार के अनेक कारण थे। जंबाज सैनिकों को समय पर भोजन न मिलना और उस पहाड़ी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न होना, एक बहुत बड़ी कमी थी। आज हमारे डी.आर.डी.ओ. ने दिन-रात परिश्रम करके वहां पर यह स्थिति बनाई है कि 45 पर्सेंट से लेकर 55 पर्सेंट तक हमारे देश के सैनिकों की जो जरूरत हैं, वह आज वहां पर लोकली तैयार कर रहे हैं। यह हमारे रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

बहुत से साथियों ने कहा कि यह बजट एप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें पूरे संसाधन नहीं हैं। माननीय मंत्री जेटली जी ने इंटरवीन करते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा से ऊपर हमारे लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है कि

“तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित,
सोचता हूं मां तुझे कुछ और भी दूँ।”

देश की सैनिक आवश्यकताओं के लिए जितना भी धन चाहिए, हमारी सरकार उसको उपलब्ध कराने में सक्षम है।

माननीय अध्यक्ष : पांच मिनट हो गए, आप कांक्लूड करिए। आप अपना आखिरी प्वाइंट ले लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया : मैं अंत में यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक एचएमटी की यूनिट बंद हुई है। वहां 1 हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है। हम मेक इन इंडिया की स्कीम ले रहे हैं, मेरे ही लोक सभा क्षेत्र अंबाला छावनी से, अग्नि जो अभी डेवलप हुई है, उसमें भी हमारे शहर के लोगों का योगदान है और मिलेट्री के बहुत से उपकरण बनाने में हमारे लोक सभा क्षेत्र का योगदान है। एचएमटी की जो 1 हजार एकड़ जमीन पड़ी है, जबकि आज जमीन का मिलना कितना कठिन है, इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि भारत सरकार उस एचएमटी की 1 हजार एकड़ जमीन में कोई डिफेंस का कारखाना लगाये, कोई उपकरण का कारखाना लगाये, ताकि देश की सैन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। धन्यवाद।

***श्रीमती रीती पाठक (सीधी):** मैं प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सरकार ने योजनाबद्ध और कुशल तरीके से सेनाओं को आधुनिक बनाने पर बल दिया है और बजट में प्रावधान किया है, जिससे कि देश की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो।

देश की सुरक्षा में सुरक्षा बलों का बहुत ही असाधारण योगदान आजादी से अब तक रहा है। देश ने अपनी रक्षार्थ अपने पड़ोसी देशों से लगातार संघर्ष किया जिसके कारण आज हमारे देश में सुरक्षा बलों पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारे रक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

सरकार ने रक्षा बजट में वृद्धि करके यह दर्शाया है कि वह किसी भी कीमत पर भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। वर्षों पुरानी रक्षा बलों की मांग को स्वीकार करते हुए रक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है जबकि पिछली सरकारों ने आज तक इस मामले में सिर्फ हमारे सैनिकों को आश्वासन ही दिया था। जबकि वर्तमान सरकार ने सैनिकों को सम्मान देने के लिए "वन-रैंक-वन-पेंशन" की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए सुरक्षा बलों के मनोबल को उँचा करने का प्रयास किया है।

आज के आधुनिक युग में मिसाइलों का अत्यंत महत्व है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तथा हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों पर काफी तरक्की की है। पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, नाग, आकाश, त्रिशूल इत्यादि प्रमुख हैं और सरकार लगातार इन पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए हुए है। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की जा रही है। इसी प्रकार वायु सेना में लड़ाकू विमानों की आपूर्ति एवं नौसेना में जंगी जलपोतों के बेड़े को भी शामिल किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बन गया है। सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी कार्य सराहनीय है।

एक ओर पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन। आतंकवाद , परमाणु हथियार, प्राकृतिक आपदाएं होने के बावजूद भी हमारी भारतीय सेना के सैनिक सीमाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं और सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। भारतीय सेना सच्चे समर्पण और देशभक्ति की भावना से काम करती है। देश में शांति और स्थिरता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज देश के कई भागों से लगातार चुनौतियाँ मिलती रहती हैं जिसका सेना द्वारा लगातार वीरता से सामना किया जाता है।

सेना हमें बाहरी आक्रमण से ही नहीं बचाती बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे उत्तराखंड की बाढ़, कश्मीर में भूकंप और बाढ़, लद्दाख में मूसलाधार बारिश के दौरान भारतीय सेना की भूमिका प्रशंसा योग्य है।

* Speech was laid on the Table.

देश में लगातार सीमा पर अतिक्रमण से बचाने और आंतरिक अनुशासन का बनाए रखने में भी सेना का योगदान सराहनीय है। भारतीय सेना अनुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वे बहुत ही सख्त नियमों का पालन करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं।

***SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR):** The Hon'ble Finance Minister had allocated Rs. 3,59,854 crore to the Ministry of Defence. For Defence expenditure, excluding pensions, that he had provided a sum of Rs. 2,74,114 crores including Rs. 86,488 crore for modernization -- up from last year's Rs. 2.58 lakh crore. There is a fear in the minds of the common people that a modest 6% hike in allocation shows that the defence spending remains a low priority area for the government. This might hurt the military's modernization plans.

Among the defence services, the Indian Army with a budget of Rs. 1,49,369 crore accounts for the biggest share in the defence budget, followed by the Air Force, Navy, Defence Research and Development Organization (DRDO) and Ordnance Factories. The lion's share for the Army is primarily because of its overwhelming numerical superiority over the sister services.

For modernization and the capital procurement budget of the three forces, the overall allocation in the 2017-18 budget has declined, although marginally, over the previous allocation. Among the three forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets. The increase in the Air Force's budget is in view of its signing several mega contracts, including for the Rafale fighters, and Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

Our beloved leader Puratchi Thalaivi AMMA had constantly advocated for better focus and more allocation for Defence. There is a need to increase our attention on the Southern India. There is an urgent need to focus little more on the possible threats emanating from the southern coast of Bay of Bengal. The frequent attacks and killing of Indian fishermen by Srilankan Navy has to be treated as an unfriendly aggression. If we are silent and unmoved for some more time, there is a possibility that the tiny nation like Sri Lanka can take Indian Military for granted which could easily be exploited by our enemies. I urge the

* Speech was laid on the Table

Government to take a serious note on the fishermen issue in the south Indian coasts which require an authoritative, “nip in the bud” action from Indian Defence forces.

The Ministry has informed that the procurement of defence equipment is being undertaken based on threat perceptions, operational challenges and technological changes to keep the Armed Forces in a state of readiness to meet the entire spectrum of security challenges. It is good to note that the Government is keen in pursuing initiatives to achieve higher levels of indigenization and self-reliance in the defence sector by harnessing the capabilities of the public and private sector industries in the country.

These measures include according priority and preference to procurement from Indian vendors and liberalization of the licensing regime. During the last two years and current year, 92 contracts involving Rs. 83,544.22 crore have been signed with Indian vendors for procurement of various equipment including aircraft, helicopters, missiles, frigates and radars.

Regarding procurement from foreign countries, during the last two years and in the current year, 55 contracts have been signed with foreign vendors including those from USA, Russia, Israel, France and UK for capital procurement of defence equipment such as rockets, radars, artillery gun, helicopters, aircraft, missiles, ammunition and simulators.

Defence Research and Development Organisation (DRDO), an R&D wing of Ministry of Defence, is primarily involved in design and development of strategic, complex and security sensitive systems in the fields of missiles, unmanned aerial vehicles, radars, electronic warfare systems, sonars, combat vehicles, combat aircraft, sensors, etc. for the Armed Forces as per their specific Qualitative Requirements. Over the past five decades, DRDO has developed/upgraded a number of systems/products/technologies, a large number of which have already been in production. Value of systems developed/upgraded by DRDO and inducted into the Services or in the process of induction stands over Rs. 2.50

lakh crore. The present manpower strength of DRDO is based on authorized strength sanctioned by the Government. Being a Mission Mode Organisation, DRDO follows a dynamic system of manpower planning. Authorized Regular Establishment (RE) is reviewed periodically to meet the contingent requirements on account of workload and new projects undertaken by the laboratories of DRDO. The Organization optimally utilizes manpower through dynamic manpower management system. Present strength of DRDO manpower in various cadres needs a qualitative and quantitative increase.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Madam Speaker.

Madam, three years back, this Government has started on a very promising note. We have seen, for the first time in the history of India, the hon. Prime Minister was assuming Office in the presence of Leaders of our immediate neighbourhood. It was a very commendable way, both from the strategic and Foreign Policy angle, for a Government to have started functioning and giving out a strong message that we value our friendship with our neighbours. The swearing in ceremony of the Prime Minister and the new Government reiterated the consistent Foreign Policy of India that we are friendly and peace loving country in the word and we have no aggressive intentions against anyone. That was a strong message we sent three years back. What has happened actually?

Since then, in spite of a good beginning, it is a matter of concern for the whole country now. Is our country safer than the condition that this Government has inherited three years back? That is the pertinent question which is to be answered by the Government. Unfortunately, the former Defence Minister, who has gone to Goa, is not here to answer these questions. There also an indication is being given that the political consideration will take precedence over the vital national interest.

The biggest claim of this Government, during its three years of Office, is surgical strike of 29th September, 2016. This Government is politically taking advantage of the surgical strike of 29th September, 2016 which is now touted to be the greatest ever event in our country's military history which was carried out by the brave Indian Army. We are proud to say that even in the past our Armed Forces have successfully conducted surgical strikes on numerous occasions, particularly, on 1st September, 2011, 28th July, 2013 and 14th January, 2014.

Madam, in its maturity, wisdom and in the interest of national security, the UPA Government had never politicized the brave military action just for political gains. That is the difference between the UPA and the NDA in dealing with the military actions. After the claim made by this Government, my colleague Mr.

Jyotiraditya Scindia has explained in detail as to what is the aftermath of this incident? Therefore, I am not going into the details.

Now, I am coming to the Budget proposals, that is, the fiscal position of the Defence, that has to be discussed in two ways. The first one is in the light of possible impact of modernization of Armed Forces and the second one is in the operational preparedness of the Armed Forces.

Madam, kindly see the fiscal outlay. The fiscal outlay in 2016-17, compared with 2017-18, there is 0.96 per cent increase in 2016-17 and 5.34 per cent increase in 2017-18. I do accept it and appreciate it. But, when compared to the GDP, in 2016-17, it was 1.65 per cent of the GDP, but in 2017-18, it is 1.56 per cent of the GDP. That means the share of Defence budget in terms of GDP is declining which is a matter of concern.

My next point is regarding budget outlay for the modernisation of the Armed Forces. Except Air Force, both in Navy and in Army, modernisation fund has not been spent or has not been utilised. Also, kindly see the percentage of decline. In Army it is (-) 6.4 per cent; in Navy it is (-) 12.1 per cent. There is underutilisation. It is a grave concern. Steady modernisation of Armed Forces is a prerequisite for building up a strong military capability. Kindly see, the revenue expenditure is increasing. Last year, in 2016-17, the revenue expenditure increased by Rs. 6000 crore. But, at the same time, the capital expenditure is declining like anything. I am not going through the statistics because of paucity of time. So, my submission is, this matter has to be taken very seriously. The threats and challenges to the nation are increasing. Therefore, operational preparedness has to be strengthened.

Also I would like to remind the Government, our first defence against our enemies has to be built in the hearts and minds of multitudes of our people. If we do anything to weaken the emotional integration of our people, from within, our country can never be secured against any external enemies. They will see opportunity to stash in our internal desertions. So, let us unite beyond caste,

religion, region and language for the prosperity of our country and to protect the country from all sources of external aggression. Thank you very much, Madam.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you, Madam for letting me to speak on the Demands of Grants relating to the Ministry of Defence. While saluting our brave soldiers, those who are in service and those who served the nation with the willingness to sacrifice their lives for our security I also share the concerns expressed by the previous speakers in the higher quantum of Defence procurement through import, growing dissatisfaction rather discontent among the Defence personnel, so called, insubordination arising out of frustration due to many reasons among our Defence personnel.

I will confine myself to the welfare aspects of the ex-service personnel as regards their healthcare amenities. ECHS is very much available for our Defence ex-service personnel. But the facility is not that much adequate to meet their requirements. There is only one polyclinic in my constituency. The ground reality is that medicines are not available there. The poor ex-service personnel and their dependents resort to other methods to cater to their medical needs.

As regards the hospitals that are authorized by the ECHS, there is undue delay in making payments to them of the cashless treatment facilities availed by the ex-servicemen. The hospitals are not ready to give cashless treatment to the ex-servicemen specially the hospitals situated in the rural areas and far remote areas also.

Another issue regarding the ex-service personnel is the loan facilities available to them. Prasanthi is the Scheme available for the ex-service personnel but the interest rate charged is more than 14 per cent which is more than the lending rate of commercial banks and even agriculture sector. The Defence personnel are charged more. This is a grave concern. I urge upon the Minister, through you Madam, this should also be taken care of.

My last issue is regarding the ration of the ex-service personnel. As we know the ration is being given through the canteens established in various parts of the country. There are a large number of Defence personnel, ex-service personnel from remote area in Idukki district but there is no canteen facility available for the

ex-service personnel. I urge upon the Minister, through you, Madam – this is a long-pending demand of all the ex-service personnel from my constituency – a canteen facility may be provided in Idukki district in Kerala. With these words, I conclude. Thank you, Madam.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तीन बार युद्ध हुआ है। चाइना के साथ भी हमारा युद्ध हुआ है। इस लिहाज से देखें, तो हमारे देश पर एक्सटर्नल अटैक का बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ-साथ आतंकी क्रास बार्डर टेरोरिज्म के कारण भी देश पर हमले हो रहे हैं। हमें इसमें बहुत सक्षम रहने की जरूरत है। मैं डिफेंस मिनिस्टर का बहुत आभारी हूँ कि इस बार तकरीबन पौने तीन लाख करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया है। इस बजट में 10 परसेंट इंश्योरेंस को शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है।

जब से हमारी सरकार बनी है, तब से विदेशों में हमारे प्रधान मंत्री जी की छवि बहुत अच्छी बनी है। हमारे देश का सम्मान विदेश में भी होता है। आज पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है। इस कारण पाकिस्तान और चाइना के पेट में दर्द उठता है, इसलिए हमारे प्रति उनका रवैया कठोर होता है। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ कि करीबन 93 हजार करोड़ रुपये सैन्य के आधुनिकीकरण, गोला बारूद और एडवांस मैकेनिज्म के लिए आबंटित किया गया है। इससे सेना के मोरल में बहुत बढ़ोत्तरी होगी।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, तो हमारी सरकार ने निर्णय लेकर पीओके में पांच आतंकी कैम्पों पर हमला किया। इसके लिए मैं अपनी सेना को सलाम करता हूँ। सेना ने पूरे विश्व में अपने नाम को आगे बढ़ाया है। हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से बयानबाजी की गयी, उससे सेना का मनोबल गिरता है। हमें इस बयानबाजी से बचना चाहिए।

जहां तक ओआरओपी का सवाल है, तो इस सरकार ने सैनिकों के लिए निर्णय लिया है, वह बहुत प्रशंसनीय है। मैं समझता हूँ कि इतने साल होने और बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होते हुए हमारी सरकार ने ओआरओपी का फैसला लिया है। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देता हूँ। मैं डिफेंस की अनुदान मांगों का सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

***श्रीमती जयश्रीवेन पटेल(मेहसाणा):** भारत एक उपखंडीय विशाल देश है। जिसमें 5700 किलोमीटर की दरियाई सीमा है। भारत पाकिस्तान, चीन, म्यानमार, बांग्लादेश, रशिया की सरहदों से जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी जनसंख्या 16 प्रतिशत वाला और दुनिया का 2.4 प्रतिशत भौगोलिक प्रदेश वाला देश है।

सदियों से भारत पर परदेसियों ने हमला करके गुलाम बनाया था। लेकिन भारत ने आज तक किसी भी परदेस पर हमला नहीं किया है। क्योंकि हमारी संस्कृति में कोई बदले की भावना नहीं है। जियो और जीने दो की समरस संस्कृति की भावना है।

भारत का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाओं और चुनौतियों का एक जटिल ताना-बाना है। भारत की सामरिक अवस्थिति और इसके बढ़ते हुए वैश्विक संबंध के कारण कई प्रकार के ऐसे मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को निरापद रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि मित्र बदले जाते हैं पड़ोसी बदले नहीं जाते।

निकटतम पड़ोसी देशों और आगे के भूभाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और जल-चल से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए तैयारी को बढ़ाने की जरूरत हमेशा उच्च प्राथमिकता रही है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रक्षा भागीदारी बनाने के नए और सफल प्रयास भी किए गए हैं। भारत समानता, पारस्परिक लाभ और आपसी सम्मान के आधार पर अपने सभी पड़ोसी भागीदारों के साथ सुरक्षा सहयोग निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हिन्द महासागर क्षेत्र भारत के विकास और सुरक्षा का केन्द्र बिन्दु रहा है। वह हमारे लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा देश अपने निकट पड़ोस से आगे और हिन्द महासागर क्षेत्र के घटनाक्रमों से प्रभावित होता है। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और एशिया प्रशांत के घटनाक्रमों का भारत के हितों पर सीधा असर पड़ता है। इन घटनाक्रमों के चलते कई परिवर्तन किए गए लेकिन ये परिवर्तन बढ़ती अस्थिरता और अर्थव्यवस्था के लिए घातक बने हैं। वैश्वीकरण के अन्तर संबंध और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ती हुई अन्तरनिर्भरता भी काफी महत्वपूर्ण हैं।

पश्चिम हिन्द महासागर में समुद्री डकैती का खतरा कम हो गया है लेकिन गिनी की खाड़ी में यह समस्या पुनः उत्पन्न हुई है जिससे समुद्री यात्रा करने वाले अनेक भारतीय प्रभावित हुए हैं।

* Speech was laid on the Table.

यद्यपि 20वीं शताब्दी की तुलना में पूर्ण स्तरीय परंपरागत युद्धों में कमी आई है। परन्तु कुछ राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों को अस्थिर करने के प्रयास के तौर पर चलाए जा रहे छद्म युद्ध सहित नए खतरों और विवाद के कारकों ने सुरक्षा के जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य सृजित किए हैं वे और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हैं।

आतंकवाद और आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ शांति और सुरक्षा के लिए संभवतः सबसे गंभीर खतरे हैं। द्वेषपूर्ण आतंकवादी समूहों के बनने के बावजूद भारत के पड़ोस में अफ-पाक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अधिकेन्द्र बना हुआ है। भारत के पड़ोस से पनपने वाले आतंकवाद के खतरे और उनके अन्तर्राष्ट्रीय संबंध जिसके जरिए ऐसे समूह फल-फूल रहें, हमेशा से चिंता के विषय रहें हैं।

उत्तरी कोरिया द्वारा किए गए और आणविक एवं मिसाइल परीक्षणों से कोरियाई उपमहाद्वीप की स्थिति तनाव भरी रहती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता बने रहने में ही भारत का सामरिक हित और आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ निहित है। ईरान में आए बदलाव से भारत और मध्य एशिया के बीच क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने के नए रास्ते खुले हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे। इस क्षेत्र के आर्थिक तथा सुरक्षा आकलन में इरान महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

आंतरिक सुरक्षा-की चुनौतियों को मोटे तौर पर चार खतरों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है जम्मू और कश्मीर में सीमापार से आतंकवाद, पूर्वोत्तर में आतंकवाद, कुछ राज्यों में वामपंथी अनीतिवाद तथा आंतरिक इलाकों में आतंकवाद। सरकार इन खतरों से निपटने के लिए योजना बद्ध तथा कठोर कदम उठा रही है और इसके परिणामस्वरूप देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मैं इसकी सराहना करती हूँ।

हमारी सेनाएँ देश की सुरक्षा करने के लिए न केवल सक्षम हैं, बल्कि दुनिया में हमारा देश ताकतवर सैन्य शक्ति बन गया है। अनूप चेंनिया, प्रमुख युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नेता को नवंबर 2015 को भारत वापिस भेजना एक उत्साहवर्धक कदम है जो भारत सरकार और उल्फा नेताओं के बीच सफल शांति वार्तालाप में सहायक बनेगा।

सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बजट में वित्त मंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय को 2,74,114 करोड़ का आवंटन किया है। पिछली बार यह 2.58 लाख करोड़ रूपए था। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के लिए 85,740 करोड़ रूपये अलग से आवंटित हुए हैं। इस बार 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं इसकी सराहना करती हूँ।

इस बजट में एक बड़ा हिस्सा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए रखा जाता है। पिछली बार इस मद में 78,588 करोड़ रूपए रखे गए थे। इस बार यह राशि 88,486 करोड़ रखी गई है।

पिछले तीन सालों में रक्षा बजट में औसत 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई पिछली बार यह बढ़ोतरी 10 प्रतिशत से कम थी। रक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2011-12 में 1.64 लाख करोड़, 2012-13 में 1.78 लाख करोड़, 2013-14 में दो लाख करोड़ और 2014-15 में 2.20 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में था। वर्ष 2015-16 में रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रूपए का था जो वर्ष 2016-17 में 9.3 प्रतिशत के साथ 2.56 लाख करोड़ रूपए का हो गया इसमें रक्षा का पूँजी व्यय 2015-16 के 94,588 करोड़ रूपये की तुलना में घटकर 86,340 करोड़ रूपए रह गया।

रक्षा बजट के पूँजी व्यय पर ही सैन्य तैयारियां निर्भर करती हैं। सैन्य विशेषज्ञ के अनुसार अरसे से सेना को बुनियादी हथियारों समेत लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ, एयर डिफेंस सिस्टमस और हेलिकॉप्टर आदि की महती आवश्यकता है। सितंबर 2016 की इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर सैन्य विशेषज्ञ जिनमें रिटायर सेना के अफसर भी हैं उनका कहना है कि सेना को असॉल्ट राइफल, कार्बाइन, आर्टिलरी जैसे बेसिक सैन्य सामानों की जरूरत है इसके साथ ही एयर डिफेंस गन और एंटी मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों और उपकरणों की भारी जरूरत है। इसके उपर वर्तमान परिस्थिति के तहत हमें गौर करना चाहिए।

1980 के दशक में बोफोर्स घोटाले के बाद नई जनरेशन की आर्टिलरी गन की खरीद नहीं हो पायी है इसके लिए दो एक्विजिशन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें पाकिस्तान की नापाक हरकतों के तहत इसमें त्वरिता लायी जाए।

असल में हथियार खरीद की कुल प्रक्रिया काफी लंबी और दुखद है। हथियारों का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों की भी भारी कमी है। फाइलें सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, विशेषज्ञ समितियों और वित्त मंत्रालय के बीच चक्कर और धूल खाती रहती है। लेकिन अब हमारी सरकार ने हथियारों की खरीद को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कई कोशिशें की हैं और परिणाम लक्षी प्रयास भी किए हैं।

पिछले 20-25 सालों से चीन अपने रक्षा बजट को बहुत समझदारी और योजनाबद्ध तरीके से खर्च कर रहा है आज उसका सैन्य औद्योगिक आधार बहुत बड़ा है। हमें भी सरहदी सुरक्षा और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के तहत इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे देश में सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है और आने वाले दिनों में वह राष्ट्रीय शक्ति की एक मजबूत और अहम माध्यम के रूप में पहचान बनाए रखेगी। हम सेना के मनोबल को ऊँचा रखने के तहत हर साल सेना दिन मनाया करते हैं। सेना देश की संप्रभुता तथा 133 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डालती है। हमारे सैनिकों का बलिदान सदैव हमें याद रहेगा।

हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए सेना का सामना दुनिया में सबसे दुर्गम क्षेत्र सियाचिन जैसे क्षेत्रों से होता है, जहाँ माइनस 40 डिग्री तापमान रहता है वहाँ भी हमारे बहादुर सैनिक हनुमनथप्पा कोपड़ जैसे जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें उस पर गर्व है।

सेना में अफसरों की कमी को दूर करने के लिए नया फार्मूला अपनाया जाएगा। इसमें कम अवधि के लिए ज्यादा अफसर नियुक्त किए जायेंगे। यह उचित कदम है। इससे अफसरों की कमी को जल्दी ही दूर किया जा सकेगा।

सीबीएससी बोर्ड को सरकार ने दरखास्त की है कि शैक्षिक वर्ष 2017-18 से देश के प्रत्येक हाई स्कूल के विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तुत करके लगभग उसको कम्पलसरी सब्जेक्ट जैसा दर्जा दिया जाए। यह सरकार की अच्छी सोच है।

1948 में एनसीसी की देश में स्थापना हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के छोटे सहायक एकक के रूप में काम करने का था। 1965 और 1971 के दर्मियान भारत पाक युद्ध के समय एनसीसी कैंडिड को संरक्षण की दूसरी लाइन रखा गया था।

एनसीसी कैंडिड को राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरी की भर्ती में अग्रता दी जाती है। सी सर्टिफिकेट पास कैंडिड को इंडियन मिलिट्री में 46 बैठकों का आरक्षण है। इसी तरह शॉर्ट सर्विस कमिशन में सीडीएस की रिटन एग्जाम नहीं देनी पड़ती है। सेना के तीनों दलों में तथा अर्द्ध लश्करी दलों में एनसीसी का प्रमाण पत्र लेने वालों को अलग-अलग रियायतों का लाभ मिलता है। भारतीय नौका दल के प्रत्येक कैरिकुलम में 6 प्रतिशत और भारतीय वायु सेना के हरेक एडमिशन में 10 प्रतिशत रियायतें दी जाती हैं। मैं इसकी सराहना करती हूँ। प्रदेशों में सैनिक स्कूलों की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए।

पिछले दिनों में नोटबंदी के तहत एनसीसी के 12 हजार कैंडिडों ने देशभर की भिन्न-भिन्न 1700 बैंकों में सेवा कार्य करके निरक्षर, बीमार, बुजुर्ग नागरिकों की निस्वार्थ सेवा की थी। उसके लिए मैं सभी कैंडिडों और मंत्रालय का धन्यवाद करती हूँ।

रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को जल्दी दूर करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। यह सराहनीय कदम है। इससे सभी सेवा निवृत्त सैनिकों को लाभ होगा।

हमारे रक्षा बल देश को बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखते हैं। उनके लिए एक केंद्रीकृत रक्षा प्रणाली विकसित की गई है जिसके जरिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और केंद्रीकृत रूप से भुगतान किया जाएगा। यह सराहनीय कदम है। इससे रक्षा पेंशनरों की शिकायतें कम होंगी।

सैनिकों की सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उनकी योग्यता को देखते हुए पुलिस या अन्य कार्यों में काम देने से उनको भी निवृत्ति के बाद काम मिल जाएगा और देश को उनकी सेवा।

आतंकवादी संगठन आईएसआई प्रेरित कानपुर और भोपाल में रेल हादसे करने वाले आतंकवादियों की जड़ों तक पहुँचकर उनको नेस्तनाबूद किया है। यह सराहनीय है।

आतंकवादी सैफुल्लाह के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसके पिता ने उसका शव लेने से इंकार किया कि वो एक आतंकवादी था। मैं ऐसे पिता को जो देश को समर्पित हैं सेल्यूट करती हूँ।

म्यांमार में जाकर आतंकवादियों को अपने ही देश में घुसकर जो करारा जवाब दिया है और उनके सभी कैम्पो को नेस्तनाबूद किया है उससे हम सभी भारतवासियों को गर्व है। ईस्ट एक्ट के तहत देश के पूर्वोत्तर में मोदी सरकार ने सुरक्षा की जो भरपूर पहल की है मैं उसके लिए सरकार को बधाई देती हूँ।

पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी घटनाओं के बाद मंहतोड़ जवाब देने वाली सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी सेना ने अपना दम दिखाया है और जनता का प्रेम हासिल किया है। इस जीत के लिए मैं अपने सभी सैनिक भाइयों को हार्दिक बधाई देती हूँ।

एयरफोर्स में महिलाओं की भर्ती से तथा उनके कारनामों से महिलाओं ने आज वहाँ भी अपना दमखम दिखा कर अपने लिए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का जो अवसर दिया गया है। उसके लिए मैं उन सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ।

मेरे कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं:-

मिलिट्री के 29 बंद फार्म को खेती से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

इन बंद मिलिट्री फार्म में सॉयल हेल्थ टेस्टिंग सेंटर खोलने चाहिए।

इनमें ऑर्गेनिक खेती का हब बनाना, कृषि शोध केन्द्र, कृषि भंडारगृह बनाने चाहिए।

भारत में रक्षा खरीद देशी की बीमारी से ग्रस्त है इसे दूर किया जाना चाहिए।

सेवा निवृत्त सैनिकों को सेवा के बाद कोई काम मिल सके उसके साधन जुटाने चाहिए।

राज्यों के प्रशासन में पूर्व सैनिक मंत्रालय/विभाग बनाया जाए।

सैन्य सेवा में आरक्षण दिया जाना चाहिए।

सेना के तीनों दलों में एनसीसी को देशभर के हाई स्कूलों में बढ़ावा दिया जाए ताकि इनके स्टूडेंट ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम से विद्यार्थी कैंडिडेटों को ज्यूटी, डिप्लोमा और नेशनलिटी के सर्वोत्तम पाठ सीखने को मिले।

हमें सेना और विदेश नीति को परस्पर पूरक बनाने तथा उसका विस्तार करने पर जोर देना चाहिए।

सुईगाम-गुजरात में भी बाघा बोर्डर जैसा सीमा दर्शन करवा कर लोगों के दिलों में तथा सुरक्षा बलों, सेना और राष्ट्रवाद में एक प्रकार का मेल मिलाप बढ़ाया है। ऐसी प्रक्रिया देश के सभी सरहदी राज्यों में कार्यान्वित करनी चाहिए।

अतः मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की माँग का समर्थन करती हूँ।

* श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं कहना चाहता हूँ कि जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से पहले दिन से हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। नरेन्द्र मोदी जी ने साफ संकेत दिए कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विदेशों से भी अच्छे संबंध बनाए हैं और नए-नए आधुनिक हथियार हमारे सैनिक फौजों के लिए खरीदने का काम शुरू किया है और अपने देश में बनाने का काम भी शुरू किया है। सैनिकों का मान-सम्मान करते हुए वर्षों पुरानी पूर्व सैनिकों की माँग 'वन रैंक-वन पेंशन' को भी हिम्मत के साथ पूरा किया। जिससे सेवानिवृत्त सैनिक व उनके परिवार के लोग मोदी सरकार से खुश हैं।

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने के कार्यक्रम उसकी धरती पर हमेशा चलते रहते हैं। वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम तेजी से चलता है। पिछले दिनों ट्रेनिंग कैम्पों में ट्रेनिंग लेने के बाद जब आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसकर सैनिकों पर हमला किया और हमारे जवान शहीद हुए तो इस घटना की पूरे देश में निन्दा की गई और पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की गई।

नरेन्द्र मोदी जी के आदेशनुसार हमारी फौज के सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर वहाँ चल रहे ट्रेनिंग कैम्पों को ध्वस्त कर दिया और कई आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत कमजोर देश नहीं है। इसके साथ ही शहीद परिवारों के साथ-साथ पूरे देश को सुकून मिला।

हमें आज देश की फौज पर नाज़ और गर्व है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि आतंकवादियों को कश्मीर में पनाह न मिले। आतंकवादियों का सहयोग करने वालों को भी आतंकवादी ही समझा जाए और सैनिकों को कार्यवाही करने की पूरी छूट हो।

सैनिक भारत-पाक सीमा पर रात को जागकर देश की रक्षा करते हैं और तब जाकर देश चैन की नींद सोता है। हमें सैनिक और उसके परिवार का ध्यान रखना होगा।

* Speech was laid on the Table.

***SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI):** While presenting the Union Budget 2017-18 on February 01, 2017, the Hon'ble Finance Minister had allocated Rs. 3,59,854 crore to the Ministry of Defence. As in his previous budget, the FM also made certain changes in the format of the defence Demands for Grants, bringing further complexity to the task of estimating the various heads that make up India's official defence budget. The bigger question that faces the defence community is whether the latest allocation is adequate to meet the security needs of the country.

The Hon'ble Finance Minister had stated that in the Defence expenditure, excluding pensions, he had provided a sum of Rs. 2,74,114 crore including Rs. 86,488 crore for modernization - up from last year's Rs. 2.58 lakh crore. The allocation on defence spending which increased by just 6% might hurt the military's modernization plans, crucial to keeping up with China's expanding might. The meager hike is unlikely to meet the impact of inflation, depreciation of the rupee and the imposition of customs duty on military imports from last year.

The Government has taken initiatives to strengthen coastal security. National Committee on Strengthening Maritime and Coastal Security (NCSMCS) under the Chairmanship of Cabinet Secretary monitors the progress in respect of coastal security initiatives, any shortfall encountered, and decides on measures to plug the gaps. The Committee meets at least twice a year. The 14th meeting of the NCSMCS was held recently on 24th November 2016. A coastal security ring all along our coast is provided by Indian Navy, Indian Coast Guard and Marine Police. Other measures include improving surveillance mechanism, enhanced patrolling and joint operational exercises conducted on regular basis among Indian Navy, Indian Coast Guard, Coastal Police, Customs and others. Further, continuous review and monitoring mechanisms have been established by the Government at different levels. This is a welcome decision.

* Speech was laid on the Table

For modernization and the capital procurement budget of the three forces, the overall allocation in the 2017-18 budget has declined, although marginally, over the previous allocation. Among the three forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased whereas both the Army and Navy have witnessed a decline in their respective budgets. The increase in the Air Force's budget is in view of its signing several mega contracts, including deal for the Rafale fighters, and Apache attack and Chinook heavy lift helicopters.

As per the Inter-Governmental Agreement signed on 23rd September, 2016 with the Government of France for procurement of 36 Rafale Aircraft, the scheduled delivery of these aircraft is from September, 2019 to April, 2022. There has been no change in the delivery schedule. I welcome this landmark decision by the Government.

The frequent accident happening is a matter of great concern. The major reasons for accidents of Cheetah helicopters include operational hazards, weather conditions, human error and technical defects. In the last 3 years since 2013-14 and the current year, there have been 4 accidents involving Cheetah helicopters, in which there were 7 fatalities. I urge the Government to take necessary steps to stop such mishaps completely.

There is an urgent need to focus little more on the possible threats emanating from the southern coast of Bay of Bengal. The frequent attacks and killing of Indian fishermen by Srilankan Navy has to be treated as an unfriendly aggression. If we are silent and unmoved for some more time, then there is a possibility that the tiny nation like Sri Lanka can take Indian Military for granted which could easily exploited by our enemies. I urge the Government to take a serious note on the fishermen issue in the south Indian coasts which require an authoritative, "nip in the bud" action from Indian Defence forces.

India need to take serious note on the frequent aggressions made in the Northern side, by our diplomatically friendly neighbours both Pakistan and China. The long border line between these two countries with our country needs an extra

vigilant 24/7 security and surveillance and ever ready preparedness through all seasons round the year. This is really a herculean task and we all must show our sincere gratitude and indebtedness to the brave soldiers, who toil in such hostile environment to save our country and make the people of our country to live in peace.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे डिफेंस की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब 12 प्रतिशत डिफेंस के विकास और बजट के खर्च की बात है, हम चाहेंगे कि सब्सिडी और राजनीतिक ताम-झाम और चुनाव पर कटौती करके डिफेंस में बजट को बढ़ाया जाये और सब्सिडी को कम किया जाये।

मेरा दूसरा आग्रह है कि आजादी से पहले हमारे पास 32 आर्डिनैस फैक्टरीज थीं, लेकिन आज हम किस स्थिति में हैं? पहले अमेरिका का प्लेन सर्विसिंग के लिए भारत आता था। चाइना आज कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करता, जबकि पहले वह सब कुछ इम्पोर्ट करता था। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार निश्चित रूप से देश के प्रति गंभीर है। दुनिया के एक तिहाई वैज्ञानिक हमारे देश में हैं, लेकिन हम अभी तक आयात पर निर्भर हैं। यदि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हो गये होते, तो पश्चिम देशों में हमें जो हथियारों की दलाली की कठपुतली कहा जा रहा है, वह नहीं होते। भारत का 70 फीसदी रक्षा तंत्र आयात पर निर्भर करता है। ... (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अन्य देशों, खासकर रशिया के साथ हमारा अच्छा संबंध था, लेकिन हम उससे तकनीकी लेने के बजाय इम्पोर्ट करते रहे हैं। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा आग्रह है कि सेना के जवान लगातार यह आरोप लगाते हैं कि हमें कुत्ते घुमाने और प्लेट साफ करने के काम में लगाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो बड़े पदाधिकारी सेना के जवानों का इस्तेमाल गार्डनिंग और प्लेट साफ करने में करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

मैडम, मेरा आग्रह है कि पूर्णिया-चूनापुर एयरपोर्ट, जिसे जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, उस वक्त हमने इस्तेमाल किया था, उसे हम डेवलप कर सकते हैं। उस इलाके में हम बिहार के लिए सैनिक कैम्प बना सकते हैं। दरभंगा और बीरपुर में सैनिक कैम्प खोलकर हम बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। बिहार का इलाका बांग्लादेश, नेपाल और चीन का बॉर्डर है। आज की तारीख में जब हम डिफेंस के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के रिलेशन पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। अन्त में, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक सैनिक स्कूल पूर्णिया या कोसी में खोलना बहुत आवश्यक है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए।

***श्री ओम बिरला (कोटा):** किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब होता है, जब वह संप्रभु हो जाता है। परन्तु देश की आजादी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सतत जागरूकता की आवश्यकता होती है। देश की स्वतंत्रता और अखण्डता को कायम रखने के लिए हमें अपने साधनों से सुरक्षा-व्यवस्था को गठित करना पड़ता है, ताकि हम किसी संकट का सामना करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहे जो देश अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ नहीं होते, उनकी आजादी अधिक दिन तक नहीं टिक सकती अतः हर संप्रभु देश के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भली-भाँती कायम रखना अनिवार्य है।

भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। प्रारंभ से ही पड़ोसी राष्ट्र भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं। भारत को 1962 में चीन के हमले तथा 1965, 1971, 1998 में पाकिस्तानी हमले का मुकाबला करना पड़ा है। ये देश की बहादुर सेना ही है, जिसकी वजह से हम पूरी ताकत से ऐसे नापाक हमलों का पुरजोर जवाब देते आये हैं।

फौजी बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। गाँव का कोई लड़का जब सेना का जवान बनने को सपना देखता है, तो उसकी सुबह रोज़ 4 बजे होती है। उठते ही वह गाँव की पगडंडियों पर दौड़ लगाता है, उम्र यही कोई 17-18 साल की होती है। चेहरे पर मासूमियत होती है, और कंधे पर होती है घर की जिम्मेदारी। मध्यम वर्ग का वह लड़का, गरीब का वह बेटा, जो सेना में जाने की तैयारी में दिन-रात एक कर देता है, उसके इस एक सपने से घर में बैठी जवान बहन, बूढ़ी माँ और समय के साथ कमज़ोर होते पिता की ढेरों उम्मीदें ही नहीं जुड़ी होती हैं, बल्कि जुड़ा होता है एक सच्चे हिन्दुस्तानी होने का फ़र्ज़।

फौजी इस देश की शान हैं, मान हैं और हमारा अभिमान है। देश सेवा के लिए फौजी हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें न प्रांत से मतलब है और न ही धर्म से, इन्हें तो मतलब है, बस अपने देश से। लेकिन दुर्भाग्य से अब इन्हें भी कुछ दल अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु बदनाम करने लगे हैं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लेता है तो कोई सेना प्रमुख के बयान पर आपत्ति जताता है। पता नहीं कौरव दल ये कब समझेगा की राष्ट्र की सुरक्षा पर राजनीति से बाज आना चाहिए। ऐसे इल्जाम मत लगाओ हमारी सेना पर जो इनका मान घटाये, ये वो लोग हैं जो सर कटा सकते हैं मगर माँ भारती के दामन पर कोई दाग नहीं लगने देंगे।

भारतीय सेना पर भारतीयों को गर्व हैं और हो भी क्यों न, यह भारतीय सेना है जो भारत को हमेशा दुश्मनों से दूर रखती है। भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेल कर हमारे वतन को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाये रखते हैं। उनकी वीरता और कर्तव्य-भावना के लिए पूरा देश उन्हें सम्मान की नज़रों से देखता है। जो

* Speech was laid on the Table.

देश की सेना और माँ भारती का अपमान करते हैं उनसे मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ।

अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव-गान है-
तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है।
गंगा, यमुना, सरस्वती से सिंचित जो गत-क्लेश है।
सजला, सपलता, शस्य-श्यामला जिसकी धरा विशेष है।
ज्ञान-रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व-कल्याण है-
सतत्-सत्य-रत, धर्म-प्राण वह अपना भारत देश है।

मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी सरकार सेना के जवानों को समर्पित सरकार है। सेना का कल्याण हमारा ध्येय है। आज से 40 साल पहले से लटके वन रैंक वन पेंशन की माँग को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम सेना को समर्पित हैं। उनका दुःख दर्द ये सरकार समझती है।

हमारी सरकार ने 2017-18 में रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख 59 हजार 854 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। यह केन्द्रीय सरकार के बजट का 16.8 प्रतिशत एवं भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% है। देश की रक्षा के लिए ये हमारे संकल्प का प्रतिबिम्ब है। पिछली बार के संशोधित अनुमानों से (2016-17) से यह 4 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016-17 में ये राशि 3 लाख 45 हजार, 106 करोड़ थी।

इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, पिछली बार बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 11 प्रतिशत थी, उससे पिछले साल यह आवंटन तकरीबन 10.5 प्रतिशत था। साल 2017-18 में कुल रक्षा बजट 2,74,000 करोड़ का होगा। इसमें पेंशन को शामिल नहीं किया गया। 86,000 करोड़ की राशि पूँजी अधिग्रहण के लिए रखी गई है। पिछले बजट में इस मद में 78000 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी।

पहली बार एक रक्षा निर्यात नीति तैयार की गई है, जिसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। इस नीति में रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की रूप रेखा दी गई है इस नीति में घरेलू उद्योग को दीर्घकाल में अधिक टिकाऊ बनाने का उद्देश्य निहित है क्योंकि यह उद्योग विशुद्ध रूप से घरेलू मांग पर निर्भर नहीं रह सकता है। सैन्य भंडार के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप

दिया गया है और इसे भी सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है। सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिकांश रक्षा उत्पादों, विशेष रूप से हिस्से-पुर्जों, घटकों, उप-प्रणालियों और उप-एसेंबलियों पर अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) के हस्ताक्षर और मुहर लगाने की आवश्यकता की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे काफी हद तक घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात में आसानी होगी। सैन्य भंडार निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त करने हेतु वेब आधारित एक ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई है और उसे लागू किया गया है।

सैनिकों की सुविधा के लिए केन्द्रीय रक्षा यात्रा सिस्टम को विकसित किया जाएगा जिससे सफर के लिए सैनिक अपने टिकट ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे। रक्षा के पेंशनर्स के लिए भी एक वेब आधारित केन्द्रीय पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विकसित किया जाएगा।

OROP को हमारी सरकार ने 1 जुलाई 2014 से लागू किया। फिलहाल 20,63,529 पूर्व सैनिक इसके लाभार्थी हैं। हमने सैनिकों को पेंशन देने के लिए 85 हजार करोड़ से भी ऊपर की व्यवस्था की है जोकि पिछले वर्ष के 60 हजार करोड़ से तकरीबन 25 हजार करोड़ ज्यादा है। इस प्रकार ये सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों सभी के कल्याण के लिए संकल्पित है।

गत दो साल में रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है। वायुसेना ने युद्ध विमानों के लिए महिला पायलट को मंजूरी दे दी और नौसेना ने महिलाओं के निगरानी पायलट बनने का रास्ता साफ करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। इस साल अपनी तरह की एक पहली कार्रवाई में देश की सेना ने म्यांमार एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस कर आंतकी शिखरों पर हमला किया। देश में बीते सालों में इस साल 200 से अधिक हल्के हेलीकॉप्टर बनाने के लिए रूस की रजामंदी से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को जहाँ काफी बल मिला है, वहीं दो लाख करोड़ रुपये (30 अरब डॉलर) के रक्षा उपकरणों की खरीदारी के एक बड़े सौदे को मंजूरी दी गई। ये सभी कदम स्वागतयोग्य हैं।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो भी सुझाव पूर्व सैनिकों के हैं उन पर सहानुभूति से विचार किया जाए।

रक्षा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध है। हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़े सैन्य बल वाला देश है जिसके वार्षिक बजट में करीब 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान है, जिसका 40 प्रतिशत पूँजी अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले 7-8 वर्षों में हम, 'मेक इन इंडिया' की वर्तमान नीति के तहत अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। अब, राष्ट्र के साथ-साथ व्यवसाय के लाभ, दोनों के

लिए इस अवसर का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी उद्योग पर है। इसके अलावा अगले 7-8 वर्षों में 25 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का कारोबार होना है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय और तेजी से किये जाने की जरूरत है।

एक तरफ जहाँ सरकार निर्यात, लाइसेंसिंग, एफडीआई सहित निवेश और खरीद के लिए नीति में जरूरी बदलाव कर रही है वहीं उद्योग को भी जरूरी निवेश और प्रौद्योगिकी के मामले में उन्नयन करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए सामने आना चाहिए। रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो नवाचार से संचालित होता है और जिसमें भारी निवेश और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। लिहाजा उद्योग को भी अस्थायी लाभ के बजाय लंबी अवधि के लिए सोचने की मानसिकता बनानी होगी। हमें अनुसंधान विकास तथा नवीनतम विनिर्माण क्षमताओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकार, घरेलू उद्योग हेतु एक ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बराबर के स्तर पर व्यावसायिक उन्नति कर सके।

रक्षा क्षेत्र में सरकार ही एक मात्र उपभोक्ता है। अतः 'मेक इन इंडिया' हमारी खरीद नीति द्वारा संचालित होगी। सरकार की घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की नीति, रक्षा खरीद नीति में अच्छी तरह परिलक्षित होती है। जहाँ 'बाई इंडियन' तथा 'बाई एंड मेक इंडियन' श्रेणी का बाई ग्लोबल से पहले स्थान आता है। आने वाले समय में आयात दुर्लभ से दुर्लभतम होता जाएगा और जरूरी व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिए सर्वप्रथम अवसर भारतीय उद्योग को प्राप्त होगा। भले ही भारतीय कंपनियों की वर्तमान में प्रौद्योगिकी के मामले में पर्याप्त क्षमता न हो। उन्हें विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की व्यवस्था और गठबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय कंपनियों को सक्षम बनाने हेतु भी प्रयास तेज किये जाने की जरूरत है।

पूँजीगत अधिग्रहण के अंतर्गत बजटीय आवंटनों का अक्सर पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं होता है और संशोधित अनुमान के समय उन्हें वापस ले लिया जाता है। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है।

रक्षा आधुनिकीकरण तथा स्वदेशीकरण के अलावा भारत के रडार से बचने वाली स्टील्थ प्रणालियों, मानव रहित प्रणालियों, उपग्रह से निगरानी तथा साइबर-युद्ध पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए जब सैन्यीकरण की बात आती है तो चीन हमसे पीढ़ियों आगे है और अंतर बढ़ता जा रहा है। दशकों तक सोवियत आयात तथा रिवर्स इंजीनियरिंग पर निर्भर रहने के बाद चीन ने स्वदेशीकरण को सफलता के साथ

बढ़ाया है। 'दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है' के फलसफे के तहत चीन पाकिस्तान की भी रक्षा उपकरणों की आधी से अधिक जरूरत पूरी करता है। अतः इस ओर भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अग्नि-5 की सफलता ने भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता की पुष्टि कर दी है और डीआरडीओ ने अपनी ख्याति और क्षमताओं के अनुरूप ही अग्नि-5 को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया है लेकिन देश की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता और रक्षा जरूरतों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ डीआरडीओ की ही नहीं होनी चाहिए बल्कि 'आत्म निर्भरता संबंधी जिम्मेदारी' रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी पक्षों की होनी चाहिए। देश में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर विकसित करने की जरूरत है और इस दिशा में जो भी समस्याएं हैं उन्हें सरकार द्वारा अबिलम्ब दूर करना होगा, तभी सही मायनों में हम विकसित राष्ट्र का अपना सपना पूरा कर पायेंगे। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि अत्याधुनिक आयतित प्रणाली भले ही बहुत अच्छी हो लेकिन कोई भी विदेशी प्रणाली लंबे समय तक अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। सैन्य तकनीक और हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही भारत को हथियारों के आयात की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। अगर हम एक विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि भारत पिछले छह दशक के दौरान अपनी अधिकांश सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति दूसरे देशों से हथियारों को खरीदकर कर रहा है। वर्तमान में हम अपनी सैन्य जरूरतों का 70 फीसदी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयात कर रहे हैं।

रक्षा जरूरतों के लिए भारत का दूसरों पर निर्भर रहना कई मायनों में खराब है एक तो यह कि अधिकतर दूसरे देश भारत को पुरानी रक्षा प्रौद्योगिकी ही देने को राजी है, और वह भी ऐसी शर्तों पर जिन्हें स्वाभिमानी राष्ट्र कतई स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में स्वदेशी व आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है।

पिछले वर्षों में सैन्य हथियारों, उपकरणों की कीमत दोगुनी कर देने, पुराने विमान, हथियार व उपकरणों के उच्चीकरण के लिए मुंहमांगी कीमत वसूलने और सौदे में मूल प्रस्ताव से हट कर और कीमत मांगने के कई केस देश के सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका "रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को भागीदार नहीं बनाना चाहता। अमेरिका भारत को हथियार व उपकरण तो दे रहा है पर उनका हमलावर इस्तेमाल न करने व कभी भी इस्तेमाल की जाँच के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने जैसी शर्तें भी लगा रहा है। आयातित टेक्नोलोजी पर हम ब्लैकमेल का शिकार भी हो सकते हैं। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि हमें

बहुत मजबूती के साथ आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनता जा रहा है। रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ मजबूती से कदम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

रक्षा वैज्ञानिकों को दुश्मन मिसाइल को मार गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अधिक काम करने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन जैसे देश इस सिस्टम को विकसित कर चुके हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन देश के द्वारा दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इस कामयाबी के साथ ही हमारी चुनौतियाँ भी अधिक बढ़ गई हैं क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान इसका जवाब देने के लिए हथियारों और उपकरणों की होड़ में शामिल हो जायेंगे। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए अपने रक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करते जाना होगा। इस कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी सैन्य क्षमताओं को स्वदेशी तकनीक से अत्याधुनिक बनाना है जिससे कोई भी दुश्मन देश हमारी तरफ देखने से पहले सौ बार सोचे। हमारी सरकार ने निश्चय ही रक्षा क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से प्रयास किये हैं, परन्तु इसे और भी दुरूस्त एवं तेज करने की आवश्यकता है।

***SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR):** The famous Political Strategist Nicolle Machiavelli once said “If you want to be obeyed, you must know how to command”. In the strategic game of chess called “Geographical Supremacy” India’s superior geographical position has always been a thorn in the eyes of its neighbors. Former Prime Minister, Atal Bihari Bajpayee echoed this emotion when he said “You can choose your friends but not your neighbors” and thus it’s no surprise that we have been facing the full force of their schemes since last many years. India’s former President Dr. A.P.J. Abdul Kalam often used to say “Power respects power”. While in the august assembly, it is the power of the people that drives us, but on our borders, it is sheer resilience of our armed forces that prevents various schemes which have been precisely doctored to slowly bleed this nation. The recent surgical strike has been able to puncture the ever expanding aspirations of the nation’s villains. It has pumped the morals of our boys on the border as well delivered the most fitting of replies to our enemies. The only other thing that boosts the moral of the armed forces is the defence budget and I stand today to throw light on the same.

The first point that I want to discuss is our preparedness. It is often quoted “Better prepare and prevent rather than repair and repent”. Talking about preparation, the Congress Party was caught napping in the period from 1947-1962 and gave a paltry 1.5% of the total budget to the Indian army. After the 1962 war, the Indian Army was modernized and allocation increased. I congratulate this Government for having kept the high tradition alive in this year’s budget. The modernization budget for Air force saw an increase on account of purchase of Apache and Rafales. Defence experts have pointed out that Air force will play a bigger role than Indian Army, if India has to face a full- fledged war from all sides, thus the increase allocation certainly adds teeth to our plan of preparedness. However, the fact that only 12% of the modernization budget is kept for signing

* Speech was laid on the Table

new schemes while the rest is kept for committed liabilities arising out of older schemes, this is a matter of concern. While India dedicates 40% of its budget to capital and 60% to revenue, China does the opposite. I thank the Government for having appointed an 11 member expert panel who are working on how more money can be funneled into scaling up military capabilities and what steps should be taken to improve the military's tooth-to-tail-ratio – the number of personnel (tail) required to support a combat soldier (tooth). The fact that they have done in-depth study on how our neighbours armies like China function shows the commitment of this Government.

The One Rank One Pension, a contentious issue that had plagued India since the last four decades was put to a final rest due to efforts of this Government. In 2017, 1.1 trillion dollars were allocated for OROP and pay hikes, nearly 99% army veterans have benefitted, nearly 3 million servicemen and widows have benefitted from the scheme. A particular gentleman, also called the naïve prince of the Congress Party, who often reminds me of Joffrey Baratheon from the hit T.V. series 'Game of Thrones' politicized the suicide of Subedar Ram Krishna Grewal, following which a handful of veterans decided to back Congress in the recently concluded elections and we all know how it turned out. There was Midas who touched anything and it turned into gold and then there is the prince, who touches gold and it turns into mud.

Acquisitions under Shri Manohar Parikar were at the centre stage of his total work. Defence Ministry's acquisition council gave green light to several key projects including 420 air defence guns for Rs. 16,900 crore, 814 artillery guns for Rs. 15,750 crore and 118 Arjun Mk-II for Rs. 6,600 crore. However, critical gaps still need to be addressed, ranging from bullet-proof vests, assault rifles to minesweepers, choppers and submarines. The change in Defence Procurement Policy has been able to shift focus of 'Make in India' to MSME's who supply to the defence industry. Nearly 6000 MSME's which supply to the Defence Industry shall benefit from the reduction in Income Tax from 30% to 25%, this shall give a

boost to 'Make in India' initiative. The Defence Minister in an interview to the business insider had said that the real force of 'Make in India' shall be felt in 2017. I am happy to note that this Government has worked meticulously on the fundamentals of the manufacturing capabilities of the defence industry. Structural changes in Defence Procurement Policy, like opening up testing facility to test the defence products made by the Indian companies shall add muscle to 'Make in India' dream of the Government. The fact that we have envisioned to export an ambitious figure of 2 Billion Dollars by 2019 shows the radical change in how we think of defence manufacturing in this country. Further changes in policy like change in local mix from 70:30 to 30:70 in the category of 'Indigenously Designed, Developed and Manufactured (IDDM)', more independence to the armed forces to decide on procurement, cutting foreign vendor contracts by 30%, etc. are indeed a welcome step. The facts that nearly 50 MOU's have been signed and 350 licenses have been given with main focus of 'Make In India', the highest since independence gives us a glimpse of the changing times.

It's worth wondering how a country like India which can make reusable Cryogenic Engines, send 104 satellites at one go, make Brahmos and Agni, fails at making its own bullets. Our political past has not only fuelled our import oriented attitude, it has also been able to act as stumbling blocks for the growth of this Government's ambitions. The Peace Research Institute, Stockholm has pointed out that India is world biggest importer of defence weapons at 14%, imports grew by 90% during the Congress Government. I wonder apart from weapons from foreign, what else was being imported into the congress party. Augusta Westland case stands as a fine example of the previous Government's intentions for the Defence sector. I am thankful that we have a Government that is politically and ethically upright to not let foreign lobby affect our defence prospects. Why ISRO has become one of World's biggest forces in space industry is because it has focused its strength on a spot in the space industry business, i.e. small satellite launch. Today, India has a lion's share and a world renowned reputation in

launching small satellites into space. Taking lessons from ISRO's success, the Defence manufacturing should look into the spaces where we have been historically strong and subsequently increase our exports to other countries as well as indigenously build for the nation's forces. One of the areas to heavily focus on is a new generation assault rifle, the hunt for which has been going on since a decade.

There is a famous saying in the army, "We don't stop when we are tired, we stop when we are done". I am sure that the Government is far from being tired and that we shall be able to actualize the vision of P.M. Modi's vision of 'Make in India' in defence, at the same time look eye to eye with our heads held high. Sam Manekshaw had once said, "I wonder whether those of our political masters who have been put in charge of the defence of the country can distinguish a mortar from a motor; a gun from a howitzer; a guerrilla from a gorilla, although a great many resemble the latter." He was voicing his frustration at the political masters of his times, mainly the Congress party. Today I can proudly state that this Government has worked to bridge the trust deficit between politics and defence forces by making the defence forces a power to reckon with, fuelled by an Indian spirit with the required fire power added by our Indian Ingenuity and innovation. We are no more gorillas for the defence forces, we are the guerrilla fighters who fight on their behalf from the honoured premises of the Parliament. We fight for them while being stationed inside the South Block, and we do certainly fight from them against an opposition which in the past had worked on tampering the wings of the air forces, stubbed the muzzles of the Indian Army's guns and introduced a sea of uncertainty and ill fated preparedness against the Indian Navy.

***कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** भारत के सुरक्षा परिवेश के लिए इस वर्ष 10% की वृद्धि कर 2.74 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है जो कि कुल आवंटन 21.4 लाख का लगभग 12% है। रक्षा बजट खर्च के मामले में भारत का विश्व में 7वां स्थान है भारत से अधिक खर्चा करने वाले देश क्रमशः अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब, फ्रांस और ब्रिटेन हैं।

भारत का सुरक्षा परिवेश जटिल है देश के सामने वैश्विक और आंतरिक दोनों स्तरों पर चुनौतियाँ हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस हेतु भारत की युद्ध और शांति दोनों के लिए नीति है।

वर्तमान में सेना की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत लड़ाकू विमानों, नौ सेना पोतो, आधुनिक हथियार की खरीद, बुलट प्रूफ जैकट इत्यादि साजो सामानों की जरूरत पड़ेगी।

इसके साथ ही मैं भारत सरकार से बुंदेलखंड रेजीमेंट बनाने की माँग करता हूँ।

* Speech was laid on the Table

***SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** The defence outlay works out to just 1.63 per cent of the GDP, the lowest such figure since the 1962 war with China. This time, India's defence budget has been hiked by 6 per cent to Rs. 2,74,114 crore. Though this figure has been steadily declining in percentage terms as the economy expand, military experts contend it should be 3 per cent of the GDP to ensure the armed forces are capable of tackling the threat from Pakistan and China. In the last several years, it has been recurring feature with a debilitating effect on two vital elements of the defence budget: revenue stores and capital modernization, which together play a vital role in the operational preparedness of the armed forces. The combined share of these two elements has declined from 55 per cent in 2007-08 to 40 per cent in 2016-17. This does not augur well. The armed forces have grave shortages in many areas ranging from ammunition, assault rifles, bullet proof jackets, man-packed radars, night fighting devices to howitzers, missiles, helicopters, fighters and warships.

Needless to say, for adequate defence preparedness, the present ratio needs to change for the better, for which allocation under revenue stores and capital modernization needs to be augmented substantially. Accounting for over 85 per cent of the uniformed personnel, bulk of the Army's budget goes into meeting the pay and allowances of the personnel. In 2017-18, only 17 per cent of Army's total allocation has been earmarked for capital expenditure. The comparative figures for the Air Force and Navy are 58 per cent and 51 per cent respectively. The Army has the biggest share in defence budget with Rs. 1,49,369 crore followed by Air Force and Navy, Defence Research and Development Organization and Ordnance Factories. The lion's share for the Army is primarily because of its numerical superiority over the sister services. Among the three forces, Air Force is the only service whose modernization budget has increased, whereas both the Army and Navy have witnessed a decline. The increase in the Air Force's budget

* Speech was laid on the Table

is in view of its signing several mega contracts including for the Rafale fighters and Apache attack and Chinook heavy-lift helicopters.

The decline in the modernization budget is a source of great concern. In 2016-17, only 12 per cent of the total modernization budget of Rs. 70,000 crore was available for signing new schemes, with the rest being earmarked for the committed liabilities arising out of contracts already signed. It is, however, to be noted that this limited scope has not been fully exploited as there has been an under-utilization of a whopping Rs. 7393 crore. The under-utilization is across the services, although the Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds. What is of greater concern is that under-utilization has become a recurring feature of India's defence budget, despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the Ministry in the past two-and-a-half decades.

Given that steady modernization is a prerequisite for building up a strong military capability, the Ministry has a big task ahead to bring efficiency in procurement process. Unlike last year, Budget of 2017-18 has not provided any specific incentives to push Make-in-India initiative in defence, although some industry-wise proposals have been promised. Among others, the Government has promised to reduce income tax from the present 30 per cent to 25 per cent for MSMEs with an annual turnover of up to Rs. 50 crore. This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players such as the DRDO, Defence Public Sector Undertakings, and Ordnance Factories. The lack of any specific incentive for the defence industry may be a source of disappointment as industry has repeatedly demanded certain concessions, which are currently extended to other sources.

There is a need to augment resources substantially, particularly fewer than two critical heads of the defence budget – stores and capital procurement, which have come under severe pressure in the last several years, impacting India's preparedness. This government has talked smart, not acted smart. It has failed to

channel efforts and resources to secure military capabilities principally to deter China.

Considering that in excess of Rs. 3.71 lakh crore are already committed to purchasing weapons system from abroad and 10 per cent as first payments in hard currency on the numerous contracts already made, the only option is to shrink the number of units contracted for, and to adjust the payments already made against the reduced outgo. If the idea is to channel money to realize more rational forces and capabilities, the signal has to be sent to the armed services that the government will not tolerate business-as-usual. The field Artillery Rationalization Plan estimated to cost \$12 billion can be shaved to \$4 billion leaving enough hardware to meet the requirements of a single, compact, consolidated, corps-strength mobile warfare capability on the western border. The deal for 464 Russian T-90 MS tanks costing \$4.3 million each requires terminator, because indigenous Arjun Main Battle Tank performance is good in all terrain.

While India's defence budget is now the fourth largest in the World, after US, China and the United Kingdom, it should have able and agile personnel and right equipment. India has cut troops since 1985 as China has done so. In 1985, it reduced one million, another 500,000 in 1997, another 200,000 in 2003 and 300,000 in 2015. We need not be so drastic, but it is inevitable. The sooner the better. As economy grows, attrition from the Armed Forces will occur. In 2015, India faced a shortage of 50,000 personnel including 11000 officers. Instead of desperately filling up these vacancies, India could use this as an opportunity to restructure the Armed Forces into a leaner, meaner, well-equipped military.

* श्री गणेश सिंह (सतना): मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदान की माँगों के समर्थन में अपने विचार रख रहा हूँ। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत जैसे विशाल देश की सुरक्षा के लिए 2,74,114.12 करोड़ रूपए का आवंटन वर्ष 2017-18 के बजट में दिया गया है। देश की सेनाओं को सुविधा संपन्न बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आधुनिक हथियारों के इस दौर में भारत पीछे नहीं रह सकता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहादुर सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेकों मजबूत कदम उठाये हैं, पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण सेना का मनोबल कमजोर हुआ था, लेकिन अब सीमा में हमारी सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और दुश्मन को करारा जवाब दे रही है।

उरी एवं पठानकोट की घटना का सर्जिकल स्ट्राइक करके तगड़ा जवाब दिया था। उस कार्यवाही के बाद दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने दुनिया के सामने बढ़ते हुए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नेतृत्व करने में सफल हुए और अब अमेरिका सहित अन्य देशों ने भी मान लिया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यहाँ आतंकवाद की खेती होती है। वही आतंकवाद पलता है तथा दूसरे देश में निर्यात भी यही से होता है। यूएनओ ने भी अपनी मंजूरी आतंकवाद को खत्म करने के लिए दे दी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ताकतवर नेता के रूप में विश्व के सामने उभर कर आये हैं।

आज भारत का एक-एक नागरिक देश की सुरक्षा के प्रति निश्चित है वह सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पैनी निगाह हर एक घटना की ओर लगी है और अब तक उन्होंने जगह-जगह ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सेना को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरत है जिसकी सरकार द्वारा लगातार आपूर्ति की जा रही है। पड़ोसी देश बंगलादेश की सीमा का विवाद लंबे समय से चल रहा था जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद हल हो गया। यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज इसके चलते घुसपैठ पर रोक लगी है। जम्मू कश्मीर में जो पड़ोसी देश द्वारा अलगाववाद पैर पसार रहा था उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गये हैं। वहाँ के जन मानस में कश्मीर के विकास की चर्चा शुरू हो गई है तथा फिरका परस्त ताकते कमजोर हुई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील पर पहली बार आजादी की 70वीं वर्षगाँठ पर देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करके देशवासियों के मन में “राष्ट्र पहले और स्वयं बाद में” का भाव जगाकर देश के शहीदों और सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया है। पूर्ववर्ती सरकार ने शहीदों की शहादत की अनदेखी की

* Speech was laid on the Table.

है। वर्तमान सरकार ने शहीदों की शहादत का बहुत मार्मिक और देश की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर आकलन किया है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर सभी शहीद स्थलों पर जाकर नमन करने का कार्य किया है।

मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में सन् 1857 से लेकर अभी तक के सभी शहीद स्थलों पर जाकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से नमन किया और शहीदों की वीरगाथा को जन-जन तक पहुँचाया। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ की लागत से शौर्य स्मारक का निर्माण कराया है। मैं रक्षा मंत्री जी से माँग करता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के शहीदों के स्मारक बनाने हेतु धनराशि दी जाए।

भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके विश्व में शौर्य और अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है। हमारी सेना की ताकत को उस समय पूरी दुनिया ने सराहा था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले सैनिकों को वन-रैंक-वन पेंशन देने का वचन दिया था और सरकार बनने पर सरकार ने अपने खजाने से 2016-17 के दौरान 12456 करोड़ का आवंटन किया। केन्द्र सरकार की समूह बीमा योजनाओं के तहत थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के सदस्यों को जीवन बीमा के माध्यम से थल सेना, नौ सेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा प्रदत्त या प्रदान किये जाने के लिए सहमत सेवाओं को सेवा कर से छूट दे दी गयी है।

26 जनवरी को जब तीनों सेनाओं के बहादुर सिपाही अपने कर्तव्य को दिखा रहे थे और उस समय जो शौर्य उद्घोष कर रहे थे, उसे पूरी दुनिया आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही थी। आज सेना के एक-एक सिपाही का मनोबल मजबूत हुआ है और दुश्मन थर्रा रहा है।

दुनिया के तमाम देशों के आयुध निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है कि वे हमारे देश में अपना फार्मूला लेकर आये, पूँजी निवेश करें और भारत में रक्षा उपकरण बनाने अर्थात् 'मेक डिफेंस इक्विपमेंट इन इंडिया (एमडीईआई)' का कार्य करें। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की शुरुआत करके वर्तमान सरकार ने विश्वस्तर पर देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

आज देश के सकल बजट में रक्षा बजट सबसे अधिक है। रक्षा के मद में 2,74,114,12 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें पेंशन की रकम शामिल नहीं है। पिछले साल के बजट अनुमान से यह रकम 6 फीसदी ज्यादा है। पिछले पाँच साल में जीडीपी के मुकाबले रक्षा बजट 2 पर्सेंट से नीचे ही रहा है। देश की सुरक्षा को देखते हुए रक्षा बजट देश की जीडीपी के 03 फीसदी से अधिक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और रक्षा बजट का समर्थन करता हूँ।

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)** मैं सदन में प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग वर्ष 2017-18 का समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार ने रक्षाकर्मियों के विषय में अपने लगभग 3 वर्षों के शासन काल में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जहाँ उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखा है वहीं उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनके पेंशन आदि के विषय में वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का कार्य किया है। फलस्वरूप हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बहादुरी के कार्य को अंजाम देकर दुश्मन को मँहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। सरकार ने सेना को मौके की परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने की खुली छूट दे दी है जिससे सीमा पार से होने वाली समस्याएँ कम हुई हैं। सरकार ने बार्डर में सड़कों के विषय में पर्याप्त धन देकर सैनिक आयुधों के अबाध आवागमन की व्यवस्था की है। दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले सैनिकों को विशेष प्रकार की वर्दी एवं उपकरणों की व्यवस्था की गई है। सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों व उनके परिवार की चिकित्सा व्यवस्था हेतु विशेष प्रावधान किए हैं। सरकार ने सैनिकों के आवास, कैटीन आदि के लिए पूर्व के वर्षों से ज्यादा धन देकर इस हेतु बजट में नवीन प्रावधान किए गए हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि जो सैनिक वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उनको विशेष रैंक व वेतन देना चाहिए तथा ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर और अधिक सहायता उनके परिवार को दी जानी चाहिए। जिससे सैनिक निश्चित होकर देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ मैं सदन में प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ।

*श्री कृष्ण प्रताप (जौनपुर): पिछली सरकार के समय में रक्षा मंत्रालय के सौदों में अनेकों बड़े घोटाले सामने आये जिसमें अनेकों बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पिछली सरकार में रक्षा मंत्रालय में देशी-विदेशी बिचौलियों तथा दलालों का बोलबाला था। रक्षा संबंधी मामलों में व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए देरी की जाती थी, हेराफेरी की जाती थी जिसके कारण रक्षा के क्षेत्र में हम काफी पिछड़ गये।

मैं भारत की 125 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, जनविरोधी कार्यों से क्षुब्ध होकर भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया। वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार का गठन हुआ तब से लेकर आज तक रक्षा विभाग के मामले में एक भी घोटाला, भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। वर्तमान केन्द्र सरकार ने रक्षा से संबंधित मामलों में तेजी से निर्णय लिया तथा ले रही है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में पहले से काफी मजबूत हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाया। उनकी चिर-परिचित काफी पुरानी माँग “वन रैंक वन पेंशन” को भी पूरा किया। आज देश की सेना का मान-सम्मान जनता की नज़रों में बढ़ा है।

पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण भारतीय सेना की सामरिक शक्ति पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी कम हो गई थी। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक हथियारों/गोलाबारूद/लड़ाकू विमान/युद्ध पोतों/टैंकों की काफी कमी है। हमें प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से अन्य देशों के मुकाबले रक्षा तैयारियों पर ज़ोर देना होगा। सेना के जवान काफी विषम स्थितियों में भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिये दिन रात तत्पर रहते हैं किन्तु घटिया भोजन, खराब वर्दी, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट आदि की शिकायतें सामने आयी है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि भारतीय सेना के जवानों की बेहतरी के लिए तत्काल कदम उठाए।

आज सेना का आधुनिकीकरण किये जाने की विशेष आवश्यकता है। सेना को बुनियादी हथियारों समेत कई चीजों की आवश्यकता है। कांग्रेस की सरकार के समय में हुए 1980 के दशक में बोफोर्स घोटाले के बाद नई जनरेशन की आर्टिलरी गन की खरीद नहीं हो पायी है। 1960 में खरीदी एन्टी एयरक्राफ्ट गन बेहद पुरानी है।

हथियारों की खरीद की प्रक्रिया काफी लंबी है। हथियारों का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों की भारी कमी है। फाइलें सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय विशेषज्ञ समिति तथा वित्त मंत्रालय के बीच लटकी रहती है। सही समय पर निर्णय न लेने के कारण रक्षा मंत्रालय वर्ष 2015-16 में आबंटित पूँजी का व्यय 11 हजार करोड़ रुपये खर्च कर पाया।

* Speech was laid on the Table

मैं उ.प्र. के जौनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हूँ। मेरे क्षेत्र में काफी युवा लड़के हैं जो कि सेना में भर्ती होना चाहते हैं। यहाँ की जलवायु काफी उपयुक्त है। ये युवा स्वस्थ तथा योग्य हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर देने के लिए जौनपुर में भर्ती करायी जाए तथा सेना का भर्ती केन्द्र खोला जाए।

***SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):** At the outset, I would like to congratulate our soldiers for carrying out surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir. The surgical strikes were a huge morale booster for our armed forces. With that, I thank our former Hon'ble Minister of Defence, Shri Manohar Parikar for his execution of the surgical strikes and our Hon'ble PM, Shri Narendrabhai Modi for his leadership.

National defence and security is of prime importance for any Government or our nation. During the period of over 65 years of our country's existence since Independence, there has been invasions and aggression. This also means that in spite of our country's efforts to maintain peace in the region and with a population of peace loving nationals, we have been forced to devote a great deal of thought to the necessity of National Defence. Due to the strategic location of India, we ought to spend huge amounts on strengthening our defenses and protect our country from such aggressions.

I would like to thank our Hon'ble FM, Shri Arun Jaitley for increasing Defence Budget for the 2017-18. At Rs. 2,74,114 crore, the defence budget for 2017-18 (excluding defence pensions) is 6 per cent more than the comparable Budget Estimate (BE) figure of Rs. 2,58,589 crore (excluding defence pensions) for 2016-17. The increase would work out to 5.6 per cent, if reckoned with reference to the Revised Estimate (RE). The allocation for 2017-18, excluding pensions, seems to be 1.63 per cent of the GDP and 12.77 per cent of the total central government expenditure of Rs. 21,46,735 crore. The further increased allocation from FY 17 to FY 18 hints at several large acquisitions in the coming fiscal, likely on account of missile systems and aircraft. A hike in allocations should be viewed as a strong sign of intent from the government to put money on the table and finalize large acquisitions.

* Speech was laid on the Table

Defence manufacturing has been a priority sector for the government in the last three years. Due to the continued policy reform in industrial licensing regime, simplification of procedures to do business in India, the Government has provided significant insight into the state of affairs of the defence services.

Outside the budget, the present Government has done a fine job in liberalizing foreign direct investment (FDI) in defence, increasing it all the way up to 100% foreign ownership, with any FDI up to 49% foreign ownership under the automatic route. This move was long overdue and a necessary step in providing competition to a moribund public defence production sector – and avoiding an excessively high defence import bill.

The defence pensions have increased considerably over the last few years. Last year, the increase in the pension allocation was on account of the payment of arrears due to the OROP scheme. However, I would suggest better outreach of OROP for our veterans. Another positive development in the budget has been the dismantling of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). As a gatekeeper of foreign investment into India, the dismantling of FIPB would reduce bureaucratic delays in clearing proposals which would hasten acquisition of technology by the domestic industry. With its elimination, it will be interesting to see the manner in which, the government chooses to regulate foreign investments and whether the alternative will result in any meaningful improvement in ease of doing business in India. However, with barely Rs. 10,000 crore allocated towards new capital acquisitions, Make-In-India, Defence might remain slow footed.

I would like to particularly mention the present Government's efforts to strengthen surveillance on India's over 7500 km long coastline. The Ministry of Defence has recently approved 38 additional coastal radar stations with a cost of Rs. 800 crore. I take this opportunity to thank our former Hon'ble Defence Minister, Shri Manohar Parikar ji for approving four mobile surveillance stations along with integration of vessel traffic management systems in two places on Gujarat coastline. Further, due to the strategic location of Jamnagar, which hosts

all three wings of the Armed Forces i.e. Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy, will stand benefitted.

Highlighting many takeaways from the Budget, I would like to share some of my concerns with the Government and also demand for stepping up resources in the sector.

There are no clear indications of a big push being given to Make-in-India in defence. At Rs. 30.38 crore for Indian Army and Rs. 14.55 crore for Indian Air Force, it is not sure how many projects the ministry is aiming to or could possibly take up under the 'Make in India' venture during the next fiscal. As my suggestion, there should be more impetus to indigenous procurement of defence equipments. This will also create jobs in the country. And as per the Government's emphasis on job creation, opening up opportunities in defence related production and manufacturing will help employment of youth of our nation. It is a welcome move that the government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of up-to Rs. 50 crore. This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings and the large private companies.

Secondly, the decline in the modernization budget is a source of great concern, especially given the limited budgetary scope available for signing new contracts. What is of greater concern is that under utilization has become a recurring feature of India's defence budget, despite numerous improvements in the procurement procedures undertaken by the MoD in the past two-and-a-half decades. There has been an under utilization of a whopping Rs. 7,393 crore (or 10.5 per cent) in the last FY. The under utilization is across the services, although the Army accounts for over 50 per cent of total unspent funds. Given that steady modernization is a prerequisite for building up a strong military capability, the MoD has a big task ahead to bring in efficiency and expeditiousness in the procurement process.

My third concern is that the army's allocation under 'stores' has come down from BE 2016-17 of Rs. 17,728.18 crore to Rs. 17,487.78 crore for the coming fiscal. For the Indian Navy, the BE allocations for the current and coming fiscal under this head remain constant at Rs. 4,488.00 crore. So does the allocation for the Indian Air Force, which remains static at Rs. 7,334.05 crore. The allocation for repairs and refits of the ships, submarines and other naval vessels also remains constant at Rs. 865.00 crore. This could be a cause for concern, especially for the Indian Army, which has been struggling to make up its war wastage reserves of ammunition and other warlike stores.

Further, it might be expected that the coming year will see little movement on issues, such as creation of cyber, aero-space and a spurt in research and development activities, all of which are critical for India to keep in step with the development in its neighbourhood and beyond. The budget, which is not just all about figures but also a statement of policy, does not articulate of any intention to bring about a paradigm shift in the defence policy.

Therefore, the increase of five per cent in the official defence budget is inadequate especially in view of the vast voids existing in military capability, recent increase of defence budget of our neighbouring countries and the diminished effect on modernization and operational preparedness. If the outlay for defence pensions is also taken into account, the total outlay would work out to 2.14 per cent of the GDP, which is lower than the three per cent mark, widely believed to be the bare minimum level of allocation that must be made to meet the operational requirement of the armed forces.

While concluding, I advocate the need to augment resources substantially, particularly under two critical heads of the defence budget – stores and capital procurement, which have come under severe pressure in the last several years with a huge negative consequence on India's defence preparedness. Even though the demand for higher allocations for the Ministry of Defence is a genuine one, but it must also be fully geared up to utilize the available resources in a time-bound

manner. Further, the sector is in need of reforms in terms of modernization of equipments and fast tracking of pending projects. With the steady progress of a slew of measures spearheaded by the Ministry and the Government, to overhaul the sector, I am sure the groundwork for improving the fundamentals is also being worked at its best.

***DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR):** While presenting the Union Budget 2017-18 on February 01, 2017, the Hon'ble Finance Minister Arun Jaitley has allocated Rs. 3,59,854 crore (US\$53.5 billion) to the Ministry of Defence (MoD).

Despite a gloomy global economic environment, the Indian economy continues to be a bright spot, with the initial estimates of the Gross Domestic Product (GDP) showing a growth of over seven per cent per annum for three consecutive years between 2014-15 and 2016-17.

The Government has promised to reduce income tax from present 30 per cent to 25 per cent for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with an annual turnover of upto Rs. 50 crore. This is likely to benefit some 6000 MSMEs which are presently supplying parts, components and sub-systems to players like DRDO, Defence Public Sector Undertakings, OFs and the large private companies.

Rs. 86,488 crore has been allocated under the capital expenditure for acquiring new weapons and systems and it is 10% more than last year's Rs. 78,586 crore. The government has also announced a centralized travel system for soldiers through which tickets could be booked online. The soldiers do not have to face the hassle of standing in queues.

A sum of Rs. 85,740 crore has been earmarked for pensions with One Rank One Pension having been implemented. Almost all pensioners have been benefitted under one rank one pension so far.

* Speech was laid on the Table

*श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): हमारे देश के बहादुर सैनिक सीमाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। भारतीय सेना एक सच्चे समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ काम करती है एवं देश में शांति और स्थिरता बनाने में हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय सेना सिर्फ हमें बाहरी आक्रमण से ही नहीं बचाती बल्कि शांति के समय में कई सामाजिक सेवाएँ भी करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे “श्री केदारनाथ जी” उत्तराखंड की बाढ़ त्रासदी, कोसी की बाढ़, कश्मीर में भूकंप, लद्दाख में मूसलाधार बारिश के दौरान भारतीय सेना की भूमिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

18 सितम्बर, 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत का बदला भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तत्ता पानी, लीपा घाटी, भीमबेर तथा काएल में आतंकवादियों के सात लॉन्च पेडों को तबाह करने वाले भारतीय सेना के जवानों व अधिकारियों की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह बहुत कम है।

“हमारा झण्डा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है, ये हर उस जवान की आखिरी साँस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है।” मैं कविवर माखन लाल चतुर्वेदी जी की कुछ पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने फूलों के माध्यम से अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ मर मिटने वाले उन वीर सेनानियों का स्थान देवताओं से भी श्रेष्ठ माना है।

चाह नहीं देवों के सिर पर
चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ,
मुझे तोड़ लेना बनमाली,
उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृ-भूमि पर शीश-चढ़ाने,
जिस पथ पर जावें वीर अनेक।

मैं इन सभी भारतीय सेना के वीरों को हृदय से प्रणाम करता हूँ।

मैं रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2017 के बजट में सहयोग दिया, जिसमें हमारे देश के सैनिकों की सुविधाओं एवं सेना के आधुनिकीकरण का खास ख्याल रखा गया है, जैसे सशस्त्र बलों से रिटायर होने वाले समान रैंक वाले अफसरों को समान पेंशन “वन रैंक,

* Speech was laid on the Table

वन पेंशन” जिससे लगभग 30 लाख सैन्यकर्मियों को फायदा मिला और इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आवंटित कर जो की 2.74 लाख करोड़ रूपए है। भाजपा सरकार ने लगातार दूसरी बार है रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आवंटन किया है साथ ही केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जरिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन प्रस्ताव प्राप्त किए जाएँगे और केंद्रीकृत रूप से भुगतान करने का प्रावधान किया है। मैं अपनी सरकार द्वारा पेश इस रक्षा अनुदान की माँग का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

भारत के सवा सौ करोड़ राष्ट्रभक्त नागरिकों के महानायक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के मंशा-वाचा-कर्मना में कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है और उसकी रक्षा हितार्थ राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन भावनाओं को मैं इन पंक्तियों से स्मरण कराना चाहूँगा:-

मन समर्पित, तन समर्पित,
और यह जीवन समर्पित।
चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ।
माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन,
किंतु इतना कर रहा, फिर भी निवेदन-
थाल में लाऊँ सजाकर भाल मैं जब भी,
कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण।
गान अर्पित, प्राण अर्पित,
रक्त का कण-कण समर्पित।
चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ।

बिहार में अंग्रेज-विरोधी विद्रोह का इतिहास रहा है जिसमें बहावी आन्दोलन, नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह, छोटा नागपुर का विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, मिज विद्रोह, चेर विद्रोह, संथाल विद्रोह, पहाड़ियाँ विद्रोह, खरवार विद्रोह, सरदारी लड़ाई, सफाहोड आन्दोलन जैसे आन्दोलनों को परस्पर याद किया जाता है। हमारा संसदीय क्षेत्र बक्सर आध्यात्मिक के साथ-साथ क्रांतिकारी एतिहासिक स्थल रहा है,

जहाँ ब्रिटिश काल में चौसा एवं बक्सर का युद्ध सुप्रसिद्ध रहा है। इसी लिए बक्सर को “बेटल ऑफ फ्रील्ड ऑफ इंडिया” (भारत की युद्ध भूमि) कहा गया है।

मैं उस वीर भूमि से आता हूँ, जो महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि रही है, जहाँ मर्यादा पुरषोत्तम राम को वीरता का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक हुए हैं। यहाँ के लोगों में उसी वीरता का भाव बना हुआ है। मुगल और ब्रिटिश सेनाओं को भी यहाँ के लोगों ने लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। आजादी के बाद सेनाओं और पुलिस के जवानों में इस क्षेत्र के अधिकतर नवयुवक बड़ी संख्या में भर्ती होते रहे हैं।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि युद्ध में हुए शहीद सैनिकों का एक “सैनिक स्मारक” दिल्ली तथा उनके गृह क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए, जिससे भावी पीढ़ी में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का जागरण हो। भारतीय सेना में स्थायी “स्काई डाइविंग नोड” का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। वर्तमान में दिए जाने वाले “कॉम्बैट बूट” की जगह अंतरराष्ट्रीय स्तर के “कॉम्बैट बूट” मुहैया करवाए जाए।

कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों का भारतीय थल सेना में डायरेक्ट कमीशन (सीधा भर्ती) के लिए प्रावधान किया जाए, जैसे वायु सेना, जल सेना एवं रक्षक बल में है। बक्सर में एक सेना भर्ती केन्द्र स्थापित किया जाए। बक्सर में एक सर्विसेज प्रेपरेटरी इंस्टिट्यूट का गठन किया जाए जहाँ, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को सेना के विभिन्न अंगों में अधिकारी बनने का प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही एक सैनिक विद्यालय भी खोला जाए। बक्सर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए “सेक्शन अस्पताल” का गठन किया जाए, जहाँ पर शल्य चिकित्सा एवं सामान्य आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो।

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उन सभी वीर जवानों, जिसमें हमारे संसदीय क्षेत्र के स्व. श्री सिपाही राकेश सिंह, गाँव- बड्डा, जिला कैमूर सहित बिहार के स्व. श्री नायक एसके विद्यार्थी, जिला- गया, बिहार एवं स्व. श्री हवलदार अशोक कुमार सिंह, भोजपुर शामिल है, के आश्रितों को पेट्रोल पंप/गैस एजेंसी या अनुकम्पा के आधार पर शैक्षिक योग्यता को देखते हुए केन्द्रीय/नवोदय/सैनिक विद्यालय में शिक्षक या अन्य पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए तथा उन्हें सरकारी जमीन भी उपलब्ध करवाई जाए।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री जी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I rise to respond to the very useful debate on the Demands for Grants of the Ministry of Defence.

I thank hon. Members, Prof. Sugata Bose, Shri Misra Ji from BJD, Shri Anandrao Adsul, Shri A. Sampath, Shri Jyotiraditya Scindia Ji, Shri R.K. Singh Ji, Shrimati Meenakashi Lekhi Ji, Shri Hariom Singh Rathore Ji, Shri Gopal Shetty Ji, Shri Bhola Singh Ji, Shri K. Gopal Ji, Shri Gaurav Gogoi, Shri Premachandran Ji and Shri Pappu Yadav Ji (Rajesh Ranjan). In the course of the debate, they have raised many issues, and I thank them. I will try to respond and I will try to cover whatever the issues they have raised during their deliberations.

Observations and suggestions were made by hon. Members in regard to budget allocation to the defence sector, defence preparedness, issues related to Defence PSUs, DRDO and welfare of the soldiers. During my reply I will cover all these things.

Regarding the outlay and budgetary provisions, all of them have mentioned certain things. Before that, I would present an overview of the Defence Service Estimate and the other Demands for Grants of the Ministry of Defence. The outlay for 2017-18 for the Ministry of Defence, except Defence Pension, is Rs.2,74,114 crore. It includes the outlay on revenue and capital allocation to the Defence Forces as also the organizations/Departments under the MoD, that is, civil as well as miscellaneous. It represents a growth of six per cent over the Budget Estimates, that is, Rs.2,58,589 crore, and 5.6 per cent over the Revised Estimates, that is, Rs.2,59,000 crore. For the Defence Pension, an amount of Rs.85,740 crore has been provided in the Budget Estimates of 2017-18. This is 4.13 per cent above the allocation during 2016-17. The Budget Estimates allocation for the Defence Services is Rs.2,59,261 crore which includes Rs.1,72,773 crore under revenue and Rs.86,488 crore under capital. On the capital outlay, there were a lot of worries and mentions in comparison as a percentage of GDP with the allocation.

Madam, I would like to mention that it may not always be appropriate to think about the defence spending in terms of national economic output. If the economy grows at a faster rate, spending decreases as a percentage of GDP. But it does not mean that the level of spending has fallen or has become inadequate. A small slice of big pie can easily outsize a proportionally larger size of small pie. So, looking at the spending as a percentage of GDP creates an illusion of declining in spending ignoring the size of economy.

I would like to bring to your notice that under the leadership of our Prime Minister, the size of economy over the last three years have definitely grew at a faster rate and that is why you people are getting an illusion that spending on the Defence is less when it is not.... *(Interruptions)*

Madam, in the years to come, we need to strengthen the capital budget to accelerate the Defence Forces modernization. I would like to assure the House that there is no dearth of money. Additional funds will also be required to complete the raising of the new Mountain Strike Corps basic infrastructure requirement. It is also necessary to allocate more funds for Border Roads Organisation to enable it to create the requisite roads infrastructure.

There was a lot of discussion about the security scenario. Our hon. Members are very concerned about that. I do agree with that. But we should always remember that we are proud of our Forces, especially the Army which is one of the best in the world. ... *(Interruptions)*

Madam, the changing global geo-political dynamics presents the nation with the multiple challenges. While constantly reviewing its operational preparedness and postures to meet the perceived security challenges, our Armed Forces are committed to defend our country from external and internal threats across the entire spectrum of warfare.

The security situation in J&K is at an important crossroads. If you remember, our Prime Minister had mentioned once: 'You can choose your friends but you cannot choose your neighbors.' We have always been pursuing for peace

with our neighbors. But for many years cross border terrorism and proxy war has been waged against our country. That is why, as you mentioned about the surgical strike, when we received the specific and very definite inputs across the border that there were several terrorist teams positioned themselves at the launch pad prepared for strike in Jammu & Kashmir and other parts of the country causing destruction to our property and threat to the lives to our citizens, our Army conducted the surgical strike with precision without any casualty on our side but killing all the terrorists and people supporting them and causing a lot of destruction on the launch pad.

Regarding security scenario, I would like to say that during 2016 there have been 228 ceasefire violations by Pakistan though the year 2015 witnessed 152 ceasefire violations. During the year 2016, 27 infiltration bids have been eliminated in which 37 terrorists have been killed.

The security situation in the North Eastern States has remained complex, fluid and dynamic with sporadic incidents of violence over the year. Proactive approach, coupled with intelligence based operations undertaken by the Security Forces, has resulted in successful curtailment of the scale of violence in insurgency prone area of the Northeast. Owing to successful execution of comprehensive action plan by the security forces against insurgent groups, the violence levels registered a decrease of approximately 15 per cent, thus ensuring moral ascendancy of security forces.

The situation along the India-China border continues to be peaceful. During the year, both countries had wide-ranging discussions on implementation of Border Defence Cooperation Agreement. Towards this, the scope of the Border Personnel Meetings has been increased to include conduct of non-contact games and joint celebration of festivals.

Two new Border Post Meeting (BPM) mechanisms, that is, at Track Junction in Eastern Ladakh and Kibithu in Arunachal Pradesh have been

institutionalised between India and China along the northern border. Additional BPMs sites are under consideration.

Defence cooperation activities constitute an important tool for furtherance of national interest. In keeping with India's rising global stature in recent years, there has been considerable increase in defence cooperation activities undertaken by the Indian Army. Accordingly, an increasing number of friendly foreign countries have shown keen interest to engage with the Indian Army, which is viewed not only as the world's second-largest standing Army, but also as a professional, apolitical force with extensive combat experience.

India, as I have said, has one of the finest Armed Forces in the world. I wish to assure this House, through you, that our Armed Forces are well-prepared to meet any challenge. The Indian Army is meeting the challenges of insurgency and cross-border terrorism as was seen during the surgical strike.

Now, I will come to the modernisation of our Armed Forces as many Members are concerned about our preparedness. I would like to bring to their notice that in the endeavour of enhancing defence preparedness -- in the last two years, that is, 2014-2015 and 2016-2017 up to the present -- a total of 147 contracts have been concluded at a total value of Rs. 2,00,957 crore. The equipment such as rockets, radars, artillery guns, helicopters, aircrafts, missiles, which will be supplied under these contracts, will meet the critical requirements of the Armed Forces.

Among the important equipment contracts taken since 2014-2015 are as follows. For the Army, significant are 155-mm ultra-light holster; BrahMos missiles; Pinaka rockets; ballistic helmets. For the Navy and the Coast Guard, the ongoing shipbuilding projects like P17A frigates; deep-sea rescue vessels; P81 long-range maritime reconnaissance aircrafts; upgrade of KAMOV-28 helicopters; Dornier aircrafts; off-shore petrol vessels; and fast petrol vessels. For Air Force, there is the Rafale fighter aircrafts; heavy-lift helicopters Chinook; and Apache attack helicopters.

Apart from this, we are close to concluding the contracts for a number of procurements, which will significantly enhance the capability of the Armed Forces. This includes helicopters of the three Services, advanced light helicopters, medium-range surface to air missile, long-range surface to air missile, 155 track self-propelled gun, electronic warfare and communication system. In the last year, the Government has taken effective measures to plug the gaps of ammunition holdings for all the Services as a result of its preparedness.

There was a lot of talk about criticality as far as fighter combat aircraft is concerned. Yes, I agree with you people, but this criticality is there since almost 17 years, that is, from 2000. But I am very sorry to say that from 2000 to 2013 nothing much was done. At present, we have 33 fighter squadron combat aircrafts whereas we need to have 42. The Indian Air Force requires 42 squadrons to take on the collective threat from both the neighbours. ... (*Interruptions*) There is contract for thirty six Rafael and a grant of AON for 83 light combat aircraft MK1A. Further government is preparing a roadmap for production of fighter aircraft in Indian Air Force. Suitable fighter is planned to be manufactured in India with strategic partnership through Make-in-India route. Hence, adequate proactive measures have been taken and planned to advise the strength of air.

Long Term Integrated Perspective Plan (LTIPP), the Five Year Acquisition Plan, the Annual Acquisition Plan and the twelve Defence Plans are under progress. Capital procurement procedure has been amended but there is a lot of criticism about the time taken for the procurement.

Again, I would like to say it is a legacy we have got from the previous regime. But we have done a lot to shorten the period of procurement. We have a broad time-frame for completing the procurement activities i.e. AON to award the contract has been reduced from 80 to 117 weeks to 70 to 94 weeks. We could reduce this period with multi-vendor cases and from 92 to 132 weeks to 80 to 114 weeks in resultant single vendor cases.

Acceptance of Necessity i.e. AON, validity has been reduced to six months from one year in Buy cases and one year for Buy and Make (Indian) cases. The request for proposal has to accompany statement case. Single vendor cases at the bid of submission and technical evaluation stages will not be automatically retracted but process with the due justification with the approval of Defence Acquisition Council.

Guidelines for change in the name of vendor have been incorporated in DPP 2016 and the guidelines for handling complaints have been notified to address avoid delays in this account.

To rationalize time taken for the field evaluation, it has been provided that the FET may be held in condition where the equipment is most likely to be deployed and stimulations in the technical evaluation.

These are so many important steps taken to shorten the period of procurement. The cases of AON value more than Rs. 150 crore to be directly brought before SCAPCHC Committee, thereby eliminating initial placement of such cases before SCAPCC. The aim of the fast track procedure is the advancement to cover the urgent operational requirement relating to both foreseen and emerging situations.

RFI process has been elaborated in detail and that is why when it comes to the modernization of our forces, all the efforts are taken. Keeping in view this priority, priority has always been accorded to buying from domestic equipment. There are a lot of many people who say about the Make-in-India initiative and about our government. Let me tell you, self-reliance is a major cornerstone on which the military capability of any nation raises. Accordingly, Defence Production Policy promulgated by the Government aims at achieving substantial self-reliance in the design, development and production of equipment weapon system platform required for the defence in the early time frame as possible.

Creating conditions conducive for the private industry to take active role in this endeavour, enhancing the potential of small and medium enterprises (SMEs)

in indigenisation and broadening the Defence R&D base of the country is very important to increase the eco-friendly environment for the big industry. In order to promote indigenous development of defence equipment, there are three categories. The most important new category of procurement is 'Buy Indian-IDDM (Indigenously Designed Developed and Manufactured)' in the Defence Procurement Procedure 2016. Besides this, preference has been accorded to 'Buy Indian' and the third one is 'Buy and Make Indian' categories of capital acquisition over the 'Buy Global' category. All these days, the picture of our country was that we are the largest importer of defence equipment. Our Government under the Prime Minister is committed to what I have stated earlier.

'Make' procedure has been recast in DPP 2016 wherein the share of the Government funding has been increased to 90 per cent from 80 per cent so that the risk of development agencies is mitigated to a large extent. In addition, greater impetus has been provided to MSMEs by reserving certain categories of 'Make' projects exclusively for them. There have been so many changes in policy over two-and-a-half years. The Foreign Direct Investment, as already mentioned, by direct route is 49 per cent (automatic route) and above 49 per cent, under the Government route where it is likely to result in access to the modern technology.

There are a lot of changes in industrial licensing policy. The defence product list for the purpose of issuing industrial licensing under IDR Act has been revised and most of the component parts, subsystems and testing equipment, and production equipment have been removed from the list so as to reduce the entry barriers for the industry, particularly the small and medium segment.

Recognizing the need for promotion of defence export to make the Indian Defence Industry economical and sustainable, Defence Export Strategy outlines various steps that have been taken. It has been formulated and put up in the public domain because our Government has promised a transparent and non-corrupt Government.

Under the revised SOP, the requirement of the end user certificate to be countersigned and stamped by the Government authorities has been done away with in case of export of component parts and subsystems. The process of receiving application for issuing NOC for export of military stores has been made online to reduce the delay and to remove the human interface in the process.

There are a lot of changes in the level playing field – exchange rate violation, removal of tax anomalies, etc. All these reforms resulted in or the impact of above initiatives is reflected in defence offset also. During 2014-15 and 2015-16, and in the current year, 141 contracts with cumulative value of Rs. 2,00,011 crore have been signed out of which 90 contracts involving Rs. 83,344 crore were signed with the Indian vendors and only 51 cases involving Rs. 1,16,000 crore were signed with the foreign vendors for the capital procurement.

During 2014-15 and 2015-16 and in the current year, up to January, the DAC (Defence Acquisition Council) accorded approval to 134 capital procurement cases at an estimated cost of Rs. 4,00,450 crore out of which 100 cases are of the Indian vendors and the remaining cases are of foreign vendors. In these last two-and-a-half years, exports increased by double. Exports by Ordnance Factory Boards, Defence PSUs and private sector in 2015-16 increased to Rs. 2,059 crore from Rs. 1,000 crore.

I wish to inform the House through you about the slight shortage of work force in the Armed Forces, our Government has taken a number of initiatives to make employment in the armed forces attractive. Efforts have been made to address the shortage of manpower. Today, this shortage has been reduced substantially. The Air Force Academy will undergo expansion to cater to the needs of more pilots in the Air Force.

There are policies regarding the Delegation of Financial Powers. Some Members raised the issue of ammunition. I would like to tell the House that the C&AG Report tabled on March 2013 mentioned that stocking of ammunition even at the 'Minimum Acceptable Risk Level' was not ensured, as availability of

ammunition on March 2013 was below this level in respect of 125 out of 172 types of ammunition also. In 50 per cent of the total types of ammunition, the holding was critical. But in the last two and half years, with the efforts of taking a series of measures, at present, the number has come down from 125 to 39 and it will come down to 30 in the next six months.

As a part of reforms in defence financial management, we have taken steps to delegate substantial powers to the Service Headquarters to augment their operational capability. I take this opportunity to apprise the House that the new delegation of financial power to the services has been finalised by the MoD in September 2016 and it has received very positive feedback from the environment. Similarly, in the wake of surgical strikes, powers for emergency procurements of ammunition, spares, armaments and equipment were delegated. As a follow up, more powers have been delegated to the Services for procurement of ammunition. There are so many things. I wanted to talk about the 'Make in India' initiatives. But, due to lack of time, I would wind up my speech.

There are a few things which are mentioned by my senior colleague. There are also changes in the Defence Products Lists for industrial licensing.

Shri Jaitleyji has mentioned about the One Rank One Pension. I will not go into that.

There is a Grievance Redressal System in the Armed Forces. All the steps have been taken.

I would like to add two or three things and I will conclude. We are proud of the achievements of the DRDO. The DRDO has come with a very good missiles project. To name a few, I would mention about Agni -1, Agni-2, Agni-3, Agni-4, Agni-5 and then Agni-1 Prime, Bo5 and K-4. Regarding the other projects of the DRDO, I would say that BrahMos weapon system has already been commissioned. The Air Force version is also commissioned. I have already mentioned about the Akash Missile System. Then comes the Nirbhay Sub-Sonic Cruise Missile, Multi Mode Grenade, Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned

Aerial Vehicles Panchi-Variant of Nishant, Airborne Early Warning and Control System and Autonomous Unmanned Ground Vehicle.

Regarding the War Memorial, we are committed to complete this War Memorial and Defence University.

I thank you, Madam, for giving me this time.

HON. SPEAKER: I shall now put cut motion Nos. 12 to 25 and 29 to 31 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put cut motion Nos. 36 and 37, 52 to 57 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence moved by Shri Gaurav Gogoi to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put cut motion Nos. 48 to 51 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence moved by Shri Kaushalendra Kumar to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 19 to 22 relating to the Ministry of Defence.”

**Demands for Grants- Budget (General), 2017-18 in respect of Ministry of Defence
submitted to the vote of Lok Sabha**

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grants submitted to the vote of the House	
		1	3
		Revenue Rs.	Capital Rs.
19	Ministry of Defence (Misc.)	27743,95,00,000	5488,69,00,000
20	Defence Services (Revenue)	195309,04,00,000	
21	Capital Outlay on Defence Services		86339,95,00,000
22	Defence Pension	85737,31,00,000	

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Demands for Grants relating to the Ministry of Defence are passed.

14.57 hours**(ii) Ministry of Home Affairs**

HON. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 46 to 55 relating to the Ministry of Home Affairs.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions in respect of which intimation is received at the Table will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 46 to 55 relating to the Ministry of Home Affairs.”

**Demands for Grants- Budget (General), 2017-18 in respect of Ministry of Home Affairs
submitted to the vote of Lok Sabha**

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demands for Grants submitted to the vote of the House	
		Revenue Rs.	Capital Rs.
46	Ministry of Home Affairs	4777,00,00,000	322,97,00,000
47	Cabinet	730,00,00,000	
48	Police	6753,66,00,000	11171,64,00,000
49	Andaman and Nicobar Islands	3736,68,00,000	526,59,00,000
50	Chandigarh	3802,35,00,000	332,85,00,000
51	Dadra and Nagar Haveli	686,45,00,000	389,16,00,000
52	Daman and Diu	1288,09,00,000	296,95,00,000
53	Lakshadweep	1083,26,00,000	165,65,00,000
54	Transfer to Delhi	758,00,00,000	
55	Transfer to Puducherry	1411,01,00,000	72,00,00,000

Hon'ble Speaker: Now, Shri Mallikarjun Kharge.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज सदन में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसके लिए चार घंटे की चर्चा देना बहुत ही कम है। क्योंकि राज्य में सरकार उन्हीं इलाकों को समझती है, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट है तो लोग उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं। आपको मालूम होगा कि किसी डिपार्टमेंट की कोई भी समस्या हो, लोग डिप्टी-कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार या पुलिस ऑफिसर के सामने जाकर बैठते हैं।

14.58 hours

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

Governance is actually done by only two Departments in the State and people expect their grievances to be redressed there only. यहां भी तीन डिपार्टमेंट्स को बड़े महत्व से देखा जाता है। एक गृह मंत्रालय, दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री और तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये तीन बड़े महत्व के डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन इन पर कम ध्यान क्यों दिया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज डिफेंस मिनिस्ट्री की अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू भी हो गई और खत्म भी हो गई। ... (व्यवधान) मैं यही बैठा हूँ।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): कल दो घंटे डिफेंस के बारे में चर्चा हुई थी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मुझे मालूम है, मैं कहीं नहीं गया था। मैं आपको लेकर ही चलता हूँ और लेकर ही आता हूँ। आज होम डिपार्टमेंट लिया गया है। होम डिपार्टमेंट का रिप्लाइ अगर आप मंडे करें तो अच्छा है।

15.00 hours

बोलने वाले बोलते हैं, सोमवार को आप ठीक ढंग से भी रिप्लाइ कर सकते हैं और हम भी पूछ सकते हैं। आज शुक्रवार रहने की वजह से आपको तो मालूम है कि आखिरी समय में बहुत से लोग चले जाते हैं, कुछ उनकी पूछताछ भी जो करते हैं, वह नहीं होती है। अगर आप नए मुख्य मंत्री बन कर यू.पी. जा रहे हैं, तो मैं अभी बोलूंगा। ... (व्यवधान) अगर आप यू.पी. जा रहे हैं और सोमवार को रिप्लाइ नहीं हो सकता है तो यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सर, मीडिया का काम खड़गे जी ने कब से करना शुरू कर दिया है। ... (व्यवधान) जो काम मीडिया वाले नहीं कर पाए, वह काम खड़गे जी कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जब से आपने बोला है, तब से कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) ठाकुर जी, जो आपने मुझे बताया है, वही बता रहा हूँ। ... (व्यवधान) इसीलिए ये तीन बड़े ही महत्व के विभाग हैं। इन पर हमेशा कम से कम एक-एक दिन की चर्चा होनी चाहिए। हर देश की एक तरफ रक्षा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और तीसरी तरफ कानून एवं व्यवस्था और हर राज्य सरकार के साथ संबंध, फेडरल सिस्टम में सीधे तौर पर आपके साथ होते हैं। चाहे वह तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, हर राज्य का आदमी और हर राज्य का राज्यपाल आपसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जो भी समस्याएं हैं, उनको आप ही हल कर सकते हैं। इसीलिए यह मेरी विनती थी। इस विनती को लोकतंत्र में मान्यता मिलती है। लेकिन यहां पर तो सब बुल्डोज़िंग हैं। आप कुछ भी कहो, उसको मानने का नहीं है। आप कहो हम सुनते रहेंगे और उसको नकारते रहेंगे। यह उनकी आदत बन गई है। लेकिन कम से कम राजनाथ सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दूसरे लोगों को अनुभव नहीं है, अगर वे ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपको तो इसमें इंटरस्ट ले कर हम सबकी हिफाजत भी करनी है। लोकतंत्र की हिफाजत करनी है। संविधान की भी रक्षा करनी है और सब लोगों की देखभाल भी आपको करनी है। महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होते हुए भी इसको बजट में सबसे कम पैसा दिया गया है। मुझे पता है कि आप आंकड़ें देते हैं, लेकिन आप पर्सेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तब आपको सच्ची कहानी इसमें मिल जाएगी या सच्ची बात आपको मालूम हो जाएगी। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कहता हूँ। इस बजट में आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि जो महत्वपूर्ण हैड्स हैं, इसमें सन् 2016-17 में तो कम खर्चा हुआ है और सन् 2017-18 के बजट में भी फण्ड्स कम रखे गए हैं। इससे यह साबित होता है कि बहुत से फण्ड्स को इस्तेमाल करने में या तो सरकार विफल हुई है या फिर महत्वपूर्ण विभागों के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है, उन संस्थाओं को फण्ड्स देने में या तो वित्त मंत्रालय कंजूसी कर रहा है या फिर आपका दण्ड है, उसको आप नहीं चला पा रहे हैं। आप सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं। आप कैबिनेट में नंबर दो के मंत्री हैं। आपकी बात तो सबसे पहले चलनी चाहिए। आप जितना मांगते हैं, उतना देना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) : वे इतने अच्छे मंत्री हैं, आप उनको नंबर दो बोल कर उनका करियर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं चाहता हूँ कि वे नंबर - 1 पर आएँ। लेकिन वे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ मोदी सरकार - मोदी सरकार हो रही है। कम से कम वे बीजेपी सरकार बोलते तो नंबर-1 पर आ जाते थे। ... (व्यवधान) लेकिन इस मंत्रालय को वित्त विभाग से बहुत कम मदद मिल रही है। यह अच्छी बात नहीं है।

खास कर नक्सलवाद की समस्या को देखिए कि यह तो उग्रवाद की ओर बढ़ रहा है, यह आप सभी को मालूम है। बीच में कम होता है, फिर उभरता है, फिर कम होता है और नई-नई घटनाएं घटती रहती हैं।

मैं आपके सामने आँकड़े रखूँगा कि माओवाद के वर्ष 2015-16 के मुकाबले में, वर्ष 2015 में कितने थे और वर्ष 2016 में कितने हो गये, सिक्वोरिटी फोर्सज किल्ड वर्ष 2015 में 171 थे, वर्ष 2016 में 213 हो गये तो ये बढ़ गये या घट गये। सिक्वोरिटी फोर्सज किल्ड वर्ष 2015 में 59 थे, वर्ष 2016 में 65 हो गये। नम्बर ऑफ एन्काउन्टर्स विद पुलिस वर्ष 2015 में 247 थे।..(व्यवधान) आपकी हुकुमत में ही लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ।..(व्यवधान) डॉ० साहब यह चिल्ड्रेन स्पेशियलिस्ट नहीं है, यह तो एडल्ट का है, आप जरा बैठिये।

नम्बर ऑफ एन्काउन्टर्स विद पुलिस वर्ष 2015 में 247 और वर्ष 2016 में 328 हो गये तो ये बढ़ गये या घट गये, यह आप देखिए। जो आँकड़े आपने प्रोवाइड किये थे, उनके आधार पर हम बोल रहे हैं। हम आपको नीचा दिखाने के लिए या आपकी कमजोरी निकालने के लिए नहीं, जो आँकड़े हमें दिये थे, उन आँकड़ों को हम आपके सामने और देश के सामने रख रहे हैं।

इसके अलावा इंटीग्रेटिड एक्शन प्लान वर्ष 2010-11 में शुरू हुआ था, फिर इसके बाद में इसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को ध्यान में रखकर इसमें वर्ष 2015-16 में कम से कम 1,64,859 प्रोजेक्ट्स लिये थे। उसमें कम्प्लीट आपने जो किये थे, यह तो कान्टिन्यूअस प्रोसेस है, 1,39,729 प्रोजेक्ट्स आप पूरे कर सके। अब इसको बन्द किया गया है, इसको स्टॉप किया गया है। इसकी क्या वजह है, यह मुझे समझ में नहीं आया है। सिक्वोरिटी फोर्सज को इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना चाहिए। जहाँ कहीं भी सहूलियतें देनी हैं, वहाँ पर सहूलियतें देनी चाहिएं, क्योंकि चाहे सी.आर.पी.एफ. हो, चाहे बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स हो, ये भी इतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी महत्वपूर्ण मिलिट्री है। बहुत से लोग इन डिपार्टमेंट्स को कम समझते हैं, बी.एस.एफ. के जवानों को कम समझते हैं, लेकिन वे भी उतनी ही कुर्बानी देते हैं, जितना एक जवा बॉर्डर के ऊपर देता है। इसीलिए इधर ध्यान देना जरूरी था, लेकिन इसमें भी आपने कमजोरी दिखायी है।

मैं सिक्वोरिटी रिलेटिड एक्सपेन्डिचर पर एक आँकड़ा आपको और देना चाहता हूँ। वर्ष 2015-16 में 869 करोड़ रुपया खर्च हुआ। रिवाइज्ड एस्टीमेट 1,390 करोड़ रुपया हुआ, लेकिन इस वक्त वर्ष 2017-18 में इसको 1,390 करोड़ रुपया रखना चाहिए था, क्योंकि आपने रिवाइज्ड एस्टीमेट में उतना खर्च किया, इस वक्त भी उतने ही पैसे की जरूरत थी, लेकिन आपने उसको घटाकर 1,222 किया, यानी 12 परसेंट माइनस किया। ऐसा क्यों है? क्या अब नक्सलाइट ठहर गये हैं, क्या यह एक्स्ट्रीमिज्म रूक गया है, क्या आतंकवादी गतिविधियाँ बन्द हो गयी हैं? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्यों घटा रहे हैं?

मुझे मालूम है, जेटली जी ने कहा कि हमारी जो रेवेन्यू रहती है, उसके तहत हमको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन, चंद चीजें इतनी जरूरी होती हैं कि उन्हें पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जैसे डिफेंस है, लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए होम अफेयर्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये प्रायोरिटीज़ हैं, रूरल डेवलपमेंट भी है, सभी हैं। लेकिन, उसमें पहले यह देख लीजिए कि देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। लॉ एण्ड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो कारखाने अच्छे होते हैं, झगड़े कम होते हैं। जब वातावरण शांत रहता है तो सभी कुछ ठीक चलता है। आप दूसरी और चीजों को कितनी भी प्राथमिकता दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यह एक तरफ है।

दूसरी तरफ पुलिस फोर्सिज़ का मॉडर्नाइजेशन है। इसमें भी आप हर साल पैसे घटाते जा रहे हैं। पहले आडवाणी जी के समय में एक स्कीम थी। उसे फूड-फोर-वर्क के साथ जोड़ कर बहुत सी स्टेट्स को पैसे दिए जाते थे। मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत पुलिस स्टेशंस बनाए जाते थे। एस.पी. ऑफिस को भी पैसे दिए जाते थे, व्हीकल्स के लिए भी पैसे दिए जाते थे, इक्विपमेंट्स के लिए पैसे दिए जाते थे। उसे बंद करके आपने स्टेट की पुलिस को कमजोर कर दिया, क्योंकि स्टेट की पुलिस भी आज सिर्फ लॉ एण्ड ऑर्डर ही नहीं देखती। उनके पास बहुत से काम हो गए हैं। वह हर सेंट्रल एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी देखती है। वहां पर अगर नक्सल एक्टिविटीज़ हो गयीं, तो उसे भी देखती है। टेरेरिस्ट एक्टिविटीज़ को देखती है, रेलवे एक्सीडेंट्स होने पर उसे वहां पर जाना पड़ता है। इतना सब कुछ स्टेट वालों को भी करना पड़ता है। वर्ष 2017-18 में आपने इसके लिए 800 करोड़ रुपए रखे हैं। पहले इसमें 845 करोड़ रुपए थे। उसे घटाकर आपने 800 करोड़ रुपए कर दिया। उसमें भी -5% है, यानी अगर हर चीज़ में माइनस है तो यह क्यों हो रहा है? क्या आपकी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच नहीं जम रही है? क्या आपके डिपार्टमेंट को विफल करने के लिए ऐसी कोई साजिश चल रही है? इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं उनके ही आंकड़े दिखा रहा हूं। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, वही मैं यहां पर प्रस्थापित कर रहा हूं। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 में प्रोफेशनल सर्विसेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स एण्ड एम्युनिशंस, रिसर्च, आई.टी. जैसे हेड्स में बजट का पैसा खर्च ही नहीं हुआ। आप पूछ लीजिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge Ji, as you are highlighting, defence is very important as it involves country's security. Secondly, law and order is another important thing. Those kings, who ruled this country, gave importance to law and order in those days. We are the rulers now. We have to allocate more funds to the Ministry of Home Affairs. Only then we can improve law and order. That is very important. The other day, the Minister of Rural Development was talking about

development. After the death of a person, what is the importance of rural development for him? In order to protect the lives of citizens, the Ministry of Home Affairs must be given more importance next to Defence and it must be given more funds. Then, they can give funds to the State Governments to modernize the Police also.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : That is why, initially I told that if law and order is good, everything is good. If you keep peace, all industries will run. If industries close, then there will be no taxes, no income and no salary and they will also go. Therefore, I am insisting that he should assert and should get more money.

HON. DEPUTY SPEAKER: Then, the whole House will support.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सर, उत्तर प्रदेश में यही तो था। लॉ एण्ड ऑर्डर खराब था।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपकी हालत पहले क्या थी, यह हमें मालूम है। आपका हाल बेहाल था। अब थोड़ी हालत ठीक हो गयी है। उसे थोड़ा पचा लीजिए। ज्यादा खाने की मत सोचिए, उसे थोड़ा पचा लीजिए।

सर, वर्ष 2016-17 में प्रोफेशनल सर्विसेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स एण्ड एम्युनिशंस, रिसर्च, आई.टी. जैसे हेड्स में बजट का पैसा ही खर्च नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ पैसे नहीं हैं और दूसरी तरफ जो पैसे दिए गए, उन्हें खर्च नहीं किया गया।

अब तीसरी चीज़ यह है कि नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड जैसे संवेदनशील संगठन के लिए वर्ष 2016-17 में 45 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसमें से आपने सिर्फ 18 करोड़ रुपए खर्च किए। You say that you do not have money and we are also saying that. But, on the other hand, whenever money is given, you are not utilizing that money properly and are surrendering it.

Even Assam Rifle, BSF, ITBP और एस.पी.जी. की हालत तो ऐसी है कि वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी खर्च नहीं किया गया है। आप कहते हैं कि हमें जवानों को बहुत कुछ देना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको जो पहले दिया गया है, उनको पहले खर्च कीजिए, लेकिन वहां पर भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है।

इंडो-पाक बॉर्डर एक इम्पोर्टेंट विषय है। वर्ष 2016-17 में सिर्फ 120 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन इसमें से सिर्फ 50 करोड़ रुपये खर्च हुए। आपके डिपार्टमेंट में आपके होते हुए अगर 120 करोड़ रुपये में से मात्र 50 करोड़ रुपये खर्च होते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह है, आप ने इसे रिव्यू क्यों नहीं किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर इसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो आपको सॉल्व करना चाहिए। इसके बजाय जो दिया हुआ पैसा है, आप उसे खर्च नहीं कर रहे हैं। आप ने इस साल कितनी राशि रखी है, आप ने सौ करोड़ रुपये रखा है। पहले 120 करोड़ रुपये थे और इस साल 100 करोड़ रुपये है। आपने पहले 50 करोड़ रुपये खर्च किए, अब कितने करने वाले हैं, यह मुझे मालूम नहीं है।

अब हम कोस्टल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसमें भी वर्ष 2016-17 में 710 करोड़ रुपये का एलोकेशन हुआ था, लेकिन खर्च मात्र 20 करोड़ रुपये हुए। ये आँकड़ें आपके ही हैं। अगर हम इस ढंग से काम करते हैं तो सुधार कैसे होगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसी ढंग से नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन के लिए पिछले साल 35 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन खर्च 22 करोड़ रुपये हुए। मैं एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मेरे पास इस बारे में सारे आँकड़े हैं।

अब मैं टेरेरिज्म के बारे में आता हूँ। अभी आतंकवाद तो काफी बढ़ रहा है। इस सदन में हमने इस संबंध में बात भी की है और आपने भी इसका उत्तर दिया है। इसके बावजूद भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ। आपने इसकी जांच के लिए फिलीप कैम्पोस कमेटी बिठाई, उसकी रिपोर्ट मई 2016 में आई। इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें क्या-क्या चीजें हैं, उन्होंने क्या सलाह दी है और आपने उस रिपोर्ट के आधार पर क्या इम्प्रूवमेंट किया है। आपको यह जरूर बताना होगा, नहीं तो कमेटी बनाने से क्या फायदा है। इसका कोई फायदा नहीं है। **You had constituted a Committee and it gave its report but you did not disclose it. Nearly ten months have passed. This is your working system.**

दूसरी तरफ टेरेरिस्ट इनफिल्ट्रेशन और सीज़फायर पर अगर आप आँकड़ा ले, तो वर्ष 2015-16 के मुकाबले में वर्ष 2016-17 में ये आँकड़े बढ़े हुए हैं। अब उदाहरण के तौर पर **number of incidents in 2015 were 208, in 2016 – 322; civilians killed in 2015 – 17 and now 50; security forces killed in 2015 – 39 and now 82; terrorists killed – 108 and now 150; infiltrations – 33 and now in 2016 – 112. So except two items, rest have increased.** अगर सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेगी, तो निश्चित रूप से इसका पूरा असर देश पर आएगा और देश में उग्रवाद भी बढ़ेगा। इससे लॉ एंड आर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। यहां पर हर चीज

डिस्ऑर्डर हो जाएगी। इसी ढंग से जम्मू व कश्मीर में आर्मी और बी.एस.एफ के बारे में वर्ष 2015-16 के हिसाब से कम्पेरिटिव स्टेटमेंट देखेंगे, तो पता चलेगा कि यह भी बढ़ गया है। इसमें आर्मी के जो पहले 17 लोग थे, अब 74 लोग मर गए। बीएसएफ के वर्ष 2015 में 9 तो वर्ष 2016 में 25 लोग मरे। ये सारे आंकड़े ये दिखाते हैं कि यह बढ़ रहा है। यह अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, तो अच्छे दिन कैसे लाएंगे, क्या यही हैं, अच्छे दिन। सभी को ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ काम किए और हमारी सरकार बहुत अच्छी है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ... (व्यवधान) यह कहां है, कहां गया मैक्सिमम गवर्नेंस? मैं यह आंकड़े के साथ कह रहा हूं। ... (व्यवधान)

आपने महिलाओं के लिए निर्भया फंड तैयार किया। वीमेंस के ऊपर जो बहुत से क्राइम्स बढ़ रहे थे और हो रहे थे, खासकर दिल्ली और मेट्रोपोलिटन सिटीज में, चाहे बेंगलूरु हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो या दूसरी जगह हों। उनके लिए उस वक्त आपने फंड रखा। वर्ष 2016-17 के कैपिटल आउट-ले में 71 करोड़ रुपये आपने रखे और रिवाइज्ड एस्टीमेट में 2016-17 में उसको घटाकर 13 करोड़ रुपये कर दिया और वर्ष 2017-18 में 23 करोड़ रुपये रखे। पहले दिखाने के लिए 71 करोड़ रुपये, उसके बाद आपने खर्च किये 13 करोड़ रुपये और आज रखे 23 करोड़ रुपये, क्या महिलाओं के प्रति क्राइम स्टॉप करने के लिए ये स्टेप्स ठीक हैं? ये चीजें जो आप कर रहे हैं, इससे आप क्राइम्स को कैसे रोक पायेंगे और निर्भया फंड का जिन लोगों तक फायदा पहुंचाना है, वह कैसे पहुंचायेंगे? अगर आप यह घटाते रहेंगे तो यह इंपासिबल है। हमारी तरफ यह कहावत है, जो करणी में है, उसका तर्जुमा अगर करें तो, रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। ... (व्यवधान) ऐसी हालत है। हर चीज में फेल्योर, लेकिन बोलते हैं ... (व्यवधान) हां, वही ऐंठन। इस ढंग से यह सरकार चल रही है। कुछ एचीवमेंट नहीं है। जो वे चाहते थे, जो कहते थे, उसके मुताबिक नहीं है, फिर भी हम कुछ कम नहीं हैं, हमने यह किया और जो भी बोलते हैं, जरा जोर से बोलते हैं। आपको मालूम है कि जब इधर के हमारे लोग सत्य बात कहते हैं, तो एकदम खड़े होकर कहते हैं कि यह असत्य है। ... (व्यवधान)

मैं आंकड़ों के साथ आपको यह बता रहा हूं। इसी प्रकार से एससी, एसटी के साथ एट्रोसिटीज़ भी बढ़ रही हैं। ये आज ही बढ़ रहे हैं या आज ही उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। इस देश में हमेशा उनके ऊपर अत्याचार होते ही रहे हैं। उनको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विनती के रूप में कहना चाहता हूँ और एक वार्निंग के रूप में भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में आप लोगों के ऊपर चतुरवर्ण, सनातन धर्म तत्वों को अगर थोप देंगे तो इस देश में और ऐसे ही अस्पृश्यता बढ़ेगी, बढ़ती ही रहेगी और लोग दबकर ऐसे ही बैठेंगे। इसका कोई न कोई इलाज होना चाहिए। ... (व्यवधान) मैंने डिमांड्स पर ही तो बोला कि आपने क्या-क्या किया। जरा इनको

माइक्रोफोन दे दो। ... (व्यवधान) हमारे देश में दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। जब तक इस देश से अनटचेबिलिटी नहीं खत्म होती, तब तक देश का समाज एक नहीं होगा और देश की एकता को भी बड़ा धक्का होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमें समाज को एकजुट रखना है। जब समाज को एकजुट रखना है तो हम सबका कर्तव्य होता है कि पहले हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उन्हें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखता, तो वह निश्चित रूप से फेल हो जाता है, इसलिए मैं इसका भी जिक्र करना चाहता था।

हमारा देश हमेशा डेमोक्रेसी, सोशलिज़्म और सैकुलरिज़्म पर विश्वास रखता है और हमारा संविधान भी हमें आदेश देता है कि इस देश में इन चीजों की हिफाजत हो, तभी देश सुख और शान्ति की तरफ जाता है। आज ये चीजें भी नहीं हुईं। यहां डेमोक्रेसी और सैकुलरिज़्म को तिलांजलि दी जा रही है।

जब गोवा और मणिपुर में चुनाव हुए, उस वक्त आपने क्या किया। आपको वहां मैजॉरिटी नहीं मिली। आप यूपी में भारी बहुमत से आए। पहले उसे तो पचा लीजिए। उसे छोड़कर जिस जगह आपको लोगों ने बहुमत नहीं दिया, नकार दिया, उस जगह रातों-रात तोड़-मरोड़कर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ... (व्यवधान) मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ...* उन्होंने जो लिस्ट दी है, उसमें सब पार्टीज़ के सदस्य हैं और उनकी पार्टी के केवल 13 सदस्य हैं। मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने पर्रिकर जी को कहा, आपने लिस्ट दी है, लेकिन मैं जेटली साहब से पूछूंगी और जेटली साहब से पूछकर तय करूंगी। उन्होंने 9.30 बजे जेटली साहब को फोन किया। ... (व्यवधान)

SHRI ANANTHKUMAR: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Governor's conduct cannot be discussed on the floor of the House. Therefore, I would request you to restrain the hon. Member, Shri Mallikarjun Kharge ji. He is a senior and experienced leader. ... (*Interruptions*) How can you discuss that?

HON. DEPUTY-SPEAKER: Without mentioning the Governor, he can say whatever he wants to say. Without mentioning the Governor, let him say whatever he wants to say.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : This is not unparliamentary. This is as per parliamentary procedure and as reported by even the newspapers. A letter was

* Not recorded

also written by the Governor to Shri Parrikar on 12th March, 2017. The results were announced on 11th March, 2017 at 7 p.m. The letter was given at 2 o'clock.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharge ji, you raised this matter two days back. Our hon. Speaker was in the chair. The hon. Speaker gave the ruling that in this House we cannot discuss the conduct of the Governor or the functioning of the Governor. She gave that ruling. According to that, you can speak.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: On the Adjournment Motion only she mentioned this. The record is there. When Kharge ji gave the notice for Adjournment Motion, she gave the ruling that the conduct of the Governor cannot be discussed here. That is the ruling.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That cannot be discussed in the House. That is all.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): This is the debate on the Demands of the Ministry of Home Affairs. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I understood what you wanted to say. Please take your seat. Already there is a ruling. I cannot go beyond that. When the hon. Speaker has given the ruling, we have to according to that.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: We come across many issues in the newspaper. We cannot take up all those things here.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Hon. Speaker's ruling was on Adjournment Motion only. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The ruling of the Speaker was on discussion on the Governor's conduct.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I want to bring it to your kind notice that an Adjournment Motion was given and the same was not admitted. It was totally rejected. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: While giving the reasons, she gave this ruling. I was there at that time.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : ... * Here, I am referring to the Department of Home Affairs, which is connected, and we are debating to vote on the Demands of the Ministry of Home Affairs. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The conduct of the Governor cannot be discussed.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: In whatever manner, and in whatever discussion, the hon. Member wanted to raise the issue and wanted to discuss the conduct of the hon. Governor, it is not acceptable. It is out of procedure.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Without mentioning the Governor, you may speak or say whatever you want say.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: There is a way to tell. You are an experienced Member. You can say without mentioning the Governor.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I never took the name of Governor. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You cannot talk about a particular State Governor.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am also submitting a letter which may be placed on the Table of the House. What is this then? You have not accepted the fact. ... (*Interruptions*)

* Not recorded

SHRI K.C. VENUGOPAL : Deputy-Speaker Sir, you have experience in Tamil Nadu also. ... *

SHRI ANANTHKUMAR: It is not an issue of authenticating or not authenticating by the hon. Leader of the Congress Party. It is only about whether the conduct of the Governor can be discussed or debated on the floor of the House. He cannot. He is saying that they are not discussing under the Adjournment Motion or the Demands for Grants. We cannot discuss in the House at all the conduct of the Governor. ... (*Interruptions*) The hon. Governor of any State may speak to the Finance Minister. There is no wrong in that.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Hon. Parliamentary Affairs Minister is saying that we cannot discuss the conduct of the Governor. It has come to light that a Governor had talked to a Central Minister in regard to inviting a particular person. Are you admitting that? This is the television interview given by the hon. Governor. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Shri Venugopal is misleading the House. The hon. Governor can definitely have a conversation with the Finance Minister. What conversation they had regarding the State of Goa, is up to them. The question is this. The conduct of the Governor cannot be debated on the floor of the House. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : ...* That is what the television interview has brought out. It is highly undemocratic. How can you justify that? ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will give the ruling.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Where else can we discuss these issues? We are discussing the Demands of the Ministry of Home Affairs. ... (*Interruptions*)

* Not recorded

HON. DEPUTY-SPEAKER: If you want to discuss about the conduct of the Governor, there is a procedure. In that way, you can discuss, not straight away like this. There are procedures for impeachment, etc. You give notice.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Mr. Deputy Speaker, Sir, we are discussing the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. In the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, it is written categorically that the relevant issue should be discussed. ... (*Interruptions*) I know you are a learned person. I also know a little bit. ... (*Interruptions*) During the discussion on the Demands for Grants, can we discuss the conduct of the Governor or a television interview given by somebody to somebody.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Not somebody.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Venugopal, when I am on my legs, please wait for a minute.

Sir, can we discuss the conduct of the Governor here? I want your categorical ruling on this point.

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already given the ruling that the conduct of the Governor cannot be discussed in the House. If they want to discuss anything, there is another procedure and let them follow that procedure. That is my ruling.

Khargeji, please continue your speech now.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am not discussing the conduct of Governor. I am discussing here what the Constitution says, what she replied to the Finance Minister and what the Finance Minister said to her. I have quoted that. I am not casting any aspersion or attributing any motive. I am simply telling that this has appeared in the media and everybody knows this. It means that interference from the Home Ministry is there. That is my charge. It is a question of administration and to do better administration, this House is sanctioning funds. हम

पैसे दे रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकाउंटेबिलिटी भी पूछेंगे। हम एकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए पूछेंगे। हम आपको पैसा दे रहे हैं, इसके बावजूद आपके लोग क्या कर रहे हैं, पंछी कमेटी, उसके बाद सरकारिया कमीशन, नारीमन जैसे लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ऐसे लोगों की अगर आप नहीं सुनते हैं तो किसकी सुनते हैं...(व्यवधान) प्रिंसिडेंसी है, वाजपेयी जी का प्रिंसिडेंट है। आप इतना आतुर इल्लीगल करने के लिए हैं, तोड़-मोड़ कर करने के लिए हैं। जो मिला है, पहले उसे तो सुरक्षित रख लो। उत्तराखंड आपको मिला, यूपी मिला, वहां चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए देर कर रहे हैं। But here, only 12 hours have been taken. At 7.00 p.m. results were announced and at 2 o'clock the letter was given. How can it be done? This is very important. It is the responsibility of the Home Ministry to safeguard democracy in this country and the Home Ministry is also responsible to safeguard the interests of *Dalits* in this country. I cannot go and beg somewhere else. I am begging here in this House. ... (*Interruptions*)

श्री एस.एस.अहलुवालिया: सबको कितना पैसा दिया, इसके बारे में बोलें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप देर से आए हैं, इसलिए आपने नहीं सुना। मैंने बोला कि बीएसफ को कितना पैसा दिया, मॉडर्नाइजेशन को कितना पैसा दिया। ...(व्यवधान) आप हमेशा गलत समझ लेते हैं तो मैं क्या करूं।

Sir, the letter says like this. 'I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint Shri Manohar Parikkar as the Chief Minister of the State of Goa. He will assume office from the date he is administered the oath of office and secrecy.' ... *

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, the communication of the hon. Governor of Goa, about incumbent Chief Minister, about letter written and authenticating of the letter -- all these should be expunged from the records... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : How can you do it?... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I have already given my ruling.

... (*Interruptions*)

* Not recorded

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : This is relating to the Ministry of Home Affairs... (*Interruptions*) He is our guardian; he is the guardian of the democracy; and he has to safeguard it... (*Interruptions*) What is this?

The hon. Minister can respond afterwards... *

Sir, there were four /options. First was, the group of parties, which had pre-poll alliance commanding the largest number. Second was, the single largest party staking a claim to form the Government with support of others. Third was, the post electoral coalition with all partners joining the Government. Fourth was, the post electoral alliance with some parties joining the Government and the remaining, including the independents, supporting the Government from outside.

ये जो चीजें हैं, वे इसमें एक में भी नहीं आते।... *

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, I am on a point of order.

The hon. leader of the Congress party in the Lok Sabha is very experienced Member. खड़गे जी बहुत अनुभवी हैं और नौ बार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। ... (व्यवधान) उन्हें कर्नाटक वापस जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमारे ऊपर बरस रहे हैं।

Sir, if you see, rule 352(v) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha says:

“A member while speaking shall not (v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms”

Sir, here, we are having a discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. Kharge-je started the debate, of course, with wrong numbers being dialed and spoken in this august House, about various items in the Demands for Grants. That is okay. But I do not understand, how come he has started his discussion on the conduct of the hon. Governor of Goa, Manipur and other States?

* Not recorded

Sir, you have been continuously reminding him that the hon. Speaker's ruling is there while he tried to move the Adjournment Motion on this issue.

Sir, you also gave twice your own ruling that he cannot discuss such issues. You also very clearly gave a ruling that whatever he has spoken on this issue, should not go on the records of the House. Despite that, he is continuously repeating the same things.

Through your kindness, I urge the hon. Leader of the Opposition to restrain himself, and continue and conclude his speech on the Demands for Grants... (*Interruptions*) Sir, he has taken more than his party's allotted time.

HON. DEPUTY-SPEAKER: That I will take care of.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I am on a point of order.

The Minister of Parliamentary Affairs was just mentioning rule 352(v), in which it is mentioned that people in high authority cannot be discussed excepting by a properly worded and framed motion. That is all right. We all know that.

But you please read Demand No. 47 of the Ministry of Home Affairs -- the Development Heads, General Services, President/Vice-President/Governor/Administrator of Union Territories, for which certain money is allocated.

Now, Governor is in the Ministry of Home Affairs' Demand No. 47, Cabinet. So, how come you say that Governor cannot be discussed? He is not discussing but Governor can be discussed. You read this Demand....

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, Prof. Saugata Roy should understand that they can definitely discuss about the expenditure part of the hon. Governor but not any other thing.... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : If you discuss expenditure, ... *

SHRI K.C. VENUGOPAL : ... *

* Not recorded

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am not criticizing the Governor or his conduct. Simply, I am pointing out as to how the Central Government is misusing its powers in the States. We are living in a Federal structure of Government. They should respect the Constitution.... (*Interruptions*)

मोदी जी, हमेशा कहते हैं और हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोट करते हैं, कल भी उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोट किया।... (व्यवधान) क्या आप पेपर नहीं पढ़ते हैं? हमेशा पेपर पढ़ना चाहिए, टी.वी. देखना, दूसरे लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे भी सुनना, मोदी जी क्या कहते हैं, उसे भी सुनना, हमारी बात भी सुनना चाहिए। हमेशा मोदी जी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश को ऐसा संविधान दिया है, जिसके तहत हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। सेकुलरिज्म आदि जो भी उसूल हैं, उन सभी तत्वों को हम अपनाएंगे, ऐसा उनका कहना है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? ...* इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, आपने भी पढ़ा होगा। ... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, there are only three BJP Ministers, apart from them, there are nine from other parties. ... *

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge ji, please wind up. There are many members to speak. I cannot allow this discussion like that.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, Dr. Ambedkar said:

“...it is quite possible in a country like India – where democracy from its long disuse must be regarded as something quite new – there is danger of democracy giving place to dictatorship. It is quite possible for this new born democracy to retain its form but give place to dictatorship in fact. If there is a landslide, the danger of the second possibility becoming actuality is much greater.”

When they get absolute majority; when they get thumping majority; there is every possibility that this may lead them to dictatorship.

Sir, I want to finish by quoting the same thing what Dr. Ambedkar said in 1949. He said:

* Not recorded

“The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not “to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enable him to subvert their institutions”.”

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge ji, please wind up.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, Dr. Ambedkar further said:

“This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world.”

यह आपके लिए बोलना इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा हीरो की वर्शिप करते हैं, एक ही का नाम बोलते हैं, अपनी पार्टी का भी नाम नहीं बोलते हैं। ... (व्यवधान)

He further said, *bhakti* in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, *bhakti* or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship.

If things go on like this, there will be dictatorship. Therefore, I request the Minister to control everybody according to law and you run the Government according to the Constitution. I hope, at least now you will take this suggestion very seriously.

With these words, I conclude.

HON. DEPUTY SPEAKER: I want to inform the House, those Members who want to lay their written speeches – that can also be taken into consideration – they are allowed to lay them.

CUT MOTIONS

श्री हरीश मीना (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने अभी सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य और कर्नाटक लोक सभा संसदीय क्षेत्र के नौ बार सदस्य रहे आदरणीय खड़गे जी को बड़े ध्यान से सुना है। इन्होंने अपनी बात एक घंटे में कही है, शायद उसे वह पांच मिनट में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उनकी अपनी सोच है और अपना विचार है।

सर, आज गृह विभाग के बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद एवं अपराध को डील करता है। वर्ष 2014 से पहले की स्थिति के बारे में मैं खड़गे जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्या स्थिति थी। आतंकवादियों द्वारा दो पूर्व प्रधान मंत्रियों की हत्या कर दी गयी, एक मुख्य मंत्री की हत्या कर दी गयी, उससे कोई शहर बचा हुआ नहीं था। हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई भी नहीं बची हुई थी, हमारे देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली और यह सदन भी आतंकवाद का शिकार हो चुका है। इन परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा था कि हर हिन्दुस्तानी आतंकवाद से परेशान था, चाहे वे नेता हों, व्यापारी हों या आम आदमी हों। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : होगा या नहीं होगा, उस वक्त तो वे हमारे साथ थे। ... (व्यवधान)

श्री हरीश मीना : सर, मैं अभी भी सदन में आपके साथ हूँ। मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ।

सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में वर्ष 2014 का चुनाव हुआ। आम हिन्दुस्तानी आतंकवाद और अपराध से त्रस्त था। आतंकवादियों की यह भावना थी कि सरकार हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। एक तरह से अपराध और आतंकवाद का तुष्टीकरण हो रहा था। हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, जबकि अपराध की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। अपराध को मेरिट पर ट्रीट करना चाहिए, उसको नियम के अनुसार ट्रीट करना चाहिए, उस बैकग्राउंड में वर्ष 2014 के चुनाव हुए और इस देश की जनता ने सभी भेदभाव भुला कर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी और एक ही संदेश दिया कि हमारा इस आतंकवाद से पीछा छोड़ा दें, देश में कानून-व्यवस्था स्थापित कर दें। उस बैकग्राउंड में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली। अब यह जनता क्या चाहती है, जिसके लिए यह बजट आपके सामने आया है। जनता यह चाहती है कि हम चैन की नींद सोयें, जब वे ऑफिस से घर आयें तो हमें किसी आतंकवादी या अपराधी का खतरा न हो।

मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पिछले तीन सालों में किसी बड़े शहर में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुयी है। एक काम करने वाली सरकार का और वायदा निभाने वाली सरकार का यह फायदा देश को मिला है। मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया था कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपके देश को पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त कर दूंगा और बिट्टू जी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये बार्डर स्टेट से आते

हैं। बिना किसी हिंसा के सफलतापूर्वक इनके राज्य में चुनाव सम्पन्न हुए हैं। यह हमारी सरकार की और नेतृत्व की उपलब्धि है।

महोदय, आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार की नीति कामों से बोलती है। आंतरिक सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए वर्ष 2017-18 के बजट में गृह विभाग के लिए 83 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। यह इस बात का द्योतक है कि हम अपराध के प्रति, आतंकवाद के प्रति, असुरक्षा के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह नीति फलीभूत होगी, जो केंद्र सरकार का सही दिशा में उचित कदम है। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक संगठन नेशनल सिव्योरिटी काँसिल सचिवालय है। इसकी अहमियत और रोल को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने इस सचिवालय के लिए वर्ष 2015-16 के लिए जहां इसका बजट 25 हजार करोड़ रुपये का था, उसे इस साल बढ़ा कर 33,358 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें रखा है। इससे लगता है कि सरकार की नीति में, करनी में, सोच में कोई फर्क नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा देश अपराध मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, भयमुक्त हो और आम जनता चैन की सांस ले। ये नीतियां इसी बात की द्योतक हैं।

महोदय, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा बलों की ड्यूटी है कि देश को बाहरी शत्रुओं से भी बचाएं और आंतरिक शत्रुओं से भी बचाएं। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर खर्चा गत वर्ष के मुकाबले पांच हजार करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे लगता है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमारी सरकार ने केंद्रीय बलों को आतंकवाद और अपराधियों से डील करने की पूरी छूट दी है और इसमें किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। गृह मंत्री हर बार अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि इन घटनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ट्रीट करें और जो जैसी भाषा समझता है, वैसी भाषा में उन्हें समझाओ। मंत्री जी की इन्हीं नीतियों की वजह से हमारा देश सुरक्षित और शांत है।

महोदय, खड़गे जी ने महिला सुरक्षा की बात कही है और सभी जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे हर व्यक्ति, हर जिला, हर गांव, हर शहर इससे प्रभावित होता है। ऐसी घटनाओं से हमारे देश की छवि पर भी फर्क पड़ता है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हम स्वीकार करते हैं कि महिलाएं हमारे समाज का एक कमजोर तबका है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनके हित की रक्षा करनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में 10,506 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है। प्रेमचन्द्रन जी, यह इस बात का प्रतीक है कि हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यह बात इसी के अंतर्गत आती है। पैसा आबंटित किया गया है और

पैसा खर्च भी किया जाएगा तथा पैसे का सदुपयोग होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

महोदय, एक चीज 70 सालों से कभी देश में नहीं हुई थी और देश की बड़ी समस्या थी। हमारे यहां तरह-तरह के विस्थापित आए थे। इस समय के ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए थे। लोगों का एक ऐसा वर्ग था जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे और कश्मीर में रह रहे थे। 70 सालों से उन्हें कोई देख नहीं रहा था। यहां बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आए, उन्हें सुविधाएं मिलीं। जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, उन्हें सुविधाएं मिलीं, लेकिन जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए थे और कश्मीर में भारत सरकार ने इनका पुनर्वास किया था, इन्हें कोई सुविधा नहीं थी।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : उस समय वेस्ट पाकिस्तान नहीं था, वेस्ट पंजाब था।

श्री हरीश मीना : मैं तत्कालीन वेस्ट पंजाब की बात कह रहा हूं। चूंकि यह मेरा पहला भाषण है और मैं मेडेन स्पीच दे रहा हूं इसलिए मुझे बेनीफिट आफ डाउट दें।

महोदय, वेस्ट पंजाब से जो रिफ्यूजी आए थे और कश्मीर में बसाए गए थे, इनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं थी।

16.00 hours

सरकार ने पहली बार बजट में 32 पर्सेंट धनराशि की बढ़ोतरी करते हुए इनके पुनर्वास और सुविधाओं के लिए प्रावधान किया है। इससे उन लोगों को तथा उनके बच्चों को राहत मिलेगी। इसके लिए श्री राजनाथ सिंह जी को और उनके मंत्रालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

यही नहीं, अभी खड़गे जी बोल रहे थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हाँ, आँकड़े बताते हैं, ये बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें केन्द्र सरकार का बहुत कम रोल होता है। क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन राज्य सरकार का विषय है। इसमें केन्द्र सरकार राज्य को सहायता देती है, लेकिन उसे डील करना राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। केन्द्र सरकार का विषय आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा से संबंधित है। उसके बजट से संबंधित मैं बात करना चाहूँगा। हमको इस पर राजनीति नहीं करनी है, स्पष्ट बात कहनी है, अच्छे काम को अच्छा कहना है, जहाँ सुधार की आवश्यकता वहाँ सुधार भी अवश्य की जाएगी। समय-समय पर हमारी सरकार का यही प्रयास रहता है।

देश की थल एवं जल सीमा का महत्त्व समझते हुए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया गया है। लैंड बॉर्डर्स, सी-बॉर्डर्स और कोस्ट गार्ड के बजट में भी बढ़ोतरी की गयी है ताकि हमारे देश को बाहरी दुश्मनों से, बाहरी शक्तियों से किसी तरह का खतरा न हो।

केन्द्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा की जो एजेन्सीज़ हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेंज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग फ़ैसिलिटीज़, हाउसिंग फ़ैसिलिटीज़, इंफ़्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर आदि हर हेड में धनराशि की बढ़ोत्तरी की गयी है। इनमें इसलिए बढ़ोत्तरी की गयी है ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़े। जब वे कार्यकुशल होंगे, तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे, देश में लोग राहत की सांस लेंगे और शांति-व्यवस्था स्थापित होगी।

इसके साथ ही, आदरणीय गृह मंत्री को मेरा कुछ सुझाव भी है। पूरे जम्मू-कश्मीर में करीब दो सौ पुलिस स्टेशंस हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस की जो स्ट्रेन्थ है, जिसमें पुलिस फोर्स, एसपीओज़ और होम गार्ड्स को मिलकर यह संख्या एक लाख से ऊपर है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर समय-समय पर केन्द्रीय बलों की भी सहायता दी जाती है। उसे भी हमें ध्यान में रखना है कि यदि वहाँ ऐसी स्थिति है, तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है।

मैं आपके समक्ष केरल का एक उदाहरण देना चाहूँगा। वर्ष 2006 में केरल में एक प्रयोग किया गया था। वहाँ एक योजना लायी गयी थी, जिसके अंतर्गत जनता, खास तौर से युवाओं और पुलिस के बीच में जो दूरी है, उसको समाप्त करने के लिए लायी गयी थी। स्टूडेंट कैडेट - पुलिस प्रोग्राम नामक योजना के अंतर्गत दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के बच्चों और उनके परिजनों को पुलिस के नजदीक लाना था ताकि वे लॉ-एबाइडिंग सिटीज़ंस बनें। आज का यूथ ही कल का नागरिक है और आगे चलकर हमारे देश का भविष्य है। इस स्कीम को बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करूँगा। शिक्षा राज्य का विषय है। राज्य अपना इंतजाम करे, पर जहाँ-जहाँ केन्द्रीय विद्यालय हैं, वहाँ इसे करना चाहिए। केरल में इस योजना को देखते हुए ही हमने इसे वर्ष 2012-13 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। राज्य सरकारों को इसमें प्रौब्लम हो सकती है, लेकिन केन्द्रीय विद्यालय, जो केन्द्र सरकार के अधीन हैं, उनके माध्यम से इस योजना का प्रयोग किया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी होती थी, इससे होकर जो विद्यार्थी निकलते थे, वे वर्दी की रिस्पेक्ट करते थे, लॉ की रिस्पेक्ट करते थे। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के माध्यम से आप जिस स्टेट में भी आप चाहें, इसका प्रयोग जरूर करें। इसके जो परिणाम हों, उसके आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाए। यह एक नयी योजना है, जो जनता और पुलिस के बीच में नजदीकी बढ़ाता है।

केरल में लागू किये गये स्टूडेंट कैडेट-पुलिस योजना का उद्देश्य भ्रमित युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, उनमें कानून के प्रति जागरूकता पैदा करना, विद्यार्थियों को सजग, शांतिपूर्ण मूल्य आधारित समाज के लिए तैयार करना था ताकि वे अनुशासन और विधि-पालन को अपने स्वाभाविक जीवन शैली के रूप में विकसित कर सकें। वर्ष 2006 में केरल सरकार द्वारा किया गया यह प्रयास था, जिसे प्रैक्टिस में लाया गया था। It is a good practice appreciated by every Government. I think the Government of India should take a lead in this.

महोदय, इसके साथ ही मैं एम.एच.ए. के अंडर बी.ए.डी.पी. फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार बार्डर स्टेट्स के लिए फंड एलॉट करती है। केंद्र सरकार इस प्रकार के फंड्स को देकर भूल जाती है। केंद्र सरकार की 'दिशा योजना' की उसके द्वारा मॉनिटरिंग और सुपरविजन किया जाता है। यह योजना उसके अधीन नहीं है। मैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वे इस फंड की मॉनिटरिंग के लिए भी दिशा-निदेश दें। यह हंड्रेड परसेंट भारत सरकार का फंड है। इस फंड की मॉनिटरिंग और इसका सुपरविजन एम.पीज के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि इस पैसे का सदुपयोग हो सके।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिज जी भारत के रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने महसूस किया कि रक्षा मंत्रालय में बैठे हुए बाबू और हमारे देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के विचारों में काफी फर्क था। जब भी उनके कल्याण का कोई प्रस्ताव आता था, तो यहाँ उसको किसी और रूप में देखा जाता था। उन्होंने मंत्रालय के कुछ बाबुओं को बोला कि आप सियाचिन में जाकर मेरे जवानों के साथ रहिए, आप को पता चलेगा कि वे किन परिस्थितियों में काम करते हैं। इनके वहाँ जाने से उन जवानों की हौसला अफजाई होती है, उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है और हमारे देश को सही नतीजे हासिल होते हैं। आपके विभाग के अंतर्गत बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., सी.आर.पी.एफ. आदि सेनाओं के जवान पता नहीं किन-किन दुर्गम स्थानों पर नौकरी करते हैं। सी.आर.पी.एफ. के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में नौकरी करते हैं। जो अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ को इन इलाकों में भी भेजा जाना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से आपको सही सूचना मिल सके जिससे कि आप उनके बारे में सही निर्णय ले सकें। मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा।

16.06 hours

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

महोदय, आपके गृह विभाग के अधीन कुछ विशेषज्ञों की कमेटियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से कुछ आतंकवाद और कुछ नक्सलवाद के विशेषज्ञ हैं। यह कमेटियाँ आपके कार्यकाल से पहले काफी लंबे समय से चली आ रही हैं। कश्मीर में सरकारें बदल गईं, आतंकवादियों के तौर-तरीके बदल गए, आतंकवादी बदल गए और उनके संगठन तक बदल गए, लेकिन वे एक्सपर्ट वहीं के वहीं हैं। कृपया समय रहते हुए आप उनके बारे में भी विचार करें।

महोदय, मैं बजट प्रस्ताव में किए गए प्रावधानों को पढ़ रहा था। Provision for expenditure on salaries and other allowances of Cabinet Ministers, Ministers of State and former PMs has been increased from Rs.413 crore to Rs.723 crore, nearly 85 to 90

per cent. I have nothing to comment on that. महोदय, इसमें हम एम.पी. लोगों का भी आप ध्यान रखें। हमारे ऊपर भी आप कृपा-दृष्टि करें।

महोदय, मैं अंत में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा। मैं गर्व के साथ यह बात कह सकता हूँ। मैं भी एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ। मैंने केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी की है।

प्रो. सौगत राय : वहाँ आप किस पोस्ट पर थे?

श्री हरीश मीना : मैं केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल सी.आर.पी.एफ. में था। मैं आपसे यह बात अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आज हमारे केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों का मनोबल और उनके दिशा-निदेश स्पष्ट हैं। उन्हें पता है कि उनका क्या रोल है और किस परिस्थिति में उन्हें क्या करना है। उन्हें दाएँ-बाएँ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। जहाँ नेतृत्व मजबूत होता है और आदेश स्पष्ट होते हैं, वहाँ सफलता अवश्य हासिल होती है। वहाँ असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमें अपराध को अपराध की दृष्टि से देखना है और कल्याण को कल्याण की दृष्टि से देखना है। हमें तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी है। मैं मानता हूँ कि अपराध की राजनीति करना अन्याय है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो कोई भी ऐसी राजनीति करता है, यह सही नहीं है। राजनीति अवश्य करनी चाहिए, लेकिन वह राजनीति विकास, विचार, भाईचारे और सबको साथ लेकर चलने की होनी चाहिए।

महोदय, बटला हाउस एनकाउंटर का जो केस हुआ था, उसमें दायँ हाथ कह रहा था कि यह एनकाउंटर था, जबकि बायँ हाथ कह रहा था कि यह एक निर्मम हत्या थी। कोई क्या कह रहा था, यह खुद सरकार के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो जैसा करता है, हममें उसे वैसा कहने की हिम्मत है। **We call a spade a spade.** मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राजनाथ जी और हमारे सभी सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों को धन्यवाद देना चाहूँगा, कि वे अपने काम का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं।

यह दिल्ली है, भारत की राजधानी है और इसमें भारत के हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। दिल्ली को स्टेट मान लें या इसको देश भी मान सकते हैं। यहां हर वर्ग का व्यक्ति रहता है। मैं यहां रहता हूँ, मुझे कभी यह सुनने को नहीं मिला कि फलाने वर्ग के खिलाफ कोई हिंसा हुई, पहले हम सुनते थे कि नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लीय हिंसा हो रही है। उनको देखकर लोग कहते थे कि तुम यह हो, तुम वह हो। आज कोई किसी को कुछ नहीं कहता। मुझे यह कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि हां आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

सर, खड़गे जी चले गए, वेणुगोपाल जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से इनको सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि ये बिल्कुल विरोध करें, लेकिन विरोध उस चीज का करें जो विरोध करने योग्य हो। विरोध इसलिए न करें कि हमें विरोध करना है। विरोध सकारात्मक होना चाहिए। आपकी भाषा में देशहित दिखना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में जनहित दिखना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं और राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं। हमारा नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारी पूरी पार्टी पूर्णतः इस देश की सुरक्षा, हित व देशभक्ति के लिए समर्पित है। जय हिन्द, जय भारत।

***DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR):** Now days, we can't predict about any natural calamity. In view of this our Government is the first ever to prepare National Disaster Management Plan in the 2016 in the country. The NDMP has been aligned broadly with the goals and priorities set out in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. The Vision of the Plan is to make India disaster resilient, achieve substantial disaster risk reduction, and significantly decrease the losses of life, livelihoods, and assets – economic, physical, social, cultural and environmental – by maximizing the ability to cope with disasters at all levels of administration as well as among communities.

The process of sealing Indo-Pak border in Rajasthan, Punjab, Gujarat and Jammu & Kashmir has been started. The Government has approved Rehabilitation Package of Rs. 2000 crores for Displaced Families from Pakistan occupied Jammu & Kashmir and Chhamb under the Prime Minister's Development Package for Jammu & Kashmir, 2015.

Recently our Government has passed the Enemy Property Bill to make amendments to the Enemy Property Act, 1968. The enemy properties that have been vested in the Custodian remain so and they do not revert back to the enemy subject or enemy firm.

Enhancement of Pension for Freedom Fighters under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme is a welcome move.

* Speech was laid on the Table

***श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और आप पर देश के नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी है। किन्तु आज देश आंतरिक सुरक्षा के विकट परिणामों से जूझ रहा है। देशवासी आज अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि माहौल और घटनाएँ ही ऐसी होती रहती हैं। अतः देश की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह देखा जाता है कि देश के किसी भाग में कोई घटना घटती है तो उसका दोषारोपण शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि यह तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार को देखनी चाहिए। किन्तु क्या राज्य सरकारों को केन्द्र पहले कोई समुचित सूचनाएँ देती है। फिर एजेंसी पर बात चली जाती है। उसके बाद राजनीतिक उलझनों में उक्त घटनाओं को उलझा दिया जाता है। बाद में इसकी जाँच शुरू हो जाती है। अब सरकार बताए कि आजादी के बाद किसी घटना की जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और जाँच रिपोर्ट के अनुसार कोई कार्रवाई होती भी है?

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आप राज्यों की पुलिस बल को सक्षम एवं आधुनिक हथियारों से लैस करें, ट्रेनिंग दें, तभी कुछ हद तक आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। फिर इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक मदद करनी होगी नहीं तो राज्य सरकार अपने बल पर कुछ नहीं करेगी और मामला वहीं का वहीं रह जाएगा।

आज पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता है। जगह-जगह चोरी, डकैती, छीना-झपटी, बलात्कार, मारपीट, हत्या, माओवादियों और आतंकी दुर्घटनाएँ, ठगी, बच्चों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, शोषण आदि अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मानसिक स्थिति भी बदल रही है। नागरिक भी संवेदनहीन होते जा रहे हैं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा समाज किस स्थिति में चला जायेगा-कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

अब प्रश्न उठता है कि इन सबका कारण क्या है? प्रमुख कारण सरकार की निष्क्रियता नज़र आती है। लोगों में कानून व्यवस्था का डर समाप्त होता जा रहा है। अतः सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। हमें पुलिस बल को अत्यधिक सक्षम बनाना चाहिए। केवल प्रदर्शनकारियों और असहाय को पकड़ कर मारने पीटने से काम नहीं चलेगा। पुलिस को संवेदनशील बनाना होगा। गृह मंत्रालय पर मानवता की रक्षा की अहम जिम्मेवारी है। उसे सही सलामत निभानी होगी।

अंत में मैं अपने बिहार राज्य की बात रखना चाहता हूँ- हम लोग नक्सली समस्या से जूझ रहे हैं अतः राज्य सरकार को केन्द्र पूरी मदद करे। दूसरी बात बिहार में शराब बंदी के बाद अपराध के ग्राफ में

* Speech was laid on the Table.

काफी कमी आई है। अतः केन्द्र सरकार बिहार की तर्ज पर पूरे देश में शराबबंदी लागू करे जिससे कि अपराध मुक्त समाज की कल्पना की जा सके।

***SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG):** In the contextual framework of the internal security of India, Ministry of Home Affairs has a very salient role covering the entire spread of the country. In that sense, the Hon'ble Finance Minister has been fairly generous in enhancing the overall budgetary allocation for the Ministry of Home Affairs by 11.24 per cent with an overall provision of Rs. 83,323.30 crore vis-à-vis Rs. 75,355.48 crore for 2016-17.

The provision includes Rs. 54,985.11 crore allocated for seven paramilitary forces who have a wide mandate on internal security and protection of critical national infrastructure. The intelligence Bureau and National Intelligence Grid have an allocation of Rs. 1577.07 crore and Rs. 45.57 crore. There is also a provision of Rs. 287.13 crore for education, training and research.

With the foregoing narration of allocations, I wish to emphasize that we have a very challenging security situation to cope with. I would like to highlight some issues of grave concern for our nation.

We all know that the CRPF is deployed for internal security; action against Maoists in some State and in operations against militants in J & K and North-East. It is a multi-faceted problem with social and economic dimensions and we have to face it with diligence and perseverance. It cannot be an issue of expedient political discourse.

The second issue which is of very serious concern relates to growth of ISIS cells in many States in the country. Unfortunately, we have been taking a benign attitude about the emergence of these cells, little realizing the havoc, such cells have enacted in various countries. We need to upgrade our intelligence grid and create an intelligence framework to locate and neutralize these cells in their primary, lest they become a menace to the integrity and security of the country.

* Speech was laid on the Table

Under Demand No. 46, the Centrally Sponsored Scheme, there is a mention about PM's package for relief and rehabilitation of Kashmiri migrants. I should like to believe this is a reference to the relief/rehabilitation of Kashmiri pundits who were forced out of Kashmir valley. It is very sad and depressing phase in the history of independent India. No government has shown the courage and aptitude to give justice to the migrants. This Government had specifically promised to ensure the return and rehabilitation of the migrant Kashmiri Pundits. It was expected that specific zones will be earmarked and colonies will be built to enable them to move to their cherished land. We all know that the militants, who were initially responsible for their forced migration, are opposing their return and rehabilitation on the facile plea that this will result in demographic imbalance in Kashmir valley. We want to know, who has been guilty of demographic ethnic cleansing in Kashmir. We reiterate that the promise made to Kashmiri migrants for their return and rehabilitation be honoured.

Fourthly, I would like to add a few lines about the "Development of Infrastructure along Indo-China Border" which also finds mention in the Budget. I humbly request the Hon'ble House to ask the Government to give special priority to this work.

*श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैं अनुदानों की माँगे 2017-18 , गृह मंत्रालय के सन्दर्भ में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। आज हमारा देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं नेपाल की सीमाओं पर उत्पन्न समस्याओं के साथ-साथ आन्तरिक समस्या जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद समेत अन्य कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है जिससे निपटने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। इसी संबंध में बजट आवंटन के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ।

केन्द्रीय बजट 2017-18 में आन्तरिक सुरक्षा की योजनाओं का जिक्र तक नहीं है, जबकि देश इस समय आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद जैसे समस्या से ग्रसित है। सीमाओं को आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट निगरानी की योजना, पुलिस आधुनिकीकरण, बटालियनों की संख्या बढ़ाने की माँग, नए उपकरणों की खरीद तथा साईबर आतंकवाद जैसे मुद्दों का बजट भाषण में जिक्र तक नहीं आया। सीमा ढाँचा और प्रबंधन के मद में भी बजट आवंटन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पायेगा। सीमा पर आधारभूत ढाँचे एवं प्रबंधन के लिए पिछले साल आवंटित राशि 2699 करोड़ रूपए थी इसे अब 2600 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इसी तरह से कई योजनाओं की राशि घटाई गई है। अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्किंग सिस्टम का आवंटन 845 करोड़ रूपए से घटाकर 800 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इसके तहत राज्यों में पुलिस आधुनिकीकरण योजना को केन्द्र सहायता देता है। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए विशेष आधारभूत ढाँचा योजना एस.आर.ई के तहत बजट बढ़ाने की माँग गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी। एस.आर.ई के तहत वर्ष 2016-17 में कुल आवंटन 840 करोड़ रूपए था एवं बाद में संशोधित बजट 1390 करोड़ रूपए हो गया था लेकिन इस बजट में एस.आर.ई के तहत 1222 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए किए गए आवंटन में मूल आवंटन से करीब 300 करोड़ रूपए बढ़ाए हैं लेकिन पिछले साल के संशोधित बजट से यह राशि काफी कम है।

बी.एस.एफ. के पूर्व डी.जी.पी. के मिश्र का भी मानना है अगर हमें बढ़ते अपराध, कट्टरपंथ को रोकना है तो सुरक्षाबलों एवं पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर ज्यादा खर्च की जरूरत है। बजट आवंटन में आई.एस. के बढ़ते खतरे, सुरक्षा बलों की तकनीकी अपग्रेडेशन, साईबर सुरक्षा, तटीय सुरक्षा एवं सीमा पर निगरानी के मद्देनज़र जो जरूरत थी, उसकी तुलना में बजट में बहुत कम दिया गया है।

सर्वप्रथम नक्सल की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद से ही यहाँ लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है। गणतांत्रिक व्यवस्था पर जनता के मजबूत विश्वास ने यहाँ लोकतांत्रिक संस्कार पैदा किए हैं। लेकिन ये

* Speech was laid on the Table.

विडंबना है कि भारत की आजादी में छिपी आधुनिक विकास और प्रगति व उन्नति की रोशनी आजादी के सालों बाद भी जब देश के कई इलाकों में नहीं पहुँच पाई, तो रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जनसंख्या का बढ़ा तबका बागी होने लगा। विकास की लहर एक तरफा चली और संसाधनों के अभाव और लालफीता शाही में फंसी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण, अधिकारों का हनन हुआ, जिसका नतीजा व्यवस्था से नाराजगी के रूप में सामने आया और आगे चलकर इसने विद्रोह का रूप ले लिया, जिसकी परिणित हिंसा के रूप में हुई। व्यवस्था के खिलाफ अपने अधिकारों की जंग में ऐसे लोगों ने हिंसा का रास्ता चुना और उनकी इस हिंसा ने नक्सलवाद का रूप अख्तियार कर लिया। दरअसल, आज देश जिस नक्सलवाद से जूझ रहा है उसकी शुरुआत प.बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलवाड़ी से हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चारू मुजुमदार और कानू सान्याल ने 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन को नक्सलबाड़ी से शुरू किया इसलिए इसका नाम नक्सलवाद हो गया। बहरहाल, उनका मानना था कि भारतीय मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियाँ और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिम्मेदार है। सिलिगुड़ी में पैदा हुए चारू मजूमदार आंध्र प्रदेश के तेलंगाना आंदोलन से व्यवस्था से बागी हुए।

वैसे नक्सलवाद के असली जनक कानून ही माने जाते हैं। कानून का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। वे पश्चिम बंगाल के सीएम विधानचंद्र राय को काला झंडा दिखाने के आरोप में जेल में गए थे। कानून और चारू मुजुमदार जब बाहर आए तो उन्होंने सरकार और व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। कानू ने 1967 में नक्सलबाड़ी में सशस्त्र आंदोलन की अगुवाई की। आगे चलकर कानू और चारू के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ गए और दोनों ने अपनी अलग राहें, अलग पार्टियों के साथ बना लीं। लेकिन यह भारत के कई राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार तक फैलता गया, पर जिन वंचितों, दलितों, शोषितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शुरू हुआ, तो उनके कुछ हाथ आया, न नक्सलवादियों के। हिंसा की बुनियाद पर रखी इस आंदोलन की परिणति भटकाव ही थी। देश के कई राज्य आज भी लंबे समय से इसे झेल रहे हैं। नक्सलवादी हिंसा में सैकड़ों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है जबकि देश का आदिवासी समुदाय भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस हिंसा का शिकार है।

नक्सली समस्या के उन्मूलन के प्रति दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का विकास - क्योंकि बिना दृढ़ संकल्प के किसी भी उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उपायों से विकास के समान अवसरों की उपलब्धता की सुनिश्चितता होनी चाहिए। शासकीय योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन एवं उनमें पारदर्शिता की सुनिश्चितता- जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। समुचित एवं सहयोगपूर्ण कानून व्यवस्था - जिससे स्थानीय लोग नक्सलवादियों का प्रतिकार कर सकें और

उन्हें जीवनोपयोगी आवश्यक चीजें उपलब्ध न कराने के लिए साहस जुटा सकें। कानून व न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल- जिससे लोगों को सहज और समय पर न्याय मिलने की सुनिश्चितता हो सके। आजीविकापरक एवं सर्वोपलब्ध शिक्षा की व्यवस्था- जिससे सामाजिक विषमताओं पर अंकुश लग सके। कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के समुचित प्रयास- जिससे वर्गभेद की सीमायें नियंत्रित की जा सकें। राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा में नक्सलियों को लाने और उनके पुनर्व्यवस्थापन के लिए रोजगारपरक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। चीन और पाकिस्तान से नक्सलियों को प्राप्त होने वाले हर प्रकार के सहयोग को रोकने के लिए दृढ़ राजनीतिक और सफल कूटनीतिक उपायों पर गम्भीरतापूर्वक चिंतन और तद्विषयक प्रयासों का वास्तविक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

आदिवासियों का जंगल से गहरा संबंध होता है। जंगल के बिना आदिवासियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु औद्योगिकीकरण के द्वारा तेजी से आर्थिक विकास करने की सरकारी नीति से आदिवासी खनिज-सम्पदा, वन सम्पदा, जल सम्पदा एवं भूमि सम्पदा से वंचित हो रहे हैं। खनिज सम्पदाओं के विदोहन एवं कल-कारखानों की स्थापना से आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। जंगलों में बांध बनाए जाने से उनकी जमीन एवं गाँव डूबान में आ गए हैं और उन्हें अपने घर, जमीन से वंचित होना पड़ रहा है। आदिवासियों के पुनर्वास, रोजगार एवं कौशल निर्माण के लिए कार्य नहीं किया गया। आदिवासियों में आज भी साक्षरता की दर सबसे कम है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, खाद्यान्न जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। “आदिवासी उपयोजना” एवं “निर्धनता-उन्मूलन” कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों के द्वारा भारी राशि व्यय की गई। किंतु आदिवासियों की अशिक्षा के कारण बिचौलिए एवं दलालों के कारण आदिवासियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला, बल्कि इनसे अधिकारी वर्ग एवं सरकारी कर्मचारी वर्ग लाभ उठाते रहे। आदिवासी क्षेत्रों का विकास भी नहीं हुआ। आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत अत्यंत कम है। उनकी खेती वर्षा पर आधारित होती है। कृषि-उत्पादकता अत्यंत कम है। वनोपज ही उनके जीवन का मुख्य आधार बना हुआ है।

इसके साथ-साथ अर्धसैनिक बलों में जवानों की स्थिति भी काफी खराब है, जिसका प्रमाण अभी हाल में आए कई वीडियो में मिलता है जिसमें खाने से लेकर जवानों के शोषण तक का जिक्र है। इसके साथ ही साथ देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली अर्धसैनिक बलों में भी नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों में पिछले तीन सालों में करीब 21000 जवान और अफसर या तो वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) ले चुके हैं या फिर इस्तीफा दे चुके हैं। 2014 से 2016 तक 20618 अर्धसैनिक बलों (सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और

असम राइफल) में इस्तीफे आए हैं। सबसे ज्यादा वीआरएस सीआरपीएफ में लिए गए, पिछले तीन सालों में 5960 जवान और अफसर सीआरपीएफ से वीआरएस ले चुके हैं और 1206 ने इस्तीफे दिए। सिर्फ वर्ष 2016 में 57 गजेटेड अफसरों ने सीआरपीएफ छोड़ा, 542 सबआर्डिनेट अफसरों ने और 2155 जवानों ने वर्दी की जिंदगी को अलविदा किया। यह चलन बीएसएफ में भी देखने को मिलता है, वर्ष 2017 में 52 गजेटेड अफसरों ने बीएसएफ छोड़ा जबकि इससे पहले 2015 में इनकी संख्या 36 और 2014 में 40 थी। अगर सिर्फ गजेटेड अफसरों की बात करें तो गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल यानी 2016 में 151 अफसरों ने अर्धसैनिक बलों को छोड़ा। कुल 1400 सबआर्डिनेट अफसरों ने और 7415 जवानों ने अर्धसैनिक बलों को छोड़ा।

अर्धसैनिक बलों से जवानों का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेना चिंता का विषय है। प्राकृतिक आपदा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ जाने पर अर्धसैनिक बलों का ही सहारा होता है। औद्योगिक सुरक्षा तो ऐसे बलों के हवाले है ही, सीमा पर सेना की पूरक इकाई के रूप में भी उनका संवेदनशील इलाकों में इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। पिछले दो साल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम रायफल्स जैसे अर्धसैनिक बलों के 35 हजार 473 जवानों व कर्मियों ने समय से पहले सेवा निवृत्ति ले ली है। औसत निकाला जाए तो यह रोज का पचास के आसपास बैठता है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वीआरएस) लेने वालों में सीमा सुरक्षा बल के सबसे ज्यादा 15,990 जवान हैं। दूसरा नंबर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3225, असम रायफल्स के 2194, इंडो तिब्बत सीमा बल के 1333 और सशस्त्र सीमा बल के 1321 जवानों का नौकरी से किनारा कर लेना यही बताता है कि उनका अर्द्ध सैनिक बलों से मोह भंग हो गया है। सीमा पर नजर रखने वाले और आंतरिक स्थिति बिगड़ने पर या प्राकृतिक आपदाओं के समय स्थानीय प्रशासन की मदद को तत्पर रहने वाले अर्धसैनिक बलों का एक समय जलवा था लेकिन अब चाहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) हो या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) या कोई और भी अर्धसैनिक बल हो, न तो युवक उसमें भर्ती होने में ज्यादा रूचि दिखा रहे हैं और जो सेवारत हैं वे इससे किनारा करने में लगे हुए हैं। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएँ, वेतन में असमानता, मानव शक्ति की कमी, खराब स्तर की वर्दी और आदेशों में कोई स्पष्टता न होना इसका कारण है।

सबसे बड़ी शारीरिक और मानसिक यातना यह है कि काम के बोझ में इन बलों के जवान ठीक से सो नहीं पाते। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि इन्हीं कारणों से जवान अर्धसैनिक बल छोड़ रहे हैं। 2009 में सीआरपीएफ के 3580 जवानों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली और 266 ने इस्तीफा दे दिया। 2010 में इस्तीफा देने वाले 335 हो गए जबकि 2790 ने समय से पहले सेवा निवृत्ति माँग ली है। 2011 में

2377 जवानों ने वीआरएस ली और 308 ने नौकरी छोड़ दी। बीएसएफ में भी स्थिति ज्यादा अलग नहीं रही। 2009 में उसके 6319 जवानों ने वीआरएस ली और 218 ने इस्तीफा दे दिया। 2010 में नौकरी छोड़ने वालों की संख्या घट कर 182 भले ही रह गई लेकिन 2011 में इसमें उछाल आया और 302 जवान नौकरी छोड़ कर चले गए। वीआरएस लेने वाले भी 2010 में 5443 थे जो 2011 में बढ़ कर 5877 हो गए। इस प्रवृत्ति के लगातार बढ़ने की वजह से केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने पिछले साल जनवरी में भारतीय प्रबंधन संस्थान (अहमदाबाद) को स्थिति का अध्ययन करने का काम सौंपा। अध्ययन का निचोड़ यह निकला कि इन बलों के अधिकारी महसूस करते हैं कि उनके संगठन को उनकी परवाह नहीं है। उन्हें रंगरूटों को प्रशिक्षण देने का मौका ही नहीं दिया जाता। आईआईएमए के प्रोफेसर धीरज शर्मा ने यह अध्ययन किया था जिससे पता चला कि सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. के अधिकारी बेहतर जिम्मेदारी न दिए जाने से तनाव में रहते हैं। कुछ ही अधिकारियों को बहुत कम ही अवसर दिए जाते हैं कि वे बेहतर संस्थानों में प्रशिक्षण पा सकें। ऐसा कोई निश्चित आधार अभी तक नहीं बन सका जिससे पता चले कि अधिकारियों का चयन कैसे होता है और उन्हें प्रशिक्षित कैसे किया जाए?

अर्धसैनिक बलों के जवानों को छुट्टी मिलने में अड़चन के बारे में अध्ययन में कहा गया है- छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया इतनी लंबी और दुरूह है कि कभी तो छुट्टी उस तारीख के बाद मंजूर की जाती है, जिस तारीख के लिए छुट्टी मांगी गई थी। नींद पूरी न हो पाने पर अध्ययन का आकलन है - 'छूटी की वजह से उन्हें अक्सर ज्यादा काम करना पड़ता है। नींद पूरी न हो पाने का असर क्षमता पर पड़ता है और जवानों में असंतोष पनपने लगता है।' जहाँ तक जवानों की वर्दियों की बात है तो उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को अध्ययन में घटिया स्तर का बताया गया है और कहा गया ऐसी वर्दियाँ ज्यादा समय चल भी नहीं पातीं। हर बार नियमित अंतराल के बाद नई वर्दी जवान में आत्मसम्मान की भावना कम करती है। अध्ययन में कहा गया है कि नाजुक परिस्थितियों तक में अपने स्तर पर कोई फैसला करने का अधिकार बल के अधिकारियों को नहीं है। सामान्य अधिकार न मिलने से भी उनका दम घुटने लगता है। अध्ययन के मुताबिक कई मामलों में तो बल के सामने यह स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि उसे छूटी क्या निभानी है। उन्हें सटीक निर्देश ही नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर कुछ अरसा पहले जब बांग्लादेश सीमा पर आक्रामक भीड़ से जवानों का आमना-सामना हुआ तो जवानों को फायरिंग करने की इजाजत नहीं दी गई, उस हालत में भी नहीं जब सीधे उन पर हमला होने की स्थिति बन रही थी।

बीएसएफ के जवानों के मामले में अध्ययन गुजरात, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और बंगाल के मोर्चों पर जवानों, अधिकारियों से बातचीत के आधार पर किया गया। इसके अलावा महिला बटालियन और जालंधर,

चंडीगढ़, श्रीनगर व संबल में बल के जवानों से संपर्क किया गया। अध्ययन में वेतन में असमानता और शिकायतों पर विशेष गौर करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी इशारा किया गया। अध्ययन के मुताबिक एक ही रैंक के जवानों के वेतन में फर्क पाया गया। जब दो लोग एक ही रैंक के हों और एक जैसा काम कर रहे हों तो उनके वेतन में फर्क पीड़ा पहुँचाता ही है। इससे असंतोष बढ़ता है और काम करने का उत्साह जाता रहता है। अधिकारियों की शिकायत पर गौर करने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अधिकारियों को लगता है कि जरा सी चूक भी अच्छे भले करिअर का सत्यानाश कर सकती है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि जवानों के रहने की व्यवस्था भी काफी खराब है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि जिस काम के लिए जितने जवानों की जरूरत होती है, उतने कभी उपलब्ध नहीं होते। कई बार तो पदोन्नति के बाद भी निचले रैंक का काम करना पड़ता है। अर्धसैनिक बल के जवानों के वीआरएस लेने को शायद इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि पिछले दो साल में जिन जवानों ने वीआरएस ली है, उनकी संख्या विभिन्न बलों के करीब साढ़े सात लाख जवानों व अधिकारियों में पाँच फीसदी से भी कम है। पिछले दिनों केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में वीआरएस का मुद्दा संसद में उठा तो गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से, बच्चों या परिवार की समस्या की वजह से अथवा पारिवारिक मजबूरियों की वजह से ऐसा हो रहा है। गृहराज्य मंत्री ने तीन पेज का जो बयान दिया उससे यही निचोड़ निकला कि केन्द्र ने बल की तरफ से निभाई गई मामूली समस्याओं का भी समाधान नहीं किया। हालांकि आरपीएन सिंह ने यह जरूर कहा कि जवानों को बल छोड़ने से रोकने के लिए केन्द्र ने बहुआयामी नीति बनाई है। उन्होंने कहा - 'हमने छुट्टियाँ देने के मामले में स्पष्ट व पारदर्शी नीति बनाई है जिसे समयबद्ध कार्यक्रम के तहत लागू किया जाएगा।' इस नीति के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को जरूरी पारिवारिक समस्याएँ निपटाने के लिए विशेष छुट्टियाँ दी जाएंगीं। जवानों की समस्याओं को जानने व समझने के लिए उनकी कमांडरों व अधिकारियों से औपचारिक बातचीत कराए जाने का प्रस्ताव है। पूर्व की कई सरकारों द्वारा आश्वासन गया कि जवानों की शिकायतों का निपटारा करने वाली व्यवस्था को व्यापक स्तर पर सुधारा जाएगा। उन्हें पर्याप्त आराम व राहत मिल सके, इसके लिए ड्यूटी के समय को नियमित किया जाएगा। उन्हें बेहतर सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगीं। अपने परिवार से संपर्क करने के लिए जवानों के एसटीडी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। इससे दूर दराज के बीहड़ इलाकों में तैनात जवानों को तनाव कम होगा। जवानों और उनके परिजनों को विशेष स्वास्थ्य सुविधा दिलाने पर भी विचार हो रहा है। योजना निश्चित तौर पर अच्छी है, उस पर कायदे से अमल हो जाए, यह ज्यादा जरूरी है।

तेज बहादुर यादव नामक इस जवान ने जो बातें कही थीं, उन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभी इस घटना को बीते हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं, कि CRPF के एक जवान का Video सामने आ गया है। जिसमें उसने अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीर सवाल पूछे हैं। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, कि हमारे देश की सेना और अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली सुविधाओं के बीच कितनी गहरी खाई है।

CRPF के कॉन्सटेबल जीत सिंह ने रोटी और दाल को लेकर शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी दुविधा पेट से ज्यादा अपने भविष्य को लेकर है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद.... ये वीडियो भी सुर्खियों में आ गया है। कुछ ऐसी ही पीड़ा BSF के एक और जवान की भी थी। इस जवान ने गृह मंत्रालय को 9 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में इस जवान ने खाने से लेकर, कपड़े, रहने की सुविधा और ज्यूटी के घंटों पर कुछ चुभने वाले सवाल पूछे हैं। इस जवान ने लिखा है, कि खाने के लिए Allot किए गए पैसे खाने पर नहीं, बल्कि दूसरी चीजों पर खर्च किए जाते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है, कि नियमों के मुताबिक आठ घंटों की ज्यूटी करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें लगातार 20-20 घंटों की ज्यूटी पर तैनात किया जाता है।

पहले BSF के तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल हुआ, फिर CRPF के जीत सिंह का वीडियो वायरल हुआ और अब BSF के ही एक और जवान की चिट्ठी का सामने आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्योंकि धुआँ वहीं से उठता है, जहाँ आग लगी होती है। हमें इसकी जड़ में जाकर सच्चाई को ढूँढना होगा। BSF के तेज बहादुर यादव ने आरोप लगाया था, कि उन्हें मिलने वाली दो वक्त की रोटी जली हुई होती है और आरोप ये भी था, कि खाने में मिलने वाली दाल में भी भ्रष्टाचार का पानी मिला हुआ है। घटनाओं का विश्लेषण एक बड़े नज़रिए से करेंगे तो केन्द्रबिन्दु में एक तरफ भारतीय सेना है और दूसरी तरफ Central Armed Police Forces के तहत आने वाले सुरक्षा बल। ये एक दुखद विडंबना है, कि जब भी देश में सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है, तो अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे पहले भारतीय सेना का नाम आता है। लेकिन कोई Central Armed Police Forces की बात नहीं करता।

भारतीय सेना और Central Armed Police Forces में बहुत फर्क है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इन सुरक्षा बलों में मुख्य रूप से CRPF, BSF, ITBP, CISF, Assam Rifles और SSB शामिल हैं। देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 9 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। जबकि Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy में शामिल सैनिकों की संख्या करीब साढ़े 13 लाख है। देश के अर्धसैनिक बल बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से सटे सीमाओं की

रखवाली कर रहे हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बल पूरे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद विरोधी अभियानों में भी लगे हुए हैं। वी.आई.पी. सिक््योरिटी में भी मुख्य तौर पर अर्धसैनिक बलों के जवान ही होते हैं। आपदाओं से निबटने के लिए बनाई गई NDRF में अर्धसैनिक बलों के जवानों को ही शामिल किया गया है। आजादी के बाद से लेकर वर्ष 2015 तक देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या 22 हज़ार 500 से ज्यादा थी। जबकि वर्ष 2015 तक, 53 वर्षों में देश के लिए, 31 हज़ार 895 अर्धसैनिक बल के जवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। सुविधाओं के नाम पर जो सहूलियतें भारतीय सेना को मिलती हैं, वैसी सुविधाएँ अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलती। दुख इस बात का भी है, कि हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले जवान शहीद की श्रेणी में नहीं आते। सरकार संसद में बाकायदा एक सवाल के जवाब में ये कह चुकी है, कि हमारे सिस्टम में शहीद शब्द की कोई परिभाषा है ही नहीं। यानी शहीद शब्द सिर्फ बातचीत और नारेबाज़ी के दायरे में ही खत्म हो जाता है... और ये शब्द अधिकारिक तौर पर हमारे सिस्टम में आजादी के 69 साल बाद भी कोई जगह नहीं बना पाया है...

इसी शब्द से जुड़ा हुआ एक मुद्दा ये भी है कि देश की सुरक्षा करते हुए..अपनी जान देने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को..मरणोपरांत शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? सीमा पर देश के लिए अपनी जान देने वाले सेना के जवान अगर शहीद हैं..तो फिर नक्सली हमलों, आतंकवादियों और देश के भीतर बैठे दुश्मनों का मुकाबला करने वाले जवानों को बलिदान के बाद शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता....? ये बहुत बड़ा सवाल है...लेकिन सच्चाई ये है कि इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है... इसलिए आज अर्धसैनिक बलों की तकलीफ और उनकी पीड़ा को पूरे देश के सामने रखना ज़रूरी है।

त्रिपुरा के घने जंगलों में जहाँ BSF के जवानों का मुकाबला आतंकवादियों के अलावा ज़हरीले कीड़े-मकोड़ों और जानलेवा मच्छरों से होता है। ये मच्छर इतने खतरनाक हैं कि जवानों को गश्त के दौरान जाली से बना हुआ मास्क पहनना पड़ता है। यहाँ कई महीनों तक बारिश होती है और जवानों को अपनी चौकियों तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना होता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फौला सुंदरबन जवानों के सामने अलग चुनौतियाँ पैदा करता है...यहाँ जवानों को नावों से गश्त करनी होती है यहाँ तक कि उनकी चौकियाँ भी पानी पर बनी होती है। यहाँ जंगलों में जानवरों से भी जवानों को सावधान रहना पड़ता है...जवानों की ये परेशानी भी हमने आपको दिखाई थी। कच्छ को दुनिया की सबसे वीरान जगहों में से एक माना जाता है...कच्छ के रण में तैनात जवानों को नमक की आंधियों के साथ-साथ 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी का सामना करना पड़ता है। यहां जवानों को खासतौर पर दलदल में

ऑपरेशन करना सीखना होता है क्योंकि यहां आतंकवादियों की घुसपैठ का खतरा बना रहता है। यहां की हवा शरीर का पानी सुखा देती है और नमकीन पानी की दलदल लोहे को भी गला देती है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवान यहां तैनात रहते हैं। जैसलमेर जैसे इलाकों में गर्मियों में तापमान 52 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। यहां पीने का पानी हफ्ते में एक दिन आता है जिसे स्टोर करके रखना पड़ता है। रेगिस्तान में गश्त के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहां कोई और तरीका संभव ही नहीं है। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को सर्दियों में -40 डिग्री तक की ठंड में दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार रहना होता है। इन जवानों को बर्फ और ऊंचाई पर होने वाली शारीरिक दिक्कतों के बीच ड्यूटी करनी होती है। यहां ऑक्सीजन की कमी होती है और आम इंसान का सांस ले पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन आई.टी.बी.पी. के जवान यहां साल के बारहों महीने डटे रहते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को सरहद के अलावा पूरे देश में आतंकवाद और नक्सल-विरोधी अभियानों में तैनात किया जाता है। यहां ये जवान घने जंगलों में, हर मौसम में नक्सलवादियों के हर हमले का सामना करते हैं तो कुल मिलाकर ऐसी मुश्किल और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे इन जवानों के हौसलों के आगे मुश्किल परिस्थितियां भी छोटी पड़ जाती हैं।

अपने हौसलों से ऐसी ही एक कहानी इन दिनों सी.आर.पी.एफ. की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण भी लिख रही हैं। उषा किरण छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में तैनात हैं और उन्होंने अपने हौसलों को परखने के लिए खुद ही बस्तर को चुना है। उषा किरण को तीन जगहों पर तैनाती के विकल्प दिए गए थे, लेकिन उन्होंने देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर को चुना। पिछले कई वर्षों से नक्सलवाद की आग में जल रहे बस्तर में नक्सलवादियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सी.आर.पी.एफ. की पहली असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण भी नक्सलियों के खात्मे के लिए जंगलों में घूम रही हैं। उषा किरण के पिता और दादा भी सी.आर.पी.एफ. में काम कर चुके हैं। यानी उषा किरण को देश की सेवा करने का हौसला विरासत में मिला है। देश के जवानों का सम्मान होना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब सीमा पर ये जवान तैनात होते हैं, तभी देश के आम लोगों को घूमने, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने की या मॉल में घूमने की आज़ादी मिलती है।

दो वीडियो सामने आने के बाद बहुत सारे जवानों को अपनी तमाम परेशानियों का एक ही इलाज दिखाई दे रहा होगा कि उन्हें अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि ये सही तरीका नहीं है.. जवानों की कई ऐसी समस्याएं होंगी जो बिना वीडियो शेयर किए.. सिर्फ बातचीत से सुलझ सकती हैं.. इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमें लगता है कि अर्धसैनिक

बलों के बड़े अधिकारियों को, नीतियाँ बनाने वाले लोगों को और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को अपनी समस्याओं का वीडियो बनाकर अपलोड करने की जरूरत न पड़े और जहाँ तक सिस्टम की बात है..तो सिस्टम भी बहुत कुछ कर सकता है..सिस्टम को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में किसी भी शहीद के परिवार को किसी मूलभूत जरूरत के लिए परेशान न होना पड़े.....देश की किसी भी लाइन में शहीदों के परिवार वालों का नंबर सबसे आगे होना चाहिए....इसके लिए शहीदों के परिवार को आरक्षण भी दिया जा सकता है...हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण की माँग जोर-शोर से होती है....लेकिन हमें लगता है कि आरक्षण देना ही है तो शहीद के परिवारों को देना चाहिए..ताकि उनका दर्द कम हो सके और वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।

***SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** The Government has allocated Rs. 97,187 crore to the Ministry of Home Affairs in this year's Budget, which is 5.4% increase from the revised estimate of Rs. 92,170 crore in 2016-17. Compared to the budgeted allocation in 2016-17 of Rs. 88,547 crore, this is a 9.7% increase.

More than 80% of the Budget is allocated to police with provision of Rs. 78,000 crore. This is a 6.4% increase from the revised estimate of Rs. 73,328 crore in 2016-17. The grants to the Union Territories constituted 13.7% of the budget of the Ministry of Home Affairs. The grants released to the union territories increased by only 0.05% to Rs. 13,357 crore in 2017-18 from Rs. 13,350 crore in 2016-17. The rest of the 6% of the Budget is spent on disaster management among other miscellaneous items. The expenditure on disaster management, rehabilitation of refugees and migrants is increased by 19.2% to Rs. 5,830 crore in 2017-18.

Budgetary allocation to border and police infrastructure has increased by 37.9% in 2017-18 to Rs. 7,047 crore from Rs. 5,112 crore. Though this is a positive step, the budget allocated in 2016-17 of Rs. 5,646 crore remains underutilized. This underperformance is also highlighted by the Standing Committee. As infrastructure augmentation is important, the Government must release the allocated funds. Maintaining border check posts, inducting high tech surveillance in the borders and setting up mobile check posts in the coastal areas are crucial to buffer the country from infiltrations.

Funds allocated to modernization of the police force decreased by 9.5% to Rs. 2,022 crore in Budget 2017-18 as compared to the revised estimate of Rs. 2,235 crore in 2016-17.

The central armed police forces face total staff shortage of 7%. According to the Bureau of Police Research and Development, forces facing relatively high

* Speech was laid on the Table

vacancy are Central Industrial Security Force (10%), Indo-Tibetan Border Force (9%), National Security Guards (8%).

The detailed demand for grants for Ministry of Home Affairs reveals that the budget allocated to National Disaster Response Force (NDRF) is Rs. 650 crore; which is less than the revised estimate for 2016-17. The funds assigned to infrastructure for disaster management also declined compared to the budget estimate of Rs. 212 crore in 2016-17. It is important to be prepared for dealing with disasters. In the last two years since 2015, the Indian subcontinent especially the places along the coast, were subjected to weather vagaries like floods, cyclones, untimely rainfall. Though India has a full fledged National Disaster Response Force, it is the Indian Army that reaches the site of disaster before NDRF. There are staff, response personnel and disaster management skill shortages reported in NDRF. The Government must thus increase its allocation to NDRF, which can be deployed to augment the capacities and capabilities of the disaster response force.

The National Cyclone Risk Mitigation Project is overlooked the most with its budget declining from Rs. 159 crore in 2015-16, to Rs. 11.9 crore in 2016-17 and Rs. 4.25 crore in the present budget.

Under the Home Affairs Ministry, the Department of Police is allocated an estimate of Rs. 78,000 crore in 2017-18 budget. This is only a mere 6% increase compared to the revised estimates for 2016-17.

Expenditure in 2017-18 for capital outlay of border infrastructure has decreased to Rs. 2,355 crore compared to the 2016-17 Budget. Given the increased breaches in the border by foreign elements and instability especially across the Line of Control, the Government must have strengthened border security. Rather, total expenditure for border infrastructure and management is estimated at less than in the previous year's budget, at Rs. 2,600 crore. The Central Government must take into consideration the precarious situation of soldiers at the borders and must invest to improve the infrastructure here.

Infrastructure available to the police force is crucial for them to maintain law and order efficiently. In line with these needs, the Centre must have increased the budget allocation. But, the expenditure for modernization of police forces for 2017-18 year is estimated at Rs. 2,022 crore, which is less than the revised estimates of Rs. 2,235 in 2016-17. An important scheme under modernization of police force, Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) is allocated Rs. 800 crore. This amount is less compared to the revised 2016-17 estimate of Rs. 845 crore.

The Central Government prides itself for promoting cooperative federalism. But the grants-in-aid to the States for maintenance of police in 2017-18 Budget is Rs. 3,117 crore, which is less than the revised estimates of grants in 2016-17. The Centre must increase its devolution to the states, to augment them in maintaining law and order.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, I stand here on behalf of the All India Trinamool Congress in support of the Demands for Grants of the Home Ministry. But it saddens me that the hon. Finance Minister is not here considering that this is not an important subject. I am saying this because in this speech of his on page 36 he has given a list of important Ministries and amongst those important Ministries Home Ministry is not there. So, it is saddening that it is considered by the Government that Home Ministry is not important.

I think that the internal security is one of the most important issues by which we live safely in this country. The Home Ministry takes care of the internal security and we have the brave *jawans* who are protecting us. But even before starting, I want to pay respect to all the *jawans* who have lost their lives in protecting us over the last few years.

I would also like to congratulate this Government for selecting a lady as the Director General of SSB. I think that it is the first time in history that a lady is commanding the SSB. I congratulate the Minister for it. I also would like to request him that there was a decision and a promise to have about 33 per cent of the forces as women, but as of today we have about 6 per cent and these girls are working very hard to protect us. They are doing the international borders, and they are maintaining law and order. This House has very rightly passed the Maternity Benefit Bill. I would request the hon. Minister to consider about these girls, these ladies and these young women that when they give birth, then at least for two years give them posting close to their homes so that they can take care of these little future citizens.

I would also like to congratulate this Government and the hon. Minister for increasing the scholarship of the children of the *jawans*, and raising the amount of money and the number of children to be included both boys and girls.

But as I have congratulated on these good points, let us come to the sour ones. As regards the authorized strength of the forces, you know, that our country has a very long international border. The land border is more than 15,106.7 kms.

and the coast line is 7,516.6 kms. It is a very large border for any country with seven different neighbouring countries out of which some of them are friendly countries and we also have non-friendly countries. So, the fencing is not complete. The forces that guard us, guard our motherland and guard our very favourite Bharat Mata are the Assam Rifles, BSF, CISF, CRPF, SSB and ITBP whose authorised strength has been 9,67,816 but as of today, we are lacking 73,464 jawans. The vacancies are lying and we are not filling them up. I would request, when you are filling those vacancies, hon. Sir, please give cognizance to the girls also who are doing very well. We have been to the border and we have seen how much hard work they do. Along with that, it is astonishing to see how, in spite of policing having changed too drastically, today, we have the foreign terrorist groups, we have the threat of ISIS, we have cyber crime.

Regarding budget allocation and expenditure, we are starting right from Grant nos. 46 to 53. We see that it is not being spent and the percentage increased over 2016-17 as far as Grant no. 46 is concerned. It is (-)48.6 per cent. So, I wonder how this is happening. In Grant no. 48 for Police Budget that it is (-)3.65, and for overall, it is (-)5.93. Instead of increasing the budget, the budget has gone down.

If we look at the expenditure, Grant no. 46, we have spent least amount in the year 2016-17 over the last three fiscals. Only 80 per cent has been spent. I wonder, how? We do not have up-to-date equipment. Why do these jawans not have mine protected vehicles who are in the left-wing extremism areas? We were told that there is no money to buy those mine protected vehicles. But, here we see that the money is not being spent. So, there surely seems to be a gap between expenditure, requirement and allotment which need serious concern.

As far as Police Grant is concerned, if we consider the Budget Estimate, the Revised Estimate and expenditure, that is the lowest in the last three fiscals and the whole amount has not been spent. This year, for machine and equipment, only 1.7 per cent of the whole has been given. For arms and ammunition, 1.46 has been

given. We think that this has to be increased because when our poor jawans are facing terrorists, they have to be equipped to the teeth. They have to be more equipped than terrorists to take them on and protect our motherland. I do not understand why the allotment has been slashed as far as the cyber crime registry, the crime and criminal tracking system and the left-wing terrorism heads are concerned.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister here that the condition of women in this country, the safety, security of women in the country is still at stake. It is only three days ago on the day of Holi, a young mother was gangraped and to save her life, she had to jump from the first floor of the building here in the city of Delhi. So, let us imagine the plight of women all over the country in the rural areas without her clothes. She was being gangraped. She lay on the street without her clothes for minutes together before an autoriskshawala came and took her up to the police station as per media report.

We are sometimes talking about an app which will come on the smart phones of the women. My question to you through hon. Chair is: How many of us or how many of our rural women, how many of the agricultural women workers and how many women labours have smart phones? Only 27 per cent of this country uses smart phones. If the App is on a smart phone, no girl while being raped or tortured can dial that App to get police. You have to think of some better way by which we can protect our women.

The Nirbhaya Fund was not spent. When the Nirbhaya *kaand* had taken place, it had been decided that in all buses, in the evening, one or two police constables would remain for protection of women. I do not know whether those constables are still there.

The problem remains because we are running short of staff. Like I said, 73,000 and odd constables are required for proper functioning, but they have not been appointed.

I would also like to draw the attention of the august House and, through you, Sir, that of the Minister to the fact that between July 2016 and January 2017, the number of law and order incidents that shook us up in Jammu and Kashmir was 2,392; the number of civilians killed was 73; and the number of Forces' personnel killed was two. In the North Eastern Region, we experienced 484 incidents in which, of course, 87 extremists were killed, 17 Forces' personnel had been killed, and 48 civilians had been killed. It looks like a war being raged all around our borders.

Amongst the Forces that we have, we have an elite Force known as the National Security Guard. There are four regional hubs – Kolkata, Chennai, Mumbai and Hyderabad. Now, they are doing good work. They are practising and they are being trained in situations like if an aeroplane is hijacked, how they are going to take out the hostages. They are being trained for all that.

I know about the Kolkata set up because it is close to the Airport. I have been writing, and it has all been futile, that it is actually a five-minute drive from their hub to the Airport, but it is a congested market place. So, I have given one whole MPLAD fund to build additional subways so that people can go down and the road is kept empty for the NSG jawans. There is 160 Battalion of BSF also there. I am doing this so that they can reach the Airport when their requirement comes.

Through you, Sir, I would like to request the hon. Minister here that if you can have a flyover or an elevated corridor for them – it is a short distance of two to three kilometres – then they can reach the main road from where the Airport is only another two kilometres. God forbid, if anything happens in the eastern region of the country, they will be able to move very fast. They are very hardworking and we see them practising throughout the day and night; they are also doing recce. I also suggested to them as to why they do not have a helipad there. They said it was not possible because it is a congested area. Bypass is not possible; so, an elevated

road or a flyover from their hub – BSF and NSG are opposite to one another on Badu Road – to the main national highway of Jessore Road, then, in the event of any terrorist attack anywhere in the eastern part of the country, they can reach the Airport very fast.

I would also like to draw the attention of this august House to the fact that India is a very large country with very, very long international borders, like I said, and coastal region. It is because of the unguarded coast that we had the misfortune of seeing the day when our enemies took a boat and came up to Maharashtra where people were shot dead. Now, I understand that there is always water in Rann of Kutch in Gujarat and it is difficult to build a fence. I also understand that we have the tidal waves in Sundarbans and it is difficult to maintain the fence. In spite of the difficulties, we will have to think of something. For the last seven or eight years, I have been talking about this and I have been hearing that we are getting technical support from international friends to have laser fences, thermal detectors, night vision gadgets, but till date that is not there. Every night, hundreds of infiltrators come in through these open porous borders. The BSF has to be more careful. They are also standing for hours together guarding the borders. If we can have more number of jawans, then the shift can be of lesser hours. They can be ज्यादा चौकन्ना रह सकते हैं। आठ घंटे खड़े-खड़े वे भी थक जाते हैं। We have to have more people looking after this. The fencing is not complete anywhere.

As far as Bengal is concerned, we have about 2,828 kilometres of fencing out of the sanctioned 3,326 kilometres. Similarly, we have this kind of border gap in Rajasthan, in Gujarat and in Punjab area. Where the ITBP looks after the border in the Kashmir area, the building of the Gwadar Port and the road that is connecting the two countries which are not so friendly with us, through our land, is one of deep concern. I would like to know as to what our Government is thinking in terms of connection to the Gwadar Port. How are the foreigners building the road? Why can we not build the road there? That remains a question with the people of this country.

In the coastal areas, we have these floating Border Out Posts (BOPs). I have been, time and again, requesting about these BOPs, which are floating. There is no doubt that speed boats have been given. But we do not have the technology; the State does not have the technology. We do not have the drivers who can drive the speed boats. The speed boats are lying there. We need technical support for maintenance of those boats. We need technical support for their total functioning. That is not happening. You should consider this and give us some funds.

The other thing is that the State Police is demanding for watch towers. Up to certain kilometres, it is the duty of the BSF and after that it is the duty of the State Police. Unless we have some watch towers, we are not able to watch the coastal areas when people are coming at night time or animals are crossed over during the day or night. So, some money should be sanctioned under BADP for building these roads properly and to have the watch towers.

There is so much to say because of the internal security that concerns us. The Defence personnel who are situated at a very high altitude, beyond the altitude of 15,000, are not getting enough supplies. They are our children. They are looking after us. We understand that it is very difficult to grow vegetables there. We are trying for it. But, even then they are either dying of snow storm or avalanche. So, we have to even take care of them in a better fashion so that they can look after us better.

I would like to draw your august attention that the Registrar General of India has the totally unspent amount, under the Head of Town Mapping, the money was unspent, under the Head of Modernisation of Data Dissemination Activity, the fund was unspent and even in the case of non-filling of vacant posts, the fund was unspent. So, there are various areas like cyber crimes and NATGRID, all these require special attention. We would be grateful if you can consider these. Thank you.

* **डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर):** भारत सरकार के गृह मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रान्ट के बारे में मैं यह कहना में चाहता हूँ कि, सरकार ने अनुदान की जो तरमूद की है यह महत्वपूर्ण है। देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए गृह मंत्रालय की भूमिका बहुत ही आवश्यक है। भारत के सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और निगरानी करने के लिए सीसीटीवी का प्रावधान किया है। केन्द्र सरकार ने हर तरह से सुरक्षा के मामले में बजट के कभी भी राशि बढ़ाने का ही काम किया है। मेरे लातूर लोकसभा क्षेत्र में शहर को ट्रैफिक और क्राईम पर निगरानी रखने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से करोड़ों की राशि दी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में CRPF का ट्रेनिंग सेंटर और BSF का ट्रेनिंग सेंटर है।

पिछले साल पानी की कमी की वजह से CRPF और BSF को दिक्कतें हो गईं। लेकिन मेरे M.P.LAD के फंड से दोनों सेंटर पर बोरवेल दिया और उनको बड़ी राहत मिल गई। मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनती करता हूँ कि इतनी कड़ी मेहनत करके CRPF की ट्रेनिंग होती है। इनके सेंटर के नज़दीक हरेगुए रेलवे स्टेशन है। CRPF के जवानों की सुविधा के लिए रेल रोकना भी महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है।

यह कैम्प जहाँ है वहाँ बी.एस.एन.एल. के नेटवर्क की भी समस्या है। बी.एस.एन.एल. द्वारा भी वहाँ बी.टी.एस. लगाने की जरूरत है। हमारे देश की कानून व्यवस्था को अबाधित रखने के लिए हमारे सिपाही को अच्छी सुविधा भी देने की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है।

हमारे देश में बार्डर पर जाने वाले पुलिस सिपाही को जो ट्रेनिंग दी जाती है वह हमारे लातूर में दी जा रही है। इस सेंटर की ओर केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय विशेष ध्यान देकर सभी कमियों को निरस्त करें, मैं यह मांग करता हूँ।

देश में गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के काम-काज के लिए भारत सरकार ने जो आर्थिक नियोजन किया है वह अच्छा है, इसे और अच्छी तरह से राशि बढ़ाकर देश की कानून व्यवस्था अच्छी रखने के लिए काम में लाएं।

आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से हमारे गृह मंत्रालय के सभी कर्मचारियों, पुलिस, जवानों के लिए सभी प्राथमिक सुविधाएं ज्यादा देने का काम किया है। विशेषकर हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष राशि का भी आवंटन किया गया है। देश में महिला दलित, गरीब और अल्पसंख्यक की सुरक्षा हमारी सरकार कर रही है।

मैं केन्द्र सरकार की इस गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँग का समर्थन करता हूँ।

* Speech was laid on the Table.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, many hon. Learned colleagues have already spoken on various issues concerning the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, 2017 on topics such as naxalism, extremism, encounter death figures, expenditure of the Nirbhaya Account, modernization of police force, and border policing. They have talked about many things. I wish to refrain from the usual discourse and use this opportunity to speak on two pillars of any society that feels it civilized.

What is the difference between a civilised society and an uncivilised, barbaric society? As I understand, it is my personal perception, just two things differentiate the society. One is the judiciary, the judges, legal system; and the second is the police, the law enforcement authorities or the bodies that are deputed to enforce law. These two things divide society into two very extreme ends.

Our long, rich heritage of subjugation has left very deep and indelible societal scars on all of us. When we look at our judiciary, we hear of the CBI investigating relatives of very senior judges, of how a certain judge of the Calcutta High Court has been hauled up under contempt of court charges and has been served with an arrest warrant, and how he in turn demanded Rs.14 crore from seven members of a Supreme Court Bench.

I am not commenting on who is right or who is wrong. I am just saying that this is showing the collapse of one of our most critical systems exclusively due to the callousness of men who operate this system. Those who should be setting exemplary standards of personal behaviour are bickering and fighting amongst themselves and that sends out a very wrong message to society.

Coming to the police next, as of now the average Indian is incapable of understanding whether the police is a service or the police is a force. As far as I understand from the little bit of interaction I have been unfortunate enough to have

with our police officers, whether they are IPS officers or State police officers they all consider themselves as a force. They do not think they are here for service.

Our police establishment, especially its leaders - the Indian Police Service officers – have failed miserably over the years to change this perception within their rank and file, within their subordinates that they are here because of the people, that their salary comes from the tax payers' money. And I have a sneaking suspicion that this has happened because they do not depend on their salaries. The moment they start depending on their salaries, they would actually think who their master is. But since they do not depend on it, they do not have to bother. ...

(Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : Where do they get their salaries from?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, that is for others to decide, the Government to decide.

I am quite conscious while saying this that it is easy to blame others but all political dispensations - whether it is Congress led, whether it is BJP led, whether it is a regional party led, nobody is an exception - have felt comfortable by using the police for its own particular ends. Like the British for 200 plus years subjugated the average Indian with the lathi, today very easily we fall in the rut and we want to use the police as our personal force that we can use when we are in Government. When we go over to the other side, when we sit in the Opposition, then we shriek and shout. But when we are in power we forget the injustices that are meted out to the people, the average citizen of this country.

India is a rare country where when an average citizen sees a police personnel, her or his first feeling is of fear. There is an adrenaline rush, there is a fear and there is a desire to run away. I think except a handful of African and South American countries all across the world if you see a policeman you feel safe. Here in India if you see a policeman what happens? I am not trying to bring in the Army or the paramilitary forces; then, it is easy to label a person as an anti-national; either you are a *bhakt* or you are a Pakistani. I am not a Pakistani; I wish

to be a *bhakt* but I wish to live up to my standards. Here the policeman does not instil confidence in the minds of the people and in the minds of the citizens.

I will give a couple of small examples where it could be a Moninder Singh Pandher brutally killing children and walking scot-free in this country; or a Kaliko Pul suicide note which has absolutely gone underground, under wraps maybe purposefully manipulated for investigation; or, the website of CVC the apex body that is supposed to stop corruption in this country crashing last November, the historic November, 2016 and interestingly wiping out all details of corrupt officials from across the country. For an instant, somebody told me it did not matter if the hard disk is affected or the website crashes since they would have a backup of files but you would be amazed to know that there is no backup of files because when you dream of digitisation in the country you obviously dump all the paper away. In the process we are creating new kinds of troubles.

We have to understand that whether it is high-tech or low-tech, there has to be a human interface. A technical apparatus or a technical system does not operate on its own. The world has not come to that level of artificial intelligence where robots would be controlling a country or the law and order system. So, when you are dreaming of a digital India, you also have to dream how to make the society more peaceful and how the police force could be more pro-people.

You are talking about ease of doing business which is a very welcome thought. I must congratulate the hon. Prime Minister because he has thought of this. The thought is good but how do you embolden that thought is something that we are forgetting. When you are talking about ease of doing business, it is very important to have a society which is peaceful, which is welcoming, and which is at ease with itself.

Can you imagine any corporation or any multinational company planning to invest in a country like, say, Syria, Iraq, Afghanistan, or Libya? Can we ever imagine that? Nobody wants to go there primarily because they all want to have a peaceful society and a peaceful country where they can do business.

I would wind up saying that we have a police force that operates on guidelines and codes of something that was drafted in 1861. You are a young person; so, you also do not know what 1861 was like, who was ruling India at that time and how. The police force is operating and is guided by the Police Act that was drafted in 1861. It is working under the Criminal Procedure Code and the Indian Penal Code of equal antiquity. We can imagine how easily these systems can adapt to a digitised world.

Sir, it is really amazing that in 2017 we are still continuing with the police system which was first conceived by the British rulers and was meticulously designed and structured to enforce law and public order for sustaining their foreign rule.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिए।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am giving respect to you, Sir. On your order, in the end I would just like to point out two small points.

I have seen many a times when a new SP is posted in my district, the first thing the young officer does is to go out in an open jeep with five-six people sitting at the back with big *lathis*. Do you know what they do, Sir? They beat up all the truck drivers, the cleaners, the helpers and the daily labourers who go to *dhabas* to eat late at night because the whole day the poor people are working. They do this for about fifteen-twenty days. Then there is an atmosphere that is created: अरे! बड़ा तगड़ा एस.पी. आ गया। Then they sit back. Do you know the next step, Sir? Then they check out the profit making *thanas*, police stations. Then they start the auctioning process; 'If you want to be the IIC in this police station, this is your initial payment and this will be your monthly quota'. This is happening across the country. So, today, we talk much about giving money for police modernisation, walkie-talkies, jeeps, guns but what about the humane angle to police? Sensitisation is a must.

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करिए।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The Central Government needs to take up this charge of sensitizing the police regarding how they should handle both criminals and victims. Unless you do that whatever money you apportion for anything, it is a total wastage and it is a shame for tax-payers like me that my money is being wasted. Thank you, Sir.

माननीय सभापति : अब आगे वक्ता लोग ध्यान रखेंगे कि 5 मिनट में सभी अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि बहस को समय पर समाप्त करना है।

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी : बहुत टाइम बीएसी में दिया था। I was within my limit, Sir. तीन-चार बार टोक दिया, but I was within my limit. आप टोक देते हैं, हम आपसे डर जाते हैं। आप सोशलिस्ट हैं न, तो हम डर जाते हैं।

*SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): The internal security of our country is a very challenging job now-a-days. The various terrorists outfits adopt new ways, new technology to kill innocent people of our country. The outfits like SIMI, LWE are posing threat to our internal security.

My parliamentary constituency- Kalahandi in the State of Odisha is falling under LWE influence. Armed with new and advanced weapons, funding from outside the border to carry out fear, terror and attack on our security personnel, armed forces and common people.

In order to control and destroy their operation our police, para-military forces be well equipped with advanced warfare, sharing of intelligence between State, Centre and other agencies involved in these operation.

There is an increase of 11% budgetary allocation to Ministry of Home Affairs during 2017-18. I appreciate the Finance Minister's move to hike Home Ministry's Budget to carry out modernization and improvement of weapons of police and para-military forces to counter the challenge of terrorists outfits.

I request Hon'ble Home Minister to open one reserve CRPF Batallian at Bhawanipatna, the district headquarters of my parliamentary constituency Kalahandi for quick and speedy movement of CRPF when there will be an attack by LWE in my district as well as bordering districts.

* Speech was laid on the Table

***SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH):** The total size of the budget for 2017-18 has come down from 13.4% of GDP for last year (revised) to 12.7% of GDP for 2017-18. The total revenue has come down from 9.4% of GDP to 9% of GDP. The total taxes foregone is Rs. 30,000 i.e. 2% of GDP, despite an additional revenue of Rs. 75,000 crore through indirect taxes, which will hit the common man. Capital expenditure has come down to 1.84% from 1.86%. Farm sector allocation has also fallen from 1.98% to 1.95% of GDP. While all the parameters have fallen, the budgetary allocation for the Ministry of Home Affairs alone has shot up exponentially by 11%.

It cannot be faulted given the scenario in which India is sitting as an epicenter of terrorism in South Asia and is the 2nd most volatile region in the world after West Asia. According to the latest US report, transnational terrorist groups are targeting India.

Apart from the left wing extremism which is India's greatest threat, the jihadi terrorism, drug trafficking, illegal migration, supply of fake currencies, human trafficking, proliferation of small arms, cyber war fares, narcotics and drugs smuggling are the other threats.

Unlike other threats, the left wing extremism is ideologically driven. It has its roots in the pathetic condition of the Adivasis, whom the Governments have repeatedly neglected and deprived off. Left extremism is a failed ideology but it cannot be tackled as a mere law and order problem. Allocation of more funds and deployment of more armed forces will only accentuate the menace further. Instead, a considerable part of the allotment may go for mitigating the sufferings of the Adivasis, whose habitat is the fertile soil for left wing extremism. So, sufficient fund has to be diverted for this cause.

Around 15 million Bangladeshis have infiltrated into the north eastern states of our country, leading to demographic upheavals and threat. The Indo-

* Speech was laid on the Table

Bangladesh border stretches to 4096 Km and we have 3323 Km long border with Pakistan. We have embarked on an ambitious plan to seal these borders, which is nevertheless an uphill task. The 2355.68 crore allotted for fencing these borders with barbed wires and for induction of high tech surveillance is insufficient. More funds can be allotted for this, to expedite the scheme since the infiltration by cross-border terrorists has become more frequent. The additional funds may facilitate the mapping of the border through the satellites.

Though the present hike to Home Ministry is 11%, it falls short of the hike of 24.58% in 2016-17. The distribution among various forces is not equitable. The allotment to the seven paramilitary forces is up to a phenomenal figure of Rs. 54,985.11 crore. The Nirbhaya fund is increased by 7 times to 28.9 crore, though it is not fully utilized and the plight of women in this country is ever mounting. There is 32% increase for providing relief and rehabilitation to the migrants, repatriates and the internally displaced people like the Kashmir Pundits. But the government could not attend to the crux of the problem by resettling these Pundits. The compensation to the victims of 1984 anti-Sikh riots is enhanced but the culprits cannot be booked, even after the change of guard at the Center.

There is 33% increase for the central police organization. There is an across the board increase of almost 50% for the salaries and allowances by the cabinet ministers, MOS and former PMs. The Delhi Police has a bonanza of an additional fund of Rs. 465 crore totaling to Rs. 6378.18 crore., though the Delhi Police had not been able to fully spend the funds allotted in 2015-16. Important initiatives like the city-wide surveillance system, etc. pending for several years saw only partial development. The law and order problem in Delhi is the worst in the country and it is the most unsafe place for women. But, still they are rewarded with more funds. May be, they are effectively tackling the Aam Admi Government at Delhi.

But, for the modernization of the State Police Force the allocation is reduced to Rs. 800 crore from Rs. 845 crore. This reveals the mindset of the

Center though they are aspiring to be more federalist. There has been a far cry for strengthening and modernizing the state police who, by virtue of the proximity to the problems of insurgency and left wing terrorism, could tackle them more effectively. Further the deployment of paramilitary forces, who are aliens to the conflict zones in the states, for prolonged periods, will breach the confidences of the local people. But the Center wants to override the powers of the states by modifying the 7th schedule of the Constitution to include internal security either in the central list or in the concurrent list. That mindset is echoed in the meager allocation of funds to the state police forces.

If we could change our strategy to a correct perspective with respect to our foreign affairs, we can better our relationship with China, our mighty neighbour. If we desist from the arms race we can effectively reduce our defence budget and instead focus on growth and development.

Instead, our foreign policy has a definite shift and lenience towards US. The renewal of Indo-US Defence framework Agreement for 10 years, the joint vision statement of Asia-Pacific and Indian Ocean are enough proofs that we had aligned with US as a pivot to Asia to contain China. The quadrilateral defence agreement between US, India, Japan and Australia aimed at militarizing the Asia Pacific, East and South Asia and fostering enmity in the region will aggressively boost our defence budget.

Instead we should align and support multilateral forums like the BRICS/Shanghai cooperation organization, the Community of Latin American and Caribbean states, Bolivarian Alliance, ASEAN, SAARC, etc. which will pave way for enduring peace in the world.

Our allocation to Home Affairs and Defence may be healthy but may not contribute to the health of the nation.

* **श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली):** वैसे तो कहने को लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है किन्तु गृह मंत्रालय की महत्ता सर्वोपरि है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों, केन्द्र-राज्य संबंध, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीमा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन सम्बंधित मुद्दों के लिए गृह मंत्रालय ही जिम्मेदार है, इस वर्ष गृह मंत्रालय को (97,187 करोड़ की बजट राशि आवंटित की गई है जो कि पिछले बजट के मुकाबले लगभग 5 प्रतिशत अधिक है) बजट राशि में वृद्धि अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि पिछले वर्ष में जिस तरीके से सीमा पर पाकिस्तान द्वारा बार-बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तथा देश के भीतर न केवल नक्सलवादी, माओवादी बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों तथा खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पनप रहे विभिन्न एंटी-नेशनल कार्यक्रमों पर रोकथाम लगाने के लिए यह बजट राशि उपयोगी सिद्ध होगी।

कुल बजट राशि में से लगभग 80% राशि जो कि 78,000 करोड़ है, पुलिस बल के लिए आवंटित की गई है, यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 6% ज्यादा है, यह जगजाहिर है कि संविधान के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है लेकिन संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए जिसके लिए केन्द्र सरकार CRPF, CISF, NSG, BSF, इंडो-तिबेटियन बार्डर पुलिस, सहस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स सीमा के बुनियादी ढाँचे, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और पुलिस प्रशिक्षण पर यह राशि व्यय करती है, इसके अलावा केन्द्र सरकार राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण पर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत व्यय करती है। पुलिस को आवंटित राशि में से लगभग 70% राशि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को सबसे अधिक राशि को आवंटित की गई है किन्तु यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी फोर्स में कुल मिलाकर लगभग 60,000 सैनिक बल की कमी है अतः यह आशा है कि आगामी वर्ष में इस अधिक बजट आवंटन से हमारे सैनिक बल में वृद्धि होगी।

मेरे द्वारा अभी तक उल्लिखित पहलू हो या बॉर्डर **Infrastructure** या **disaster management**, कुल मिलाकर इस बार बजट में लगभग सभी प्रमुख विषयों के लिए पिछली बार से अधिक राशि आवंटित की गई है, इसके लिए मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं।

देववाणी संस्कृत के एक श्लोक की पंक्ति है ("उद्यमेनैव सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।") अर्थात् प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। यह श्लोक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की निष्क्रिय सरकार एवं केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सरकार की तुलना के लिए बिल्कुल

* Speech was laid on the Table.

सटीक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी की तरह झूठे वादे करने में विश्वास नहीं रखती बल्कि असल में काम करने और जनता की सेवा करने में विश्वास रखती है। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली में चुनाव जीतने के पहले यह घोषणा की थी कि अगर वे दिल्ली में सरकार बनाते हैं तो पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, लेकिन कैमरे तो छोड़िये, आजतक इस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने, सत्ता का दुरुपयोग करने, केन्द्र सरकार पर झूठे इल्जाम लगाने, लाभ के पद पर अपने विधायकों को पहुँचाने और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिसका फल इन्हें अभी के पंजाब और गोवा राज्य के नतीजों में मिली भारी हार से मिल गया है और रही बात दिल्ली की जनता की तो वो आगामी एमसीडी चुनावों में इस भ्रष्ट सरकार को मज़ा चखा देगी। लेकिन सीसीटीवी कैमरों का लगाया जाना हमारी राजधानी की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगा इसके लिए मैंने अपने संसद फण्ड से अब तक डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक राशि आवंटित कर दी है और पूर्वी दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए आगे और भी राशि आवंटित करूँगा लेकिन पूरी दिल्ली के लिए यह आवश्यक है कि सीसीटीवी कैमरों के लिए इस बजट में और राशि अलग से मुहैया कराई जाए।

इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पुलिस के लिए बजट में लगभग 5,900 करोड़ रूपए आवंटित किये गए हैं जो की पिछले बजट के अनुपात में लगभग 5% अधिक है जो की सराहनीय कदम है। किन्तु दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, जो देश की राजधानी के लिए शर्म का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर चोरी, डकैती, अपहरण जैसी घटनाए तथा विभिन्न प्रकार के गैरकानूनी रैकेट्स दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आमतौर पर प्रचलित हैं। इन सब पर रोकथाम लगाने के लिए न केवल संख्या बल में इजाफा करना जरूरी है बल्कि मॉडर्न जमाने के क्राइम को रोकने के लिए मॉडर्न तरीके अपनाना भी अत्यन्त आवश्यक है, इनमें सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता को नाकारा नहीं जा सकता। अगर हमारी दिल्ली में हम विभिन्न स्थानों पर ये कैमरे लगाए तो निश्चित ही राजधानी में क्राइम रेट कम होगा तथा अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है दिल्ली पुलिस को और अधिक बजट राशि आवंटित की जाए ताकि विश्व के सबसे तेज गति से प्रगतिशील राष्ट्र की राजधानी में कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, on behalf of Telugu Desam Party we fully support the Demands for Grants pertaining to the Home Ministry for reasons already enumerated by my hon. colleague. Shri Meena. I have a small suggestion to make. Taking cue from Shri Meena and also from Shrimati Ghosh from Kolkata, I have a small suggestion. I would request the Home Minister to increase the MPLADS fund. We will definitely be using this money for the welfare of police and also to some extent for the welfare of paramilitary staff.

In the same way, I have another small suggestion. There is a CSR element involved. We spend money for the people affected by the industries. A fraction of this element can also be spent on the paramilitary forces which undergo a lot of stress. There is a lot of demand for these paramilitary forces all over the country. Every State has tremendous faith in these paramilitary forces of India. Instead of asking the local police to protect them during law and order crisis, every State usually demand deployment of paramilitary forces. We have BSF, CSF, SSB, ITBP and CRPF. All organs of our paramilitary forces enjoy equal importance and equal credibility among the masses of India. Of late, the CRPF is incurring heavy casualties. It is very unfortunate that sometimes we come across the news of their committing suicides.

Hon. Minister, Sir, suicide is a very pathetic and grave in nature and it gives wrong signal to other fresh recruits also. We have to understand why there is so much of stress level especially among CRPF personnel who are away from their families and who are doing duty in very difficult areas. जहां रहना बहुत मुश्किल होता है, वहां जाकर काम करना पड़ता है और ऐक्सट्रिमिस्टिस के साथ मुकाबला भी करना पड़ता है। They have to fight an enemy who is within the country. यह नहीं है कि बाहर का दुश्मन है, इसे मार देंगे। ऐसा नहीं है। दुश्मन भी हिन्दुस्तान का है। It is very difficult to face the enemy within the country. They are also in the tribal areas. If any small excess is done, there will be a big news flash that excesses are being committed by the CRPF. But, there will be no news when CRPF personnel are killed in an ambush or when

60-70 personnel are killed in landmine blasts. We do not even care about their welfare whenever such incidents happen. So, therefore, my request is that let us periodically counsel them psychologically so as to reduce the stress level of the CRPF personnel, especially those who are posted in field areas. We can do it either by counselling or by doing periodical rotation of those people who are working in those difficult areas. We can bring them back to their families and expose them to a little entertainment or some sport activities, maybe in the evenings or afternoons. Without doing such activities they are being deployed in a rigid way. That is why, sometimes they kill their senior officers. Some CRPF officers are also getting killed by their own constabulary because they refused their leave. These are all most unfortunate things. So, these things should also be understood.

My colleague also said that some of the Secretariat officers who make the policies and a lot of such other things for the para-military forces should also be exposed. But, while doing that, I have a small suggestion. The para-military forces who are in the tribal areas should have interactions with the anthropologists as they are well aware of the tribal culture. When the CRPF personnel go to the tribal areas, where the Left-wing extremism is very rampant, as a fresh recruit or as a fresh posting, there has to be some interface, either through a psychologist or an anthropologist, so that there can be a human understanding of the ethos and culture of those tribal areas. It will help them in dealing with the Left-wing extremism. It is commonly happening.

When the personnel of CRPF, BSF or any para-military forces retire, let us also consider them on the lines of the Defence and give them more benefits, that is, housing, education, post-retirement benefits, industrial incentives, some loans or such other things. It is because these are the forces who are working 24x7. Of course, the casualty during peace time is unfortunately more than that of the war time. In India, especially after the Left-wing extremism has started, the casualty of the forces is more than that of during the war time. This is most unfortunate that

they are fighting with their own people and dying in the service of the country. Therefore, we have to give a serious thought to the Left-wing extremism.

Not only that, let there also be a wing in the Home Ministry to understand as to why there is Left-wing extremism. Instead of treating the Left-wing extremism as a law and order issue, let us also understand that it is a socio-economic issue and there are so many economic conditions, tribal exploitation and tribal land alienation. If all these things are understood, the left-wing extremism can be reduced to the minimum so that the CRPF casualties also can be reduced to the minimum. I urge upon the Home Ministry to devote more time and money for the welfare of the CRPF personnel. Thank you very much, Sir.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Sir. At the outset, I welcome the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, 2017-18.

Sir, my good friend, Satpathi Ji had expressed his views on the Police across the country. Every one of us knows that law and order is a State subject. But, at the same time, the Ministry of Home Affairs is also supplementing funds for the modernization of Police in our country and they are allocating good funds to the State Governments to equip themselves in order to maintain law and order.

Sir, unfortunately, the budget for the Ministry of Home Affairs is only 4.5 per cent of the total budget expenditure of the Union Government. In fact, my other friend also said that the Ministry of Home Affairs is not in the priority list of the Ministry of Finance. The total allocation is only 4.5 per cent of the total budget which is now under consideration of this august House.

In this total budget which is around Rs.97,187 crore for this year, there is only a marginal increase of 5 per cent from the revised estimates of 2016-17 and out of this budget, 80.3 per cent expenditure is only on police, 13.7 per cent on the grants made to the Union Territories and six per cent is on the items such as disaster management, rehabilitation of refugees/migrants, census and two other constitutional bodies like the President of India, the Vice President and the Governors, etc.

Under Demand No.48, the amount allocated is Rs.78000 crore to police. As I mentioned just now, law and order is a State subject. The Central Government is supplementing the State Governments for modernisation of State Police under MPF Scheme. For this also, the allocation made by the Central Government is only 60 per cent and the rest 40 per cent share has to be contributed by the respective State Governments. This amount is for strengthening the police infrastructure, for construction of police stations, training centres, residential houses, for equipping police stations with the required mobility, modern weaponry, communication equipment, etc.

This year, the budget allocated for the modernisation of police is only Rs.2000 crore which is 9.5 per cent less than the revised estimates. Moreover, last year even out of that only Rs. 522 crore were spent. It is very unfortunate. There are 29 States and seven Union Territories in this country. They have spent only Rs.522 crore for the modernisation of police.

Telangana is a new State and everybody knows that when it was part of Andhra Pradesh, it was badly affected by the Left Wing extremism. It is a backward State. We got only Rs.16 crore last year. Very recently, the Telangana Government under the Chief Minister, Mr. K. Chandrasekhara Rao, has purchased modern vehicles for each police station in order to maintain law and order.

Sir, earlier we had ten districts in Telangana. Now we have created 21 more districts and now there are 31 districts in the State of Telangana. In order to equip the police stations with the modern equipment and vehicles, we need more money. We have increased police circles, police stations and Commissioners. Earlier, there were three Commissioners and now we have increased it by three more Commissioners because Telangana State is an urban State and we have 42 per cent urban population.

As I have just now mentioned, Telangana State was badly affected by naxal movement earlier. Last year, we met the hon. Home Minister. We requested for allotment of funds for laying of roads in the areas badly affected by extremists, backward areas and forest areas. However, the Home Minister was kind enough to have granted around Rs. 1200 crores last year. We are laying roads in the interior parts of Telangana. Our Government has already taken steps in this regard and this is the answer because as mentioned by my earlier speaker, we have to see development in the remote areas of our country in order to curb naxalism or any extremist movements. So, the hon. Finance Minister should allot more money for the Ministry of Home Affairs for development of remote areas affected by Left Wing extremism.

Sir, I will give one example. The hon. Prime Minister had launched the programme, Sansad Adarsh Gram Yojana. I have selected a village called Virnapalli which is a remote village affected by naxalism where around 40 youths were killed for the last two decades. By choosing that village and by approaching our State Government, I have laid roads in that village connecting that village to the Headquarters. Now the youth of that village are very happy. This is the way we should develop the remote areas affected by extremism.

Another point is regarding border management, staffing and infrastructure. As mentioned by earlier speakers, there are 70,000 vacancies in CISF, CRPF, BSF, NCG and ITBP. Why cannot these Forces recruit youths of this country from the remote areas, particularly from the tribal areas? There are 70,000 vacancies. I request the hon. Home Minister who is here to initiate the process of recruitment in these Forces.

Sir, as you are asking me to conclude, I will end with an important issue regarding my State. In fact, I thought of speaking on disaster management.

I request the hon. Home Minister to consider heat waves as also a national calamity. Cold waves are declared as national calamity by the NDMA. I request that heat waves should also be taken into consideration.

My State, Telangana, is bifurcated from the erstwhile Andhra Pradesh. There are two or three issues relating to Telangana. I request the hon. Home Minister to initiate action on the bifurcation of High Court and also increase the Assembly seats in both the States which was promised in the AP State Reorganisation Act.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय सभापति जी, गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा करते समय लोकसभा में यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों की चर्चा कर रहे थे, रक्षा मंत्री जी गोवा के मुख्यमंत्री बनकर चले गए और अब हम गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों के बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी मंत्री जी के बारे में कुछ तय नहीं है।... (व्यवधान) फैसला तो आप करेंगे, आपके लोग करेंगे। आप अगर जाएंगे तो हमें खुशी होगी और बिछड़ने का दर्द भी होगा, लेकिन यह फैसला आपका होगा। मंत्रालय को चुनने का फैसला महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है।

सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बदल गई है। किसी भी देश के गृह मंत्रालय के लिए आंतरिक सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बजट के आंकड़े खड़गे जी ने बताए, अन्य सदस्यों ने भी बताए, लेकिन चुनौतियां हमारे सामने हैं। हम जितना सोच लें कि अब सब कुछ हो गया है, ठीक है और जैसा सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मामले जिस तरह से मोड़ ले रहे हैं, जिस तरह से पड़ोसी देशों और हमारे देश में रीजनल स्थिति बन रही है, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है,

महोदय, चाहे हम सुरक्षा के बारे में हम जितनी भी बात करें, आजकल कन्वेंशनल युद्ध उस तरह से नहीं होता है। हम एटामिक पावर बने हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बना है, इसके साथ हमारी ज्यादा समस्याएं हैं। आजकल प्रॉक्सी वार या सीमा के अंदर वार होती है, चाहे घुसपैठ से हो या नए तरीके तरीके अपनाकर हो, इसे देखते हुए गृह मंत्रालय का मामला बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

17.00 hours

हम आज सुबह ही बात कर रहे थे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वूमैन ट्रैफिकिंग काफी बढ़ गया है। नयी आर्थिक नीति के कारण हम जिस माहौल में बढ़ रहे हैं, उसमें पुराने मूल्य टूट रहे हैं। इससे यह चुनौती काफी बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है, लेकिन आप देखिये कि जिस होम में लड़कियों को रखा जाता है, वहां से उन्हें बेचने का काम हो रहा है। यह कोई एक स्टेट, एक जिले या एक पार्टी का मामला नहीं है। हमारे मूल्य घट रहे हैं और चुनौती बढ़ रही है। इसी तरह से सोच, फिक्र, राजनीति में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। हम इन्टॉलरेंस की बात करते हैं। अभी अमेरिका में भारतीय नस्ल के लोगों को मारा जा रहा है। पूरे एशियाई लोगों को वहां के राजनीतिक, आर्थिक वातावरण से एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जब हम अपने यहां हेट क्राइम की बात करते हैं या नफरत की बात करते हैं तो हमें

आईने में देखना चाहिए। इसे करना एक बात है और झेलना दूसरी बात है। उसका असर क्या होता है, यह हमें दिमाग में रखना चाहिए।

यह ठीक है कि दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के लोगों की संख्या कम है, लेकिन हमारा देश बहुभाषा, बहुजाति, बहुधर्म की जनगोष्ठी का एक सामूहिक रूप है, संगठित कल्चर है, मुश्तरका तहजीब है। उसे जब हम खत्म करते हैं या हमारा नैरो व्यू होता है, टनल व्यू होता है तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम से लोग आये, तो हम समझते हैं कि पीपल नॉट लाइक अस। यह पीएलयू और पीएलएनयू है, वह सोच कभी-कभी इस तरह की चुनौती को बढ़ा देती है। मैं समझता हूँ कि यह आपकी जिम्मेदारी है और सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल चुनौती है, वह हमारे सामने जम्मू-कश्मीर जैसी है। हम आंकड़ों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप आतंकवाद के हमलों को देखिये। पठानकोट में एक सीरीज में हमले हुए। उसके बाद हमारी सीमा में घुसपैठ करके सुरक्षाकर्मियों पर हमले हों, नागरिकों पर हमले हों या आतंकी हमले हों, वे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसे नैरो राजनीति से नहीं देखकर उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर वह होता तो नागालैंड और मणिपुर में हम इसे न झेलते। दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में जो माओवादी हमले हैं, वे कभी कम होते हैं और कभी बढ़ जाते हैं। हम उसका पूरा बंदोबस्त ठोस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उस चुनौती को हम अपनी नजर से ओझल भी नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहां आंकड़े बहुत हैं, लेकिन जो माडर्न चैलेंजेज हैं, जैसे साइबर क्राइम है, उसमें बहुत बढ़ोत्तरी हो रही है। अब ब्रॉडबैंड, वाई-फाई, इक्विपमेंट्स आदि आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ इनका इस्तेमाल भी हो रहा है। हम एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी चुनौती है। आज नौजवानों का रेडिकलाइजेशन हो रहा है। आप कोई भी नाम दे दो, लेकिन वे नाम बदल देते हैं, ब्रांड बदल देते हैं, लेकिन जो सोच है, अगर धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए धर्म को इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे पूरे विश्व और आस-पड़ोस का माहौल बहुत बिगड़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम कहते थे कि हमारे देश में ये आईएसआईएस वाला मामला नहीं है। हमारे होमग्रोन कोई टेरेरिस्ट नहीं होते। ट्रांस बार्डर, एक्रॉस बार्डर से टेरेरिस्ट आते हैं। अभी जो वाकयात सामने आ रहे हैं, वे कहां तक सही हैं, यह हमें नहीं मालूम। आजकल मीडिया में बहुत ज्यादा निकाला जाता है। कभी चुनावी मामले में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह चुनौती है और इस चुनौती को हम सबको मिलकर स्वीकार करना होगा। मैं समझता हूँ कि धार्मिक उन्माद पैदा करके, धार्मिक विभाजन करके या असुरक्षा के भाव पैदा करके, मिलिट्री या मिलिटेंसी पोलिटिक्स करके हम उसे रोक नहीं पायेंगे। हम ईस्ट एशिया में देख रहे हैं कि लोग यह मामला दशकों से झेल रहे हैं। वहां आम लोग परेशानी में हैं। युद्ध के कारोबारी अपना काम कर रहे हैं और राजनीतिक कारोबारी राजनीति का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय के बजट पर कहना चाहता हूँ। अब नयी सोच, नयी फिक्र, नये इक्विपमेंट्स, नयी तरह की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि सेंसस के जो फंड्स हैं, गृह मंत्रालय के मंत्री बहुत ऊंची सोच के विचार रखते हैं, लेकिन जीआईएस, यानी जियोग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम में टाउन मैपिंग का मामला था। हम उसका बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। हिन्दुस्तान के लोग पूरे विश्व में जीआईएस बेस्ड काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सेंसस के लिए जो काम करना था, जिसका मल्टीपल यूज हो सकता था, उसमें शून्य रह गए। इसी तरह से डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां-जहां पर मॉडर्न लेबोरेट्रीज की बात थी, चाहे नेशनल क्राइम ब्यूरो में हो, चाहे अन्य किसी विभाग में हो, जहां भी हमें न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था या उसका इस्तेमाल करना था, उसमें हम आवंटित पैसे को खर्च नहीं कर सके। नेशनल इंटेलीजेंस ग्रेड की बात आई है। यहां जब भी आतंकी हमले हुए, ऐसी घोषणा की गयी, पिछली सरकार ने भी ऐसा किया कि हमारी अलग-अलग इंटेलीजेंस एजेंसीज को एक ग्रिड में लाना होगा। वह काम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इंटेन्सिव है, लेकिन उसका बजट भी खर्च नहीं हुआ। जब रिपोर्ट में मंत्रालय से पूछा गया तो कहते हैं कि इसके लिए क्वालीफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं। आज भारत पूरे विश्व में आईटी पावर के रूप में गौरवान्वित है, फिर या तो हम उनको तनखाह कम दे रहे हैं या ठीक से उसे विज्ञापित नहीं किया गया है या उसे लागू नहीं कर रहे हैं। हमें अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम नेटग्रेड के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाए हैं, यह बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यह जरूरी है, क्योंकि आजकल जिन लोगों ने हमसे युद्ध छेड़ रखा है, वे अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ... (व्यवधान) सर, मैंने अभी बजट पर बोलना शुरू किया है।

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए नौ मिनट हो गए हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : सर, मैं मणिपुर, गोवा गवर्नर आदि की बातें नहीं कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए नौ मिनट हो गए हैं, अब समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : सर, देश की सुरक्षा के लिए नौ मिनट क्या हैं। हम चुनाव में घण्टों देश की सुरक्षा के बारे में भाषण देते हैं।

मैं समय के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप भी जब भाषण देते हैं, इसी तरह की सोच को सामने रखते हैं। बजट में एक तरफ नॉमिनल इनक्रीज हुई। ... (व्यवधान) मैं गृहमंत्री जी के पक्ष में बोल रहा हूँ। आप देखेंगे कि जिस तरह से इनफ्लेशन होता है, जिस तरह से खर्च बढ़ रहा है, यह नॉमिनल इनक्रीज है, लेकिन हम उस तरह से विचार नहीं करते हैं। हमें देखना होगा कि आपने वित्त मंत्रालय को क्या

प्रोजेक्शन्स दी थीं, आपने उनसे कितना पैसा मांगा था और आपको क्या मिला, तब पता चलेगा कि आपने जिस चुनौती को स्वीकार किया, उसे मूर्त रूप देने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी आर्थिक रूप से जो जरूरत थी, वह आपको नहीं दी गयी। आप दिल्ली पुलिस को ले लीजिए, वह आपके नजदीक है। दिल्ली पुलिस के बजट में प्रोजेक्शन थी - 11093 करोड़ रुपये। आपने इतनी राशि मांगी थी, लेकिन आपको उससे 4743 करोड़ रुपये कम मिले। अगर आपको एक-तिहाई से अधिक पैसा कम मिलेगा तो how can you do justice to that. हम जब डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स की बात कर रहे हैं, आपके समय ही नहीं, पिछली सरकार के समय से भी, पिछले दस साल से दिल्ली पुलिस के ऊपर स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस के 1600 करोड़ रुपये बकाया हैं। आप सेंट्रल पुलिस को डिप्लॉय करते हैं, हम जब आते हैं तो सीआरपीएफ को देखते ही हैं, लेकिन उसका पैसा हम पे नहीं कर पा रहे हैं। वित्त मंत्रालय से जब गृह मंत्रालय को पैसा नहीं मिलेगा तो यही स्थिति होगी। इस तरह से अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो यह लगेगा कि हम महत्वाकांक्षी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें जो करना चाहिए, वह नहीं कर पा रहे हैं।

मैं बंगाल से आता हूँ। सरकार हमेशा कहती है, 70 साल से ऐसा है, पिछली सरकार के लोग यहां नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ है। वहां बांग्लादेश के साथ जो एनक्लेव आया, मैं चूंकि उस समय संसदीय समिति का सदस्य था, हम इसके लिए बंगाल में भी लड़े कि एनक्लेव का यह मामला पूरा होना चाहिए। गृह मंत्रालय के होम सेक्रेटरी को बुलाकर, हमने कमेटी में जिम्मेदारी दी कि इसे राज्य सरकार पर छोड़ने से नहीं चलेगा। अलग-अलग विभाग इसमें शामिल हैं। आपने इसके लिए 340 करोड़ रुपये का बजट रखा। उन लोगों को हमारे देश का नागरिक बने दो साल हो गए। उस बजट एलोकेशन को आपने रिवाइज्ड एस्टीमेट में घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया और एक्चुअल में उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अभी कल ही एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां बिजली नहीं गयी। लोग हताश हो रहे हैं। जो हमारे नए नागरिक बने, वे बहुत उम्मीद के साथ बने। वे बांग्लादेश को छोड़कर आए कि हम भारत के साथ रहेंगे। अब वे सोचते हैं कि हमें यहां क्या मिला, हम वापस जाएं। रिपोर्ट में ही यह कहा गया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करें। समय की सीमा है।

श्री मोहम्मद सलीम : सर, एनक्लेव वालों की बात कौन करेगा?

माननीय सभापति : समय की सीमा है।

श्री मोहम्मद सलीम : ठीक है, जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं। यह आपके लिए बहुत प्यारा मामला है। अभी सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि आपने पैकेज की घोषणा की है। पीओके से जो हमारे नागरिक हमारे पास आये थे, उस जगह को छमनिहावल कहा जाता है। वित्त मंत्री जी ने उनके लिए 500 करोड़ रुपए रखा तो सभी ने ताली बजायी। प्रधानमंत्री जी के नाम से रिहैबलिटेशन पैकेज के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गयी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : महोदय, आपसे कहना पड़ेगा कि एक पैसा खर्च नहीं हुआ। आपने 500 करोड़ रुपए रखा, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं किया, यह कौन कहेगा?... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री विष्णु दयाल राम जी।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : सर, कृपया दो मिनट का समय दे दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए, आप अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इतना समय दे दिया।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : सर, यह सरकार के लिए अच्छा है। मैं सभी की भलाई की बात कर रहा हूँ। 'निर्भया फंड' 1,000 करोड़ रुपए का रखा गया। आप मेरी व्यथा सुनिए। हम ने अपने संसदीय क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 'निर्भया क्षेत्र' बनाने के लिए जमीन का एलोकेशन करवाया। मंत्री जी ने हमें पत्र लिखा, लेकिन आज तक एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। यह हमारा मामला नहीं है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत जो 'निर्भया सेन्टर' बनना था, वह नहीं बना।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री विष्णु दयाल राम जी।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : सर, मैंने आपसे दो मिनट का समय मांगा था।... (व्यवधान) मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूँ।... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय से हमारा स्पेसिफिक सवाल है कि उन्होंने सदन में कहा था कि आई.पी.सी. में संशोधन किया जायेगा। नॉर्थ-ईस्ट के लोगों पर जो रेशियल अटैक्स होते हैं, बंगलूरु में भी कई दिन पहले यह हुआ, वहां जिसकी भी सरकार हो, हमारी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस आई.पी.सी. में संशोधन कहां हुआ है?... (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : सभपति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, हम सभी देश की आंतरिक सुरक्षा की महत्ता को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के कंधों पर है और गृह मंत्रालय सदैव इस दिशा में तत्पर है। जब से एनडीए की सरकार आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और जब से आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्रालय का दायित्व संभाला है, तब से अपने सहयोगियों श्री किरेन रिजीजू और श्री हंसराज गंगाराम अहीर के साथ मिल कर देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का सफलतापूर्वक कार्य किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में गृह मंत्रालय के लिए कुल 99,279.58 करोड़ रुपए का आबंटन हुआ है, जो विगत वर्ष से 10.13 प्रतिशत ज्यादा है। बीते वर्ष यह आबंटन 89,996.83 करोड़ रुपए था।

महोदय, विगत कुछ वर्षों से पुलिस शीर्ष के अंतर्गत बढ़ती हुई राशि का आबंटन आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को देख कर और सरकार की दृढ़ इच्छा को देख कर किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कड़ी चुनौती नक्सलवाद की है।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि नक्सलवाद की समस्या से निपटने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सहायता के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब वर्ष 1967 में नक्सल अपराइजिंग की घटना परिलक्षित हुई, नक्सलवाड़ी में आम क्लैसेज की घटना हुई, तब तत्कालीन गृह मंत्री, भारत सरकार ने इस घटना को मियर लॉलेसेनेस की संज्ञा दी। नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2010 आते-आते देश के प्रधान मंत्री जी को यह कहना पड़ा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है। हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावकारी नियंत्रण किया है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आदरणीय खड़गे जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि नक्सलवाद की समस्या से निपटने में हमारी सरकार कहीं अक्षम साबित हो रही है।

महोदय, मैं आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर हूँ। यदि हम नक्सलवाद संबंधी घटनाओं की तुलना करें, तो पता चलता है कि वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के समय हिंसक नक्सल घटनाओं की संख्या 1136 थी, जबकि वर्ष 2016 में हमारी सरकार के समय इन घटनाओं की संख्या कम हो कर 248 रह गई है। नक्सली घटनाओं में साठ प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2013 में नक्सल हिंसा में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 397 थी, जबकि वर्ष 2016 में इनकी संख्या घटकर 278 हो गई है। यानी 31 प्रतिशत

की कमी ऐसी घटनाओं में आई है। पुलिस बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या वर्ष 2013 में 100 थी, जबकि वर्ष 2016 में बढ़कर इनकी संख्या 222 हो गई है। इस प्रकार 122 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह सिक्कोरिटी फोर्स की कैजुअलटीज वर्ष 2013 में 115 थीं, यह संख्या घटकर वर्ष 2016 में 65 रह गई है, यानी सिक्कोरिटी फोर्स की कैजुअलटीज में 43 परसेंट की कमी आई है। दूसरी तरफ वर्ष 2016 में नक्सलियों की गिरफ्तारी की संख्या बढ़कर 1397 से 1840 हो गई है, यानी 32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे सुखद बात यह है कि सरकार के निरंतर एवं अथक प्रयास से और लोगों में सरकार के प्रति और सरकार की योजनाओं के प्रति विश्वास के चलते वर्ष 2016 में 1422 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो वर्ष 2013 की तुलना में 411 प्रतिशत अधिक है।

महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि किस परिस्थिति में खड़गो जी द्वारा कहा जा रहा था कि नक्सल समस्या के समाधान में गृह मंत्रालय के स्तर पर कमी रह गई है। हमारी सरकार ने देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण किया है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों की गतिविधियों में भारी कमी आई है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विष्णु दयाल राम : सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे बोलने का थोड़ा अधिक समय दिया जाए।

माननीय सभापति : हमारे सामने समय की सीमा है। निर्धारित समय में चर्चा समाप्त करनी पड़ती है।

श्री विष्णु दयाल राम : सभापति जी, गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की योजनाओं की समीक्षा के लिए एम्पावर्ड कमेटी बनाई है। यह कमेटी देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 35 जिलों के विकास की योजनाओं की समीक्षा करती है और लगातार निगरानी करती है।

***SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST):** MHA is not only mandated to maintain the law and order but to maintain peace and harmony of the country also. Peace and harmony is such a delicate thing that can't be bought by money or achieved by use of muscle power. It depends upon creating conducive environment and fulfilling urges of the people.

The vast hinterland of our country is affected by the Left wing extremists. Both Union and State Governments have been spending crores of money, thousands of security forces are deployed, but disturbances prone areas have been increasing. Scores of the members of security forces and innocent people are losing their lives almost every day, losses of property is huge. Hundreds of innocent tribal youth are languishing in the jail without any trial, which is further aggravating the situation. What is the cause of this problem and whether this problem can be solved by police initiative only? The answer is a big No.

I urge upon the Union Government to immediately initiate the political dialogue with the groups in all Left Wing Extremists affected States, launch massive developmental onslaught and ideological campaign together, which shall bring the affective solution in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Assam, Odissa and Manipur, etc.

Tripura is the glaring example how this problem has been largely contained and of course the initiative is still on to heal the root cause of this social and political problem.

I would like to submit few specific issues of Tripura which are very essential and popular demand of the State.

The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTA-ADC) may be empowered by amending the provision of the Sixth Schedule of the Constitution. TTA-ADC bodies should be adequately funded by the Ministries of the Government of India and NITI Aayog, like the three tier Panchayat.

* Speech was laid on the Table

Kok-Borok, one of the official languages of Tripura should be included in the 8th Schedule of the Constitution in order to preserve and promote the language and cultural heritage of the second largest linguistic population of the State.

A holistic effort may be initiated to solve the decade long problem of the Bru people of Mizoram, who have sheltered in Tripura. To ensure dignified repatriation of these people to their home land, a comprehensive Economic and Social package may be drawn for this ill-fated population for the sake of their proper rehabilitation.

Assam Rifles' Complex situated in the heart of the Agartala City should immediately be handed over to the State Government in order to set up a multi-disciplined Sports, Culture & Youth Complex.

***SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):** I thank the Hon'ble Minister for allocating Rs. 97,187 crore in Union Budget 2017-18, which is an increase of 5.4% over the revised estimates in 2016-17. Further, this is 9.7% higher than the budget allocation of last year. With that, I would like to highlight some of the many takeaways from the MHA Budget for FY 2017-2018.

First, I thank the Hon'ble Minister for focusing on border management. This area has witnessed a substantial increase in budgetary allocations for the fiscal year 2017-18. Belonging to a coastal region, I understand the need to effectively secure the country's international borders against infiltration, trafficking and irregular crossings which has become a pressing problem courtesy Pakistani terrorist's infiltration through the India-Pakistan international border and subsequent attacks on strategic installations over the years. I am happy to share that for the first time ever the present Government has acknowledged the issue and has decided to enhance surveillance and detection by building fence barriers and putting up laser walls along riverine stretches, employing sensors, cameras and tunnel detection gadgets, building roads and other infrastructures along the borders. The budget also makes capital outlays for construction on India's international borders and for setting up mobile check posts in coastal areas. The implementation of the comprehensive integrated border management systems (CIBMS) along the India-Pakistan border on a pilot basis is a step in this direction and I thank the Hon'ble Minister of Home Affairs and External Affairs for implementing this. With that, I would request the Ministry to expedite the work under CIBMS and also demand for investing more funds for border security.

Similarly, I welcome the increased budgetary allocations for the border guarding forces to improve their strength and efficiency. I would like to mention that the Border Security Force (BSF), which has responsibility for the India-Pakistan and India-Bangladesh borders, received the highest amount of Rs.

* Speech was laid on the Table

15,569.11 crore, an increase of Rs. 917 crores from the previous year. This highlights the government's commitment towards greater regional integration by ensuring smooth and efficient cross-border movement of people and goods.

Third, I would like to mention that this is the first time ever that J&K witnessed a dip in terrorism related operations and violence post demonetization. I congratulate our Hon'ble PM, Shri Narendrabhai Modi and our Hon'ble Minister of Home Affairs, Shri Rajnath Singh for their vision and ability to be able to curb separatist activities in J&K.

This Government stands for reform. The Government is constantly trying to revamp the Indian economy and the various sectors that were left crippled by the previous Government. The third segment that I would like to talk about is the substantial increase in allocations made towards police modernization and infrastructure. Under police modernization, Rs. 800 crore has been allocated for modernization of the state police forces. This sum includes grants by the Government to states to strengthen police infrastructure in terms of training, weaponry, mobility and communication, and establishment of secure police stations. Further, it also includes the establishment and upkeep of the crime and criminal network tracking system. This indicates the seriousness of the present Government to improve the living and working conditions of these police organizations. With this, I would like to request the Government regarding the need to increase MPLADS funds; of which a major chunk can be utilized for modernization of forces of respective constituencies and the State.

However, one of the serious internal security threats that the country has been grappling with for more than a decade is the left wing extremism. At present, 106 districts in 10 states are affected by LWE. Although the primary responsibility of fighting LWE lies with the concerned states, the Central Government assists them by providing battalions of central armed police forces to counter the subversive activities of left wing extremists and maintain public order. As a result, to maintain national stability and law and order situation in the country, the

budgetary allocation has been increased this year for 2017-18. I congratulate the Minister for doing so, especially at a time when the country has been witnessing internal threats and rise of anti-socials across the states.

I would like to share my concern regarding under utilization of funds by the Ministry. Most of the schemes have found surrendered funds, reasons pertaining to no-finalization of proposals, slow progress of construction works and procedural delays. As my suggestion, I would request that the Ministry to explore innovative solutions to prepare flexible and workable action plans and consistently meet all deadlines and develop strategic alternatives wherever the current strategy may not yield the intended results so as to achieve the desired physical and financial targets.

Secondly, it is really sad that it is 21st Century and we still have to debate women's safety. Women should be able to feel safe at all times and at all places; and the responsibility has to be shared by the men, families, society and administration as a whole. As we all know that rapes, eve-teasing and other heinous crimes against women are still rampant in the country, I would request the Ministry to step up investment to develop infrastructure and resources for women's safety. Also, strongest possible action has to be meted out to the anti-socials so that there is a fear of law. Further, the Ministry has to take initiatives to introduce programs in schools where children are engaged, exposed and introduced to gender equality concepts. Lastly, we have to run gender sensitization programs across cities and villages regarding 'the right to consent' and respecting women and their choices.

My third concern would be regarding cyber crime. With every passing year cyber attacks continue to escalate in frequency, severity as well as impact. With that, I would like to refer to an ASSOCHAM – PwC joint study which mentions an approximate surge of 300% in cyber crime cases in India registered under the IT Act, 2000. In this digital era, when virtual space occupies a dominant place in the lives of almost every citizen, the challenges of controlling cyber theft and cyber

terrorism has increased. Securing our nation's cyber infrastructure, cyber security is one of the most serious economic and national security challenges. Cyber crime has emerged as the new weapon for terrorist groups to attack the economic system of countries so that economies can be collapsed.

The upsurge in radicalization of the youth by extremists groups like ISIS, Al Qaeda and JeM in the Indian Ocean Region is one of the darkest effects of cyber terrorism. I would like the Minister to answer in this regard, as to what are the steps that are being taken by the Ministry to address this issue. The need of the hour for the policy-makers is to work on an integrated framework for nations at large to secure internal security from external invasion. There is a need to step up investment in the area and also develop potential employment opportunities with regard to cyber and allied sectors. This will help create much needed employment for the youth in the sector. There is a need for policy to derive that protection is rendered to both national and global economy as well as national and global security. India has a big role to play in fighting the virtual war against cyber crime.

As I conclude, I request the Ministry to step up grants under the aforementioned categories. The enhanced budgetary allocations for the MHA reflect the efforts of the Government to comprehensively overhaul the internal security set up of the country through a series of measures- such as capacity building of security improved training, technical upgradation; enhancing intelligence gathering, analysis and dissemination; and infrastructure development in violence affected areas as well as border regions. While the revenue outlays have been increasing, the capital outlays have seen troughs and crests in the last four years. This indicates that while the concerned organizations have been successful in increasing manpower, they have been unable to build up the commensurate infrastructure required for capacity building such as training schools and laboratories, procuring arms and ammunitions, computers and surveillance equipment. Efforts, therefore, must be made to fully utilize the budgetary outlays provided to the MHA in order to achieve a comprehensive

reform of the internal security system of the country. With that, I express my support towards the Demands for Grants under the Ministry of Home Affairs for the financial year of 2017-2018.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने इस संबंध में कटौती प्रस्ताव दिया है।

महोदय, गृह विभाग आंतरिक सुरक्षा का कवच है और आंतरिक सुरक्षा का कवच हमारी बुनियाद है। जैसे हम घर की साफ-सफाई करते हैं और घर की सुंदरता से दिखाई पड़ता है कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा रहन-सहन क्या है, हमारा आचार-व्यवहार क्या है, इसी तरह गृह मंत्रालय हमारी आंतरिक सुरक्षा का कवच और बुनियाद है। इस बुनियाद को हमें बेहतर बनाना चाहिए। इसी से राष्ट्र की चमक बढ़ती है और इसी से सभ्यता, संस्कृति और भाईचारे का माहौल बनता है। हमारा देश सभी के लिए है। हम राम-रहीम के बंदे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई हम सभी आपस में भाई-भाई हैं। हम मेल मौहब्बत से चलने वाले लोग हैं और इस बाग और चमन का हिस्सा हैं। सभी ने मिलकर देश की आजादी में खून बहाया और खून बहाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का काम किया है। हमारी सेना और पुलिस के जवान बहादुर हैं। उनको आधुनिक संसाधनों से हमें लैस करना चाहिए, उनको अत्याधुनिक संसाधन मुहैया कराना चाहिए। उनके हाथों में बढ़िया हथियार हाने चाहिए। कोई जंग या लड़ाई होती है या आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, हम किसी पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई हमारे देश को छेड़ता है, तो जवान कमर कसकर लड़ते हैं।

गुप्तचर विभाग को बेहतर बनाने का काम हो। पठानकोट की घटना हो गयी, उड़ी की घटना हो गयी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हैं। इनसे हमें सबक लेना चाहिए और गुप्तचर विभाग को बेहतर बनाना चाहिए। यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। वे अच्छे व्यक्ति हैं, इनको प्रशासन का लम्बा अनुभव भी है, इसीलिए इनसे अपेक्षाएँ हैं। तभी देश में मेक इन इंडिया हो सकता है और अच्छे दिन लाये जा सकते हैं।

चाहे सैनिकों या पुलिसवालों को खराब भोजन मिलने की बात हो, यह भी दुःखद है। उनकी वर्दी, उनके परिवार की सुरक्षा, सुविधा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, हेल्थ आदि का हमें ख्याल रखना चाहिए। चाहे कोई सेना या पुलिस का जवान एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उनकी सुरक्षा और संरक्षा होनी चाहिए। वैसे लोगों का कोटा समाप्त नहीं होना चाहिए। आरक्षण के कोटे को सौ प्रतिशत पूरा किया जाना चाहिए। जो सेना के जवान अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, उनको अनुभव होता है, उनको ज्यूटी पर लगाकर हमें उनकी सेवाएँ लेनी चाहिए, इसलिए इस ओर ध्यान देना बेहतर होगा।

कोई आत्महत्या कर लेता है तो इसके पीछे कई कारण हैं। उन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सेना के जवान तो सीमा पर रहते हैं या पुलिस के जवान पुलिस तंत्र में अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उनके घर पर कोई उनकी सम्पत्ति का हिस्सा ले लेता है, कोई ताना मारता है, कोई परेशानी पैदा करता है,

उनको घर से फोन आता है, फिर भी वे वर्ष-दो वर्ष तक अपने घर नहीं जा पाते हैं। इससे उनको परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश होना चाहिए कि यदि सेना के जवानों या पुलिस के जवानों के परिवारों को सही में कोई परेशान करता है, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए।

आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अंतर्गत हम लोग जम्मू-कश्मीर गये थे। उसमें कई विषयों पर चर्चाएँ हुईं। जम्मू-कश्मीर हमारे कलेजे का टुकड़ा है, वह हमारा गुलदस्ता है। यदि कोई भी बार-बार कश्मीर पर नज़र डालेगा, तो दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, वे सारी पीछे हो जाएंगी, लेकिन कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, क्योंकि वह हमारा चमन, बगिया और फुलवारी है। उसके लिए बैठकें हुईं कि वहाँ कैसे सद्भावना और शांति का माहौल बनाया जा सकता है, हम वहाँ कैसे भाईचारा बढ़ा सकते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में अशांति पैदा हो रही है। ... (व्यवधान)

* श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ। बजट 2017-18 में भारत सरकार ने गृह मंत्रालय को अच्छा बजट दिया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी के कुशल नेतृत्व में तथा गृह मंत्रालय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी तथा उनके सहयोगी मंत्री श्री किरण रिजीजू व श्री हंसराज अहीर ने विगत वर्षों में प्रशंसनीय कार्य किये हैं। जम्मू एवं कश्मीर में वहां की पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों ने व सेना ने जिस संयम व धैर्य के साथ जिन कठिन परिस्थितियों में कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय है। हमारे सैनिकों ने देश की बाह्य व आंतरिक सुरक्षा हेतु जो बलिदान दिये हैं मैं उन्हें नमन करता हूँ।

भारत माता के प्रति हमारे सैनिकों में जो श्रद्धा है वह अनुकरणीय है। उग्रवादियों तथा आतंकवादियों के पास जिस प्रकार के हथियार व संसाधन है वे चिन्ता का विषय है। विशेष कर हमारी पुलिस के पास जो सुविधायें है वे उक्त लोगों की तुलना में कम हैं। हमारी पुलिस के पास कुछ प्रान्तों में वाहनों का अत्यंत अभाव है तथा हथियारों का भी अभाव है। इस विषय में मेरे कुछ सुझाव हैं। आबादी की दृष्टि से थानों की संख्या व पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिये। पुलिस के पास आधुनिकतम हथियार होने चाहिये। पुलिस कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। सैनिक तनावमुक्त रहें इस हेतु उन्हें नित्य प्रति योग प्रशिक्षण देना चाहिये। सैनिकों के भोजन, आवास तथा वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था हो। सैनिकों के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो तथा उनके परिजनों को चिकित्सा आदि की समुचित सुविधायें दी जायें। शिक्षा के साथ-साथ विद्यालयों व महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा का प्रावधान किया जाये। उग्रवाद व आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाए।

मैं पुनः इस बजट में अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए माननीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि मेरे सुझावों पर विचार करें।

* Speech was laid on the Table.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय राजनाथ जी, माननीय किरेन रिजिजू जी और माननीय अहीर जी ने जो कार्य किया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बातें रेकॉर्ड पर नहीं जा रही हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य बैठ जाइए। श्री खड़गे जी तो बोल ही चुके हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. उदित राज : जो घटनाएँ होती रही हैं, अब उन पर अंकुश लगा है। अभी हमारे साथी श्री बी.डी. राम जी ने जो आँकड़े पेश किये, उनसे पूरी तरह से सत्यापित हो गया है कि गृह मंत्रालय की चुस्ती से सीमा पर जो घटनाएँ होती थीं, उनमें भारी कमी आयी है।

जब से हमारी सरकार आयी है, तब से ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन पूरा देश जानता है कि नक्सली हमले में भारत के बड़े-बड़े नेताओं और अधिकारियों की भी हत्याएँ हुआ करती थीं, लेकिन वैसा अभी तक नहीं हो सका है।

महोदय, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारी सरकार ने बड़ी शिद्दत से 2015 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में सुधार संबंधी बिल पास किया था। पहले प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में लगभग 22 तरह के अपराध थे, लेकिन वह हमारी ही सरकार थी, जिसने दिसंबर, 2015 में वह बिल पास किया था। इस एक्ट में 122 अपराध जोड़े गए। एस.सी.ज. और एस.टी.ज. के रेशियल और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के संबंध में जो एट्रोसिटीज एक्ट हुआ करता था, उसमें तमाम ऐसी घटनाएँ और वाएलेशन हुआ करते थे, जिन्हें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता था। यह हमारी सरकार ही थी, जिसने इसे पास कर एस.सी.ज. और एस.टी.ज. के साथ होने वाले उन 122 तरह के अन्यायों को भी इस एक्ट में शामिल किया।

महोदय, मैं दिल्ली सरकार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सरकार बड़े जोशोखरोश के साथ गरीबों, दलितों और पूर्वांचलियों की रक्षक बनकर आई थी। यह देखा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के नियम-कानूनों को जब लागू करने की बात आती है, तो दिल्ली सरकार बिलकुल बहरी हो जाती है। वह इस विषय पर बिलकुल भी सेंसिटिव नहीं होती है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, right from filing of FIR, then, of

course, preparing the charge-sheet and then adjudication and finally the trial, the judgement. In this long procedure, what happens that most of the cases the Government loses. As a result, the perpetrators, those who commit atrocities on SCs and STs, get scot free. एक चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में इसके लिए एक कमेटी बनाए जाने की जरूरत है। अभी तक एट्रोसिटीज के जितने केसेज़ दर्ज हुए हैं, उन केसेज़ की मॉनिटरिंग के संबंध में दिल्ली सरकार ने कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ऐसी किसी भी कमेटी को प्रिंसाइड करने का कार्य नहीं किया है।

महोदय, मैं श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिए जाएं, कि यह केंद्र सरकार का कानून है और उसके द्वारा इस कानून की अवहेलना की जा रही है। मेरी कॉस्टीट्यून्सी नार्थ-वेस्ट दिल्ली में है। वहाँ तमाम दलितों और आदिवासियों के साथ हुई घटनाओं के बारे में मामले सामने आते रहते हैं। इन मामलों का फेयर ट्रायल और उनका कंविक्शन नहीं हो पा रहा है।

महोदय, लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली पुलिस में देखा है कि उसमें बहुत से एस.सी. एवं एस.टी. एस.एच.ओ. और आई.पी.एस. लेवल के अधिकारी हैं। इनको इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पर कम रखा जाता है। यह व्यवस्था हमें विरासत में मिली है। हमारी सरकार में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मेरा सुझाव है कि दिल्ली पुलिस में एस.सी. एवं एस.टी. के इन्स्पैक्टर्स, एस.एच.ओ., ए.सी.पी., डी.सी.पी. और अन्य सीनियर लेवल पर जो लोग हैं, उनकी भी दिल्ली पुलिस में महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनाती की जाए। मैंने उनमें एक निराशा का भाव देखा है, इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है।

***डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद)** : मैं गृह मंत्रालय द्वारा 2017-18 में देश के ऐसे राज्यों जो कि वामपंथी, माओवादी व अन्य आतंकवाद से प्रभावित हैं, को विशेष अवसंरचना योजना से संबंधित अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ-

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 मजबूत थानों का निर्माण किया, जिसका मध्यावधि परिणाम यह है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में सहायता मिली है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में अधिक से अधिक सुरक्षा संबंधी व्यय, जिसके परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न हिंसा और सुरक्षा बलों/पुलिस कर्मियों पर वामपंथी उग्रवादियों के हमलों में आयी कमी के रूप में दिखा है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप देखा जाए, तो इस योजना से पुलिस स्थापना के सुरक्षा बलों की लोजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में और आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को मुख्यधाराओं में लाने के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के माध्यम से भटके हुए युवकों को उग्रवादी समूहों में शामिल न होने में काफी सहायता मिली है।

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना से उन कश्मीर प्रवासियों जिन्हें आतंकवाद अवधि के दौरान घाटी से विस्थापित कर दिया गया था, के लिए राहत एवं पुनर्वास में काफी सहायक साबित हुआ है।

भारत-चीन सीमा पर अवसंरचना के विकास की योजना से सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की प्रचालन क्षमता बढ़ी है और सीमावर्ती आबादी का आर्थिक विकास भी भरपूर हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा पर सड़कों का विकास व साथ ही भारत-भूटान सीमा पर भी सड़कों का विकास निहित है।

भारत सरकार की देश की सुरक्षा के प्रति सुरक्षात्मक भावना की गंभीरता बजट के आवंटन से ही ज्ञात होती है। मौजूदा बजट में गृह मंत्रालय को 78000 करोड़ रुपये मिले जिसके आवंटन में सीआरपीएफ को ही आंतरिक सुरक्षा, माओवादियों तथा आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में पुरजोर सामना करने के लिए लगभग 15569 करोड़ आवंटित किए गये व सीबीआई जो कि देश की सुप्रीम जांच एजेंसी है, को 695 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी, जो कि ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी व फोरेंसिक यूनिट आदि में जिसका प्रयोग किया जाएगा।

* Speech was laid on the Table.

गृह मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में निर्भया फंड की धनराशि को वर्तमान में बढ़ाकर 3.40 करोड़ रुपये से 28.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले आवंटित बजट से आठ गुना है, जो कि अत्यंत सराहनीय कदम है।

मैं देश में ऐसे राज्य जो कि आतंकवाद व उग्रवाद से प्रभावित हैं, को दृष्टिगत रखते हुए व देश की सुरक्षा (बाहरी व आंतरिक) को दृष्टिगत रखते हुए लागू की गयी योजना व नीति, जिसका असर साफ-साफ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देश के जवानों ओर जनता का सुरक्षा की दृष्टि से हौसला बढ़ा हुआ है, के लिए मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ।

17.29 hours(Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Chairman, Sir, even though maintenance of law and order situation is a State subject, I feel that the Government of India should not play the role of a silent spectator when things are going from bad to worse in different parts of the country. We all know that.

Atrocities against the minorities, dalits and women and children are taking place in different parts of the States and in different parts of India.

Sir, the Government of India should act on this within the limit as per the federal system in our country. What is happening? These kinds of incidents are taking place one after another and it is increasing like anything.

Similarly, in the name of cultural nationalism, attacks are taking place on poets, on our cultural leaders, on writers and on many authors. It is a shame for the nation. I hope that the hon. Minister is aware of all these things and we hope that the Government will take some swift action on these things.

I wish to say that some ... * I am not blaming any particular party or any body - are trying to control the entire things. They are controlling our food habits. They are saying what you should eat. Regarding our dress code, they are dictating what our dress code should be. They are saying everything - what cinema we should see, what music we should hear. All these things are being controlled by some ... *. I hope that the hon. Minister who is aware of all these things will make a control on all these things.

I would like to say about the misuse of AFSPA and UFPA. I have talked about these things on several occasions. I hope that wisdom may prevail upon the Government. The Government should repeal this forthwith. I demand that.

* Not recorded

Sir, then coming to NIA, I would like to say, with all the politeness, that the credibility of NIA is diminishing. I hope that the Minister will rise up to the occasion and ensure the credibility of the National Investigation Agency.

I am coming to another important thing, that is, with regard to fake encounters. What is happening? We call it as encounters. Actually, it is not that. These are fabricated stories against the people. It should not be allowed. I humbly request the Government to see this very seriously. The Government figures show that in the last four years, 555 fake encounter cases were registered across India wherein majority were being reported in Uttar Pradesh-138, followed by Manipur – 62, Assam-52, West Bengal-35, Jharkhand-30, Chattisgarh-29, Odisha-27 and Jammu & Kashmir-26.

HON. CHAIRPERSON : Mohd. Basheer Ji, please conclude.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : I am concluding Sir.

HON. CHAIRPERSON: I understand that but you should understand the constraints.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Now, with regard to emigration, it comes under the Ministry of Home Affairs. Emigration is of two types – ECR and ECNR. Most of the illiterate people try to get some job outside India. Philippines, Bangladesh and Pakistan are our competitors. They are getting easily emigration. Their emigration laws are very liberal. I would humbly request the Minister to take care of this thing also.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Please give one more minute to me. We are all one or two minutes speaking Members.

Coming to disaster management, it also comes under the Ministry of Home Affairs. I wish to submit that effective steps should be taken to revamp the institution pertaining to disaster manager.

I have another point. The Minister also may be very kind enough. He has attended that. That is why, I am saying. The Rohingya refugees are suffering like

anything. Within your maximum possible limit, since you are the Minister with kindness, I appeal to you to extend maximum possible help to them. I am going to conclude. I am thankful to you for giving me the time. Thank you very much.

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आम बजट में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए गृह मंत्रालय को 78 हजार करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 1577 करोड़ रु. आई.बी. के व्यय के लिए है। वर्ष 2016-17 में गृह मंत्रालय को 73 हजार 328 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे।

वर्तमान बजट में देश के 7 अर्द्ध सैनिक बलों के लिए 54,985.11 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं, जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 52,433 करोड़ रु. है। इन बलों में से सीआरपीएफ को अधिकतम 17,868.3 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। सीआरपीएफ जैसे अर्द्ध सैनिक बल को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया गया आवंटन सराहनीय है क्योंकि सीआरपीएफ को आंतरिक सुरक्षा, माओवादियों तथा आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में शामिल किया जाता है।

भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करने वाले बीएसएफ के लिए 15,569.11 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा बजट में दिल्ली पुलिस के लिए 5,910.28 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करने वाले निकाय एसपीजी को 389.25 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

उपरोक्त आवंटन से यह परिलक्षित होता है कि सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क रहती है तथा सुरक्षा बलों के कल्याण को लेकर भी सरकार लगातार संवेदनशील बनी रहती है। उक्त आवंटन देश की सुरक्षा को दृष्टि में रखकर किया गया है, जो कि प्रशंसनीय है तथा इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ।

देश की सुप्रीम जांच एजेंसी सीबीआई को वर्ष 2017-18 के बजट में 695.62 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष से यह राशि 8.31 फीसदी अधिक है। माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा पिछले साल की तुलना में सीबीआई को 8.31 फीसदी अधिक बजट आवंटन किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा पिछले साल की तुलना में सीबीआई को 53.38 करोड़ रु. ज्यादा आवंटित किए गए हैं। सीबीआई के ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी व फॉरेंसिक यूनिट तथा ऑफिसों के निर्माण और आवासीय कॉम्पेक्स बनाने के लिए इस बजट राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार द्वारा इस बजट में देश की सीमाओं को आधुनिक तकनीकी से लैस करके स्मार्ट निगरानी की योजना, पुलिस आधुनिकीकरण, बटालियनों की संख्या बढ़ाने की मांग तथा नए उपकरणों की खरीद आदि जैसे तमाम विषयों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

* Speech was laid on the Table.

निर्भया फंड के नाम से महिला सुरक्षा के लिए आवंटित की जाने वाली राशि में इस बार करीब 8 गुना की वृद्धि की गई है। निर्भया फंड को इस बार बढ़ाकर पिछले वर्ष की तुलना में 28.90 करोड़ रु. कर दिया गया है। पिछले वर्ष यह आवंटन 3.40 करोड़ रु. था।

इस बार प्रस्तुत आम बजट में सरकार ने देश और दिल्ली की सेहत, शिक्षा और सुरक्षा पर काफी जोर दिया है। इसमें जहां एम्स, सफदरजंग और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पतालों के बजट में बढ़ोत्तरी की गयी है, वहीं शिक्षा में केन्द्रीय विकास संगठन, डी.यू. के बजट में भी पर्याप्त इजाफा किया गया है। वर्किंग वुमेन होस्टल पर भी बजट आवंटन बढ़ाया है। इसे 28 करोड़ रु. बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में गृह मंत्रालय को किए गए आवंटन के माध्यम से देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

पुलिस प्रशासन को वामपंथी उग्रवाद की समस्या से अधिक कारगर ढंग से निपटने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 मजबूत थानों के निर्माण सहित विशेष अवसंरक्षण स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम का परिणाम वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न हिंसा और सुरक्षा बलों तथा पुलिसकर्मियों पर वामपंथी उग्रवादियों के हमलों में कमी के रूप में दिखाई पड़ेगा।

देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति वित्त वर्ष 2017-18 में 330 करोड़ रु. के आवंटन से की जाएगी। इस स्कीम से पुलिस स्थपना के सुरक्षा बलों की लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में और आत्म समर्पण कर चुके वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने तथा भटके हुए युवाओं के पुनर्वास करने में मदद मिलेगी। इस आवंटन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून व्यवस्था में सुधार होगा तथा साथ ही पुलिस स्थापनाओं का सुदृढीकरण भी होगा।

दूसरी एक अन्य स्कीम जिसको कि क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम् नाम दिया गया है तथा इसके लिए 31 करोड़ रु. का वित्तीय आवंटन किया गया है। इसके माध्यम से लगभग 16 हजार पुलिस थानों को हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा इसमें सिस्टम एवं राष्ट्रीय डाटा सेन्टर का प्रचालन एवं अनुसंधान भी शामिल होगा।

देश की सरकार ने देश की सीमाओं पर भी अवसंरचना विकास का पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए सरकार ने क्रमशः भारत-चीन सीमा पर अवसंरचना विकास के लिए 261.31 करोड़ रु., भारत-नेपाल सीमा पर सड़को के विकास के लिए 200.92 करोड़ रु. तथा भारत- भूटान सीमा पर सड़को के विकास के लिए 1 करोड़ रु. का आवंटन किया है।

निष्कर्षतः सरकार ने कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक देश की सुरक्षा के लिए सभी पुख्ता इंतजाम वित्तीय आवंटन के माध्यम से किए हैं। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी को पुनः धन्यवाद करते हुए गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Smt. Kirron Kher, Madam, please take only five minutes.

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Sir, I was told that I would be given eight minutes. I would seek your indulgence, please.

HON. CHAIRPERSON : No, Madam.

SHRIMATI KIRRON KHER : Thank you very much for giving me an opportunity to present my views.

Firstly, I would like to say that the Budget for the Home Ministry focuses on the right aspects and I would like to congratulate the hon. Home Minister, Shri Rajnath Ji for this. Many learned colleagues have spoken about it at length before me. So, I will not repeat it. In the light of growing threats to our nation's internal security, I welcome the 5.4 per cent increase in the budget allocated to the Ministry of Home Affairs. This reflects the Government's policy of zero tolerance to terrorism and anti-social elements. Security measures in border areas as well as in the left wing extremist regions have been of paramount importance to our Government.

As the House may recall, eight Centrally-Sponsored Schemes were restructured and brought under an umbrella scheme called the "National Scheme for Modernization of Police and other Forces", back in 2013. Later on, the Ministry decided to terminate this scheme, since seven out of these eight original schemes were under the direct control of the State Governments.

However, in 2016 the Government did an excellent job in reviving the Modernization of Police Forces Scheme by merging various existing schemes such as Crime and Criminal Tracking Network and Systems and Security Related Expenditure Schemes.

Sir, the umbrella scheme of Modernization of Police Forces strives to bring the much-needed reform in the police forces of our country. It is of utmost importance that the police forces are well equipped to function with efficiency. Hence, I sincerely request the Government to approve the scheme for the period till the year 2020.

The 2017-18 Budget Estimates for grants and loans to the Union Territories has seen a marginal increase of 0.5 per cent from the Revised Estimates for 2016-17. Having said that, I would like to draw your attention to the issues pertaining to my constituency of Chandigarh.

At the outset, I am happy to note that the Budget Estimates for Chandigarh has increased from Rs.3,937.79 crore to Rs.4,312.40 crore in 2017-18. However, out of this 9.5 per cent increase in the total Budget Estimates, only 11 per cent of the budget is allocated under the capital head.

As we are aware that the funds under capital head are for developmental works, I am of the opinion that this section deserves more attention. Moreover, when compared to the Revised Estimates of 2016-17, this year's Budget Estimates under capital head has decreased from Rs.644.71 crore to Rs.475 crore. This roughly translates to a 26.3 per cent reduction in funds allocated to developmental activities.

Chandigarh has a population of nearly 12 lakhs and is the Capital of two States, Punjab and Haryana. On several occasions, I have been stating that Chandigarh is catering to the needs of not just its residents but also people from neighbouring States.

Owing to its strategic location and flourishing education and health sector, Chandigarh is catering to the growing demands of people from Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, and sometimes even Uttar Pradesh and Bihar. To be able to keep pace with the current scenario, Chandigarh is projected to incur an additional expenditure of Rs.1,298 crore.

About Rs.700 crore of this additional expenditure is required for the purpose of land acquisition for major works. The awards for land acquisition have been finalised by the hon. Supreme Court. But Chandigarh Administration is facing a delay in payment of the principal amount which is payable with an interest rate of 15 per cent per annum.

As per the Fourth Delhi Finance Commission, the share of the Municipal Corporation of Chandigarh comes to Rs.672 crore. However only Rs.419.26 crore has been allocated. This includes Rs.100 crore for the Smart City initiatives and Rs.50 crore for the Kajauli Water Works where we got the extra canals and we need to lay the pipes. Therefore, the Municipal Corporation of Chandigarh is in need of Rs.250 crore in addition to the already allocated funds.

The power sector of Chandigarh has estimated an additional expenditure of Rs.145 crore. This amount is required for payment of arrears of Rs.80 crore for the year 2015-16 and Rs.65 crore for the year 2016-17. This expenditure is in reference to supply and materials involved in the purchase of power.

As per the order of the hon. Supreme Court and the Ministry of Home Affairs, Director General Fire Services, Civil Defence and Home Guards Order dated 16th September, 2016, duty allowances to home guard volunteers have been increased to the minimum of the pay to which the police personnel are entitled.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRIMATI KIRRON KHER : Please give me three minutes more time.

HON. CHAIRPERSON: No, not three minutes. You please conclude within one minute.

श्रीमती किरण खेर : सर, हमें बोलने का चांस नहीं मिलता है, इधर-उधर से लोग बोलते रहते हैं। प्लीज, मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए।

Due to this revision in wages, the Chandigarh Administration has incurred arrears of Rs.50 crore. Including Rs.26 crore for meeting other outsourced staffs deployed in various Departments, an additional expenditure of Rs.76 crore is estimated for payment of wages and other charges.

Apart from this, there are four avenues which require additional funds for the purpose of creating essential capital assets. Rajnath Singh Ji knows this. In one of his visits to Chandigarh, I had requested him. Firstly, the Government Medical College and Hospital of Chandigarh is in need of an additional Rs.30 crore in order to procure machinery and equipment such as PET scan and Linear Accelerator. Government Medical College and Hospital has plans of starting a trauma centre because of many accidents occur in the tri-city area and surrounding highways. All the persons are brought to the hospital in Chandigarh as the PGI is already overburdened. So, we need this trauma centre. It requires a fund of Rs.150 crore. The Chandigarh administration has already granted 10 acres of land through an MoU with the Government of India. But no financial grant has been received from the Government.

Secondly, the Punjab Engineering College requires Rs.34 crore. Then, an amount of Rs.34 crore is required to purchase CTU buses and a amount of Rs.28 crore is required for purchase of petrol, diesel and lubricant oil for that.

I take this opportunity to express that Chandigarh is leading among all the Union territories, with and without legislature, in terms of percentage of the funds utilized. Till date, Chandigarh has utilized 82.19 per cent of the funds allocated at the stage of Revised Estimates 2016-17. This reflects Chandigarh's fund absorption capacity and successful implementation of Government schemes and projects.

HON. CHAIRPERSON : All the relevant points about Chandigarh have already been mentioned by other hon. Members. Please conclude it now.

SHRIMATI KIRRON KHER : Sir, I once again emphasise that an additional amount of Rs.1,298 crore that Chandigarh seeks is crucial for its functioning. I would request the hon. Minister to give it to us. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: One of the hon. Members has used the word, which is an unparliamentary expression. It should, therefore, be expunged.

***श्री रामचरण बोहरा(जयपुर शहर):** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब पूरे विश्व में गलाकाट प्रतियोगिता का वातावरण है। पूरा विश्व एक बाजार के रूप में है तथा सभी देश इस प्रतियोगिता के वातावरण में आगे बढ़ने की होड़ में नैतिकता को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। एक ओर 1965 व 1971 के प्रत्यक्ष युद्ध में पराजय के बाद पड़ोसी देश ने भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ रखा है वहीं वैश्विक प्रतियोगिता के इस दौर में हमारे सबसे प्रतियोगी चीन ने अपनी आर्थिक सुपरमेसी को बनाए रखने के लिए, हमारे देश में अस्थिरता बनाये रखने के लिए नक्सलवाद को लगातार पोषित करने का कार्य किया है, क्योंकि आर्थिक प्रगति के लिये किसी भी देश में शांति का वातावरण होना आवश्यक है। आज जब भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है तथा पूरा विश्व मान रहा है कि हमारा राष्ट्र असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, भारत विरोधी ताकतों और अधिक शक्ति के साथ अपने हितों को साधने के लिये भारत में अशांति व अस्थिरता के लिये षडयंत्ररत हैं।

2014 में माननीय नरेन्द्र मादी जी के नेतृत्व में सारे राजनीतिक विश्लेषकों के कयासों को सत्य साबित करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, भारत की जनता ने देश की आंतरिक सुरक्षा एवं सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की आशा के साथ माननीय नरेन्द्र मोदी जी को सत्ता की कमान सौंपी तथा भारत की सरकार इन सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है।

विगत तीन वर्षों में सक्षम नेतृत्व ने स्पष्ट आदेशों के माध्यम से देश में न केवल आंतकवादी घटनाओं पर विराम लगाया है अपितु नक्सलवाद पर भी प्रभावी नियंत्रण कायम किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक ओर आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है अपितु दूसरी ओर आंतकवाद एवं नक्सलवाद के साथ-साथ सभी अराष्ट्रवादी गतिविधियों के मेरूदण्ड “कालाधन” पर पुनर्मुद्रीकरण के माध्यम से प्रहार कर इनकी कमर तोड़ दी है।

गृह मंत्रालय अनेक योजनाओं के माध्यम से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, कारवासों के आधुनिकीकरण नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिये राज्यों द्वारा किये व्यय की प्रतिपूर्ति, विद्रोह से पीड़ित सरकारों की व्ययपूर्ति, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीमाओं की सुरक्षा के लिये तारबंदी, कश्मीरी नागरिकों के पुनर्वास, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिये संरचनाओं का विकास, सीमाओं एवं तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये प्रभावशाली कार्य कर रहा है।

मैं राजस्थान से आता हूँ जो कि सीमावर्ती प्रदेश है तथा देश की कुलसीमा, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है का लगभग एक तिहाई, 1043 किमी सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान में है, हालांकि राजस्थान के

* Speech was laid on the Table.

सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग तीस किमी के क्षेत्र को छोड़कर सर्वदूर तारबंदी है। तीस किमी का क्षेत्र शाहगढ़ बल्ज जो कि Shifting Sandures(उड़ने वाले धोरो) का क्षेत्र है में तारबंदी असंभव है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि माननीय गृहमंत्री जी ने लेज़र तकनीकी आधारित सुरक्षा व्यवस्था इस सीमा पर लागू करने का निर्णय किया है। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक- चौबंद होगी अपितु अराष्ट्रीय गतिविधियों यथा नशीले पदार्थों, हथियारों एवं नकली नोटों की तस्करी पर भी विराम लगेगा।

बंगाल के साथ हमारी सीमाओं का निर्धारण 1974 के इन्दिरा-मुज़ीब समझौते के समय से ही लंबित था और इसके चलते बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी न होने के कारण उस सीमाओं से अवैध घुसपैठियों का आना, गायों की तस्करी व अन्य अराष्ट्रीय गतिविधियाँ लगातार जारी थी, यह समस्या देश के लिये नासूर की भांति खड़ी थी। मैं माननीय मादी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लंबे समय से लंबित इस समस्या का संविधान संशोधन के माध्यम से समाधान किया। जिससे बांग्लादेश सीमा आधुनिक तारबंदी का कार्य प्रारंभ हुआ है।

अंत में एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजभाषा एवं भाषाओं को मान्यता देना गृह मंत्रालय अधीन है राजस्थान के 8 करोड़ लोग पिछले कई दशकों से मायड़- भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिये प्रायसरत है। सीताकांत महापात्र समिति ने भी इसकी अनुशंसा की है, भोजपुरी व राजस्थानी, भाषाओं को अन्य देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है। ऐसे में अब भी यदि हम अपनी इन करोड़ों लोगों की भाषाओं को आठवीं अनुसूची में दर्ज नहीं करते हैं तो यह उनकी आंकाक्षाओं पर कुठाराघात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी सत्र में इस पर विधेयक लाकर इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया जाये।

अंत में सीमाओं के सुरक्षा के सुंदर प्रबंधन एवं आंतरिक सुरक्षा की दिशा में अद्वितीय कार्य के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं मांगों का समर्थन करता हूँ।

***श्रीमती रीती पाठक (सीधी):** किसी भी देश के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हो।

मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा दोनों के ही प्रति गंभीरता बढ़ी है।

दुर्भाग्य से, पूर्व में आंतरिक सुरक्षा के साथ जिस तरह से अनदेखी की गई उसका ही परिणाम है कि हमारे सामने चुनौतियाँ बढ़ी है लेकिन इस बात का गर्व है कि सक्षम नेतृत्व के कारण इन चुनौतियों से हम सफलतापूर्वक निपट रहे हैं। पिछले वर्षों में आतंकवाद जिसने बड़ी संख्या में निर्दोष और मासूमों की बलि ली, को देखने व इससे निपटने का नज़रिया राजनैतिक व वोटों की गणित पर आधारित होता था। हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल इसके कारण गिर रहा है, यह चिन्ता पूर्व के सरकार की नहीं रही। लेकिन आज स्थितियाँ पूर्णतः बदली है।

आज हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है क्योंकि एक विश्वास उनके अन्दर है कि हमारी यह सरकार प्रतिबद्ध है न सिर्फ़ उनको सक्षम बनाने में, बल्कि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिजनों के साथ भी खड़ी है।

यह साधारण बात नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में सरकार के किसी भी दबाव में न आने की नीति के चलते 2600 से भी अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद और घुसपैठ की कोशिशों का मुंहतोड़ जबाब दिया जा रहा है।

बजट अनुमान 2016-17 की तुलना में 2017-18 में आवंटन में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि है। 2016-17 में यह 89996.83 करोड़ रु. की तुलना में 99279.58 करोड़ रु. किया गया है।

पुलिस आधुनिकीकरण की सर्वाधिक आवश्यकता है जिस पर पूर्व की सरकारों ने हमेशा उदासीनता का व्यवहार किया। मुझे प्रसन्नता यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। इस हेतु 2015-16 में जहां 1581.35 करोड़ रु. का प्रावधान था वहीं 2016-17 में 1685 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में संशोधित अनुमान 2295 करोड़ रु. रहा है। साथ ही 2017-18 में बजट अनुमान 337 करोड़ रु. से बढ़ाकर देश के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया है।

आंतरिक सुरक्षा मामले में 2014 के बाद से देश में काफी सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी अभिवाद के मामलों में हिंसात्मक घटनाओं में 2013 के बाद से 30 प्रतिशत तक कमी आई है।

* Speech was laid on the Table.

2013 के बाद से अभी तक वामपंथी व अन्य उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण में 400 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज जम्मू कश्मीर में भी हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल और केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही परिस्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है।

जब सदन में गृह मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हो तो मैं कहना चाहूंगी कि जब देश में लगातार कानून व्यवस्था सृष्ट हो रही है वही पूरे विश्व में एक संदेश जा रहा है कि देश आतंकवाद और उग्रवाद के मामले में जीरो टालरेंस की नीति पर चल रहा है।

आज देश की जनता का विश्वास सरकार के प्रति सृष्ट हुआ है। इसलिए हम सभी को एकमत होकर इस बजट के समर्थन में विश्वास व्यक्त करना चाहिये।

* **श्री आलोक संजर (भोपाल)** :भारत की वाणिज्यिक राजधानी, मुम्बई, में कुछ वर्षों पूर्व घटी घटनाओं, आतंकवादी हमलों के खतरे को हम हमेशा याद रखते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में भारी-भरकम सुरक्षा मौजूद होने के बावजूद आतंकवादी अपनी मर्जी से देश के प्रमुख ठिकानों पर हमला करने में सफल रहे हैं। आज हम सभी मिलजुल कर लघु और दीर्घकालिक नीतिगत उपायों के माध्यम से आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं।

भारत की कुल भूमिगत सीमा 15,106.70 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा 7,516.60 किलोमीटर की है। मुख्य भूमि के अलावा इसके अधिकार क्षेत्र में 1,197 द्वीप हैं और समुद्र तट की लम्बाई में 2,094 किमी की अतिरिक्त लम्बाई को जोड़ देते हैं। भारत अस्थिर पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश आंतरिक समस्याओं से घिरे हैं। हमको यह समझ लेना होगा कि आतंकवाद से निपटने की सभी रणनीतियां विफल हो जाएँगी जब तक भारत की खुली सीमा के आर पार घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक नहीं लगाई जाती है। इसको सुनिश्चित करने के लिए सीमा क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के साथ-साथ सीमाओं पर बाढ़ लगाने के कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता है। समुद्री इलाकों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द केंद्रीय नौवहन बोर्ड का गठन कर दिया जाना चाहिए ताकि नौसेना के रक्षा बलों के बीच अधिक तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। सरकार को अपने खुफिया तंत्र को और अधिक मज़बूत करना होगा जो आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अति-महत्वपूर्ण है। भारत सरकार को सशस्त्र बलों की एकीकृत कमान की तर्ज पर एक केन्द्रीय, संयुक्त खुफिया एंजेंसी का गठन कर देना चाहिए। इसकी भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका में सीआईए की भूमिका के समान हो। गृह मंत्रालय में एक अलग विभाग का गठन कर दिया जाना चाहिए। जो केवल देश भर में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की निगरानी करे। इसके प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर भी गठित कर दिए जाने चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आतंकवादी संगठन कई राज्यों में फैले हुए होते हैं और उन्हें पूरी तरह नष्ट किया जाना जरूरी है। इस कदम से उन लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी जो आतंकवादी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं लेकिन आतंकवादी संगठनों के सहयोगी हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें पुलिस कर्मों आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुए थे और इसके कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस से यह पता चलता है कि या तो वह स्थिति से निपटने के

* Speech was laid on the Table.

लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे या फिर उनके पास वह हथियार और उपकरण नहीं थे जिन के बल पर वे उच्च प्रशिक्षण पाए हुए और जान देने की हद तक प्रेरित आतंकवादियों, जो अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, का सामना कर सकते थे। आधार कार्ड नागरिक पहचान संख्या आज के समय की अहम जरूरत बन चुकी है। इससे न केवल भारत सरकार को देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें उनके देश में वापस भेजने में मदद मिलेगी, बल्कि इस से बैंकों में होने वाले वित्तीय लेनदेन में भी पारदर्शिता आएगी। देश में पनपने वाले राष्ट्र विरोधी संगठनों को मिलने वाले धन पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम आवश्यक होगा।

मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह है कि आतंकवाद से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई और फैसला आ जाने से आतंकवादी संगठनों को अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़वाने के लिए आतंकवादी योजना बनाने हेतु कम गुंजाइश बचेगी। एक बार देश की उच्च न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को आतंकवाद के कृत्यों के लिए दोषी ठहरा दिया हो तो उसे ऐसी सजा से बचने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहिए जो दूसरों के लिए एक मिसाल साबित होगी।

कश्मीर में हम देख रहे हैं कि इंसानियत के दुश्मन आतंकवादी युवाओं, बेरोजगारों और उन लोगों को जिनका व्यवस्था से मोहभंग हो गया है, उन्हें भ्रमित कर अपने संगठन में भर्ती करते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सभी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश के पिछड़े और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार परियोजनाएं शुरू कर रही है, जिससे वह शिक्षित होने के साथ-साथ व्यवसाय व रोजगार से जुड़ सके, देश के साथ चल सके।

जन जन के नेता देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सभी स्तरों पर चलने वाला एक सतत, दीर्घकालिक, सुविचारित और सुनियोजित प्रयास ही आतंकवाद के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में सफलता दिला रही है। भारत अतीत में आतंकवाद के खिलाफ पंजाब, नगालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में सफल रहा है। यह दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की जा रही है।

गत वर्ष के बजट की तुलना में इस वर्ष का बजट 6.37 प्रतिशत अधिक है, वर्ष 2016-17 में गृह मंत्रालय को 73328 करोड़ आवंटित किये गये थे जो वित्त वर्ष के आम बजट में 78 हजार करोड़ आवंटित किये गये हैं जिनमें से 1577 करोड़ आईबी के लिये रहेंगे। प्रधानमंत्री जी व गृहमंत्री जी की सराहना करते हुये देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अनुदान माँगों का समर्थन करता हूँ।

***श्री रोड़मल नागर (राजगढ़)** : मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखता हूँ । सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा की दशा और दिशा को ही बदल दिया है। भारत- पाक और भारत - बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करने वाले बल बीएसएफ के लिए 15569 करोड़ रुपये आवंटित किया है, वित्त वर्ष 2017-18 में आम बजट में गृह मंत्रालय के लिये 78 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये है, जिसमें से 1577 करोड़ रुपये आईबी के लिये रखे गये है, यह आवंटन वर्ष 2016-17 के आवंटन से 6.37 प्रतिशत अधिक है, तब 73328 करोड़ रु. किये गये थे। बजट में सात अर्ध सैनिक बलों के लिये 54985 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, सीआरपीएफ को सबसे ज्यादा 17868 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है जो माओवादियों व आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में लगे रहते है।

मेरा मानना है कि गृह मंत्रालय में एक अलग विभाग का गठन कर दिया जाना चाहिए जो केवल देश भर में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की निगरानी करे। इसके प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर भी गठित कर दिए जाने चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आतंकवादी संगठन कई राज्य में फैले हुए होते हैं और उन्हें पूरी तरह नष्ट किया जाना जरूरी है। इस कदम से उन लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी जो आतंकवादी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं लेकिन आतंकवादी संगठनों के सहयोगी है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें पुलिस कर्मी आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुए थे और इसके कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस से यह पता चलता है कि या तो वह स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे या फिर उनके पास वह हथियार और उपकरण नहीं थे जिन के बल पर वे उच्च प्रशिक्षण पाए हुए और जान जान देने की हद तक प्रेरित आतंकवादियों, जो अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, का सामना कर सकते थे। आधार कार्ड नागरिक पहचान संख्या आज के समय की अहम जरूरत बन चुकी है। इस से न केवल भारत सरकार को देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके देश वापस भेजने में मदद मिलेगी, बल्कि इस से बैंकों में होने वाले वित्तीय लेनदेन में भी पारदर्शिता आएगी। देश में पनपने वाले राष्ट्र विरोधी संगठनों को मिलने वाले धन पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम आवश्यक होगा।

* Speech was laid on theTable.

मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह है कि आतंकवाद से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई और फैसला आ जाने से आतंकवादी संगठनों को अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़वाने के लिए आतंकवादी योजना बनाने हेतु कम गुंजाइश बचेगी। एक बार देश की उच्च न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को आतंकवाद के कृत्यों के लिए दोषी ठहरा दिया हो तो उसे ऐसी सजा से बचने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहिए जो दूसरों के लिए एक मिसाल साबित होगी।

कश्मीर में हम देख रहे हैं कि इंसानियत के दुश्मन आतंकवादी युवाओं, बेरोजगारों और उन लोगों को जिनका व्यवस्था से मोहभंग हो गया है, उन्हें भ्रमित कर अपने संगठन में भर्ती करते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सभी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश के पिछड़े और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार परियोजनाएं शुरू कर रही है, जिससे वह शिक्षित होने के साथ-साथ व्यवसाय व रोजगार से जुड़ सके और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगावाद को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया है।

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Thank you, Sir. Due to paucity of time, I will mention only a few points with respect to my constituency, Jangipur. Before that I must congratulate one of my colleagues as he has pointed out certain points with respect to paramilitary forces like CRPF, BSF, etc. I will just urge upon the hon. Home Minister to let the cadre officer come, at least, to the level of IG, that is, Inspector General of Police. Otherwise, there has been a lot of demoralization in the police force. I have a lot of friends in these paramilitary forces and they keep on complaining me that there is demoralization among rank and file. I would request the hon. Minister to consider this aspect.

Sir, in respect of the Border Area Development Programme (BADP), I would like to mention that only 55 per cent fund has been allocated out of the projected fund. My constituency shares its border with Bangladesh particularly at Pirazpur from where all fake Indian currencies enter into India through Bangladesh. There is no fencing on that border. Right from the beginning, since 2014, I have been requesting the Government to erect fencing over there, which is a stretch of around 27 kms.

Another very important which I want to raise before this august House is that because of lack of all weather motorable roads the BSF is posted almost 7-8 kms inside the country which should have been housed at the border. We have already spoken with the State Government. They have agreed to give land for integrated Border out Posts (BOPs).

I would also like to request the hon. Home Minister that since Bangladesh has been a friendly country as of now, Border Haats should be arranged there so that no illegal activities like cattle smuggling occur, which is very common in that area itself. It is not possible to stop it without fencing and proper securing at border.

It has also been reported that a lot of miscreants from Bangladesh enter India through Murshidabad and Malda districts. Recently, in some newspapers it was reported that NIA has nabbed two or three miscreants who were apprehended

while entering India. It is also an apprehension that they have been trained by some foreign countries.

My next point is in respect of modernization of police. I want to know from the hon. Minister as why we cannot use UAVs or drones for collecting intelligence before sending our troops for patrolling. Recently, around 30 personnel of CRPF have been killed because of lack of intelligence about the terrorists' plan. The terrorists trapped our soldiers and killed them. If we give thrust on the use of UAVs and drones in modernization programmes, we may be able to collect a lot of intelligence about terrorist activities and would be able to save lives of our *jawans*.

Sir, on border areas, the Paramilitary Forces, especially the BSF does not allow the farmers to grow crops higher than two feet. In Punjab the cultivators get compensation for this. But in West Bengal the cultivators at border areas do not get any kind of compensation. I request the hon. Minister to look into this aspect so that there is a uniform rule for all.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE : Sir, I have a lot of other important points to present before this august House. But due to paucity of time, I conclude my speech. Thank you.

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा):** मैं गृह मंत्री जी द्वारा पेश किए गए गृह अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूँ।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट में गृह मंत्रालय को 78,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जिसमें से 1577 करोड़ रुपये आईबी के लिए आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2016-17 में गृह मंत्रालय को 73,328 करोड़ रुपये ही दिए गए थे। 2016-17 की तुलना में 2017-18 के बजट में 6.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे प्रतीत होता है कि हमारी मोदी सरकार आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी सतर्क है।

बजट में सात अर्धसैनिक बलों के लिए 54,985.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन बलों में से आरपीएफ को सबसे ज्यादा 17,868.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीआरपीएफ को आंतरिक सुरक्षा, माओवादियों तथा आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में शामिल किया जाता है। भारत-पाक और भारत- बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करने वाले बल बीएसएफ के लिए 15,569.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके साथ ही सुरक्षा के तहत निर्भया कोष के तहत 28.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मैं इसकी सराहना करती हूँ। एनडीए सरकार की नजरों में महिलाओं के लिए इज्जत है, आदर है। महिलाओं के साथ हो रहे हादसों पर काबू पाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। केन्द्र सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी चौकसी बरत रही है। इसलिए इस बार महिला सुरक्षा पर केन्द्रित निर्भया फंड में काफी इजाफा किया गया है। यह बेहतर बजट है। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता महिला सुरक्षा है। इस मद में मिलने वाले निर्भया फंड में करीब 8 गुना की बढ़ातरी की गई है। ऐसे में इस दिशा में तेजी से और बड़े कदम उठाने में मदद मिलेगी।

देश में बढ़ते क्राइम को रोकने में सीबीआई की अहम भूमिका है। इसके तहत उनके क्रियाकलापों को सार्थक बनाने के लिए भी मैं बजटीय प्रावधान किया गया है।

दिल्ली जो देश की राजधानी है और दिल्ली पुलिस सेंट्रल गर्वमेंट के दायरे में है। पिछले सरकारों के निर्बल तौर-तरीकों के कारण दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटती रहीं और देश दुनिया में भारत की छवि खराब होती रही। इसके मद्देनजर वर्तमान सरकार ने 6378.18 करोड़ रुपये आवंटित किए। पिछले साल की तुलना में आवंटित धनराशि 454.44 ज्यादा है। दिल्ली के वर्तमान एलजी द्वारा नई पार्किंग नीति के तहत जो कड़े प्रावधान किए हैं। मैं उसकी सराहना करती हूँ।

* Speech was laid on the Table.

हाल ही में यू.पी. में सैफ्फुलाह आतंकवादी को हमारे पुलिस जवानों ने ढेर कर दिया। इकसे तहत उनके पिताजी ने उसका शव लेने से यह कहकर इंकार कर दिया कि हमारी कई पीढ़ियां भारत में जन्मी हैं। हम भारतवासी है हमें अपने देश पर गर्व है। मेरा बेटा किसी के बहकावे के कारण आतंकवादी बन गया है। इसलिए हमारा परिवार उसके साथ सभी नाते तोड़ चुका है। इस घटना के अंतर्गत माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद के अपने बयान में उनको सलाम करके उनका गौरव बढ़ाया है।

इससे हमारे पुलिस बलों और देशवासियों का मनोबल बढ़ता है। मैं इसकी सराहना करती हूँ। मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :- ट्रैफिक कंट्रोल रूम को कोर्ट के सर्वर से जोड़ा जाना चाहिए। महिला पुलिस कर्मियों और पुलिस कर्मियों की विधवाओं को रोजगार मिले इसके तहत घरेलू और पुलिस हैडक्वार्टर के परिसर में स्क्विल डेवलेपमेंट को कार्यक्रम चलाने चाहिए। सीनियर सिटीजनो (एकल स्त्री/पुरुष या दोनों) की सुरक्षा के लिए एनजीओ के साथ उनकी सुरक्षा के तहत मदद पहुंचाने के लिए स्पेशल वार्निंग बटन के प्रावधान किए जाने चाहिए। एन्टी रोमियो स्कवायड के लिए ज्यादा पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए। मरीन पुलिस स्टेशनों की बढ़ोतरी करनी चाहिए तथा बार्डरों पर तार फेंसिंग, लाइटिंग और नाइट विजन वाले वीडियो कैमरे से लैस करना चाहिए। अतः मैं गृह मंत्री जी द्वारा लाई गई अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूँ।

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मालवा):** जैसा की हम सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्ग दर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग और राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू कश्मीर कार्य विभाग सीमा प्रबंधन विभाग और राज भाषा विभाग जैसे अनेक महत्वपूर्ण विभाग आते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है और हम सब जानते हैं कि इन सब खतरों को बाहरी मदद मिल रही है और यह हमारे लिए दिन प्रतिदिन घातक होती जा रही है। नशीली दवाइयों की तस्करी एक नये खतरे के रूप में जन्म ले रही है और हमारे देश में अनेक तरह की जिहादी गतिविधियों और विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह हम सब जानते हैं कि उग्रवादियों, विद्रोहियों और आतंकवादियों को हमारे पड़ोसी देशों द्वारा पैसे की मदद और पनाह मिल रही है और हम सब यह भी जानते हैं कि नशीली दवाइयों का उत्पादन करने वाले पाकिस्तान और म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं और यही देश भारत के विद्रोही गुटों की मदद करते हैं और इन्हें उकसाते हैं और पाकिस्तान जिहादी आतंकवाद के गढ़ के रूप में उभरा है। खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ परोक्ष रूप से युद्ध छेड़ रखा है।

आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है, चोर, डकैत, हत्यारों का बंदोबस्त करना आसान होता है। कानून और सुरक्षा के पालन की जिम्मेदारी की व्यवस्था करना राज्य पुलिस के अंतर्गत आता है और प्रत्येक राज्य में इसके लिए एक पुलिस विभाग होता है हम जानते हैं कि चोर, डकैतों की कोई एक टोली हो सकती है। उस टोली का बंदोबस्त करने का कर्तव्य, हमारा पुलिस विभाग पूरी ताकत से कर रहा है और इन टोलियों की शक्ति मर्यादित होती है। वे अन्य किसी के एजेंट बनकर काम नहीं करते अपना स्वार्थ ही उनके हिंसक कृत्य का प्रयोजन होता है। लेकिन हमारे देश में असली खतरा बाह्य आतंकवाद से है। हमारे देश के शिक्षित मुसलमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, इराक, सीरिया आदि इस्लामी देशों की गतिविधियाँ देखते ही होंगे। इन सब देशों में मुसलमान ही मुसलमानों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वस्तुतः हर किसी को शांत और सभ्य जीवन की ही आकांक्षा होगी। भारत के मुसलमान भी शांत और सभ्य जीवन ही चाहते होंगे। उनकी उस मानसिकता की ओर सियासी पार्टियों का ध्यान होना चाहिए। ये लोग पाकिस्तान के एजेंट बनकर काम नहीं करेंगे, विपरीत गद्दारों को सबक सिखाएंगे। हमारे देश की राजनीति की मुस्लिम खुशामद की दिशा बदलना यही इस जिहादी आतंकवाद का

* Speech was laid on the Table.

रामबाण उपाय है। 'एक देश, एक जन, एक राष्ट्र' ही हमारे सब सामाजिक और सियासी क्रियाकलापों का नारा होना चाहिए।

जिहादी आतंकवाद जैसे एक धार्मिक पृष्ठभूमि है, वैसी ही माओवादी आतंकवाद एक बौद्धिक या ये कहें की एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है और हम इनको नक्सली, माओवादी, जैसे अलग- अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इनका प्रेरणास्त्रोत एक ही है वह है साम्यवाद या कम्युनिज्म। साम्यवाद को जनतंत्र मान्य नहीं है। उनका एकमात्र हथियार और विज्ञान, क्रांति है क्रांति की यह लहर बंगाल के नक्सलसबारी गाँव से निकली। इस कारण इन आतंकवादियों पर 'नक्सली' विशेषण लगाया जाता है। उनका और भी एक नाम प्रचलित है। वह है 'पीपल्स वॉर ग्रुप।'

ये वामपंथी विचारधारा के क्रांतिप्रवण समूह, शहरों में सक्रिय नहीं होते। वे जंगल, पहाड़ों में सक्रिय होते हैं। कारण वहाँ उन्हें छिपना और गुप्त कार्रवाईयों की रूपरेखा बनाना आसान होता है। स्वतंत्र होने के 70 साल बाद भी इन क्षेत्रों के लोगों के विकास की ओर शासकों ने आवश्यक ध्यान नहीं दिया। उनके अज्ञान का लाभ उठाकर स्वार्थी साहूकारों ने भी उन्हें खूब लूटा। इन वामपंथी आतंकवादियों ने उनके बीच अपने लिए आस्था निर्माण की, और उनका समर्थन हासिल किया। उनमें से ही उन्हें कार्यकर्ता भी मिले और वह भारत के पड़ोसी देशों ने भी इनकी पूरी सहायता की और इनको आधुनिक हथियार उपलब्ध कराये। इसमें संदेह नहीं है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड इन एक-दूसरे से सटे राज्यों में उनकी शक्ति केंद्रित है। और इन राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र का गढ़चिरोली जिला, तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिले भी आतंकवादग्रस्त हैं। इन प्रदेशों पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित कर, अन्यत्र फैलाव के लिए एक लाल मार्ग (रेड कॉरिडोर) निर्माण करने का उनका इरादा है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण भारत उनका आघात लक्ष्य है। एक दृष्टि से उनके बंदोबस्त के लिए यह सुविधाजनक भी है। उनकी केंद्र सरकार द्वारा घेराबंदी भी हो सकती है। इन हिंसक समूहों की कार्रवाईयों, अलग- अलग राज्यों में होने के कारण, और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की होने के कारण, उनको जड़ से समाप्त करने की रणनीति सफल नहीं हो पर रही है। वस्तुतः आतंकवाद की यह समस्या संबंधित राज्यों की ही नहीं, वह संपूर्ण भारतवर्ष की समस्या है। इसलिए इस समस्या के निकाकरण के लिए केंद्र के ही अभिक्रम की आवश्यकता है। विलंब से ही सही, केंद्र को इसका अहसास हुआ है। केंद्र सरकार ने नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) निर्मित की है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) की स्थापना की जा रही है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस आतंकवाद विरोधी केन्द्र की स्थापना का आतंकवादग्रस्त राज्य ही विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि, हमारे अधिकारों का यह अतिक्रमण है। यह बात इन राज्य सरकारों के ध्यान में नहीं आती कि यह संपूर्ण देश की समस्या है अतः

सरकार को इन दोनों तरह के आतंवादियों से निपटने के लिए हर संभव रणनीति बनानी होगी और साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी अपना पूर्ण सहयोग देना होगा।

कोई भी देश तब तक एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता, जब तक वहां आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन उच्च और कारगर न हो, हमें अपने आप को आर्थिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। इसके साथ ही साथ संगठित अपराध, आतंकवाद, उग्रवाद और आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप को समाप्त करना पड़ेगा।

* श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़): वर्ष 2017-18 के लिए एनडीए सरकार ने अपना बजट पेश किया है उसमें गृह मंत्रालय की अनुदान की मांग का समर्थन करता हूँ, मैं समझता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश के विकास के लिए देश के आम लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किये हैं और किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा उस देश के विकास की प्रथम जरूरत होती है। इसके लिए गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीमा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन के लिए इसके अतिरिक्त, मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान भी देती है। इस बार गृह मंत्रालय को 97,187 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों जो कि 92,170 करोड़ था से यह 5.4 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017-18 के लिए पुलिस के लिए आवंटित 78,00 करोड़ रुपये की राशि है। यह मंत्रालय के कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है एवं यह 80.3 प्रतिशत है और यह जरूरी भी है। भारत के संविधान के अंतर्गत, पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं। हालांकि केंद्रीय सरकार उग्रवाद से लड़ने के लिए राज्यों की मदद करती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जिम्मेदार है। सीमा के बुनियादी ढांचे, खुफिया जानकारी एकत्र करना और पुलिस प्रशिक्षण भी केंद्र का कार्य है। इसके अलावा केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण में भी मदद करती है। मंत्रालय के बजट का लगभग 13.7 प्रतिशत अर्थात्, संघ के प्रशासन के लिए प्रदेशों के ऋण अनुदान के लिए 13,357 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें पांच संघ शामिल हैं विधानसभा के बिना (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीव, लक्षद्वीप) और दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिकाओं (दिल्ली और पुडुचेरी) सहित। अन्य विविध मामलों को गृह मंत्रालय के व्यय के लिए 5,830 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसमें आपदा प्रबंधन शरणार्थियों के पुनर्वास और प्रशासनिक मामले शामिल हैं। कुल बजट का 7.6 प्रतिशत दिल्ली पुलिस को आवंटित किया गया है और 2.6 प्रतिशत पुलिस के आधुनिकीकरण से संबंधित योजनाओं के लिए है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन के संबंध में वर्ष 2017-18 में बजट आवंटन में वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 9.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 1.7 प्रतिशत आवंटित किया गया है। यह मंत्रालय सात केंद्रीय पुलिस बल के लिए जिम्मेदार है। (एक) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) जो आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था में सहायता करता है (दो) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ) जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों (जैसे, हवाई अड्डे और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) की रक्षा करता है, (तीन) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड(एनएसजी) जो एक विशेष आतंकवाद रोधी बल है, और (चार) चार

* Speech was laid on the Table.

सीमा सुरक्षा बल(बीएसफ), इंडो- तिब्बत सीमा पुलिस(आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) और असम राइफल्स(एआर)। वर्ष 2017-18 के लिए, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल को कुल पुलिस बजट का 32.5 प्रतिशत आवंटित किया गया है जोकि 17,868.5 करोड़ रुपये है, सीमा सुरक्षा बल को 28.4 प्रतिशत राशि दी गयी है जो 15,569 करोड़ रुपये है। सीमा संरचना और प्रबंधन के लिए 2017-18 में, 2,600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। ये 2016-17 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 37.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें कार्यालय के निर्माण के लिए और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आवासीय भवन पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन, और अन्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के लिए आवंटन भी शामिल है। वर्ष 2017-18 में ऐसी इमारतों के लिए, 4,008 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, केंद्र सरकार ने 2017-18 में चार योजनाओं के लिए आवंटन किया है। (एक) राज्य पुलिस बल योजना का आधुनिकीकरण; (दो) अपराध और अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) योजना; (तीन) सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) योजना; और (चार) विशेष वामपंथी क्षेत्रों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआईएस)। कुल मिलाकर, वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में पुलिस के आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए 2,022 करोड़ रुपये हैं। यह 9.5 प्रतिशत से कम है पिछले साल के लिए संशोधित अनुमान से, जो रू. 2,235 करोड़ था।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप बटालियन की स्थापना की जा रही है जिससे की आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वहां के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। इसके साथ ही मेरी मांग रहेगी की चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ साल भर अनेकों देशी विदेशी पर्यटक आते है और उनकी और नगर वासियों की सुरक्षा के लिए नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन हैं उसको शीघ्र ही स्वीकृत किया जाये।

मेरा मानना है कि माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया गया है और ये बजट दर्शाता है कि हमारी सरकार देश की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर और संवेदनशील है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अनुदान माँगो पर चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो कुछ भी वित्त मंत्रालय की सीमायें हैं और जो उसके अन्दर प्रायोरिटीज हो सकती हैं, उसका एक श्रेष्ठ बैलेंस करके जो कुछ माँगें आयी हैं, उसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं दो बातों का उल्लेख जरूर करना चाहता हूँ। एक तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें इस बार 2600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 38 प्रतिशत ज्यादा है। यह निश्चित रूप से अभिनन्दनीय है और यह सरकार की प्राथमिकता को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार से जो केन्द्रीय पुलिस है, उसके बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस बार 4,008 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 34 प्रतिशत ज्यादा है, यानी पुलिस बल को सुविधायें प्राप्त हों, उनके आवास अच्छे हों, उनकी अन्य समस्याएँ समाप्त हों, यह कुल मिलाकर पुलिस की वर्किंग को प्रभावित करता है। पूरे देश के अन्दर जो आतंकवाद है या अन्य आन्तरिक सुरक्षा के विषय हैं, यह उनको ठीक प्रकार से हैंडिल करने में मदद करता है।

महोदय, मेरे सामने दो छोटी-छोटी खबरें मेरठ से सम्बन्धित हैं। एक खबर मार्च के प्रथम सप्ताह की है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिले सिमी के केन्द्र बन चुके हैं, यानी उनकी घुसपैठ वहाँ पर बन चुकी है। स्लीपिंग मॉड्यूल्स वहाँ पर हैं, इस बात का कई बार उल्लेख हो चुका है। इसी प्रकार से एक खबर मेरे सामने आज की है। मैंने दो बार इस विषय को लोक सभा के अन्दर उठाया है कि मेरठ के अन्दर आस-पास के प्रदेशों से उठाये गये वाहन काटे जाते हैं। मैंने चिन्हित करते हुए कहा कि इनके माध्यम से जरूर अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के अन्तर्राज्यीय अपराध होते हैं, जो देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल कार्रवाई हुई और कल उस सारे क्षेत्र को घेरकर के वहाँ पर जो सारे गोदाम बने हुए थे, उन पर कार्रवाई हुई है। दोनों बातों का उल्लेख मैंने इसीलिए किया है कि कल क्यों कार्रवाई हुई, 11 मार्च से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये सिमी के केन्द्र क्यों बने? हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जीरो टॉलरेंस यदि हम रखना चाहते हैं तो हमें अपराधों के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक सोच से छुटकारा पाना पड़ेगा। यह उसकी पहली शर्त है। ये जो सिमी के केन्द्र बने हैं, ये इसीलिए बने हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित होकर फैंसले करते हैं। कल यदि उन गोदामों के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो वह इसीलिए हो पायी है, क्योंकि प्रदेश के अन्दर वैसी सरकार आयी है, जो वोट बैंक की राजनीति से मुक्त है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, समय कम है, मुझे पता है कि आप थोड़ी देर में घंटी बजा देंगे। आज आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है, भारत आतंकवाद से विशेष रूप से त्रस्त है और आतंकवाद के प्रति

सतर्क रहकर के देश की सुरक्षा करना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। स्थानीय कानून-व्यवस्था के जो मामले होते हैं, वे तो प्रदेश सरकार से सम्बन्धित होते हैं। आतंकवाद के सम्बन्ध में, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ गये हैं, उन्होंने हिन्दुस्तान के बारे में एक बात कही थी, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ "कि दुनिया के अन्दर इस्लाम के 72 फिरके हैं और केवल हिन्दुस्तान ऐसा देश है, जिसमें 72 के 72 फिरके रहते हैं, उन्हें मानने वाले लोग रहते हैं। दुनिया का कोई भी अन्य इस्लामी देश भी इस गौरव को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।" यह हमारी विशेषता है और इसीलिए दुनिया के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है, वह ज़िहाद के रूप में हो रहा है, क्रुफ़ को समाप्त करने के रूप में हो रहा है, यदि कहीं से उसके लिए आवाज़ उठ सकती है तो वह हिन्दुस्तान से उठ सकती है।

मैं मानता हूँ कि सीधे-सीधे यह शायद डिमांड्स फॉर ग्रांट्स से संबंधित विषय नहीं है, परन्तु जिस प्रकार से हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो प्रशासनिक उपायों के अलावा कुछ सामाजिक उपाय भी करते हैं, समाज को कुछ सेंसिटाइज़ भी करते हैं। उस नाते मेरा यह अनुरोध है कि गृह मंत्रालय या सरकार या यह सदन इस बात की चिंता करे कि किस प्रकार से इन चीज़ों को ऐड्रेस किया जाए। मैं चाहूंगा कि क्या वास्तव में यह सदन हिम्मत कर सकता है, मैं यह शब्द नहीं कहना चाहूंगा, पर क्या इस सदन में ऐसा हो सकता है कि क्रुफ़ पर चर्चा हो, ज़िहाद पर चर्चा हो? अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो कुछ लोग एक बात कहते हैं और दूसरे लोग दूसरी बात कहते हैं। वास्तविकता क्या है? उसके आधार पर हिन्दुस्तान लीड ले सकता है, हिन्दुस्तान एक वातावरण बना सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर यह हमारी जिम्मेदारी है। यह सर्वोच्च सदन है, इसलिए इस विषय को मैंने यहाँ उठाया है।

मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए इन अनुदान माँगों का समर्थन करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Before I call next speaker, I allow Shri Ananthkumar to present the Report of the Business Advisory Committee.

17.50 hours

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

41st Report

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, I beg to present
the 41st Report of the Business Advisory Committee.

17.51 hours**DEMANDS FOR GRANTS(GENERAL), 2017-18****Ministry of Home Affairs ...Contd.**

KUNWAR BHARATENDRA SINGH (BIJNOR): I thank you for allowing me to speak on this very important topic of Demands for Grants on the Home Affairs Budget. I would like to commend and congratulate the hon. Minister for increasing this Budget by 11.24 per cent, and also, for undertaking the 5th longest land border in the world of 4,096 kilometers. Then, now we will be ceasing this border completely in Bangladesh.

Sir, I will not indulge anymore in number crunching as my esteemed colleagues have already done that. I would immediately move to the topic which has so far not been discussed by anybody.

We have given a lot of budget for the operational part in our Central Armed Police Forces in terms of equipment, night vision and all that, but nobody has spoken about the logistical part.

In the logistical part, the welfare part is of utmost importance. The infrastructure of medical facilities of our paramilitary forces is very weak. If a person is shot in J&K, for example, he is completely dependent on the Army or civil hospital. If he is shot in the forest of Jharkhand or any other person, a lot of CRPF personnel are being shot there. We do not have a helicopter dedicated to this job of transporting them here. We have to rely on the Army for this. If we compare this to the Armed Forces, they have an R&R in Delhi, they have an AFMC which trains their personnel, they have five command hospitals and they have the base hospitals and field hospitals. This is a major problem. We are told that CAPFIMS, Central Armed Police Forces Institute for Medical Sciences is being built in Maidangari, Delhi, but it is really lagging. It has been eight years, I think, not much has been done there.

Similarly, the condition of housing is extremely poor of these people who have more casualties than our Army does. There is cantonment's availability for

the Armed Forces, for the Army and there is a term called 'Separated Family Accommodation' which means that the families of the serving personnel are accommodated in the cities of their choice so that the children can study, but there is no such arrangement for any of our Armed Police Forces is there.

Similarly, regarding ration, we saw a very distressing clip on the social media of a BSF personnel in Jammu & Kashmir showing the Dal. But if we look deeper into this problem, there is no dedicated army supply and there is no dedicated body. So, obviously, the quality and the timely supply of procurements is always affected. There are battalions of CRPF and other forces which have to procure the rations locally. This makes an adhoc arrangement with no quality control and no timely supply and, therefore, it leaves our personnel very disgruntled and upset as we saw on that clip.

Similarly, we need much more personnel employed because there is no leave reserve. We are employed to threadbare capacity, adequate leave reserves are required in battalions. This causes frustration. We also saw another clip of a person shooting his colleagues because one person got leave sanctioned but the other did not.

I would finally like to comment on the Gallantry service. We have a Veer Chakra in the Army, but we have no such Gallantry Award in the CAPF.

Finally, I think it is a much workable option if we just attach the Central Armed Paramilitary Forces to the Defence Medical Corps and increase their budget. We can, at least, accommodate them in times of injury, for providing accommodation to them and their families. Thank you.

***SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):** Beginning with the spike in budgetary allocation to the Ministry of Home Affairs (MHA) in 2009-10 following the Mumbai terror attacks of November 2008, the MHA has been witnessing a steady increase in its allocations over the years. In the last three years too, allocations have increased from Rs. 61,401.78 crore in 2014-15 to 65,651.10 crore in 2015-16, and to 73,406.37 crore in 2016-17. For the upcoming financial year 2017-18 as well, this upward trend has persisted with allocations reaching Rs. 83,823 crore, a hike of around 11.5 per cent over that of the previous year.

Of the total allocations to the MHA, allocation made under the head 'Police' pertains to matters of internal security such as the Central Armed Police Forces (CAPFs), Central Police Organizations (CPOs), border infrastructure, intelligence, disaster and emergency management, etc. The increased budgetary allocations under the 'Police' head over the years reflect the growing concerns over various internal security challenges plaguing the country as well as a firm intent to tackle them. The emphasis has been to prioritize these threats and challenges and deal with them in a concerted and sustained manner through security interventions and development activities.

One of the serious internal security threats that the country has been grappling with for more than a decade is the left wing extremism (LWE). At present, 106 districts in 10 states are affected by LWE. Although the primary responsibility of fighting LWE lies with the concerned states, the Union government assists them by providing battalions of central armed police forces to counter the subversive activities of left wing extremists and maintain public order. Given that the Central Reserve Police Force (CRPF) is the primary force deployed in the LWE-affected states, the Government of India had, in 2009, sanctioned funds for raising 39 additional battalions of the CRPF. As a result, the CRPF has been receiving the highest allocations in successive budgets since then. In the

* Speech was laid on the Table

previous fiscal year, the force received Rs. 16,228.18 crore, which has been increased by another 1635.35 crore to Rs. 17,868.53 crore for 2017-18. Of the sanctioned 39 battalions, 26 have been raised till 2016 and the remainder is to be raised by 2018-19.

Another way in which the Union government assists the LWE affected state governments is by providing funds for capacity building through various security related expenditure (SRE) schemes. Under these schemes, the Union government reimburses the expenditure incurred by LWE-affected states in training and operational requirements of the security forces, insurance of police personnel, ex gratia payments to the families of civilian or security forces personnel killed in LWE violence, compensation to surrendered left wing extremist cadres under the surrender and rehabilitation policy of the respective states, etc. In the last two financial years, i.e. 2015-16 and 2016-17 (until 15 November 2016), funds released to LWE states under these schemes were Rs. 258.65 crore and 111.49 crore respectively. For the upcoming fiscal year, the budgetary allocation under SRE has been pegged at Rs. 1,222 crore, an increase of Rs. 380 crore from the previous year. Since SRE also comprises expenditures incurred by Jammu and Kashmir and insurgency affected states in the North East, the rise of almost 45 per cent under this head could be because of the deteriorating security situation and the expectation of a consequent rise in spending under SRE in these states.

Border management is the second area that has witnessed a substantial increase in budgetary allocations for the fiscal year 2017-18. The need to effectively secure the country's international borders against infiltration, trafficking and irregular crossings has become even more pressing following a series of successful infiltration attempts by Pakistani terrorists through the India-Pakistan international border and subsequent attacks on strategic installations in the past couple of years. These attacks have raised serious concerns about the effectiveness of the present border management system in thwarting such border breaches and have compelled the Union Government to undertake measures to

fortify the India-Pakistan and India-Bangladesh borders in particular. Towards this end, the Union Government had decided to enhance surveillance and detection by building ditch cum fence barriers, putting up laser walls along riverine stretches, employing sensors, cameras and tunnel detection gadgets, building roads and other infrastructures along the borders. The implementation of the comprehensive integrated border management systems (CIBMS) along the India-Pakistan border on a pilot basis is a step in this direction. Accordingly, Rs. 2,600 crore has been allocated for border infrastructure, of which 2,355 crore is for capital expenditure i.e., spending on fences, electronic surveillance gadgets, etc. This amount, however, is lower than the Rs. 2,490 crore provisioned for 2016-17. One of the reasons for the lower allocation could be the under or non-utilization of funds due to various reasons, a fact revealed by the revised budget of 2016-17, where the expenditure under capital outlay has been reduced to Rs. 1,722.33 crore.

Similarly, budgetary allocations for the border guarding forces have been substantially increased to improve their strength and efficiency. Allocations under this sub-head are made for raising additional battalions, training, procurement of weapons and ammunition, administrative requirements, etc. The Border Security Force (BSF), which has responsibility for the India-Pakistan and India-Bangladesh borders, received the highest amount of Rs. 15,569.11 crore, an increase of Rs. 917 crores from the previous year. Furthermore, the Land Port Authority of India (LPAI), entrusted with the mandate to build and manage integrated check posts (ICPs), received Rs. 300 crore for 2017-18, an increase of 241 per cent from the previous year. This highlights the government's commitment towards greater regional integration by ensuring the smooth and efficient cross border movement of people and goods. Likewise, the Border Area Development Programme (BADP), a scheme to meet the infrastructural requirements of the border people, received an enhanced allocation of Rs. 1100 crore, an increase of 11 per cent from 2016-17.

The third segment which received a substantial increase in allocations is police modernization and infrastructure. Under police modernization, Rs. 800 crore has been allocated for modernization of the state police forces. This sum includes grants by the Union Government to states to strengthen police infrastructure in terms of training, weaponry, mobility and communication, and the establishment and upkeep of the crime and criminal network tracking system (CCTNS). Building projects, both residential and office, for CAPFs and COPs received Rs. 4008.06 crore, indicating the seriousness of the Union Government to improve the living and working conditions of these police organizations.

The Intelligence Bureau (IB), which in recent years has been augmenting its strength, has also received an allocation of Rs. 1,577 crore, an increase of 11 per cent from the previous year. Most of the expenditure, however, will be revenue outlay indicating an increase in spending on salaries and perks of personnel. In the past, the IB was functioning at a reduced strength with a shortfall of around 2000 agents, but in the aftermath of the Mumbai terror attack, calls were made to strengthen the IB in a comprehensive manner through increased recruitments, among other things. The IB has been recruiting personnel since 2009, but this is yet to reflect accurately in the manpower strength since full induction of operatives would only happen after the completion of their training.

Last but not the least, Delhi Police, the National Emergency Response System for crimes against women and national disaster schemes have also received increased budgetary allocations for the fiscal year 2017-18. The enhanced budgetary allocations for the MHA since 2009 reflect the efforts of the successive Union Governments to comprehensively overhaul the internal security set up of the country through a series of measures, such as capacity building of security and law enforcement organizations through strength augmentation, improved training, modern weaponry and other infrastructure, technical upgradation; enhancing intelligence gathering, analysis and dissemination; infrastructure development in violence affected areas as well as border regions;

improving responses to natural disaster and other emergencies; etc. The budgetary allocation for the fiscal year 2017-18 is a continuation of this process. Though the Union Government has been making substantial budget allocations to the MHA, the Ministry's efforts to bring about the desired reforms have, however, shown mixed results so far. While the revenue outlays have been increasing, the capital outlays have seen troughs and crests in the last four years. This indicates that while the concerned organizations have been successful in increasing manpower, they have been unable to build up the commensurate infrastructure required for capacity building such as training schools and laboratories, and procuring additional vehicles and boats, arms and ammunitions, computers and surveillance equipment, etc. Therefore, efforts must be made to fully utilize the budgetary outlays provided to the MHA in order to achieve a comprehensive reform of the internal security system of the country.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया।

आज एक बहुत अहम विषय है कि पैरा मिलिट्री इस देश के अंदर मिलिट्री फोर्स और पुलिस के बीच का रोल प्ले करती हैं। इस रोल के अंदर पीस कीपिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम कहीं न कहीं अपने पैरा मिलिट्री फोर्स के अफसरों की बात करते हैं तो जो बेसिक फैसिलिटी है, वे इसमें लैक करते हैं, चाहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे जम्मू व कश्मीर जैसे रीजन के अंदर, जहां हमारे जवानों को आज भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें उन्हें सोने की दिक्कत होती है। आज जब सरकार की ग्रांट्स की बात आती है तो हमें बजट का अहम हिस्सा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और मॉडर्नाइजेशन पर एक्सपेंड करना चाहिए। पिछले दिनों हमारी सरकार ने भी देखा कि हमारे एक हवलदार ने खाने की क्वालिटी का मुद्दा उठाया, उस गंभीर मुद्दे को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज देश के जवान ऐसी टफ कंडीशंस में हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाओं से कहीं वंचित न रहना पड़े, आज हम कम्पेयर करें तो इस देश के अंदर सबसे अधिक अगर किसी का कैजुअलटी रेट है तो वह हमारे पैरा मिलिट्री जवानों का है। हमने पिछले दिनों माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में 13 जवानों को खो दिया। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में वारदात हुई तो सबसे ज्यादा इन्जरीज़ हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की हुई।

मैं एक आग्रह करूंगा कि अगर हम आर्मी की तरह पैरा मिलिट्री के अंदर भी रेजीमेंट स्पेसिफिक एरिया बनाएं, तो कहीं न कहीं हमारे जवानों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा। आज हम देखते हैं कि सिख इंफैंट्री रेजीमेंट है। हमारे जनरल साहब तो जानते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वह गोरखाओं ने लड़ी। आज जाट रेजीमेंट, मराठा रेजीमेंट इत्यादि हैं। इसी तरीके से अगर पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर भी हम रीजन स्पेसिफिक जवान को लेंगे तो कहीं न कहीं वहां मोटिवेशन बढ़ेगी और लोकल समस्याओं को वे डील कर पाएंगे।

आज एक बहुत बड़ी समस्या मिलती है कि आर्मी की जगह-जगह कैंटीन है, मगर हमारे पैरा मिलिट्री के जो रिटायर्ड जवान हैं, वे इन बेसिक फैसिलिटीज़ से वंचित रहते हैं। पैरा मिलिट्री के रीजन में, जैसे बी.एस.एफ. हिसार में है तो और जितने पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उन्हें भी इन सुविधाओं का फायदा जरूर मिलना चाहिए।

जब हम होम अफेयर्स की बात करते हैं तो पिछले दिनों हमने जंतर-मंतर पर धरना दिया, धरना समाप्त होने के बाद जब लोग पीसफुली जा रहे थे तो हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट के एक ए.सी.पी. ...* ने धरना समाप्त होने के आधे घंटे बाद वहां खड़े व्हिकल्स के शीशे टोड़ने का काम किया।

HON. CHAIRPERSON : The name will not go on record.

श्री दुष्यंत चौटाला : मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसकी इंक्वायरी करवाये, क्योंकि जब पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद लोग डिस्बर्श हो रहे हैं, तो उन पर पुलिस अधिकारी को भड़ास निकालने का क्या अधिकार है।

अंत में, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपसे निरंतर पत्र के माध्यम से भी मांग कर चुका हूँ। हरियाणा प्रदेश कांगड़ा बेल्ट के बॉटम ऐंड पर आता है। अगर कांगड़ा में अर्थक्वेक आएगा, तो पंजाब के बाद सबसे बड़ा इफैक्टेड एरिया अगर कोई होगा तो वह हरियाणा प्रदेश होगा। मैं यह मांग करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में भी एन.डी.आर.एफ. की एक रेजीमेंट स्थापित किया जाए।

* Not recorded

***DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):** The Ministry of Home Affairs is responsible for matters concerning internal security, centre-state relations, central armed police forces, border management and disaster management. In addition, the Ministry also makes certain grants to the union territories.

Due to the Union's mandate under Article 355 of the Constitution to 'protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution', the Ministry is supposed to monitor the internal security situation, issue appropriate advisories, share intelligence inputs, extend manpower and financial support, guidance and expertise to the State Governments for maintenance of security, peace and harmony.

If we overview the fund allocation, the Ministry of Home Affairs has been allocated Rs. 97,187 crore in Union Budget 2017-18. This is a small increase of 5.4% over the revised estimates in 2016-17, which was Rs. 92,170 crore. Further, this is 9.7% higher than the budget allocation of last year, which was Rs. 88,547 Crore. The budget for the Ministry of Home Affairs constitutes 4.5% of the total expenditure budget of the Union Government in 2017-18.

Of the total budget estimates for 2017-18, 80.3% expenditure is on police; 13.7% is on grants made to union territories (UTs) and 6% is on miscellaneous items such as disaster management, rehabilitation of refugees and migrants, census and Cabinet.

For Police, in 2017-18 Budget, Rs. 78,000 Crore has been allocated towards police. This is the largest expenditure item for the Ministry as it constitutes 80.3% of the ministry's total budget. Budget estimates for police has increased by 6.4% from revised estimates for 2016-17, which was Rs. 73,328 Crore.

* Speech was laid on the Table

Towards Grants and Loans to Union Territories, around 13.7% of the Ministry's budget, i.e. Rs. 13,357 Crore has been allocated for grants and loans for the administration of union territories. The 2017-18 budget estimates for grants and loans to union territories has seen a marginal increase of 0.5% from revised estimates for 2016-17, which was Rs. 13,350 Crore.

The other miscellaneous expenditure items of the Ministry of Home Affairs have been allocated Rs. 5,830 Crore. This includes subjects such as disaster management, rehabilitation of refugees and migrants, and administrative matters (relating to the census, the secretariat and Cabinet). This constitutes 19.2% of the Ministry's total budget for 2017-18.

Regarding issues in Border Infrastructure and Building Projects for Central Police, in 2016-17, the budget estimates for border infrastructure and management was Rs. 2699 crore. This was reduced by 28.5% to Rs. 1929 crore at the revised estimates stage. The Standing Committee observed that the Ministry was unable to spend the reduced allocation at the revised estimates stage which was an indicator of underperformance.

Building projects include allocations for construction of office and residential buildings for the central armed police forces and central police organizations, and other intelligence, research and training institutes. For 2017-18, Rs. 4,008 crore has been budgeted towards such building projects. This is around 34% higher than the revised estimates for 2016-17, which was Rs. 2992 crore.

However, the Standing Committee had noted that there has been an underutilization of funds in relation to various plan schemes. In particular, it highlighted the underutilization in schemes related to infrastructure for the central armed police forces and border management.

For 2017-18, the central government has made allocations towards four schemes related to modernization of police. These include Modernization of State Police Forces scheme; the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) scheme; Security related expenditure (SRE) scheme; and Special

Infrastructure scheme (SIS) for Left Wing Areas. Overall, the 2017-18 budget estimates for the schemes related to modernization of police is Rs. 2,022 crore. This is 9.5% lesser than the revised estimates for last year, which was Rs. 2,235 crore.

The major items covered under the MSPF scheme include mobility, weapons, equipment, training infrastructure, computerization and forensic science and infrastructure development. In 2016-17, Rs. 522 crore was released to the 29 states under the MSPF scheme. State police forces suffer from a shortage of vehicles. As a result, this has reduced their response time and efficiency.

Audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) had observed that several of the new vehicles procured had replaced old ones, or had been diverted towards escorting of VIPs. Some vehicles remained unused due to a shortage of drivers. As of January 2015, state forces had a total of 1,63,946 vehicles. This was 30.5% lesser than the required stock of vehicles (2,35,339 vehicles).

The NDRF is a specialized force that is responsible for disaster response and relief. For 2017-18, the budget estimates for the NDRF is Rs. 650 crore. This is marginally higher than the revised estimates of Rs. 647 crore for 2016-17. In the past, there has been a reduction of allocated funds at the stage of revised expenditure due to delays in development of infrastructure of various battalions of the NDRF. In this regard, the Standing Committee had recommended that procedural complexities in relation to infrastructure development of the NDRF battalions should be minimized. This view was seconded by the CAG.

The Disaster Management Act, 2005 assigns the general superintendence, direction and control of the NDRF to the NDMA. However, currently the Ministry of Home Affairs is responsible for its deployment and other administrative matters. This causes a lack of clarity over the supervision of the NDRF.

National Disaster Management Authority (NDMA) is a planning and policy making body created under the Disaster Management Act, 2005. As per the 2005 Act, the NDMA is mandated to make recommendations for the provision of funds for mitigation and relief and grant of loans to persons affected by disasters. However, the Standing Committee has observed that the NDMA has failed to fulfill its mandate of recommending the provision of funds towards disaster management.

As on February 2014, of the 10 projects which were recommended to be taken up by the NDMA during the 11th Five Year Plan (2007-2012), four were yet to be approved. Of the remaining five projects which were approved, one project, i.e. micro-zonation of major cities, has been completed. The remaining four are under various stages of implementation.

Hence, I oppose the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इनके कार्यकाल में जो काम हो रहा है, वह अतुलनीय है। मेरा क्षेत्र पश्चिम चम्पारण खुद उग्रवाद प्रभावित जिला है। विगत तीन वर्षों में वहां एक भी घटना नहीं घटी है, उसके लिए मैं गृह मंत्रालय को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, परंतु एक जगह ऐसी जरूर है, जहां पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, वह बी.ए.डी.पी. है। इसके माध्यम से गृह मंत्रालय पूरी की पूरी राशि स्टेट को दे देता है, लेकिन गृह मंत्रालय के पास ऐसी कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है, जो यह देख सके कि पैसे का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। मेरे इलाके में बी.ए.डी.पी. के माध्यम से दो या तीन किलोमीटर की सड़क बनती है और तीन महीने में वह पूरी तरह से टूट जाती है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि यह गृह मंत्रालय की सड़क है, जो तीन महीने में पूरी तरह उजड़ गई।

18.00 hours

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि एक तो इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी केन्द्र से जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई शिकायत आए, तो उसकी जांच हो। उसके शिलान्यास का अवसर सांसदों को जरूर मिलना चाहिए। बीएडीपी के सारे इलाके में जो भी सांसद आएँ, उनको अवसर मिलना चाहिए। जो भी योजना बनती है, तो पंचायतों को कहा जाता है कि उनकी पसंद से हो और डीएम की पसंद से हो। रक्सौल इलाके में हमारे इंडो-नेपाल बार्डर पर आरओबी नहीं बनने के चलते 16 घंटे वह बंद रहता है, बिहार सरकार उसकी एनओसी नहीं दे रही है। वहां हम बीएडीपी की राशि नहीं दे सकते हैं। बीएडीपी की राशि छोटी-छोटी ऐसी जगहों पर मिलती है, जहां पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध होगा कि जो भी फाइनल हो, उसमें सांसदों का भी सिग्नेचर डीएम के साथ लिया कि जो बीएडीपी की सड़कों का चुनाव या जो भी कार्यक्रम का चुनाव होता है और उसका शिलान्यास भी सांसदों से कराया जाए। कोई न कोई मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए कि जिससे उस राशि के लिए कैग से शिकायत नहीं हो, बल्कि गृह मंत्रालय खुद जांच कर ले कि उसका उपयोग सही हुआ है या नहीं।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : The time of the House is extended till the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs are completed.

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगो वर्ष 2017-18 पर में अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस साल बजट में गृह मंत्रालय के लिए 78,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। यह आवंटन गत वर्ष 2016-17 के आवंटन से 6.37 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016-17 में गृह मंत्रालय को 73,328 करोड़ का आबंटन किया गया था। बजट में सात अर्धसैनिक बलों के लिए 54,985.11 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इन बलों में से सीआरपीएफ को सबसे ज्यादा 17,868.53 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ को अधिक बजट दिया गया है जिसे आंतरिक सुरक्षा, माओवादियों तथा आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में शामिल किया जाता है। साथ ही बजट में दिल्ली पुलिस को 6378.18 करोड़ रुपये दिये गये हैं। महिलाओं की सुरक्षा का सरकार ने विशेष ध्यान रखा है और इस पर अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। निर्भया फण्ड में पिछले वर्ष की 3.40 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 28.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वर्तमान में साईबर आतंकवाद और साईबर क्राईम की घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इनसे निपटने के लिए उतने प्रभावी उपाय नहीं है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है और साईबर थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही केंद्रीय बजट में इस मद में राशि बढ़ाने की आवश्यकता है।

अण्डमान- निकोबार एवं लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। इन प्रदेशों से भारत का समुद्र में बहुत ही अच्छा स्वामित्व बना हुआ है। इन प्रदेशों की सुरक्षा का निगरानी तंत्र मजबूत किया जाना चाहिए। यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसमें पीने का पानी और उच्च मेडिकल सुविधाएं मुख्य है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। साथ ही यहां पर आवागमन की सुविधाओं का भी अभाव है। लक्षद्वीप में पर्यटन की बहुत संभावनाएं है। इसलिए अवागमन की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद वाले राज्यों में चल रही विशेष अवसंरचना योजना को अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर एक समग्र योजना बना दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इन योजनाओं का दायित्व अब राज्य सरकारों पर होगा। मेरा आग्रह है कि सरकार ऐसी योजनाओं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, को राज्यों को सौंपते समय सावधानी बरतें। किसी केंद्रीय प्रायोजित योजना को राज्यों को

* Speech was laid on the Table.

अंतरित किया भी जाता है तो केंद्र सरकार उन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर ठोस निगरानी की प्रणाली बनाएं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई में सुरक्षा संबंधी उपायों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस और प्रशासनिक भवन निर्माण, सड़कों के सुधार हेतु सड़क आवश्यक योजना जैसी विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन, मोबाईल टावर्स स्थापित करने हेतु परियोजनाएं, रेल संपर्क का सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना इत्यादि पर विशेष ध्यान देते हुए इनके लिए अलग से कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 मजबूत थानों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) चालू की है। सरकार की इस योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षित शिविर स्थल और हेलीपेड बनाना, थानों की सुरक्षा बढ़ाना, जेलों का सुदृढीकरण और वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए राज्यों के विशेष बलों की प्रशिक्षण अवसंरचना, आवासीय अवसंरचना, हथियारों एवं वाहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस स्कीम से पुलिस प्रशासन को वामपंथी उग्रवाद की समस्या से अधिक कारगर ढंग से निपटने तथा राज्यों से वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने में सहायता मिलेगी। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि झारखण्ड राज्य में वामपंथी उग्रवाद की समस्या बहुत अधिक है। राज्य के अधिकतर जिलों जिसमें विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र का चतरा, लातेहार एवं पलामू जिला घोर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार ने जो 250 थानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, उसमें कम से कम दो-दो थानों चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों में निर्मित किये जायें। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधित व्यय के लिए 231 करोड़ रुपये दिये हैं। उससे वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न हिंसा में मारे गये नागरिकों/ सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान, पुलिस का बीमा प्रीमियम, प्रशिक्षण, एसपीओ को मानदेय एवं प्रचार सामग्री पर व्यय किया जायेगा। इस राशि का भी अधिकतम खर्च चतरा, लातेहार एवं पलामू जैसे उग्रवाद प्रभावित जिलों में किया जाना चाहिए। झारखण्ड सरकार वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए काफी अच्छा काम कर रही है और इसमें शीघ्र सफल होगी।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों एवं जवानों की प्रतिनियुक्तियाँ विभिन्न राज्यों में होती हैं। लेकिन यह देखने में आया है कि अलग-अलग राज्यों में वेतन एवं भत्तों को लेकर विसंगतियाँ हैं। इसलिए मेरा सूझाव है कि सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक राज्य में समान वेतन एवं भत्ते दिये जाने चाहिए। इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। अर्धसैनिक बलों की सेवाओं में पुलिस सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा

जाता है। जिससे उनके मूल कैंडर के लोगों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल पाती है। अतः मेरा सुझाव है कि पुलिस सेवा अधिकारियों को अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्तियों को बन्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय बलों एवं पुलिस के कार्य संचालन की दृष्टि से एक संयुक्त समन्वय समिति गठित की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पुलिस एवं केंद्रीय बलों में आपस में समन्वय की कमी है।

होम गार्ड की वर्तमान में सभी राज्यों में बहुत ही दयनीय स्थिति है। होम गार्ड्स राज्यों में पुलिस बल की सहायता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। राज्यों को इसके लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। परन्तु होम गार्ड के लिए वेतन बहुत कम है। अलग-अलग राज्यों में असमान है और समय पर भुगतान नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि केंद्र सरकार राज्यों को होम गार्ड के लिए एक गाईड लाइन जारी करे। साथ ही इस मद में केंद्रीय बजट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में ट्रैफिक कण्ट्रोल की जिम्मेदारी पुलिस की है। परन्तु यातायात के नियम बनाने का कार्य परिवहन मंत्रालय के जिम्मे है। इसलिए गृह मंत्रालय एवं परिवहन मंत्रालय को यातायात से संबंधित कार्यों को मिलकर करना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार दिल्ली में इंटेलेजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस जैसी ट्रैफिक पुलिस की योजना है, इसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि देश के जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 82 जिले हैं, उनमें विकास कार्यों को चलाकर उग्रवाद की समस्या को नियंत्रित एवं समाप्त करने के लिए एक योजना भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है। पहले इसका नाम इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान था, अब इसी को एडीशनल सेंट्रल असिस्टेंस कर दिया गया है, जिसके तहत योजनाओं के चयन के लिए निर्णय लेने वाली एक समिति है, जिसमें केवल जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और वन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों को इस महत्वपूर्ण समिति से महरूम रखा गया है, उनको इसमें नहीं रखा गया है। उनसे केवल सुझाव देने को कहा गया है, जिसको मानने के लिए ये अधिकारी बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार एसीए के लिए जो कमेटी है, उसमें सांसद को सदस्य बना कर, उनकी अनुशंसा को अनिवार्य मानते हुए कार्य करवाये, ऐसा प्रावधान किया जायें। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि श्री नितिन गडकरी जी माननीय परिवहन मंत्री ने लोक सभा में तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए 14.8.2014 को इस बारे सदन को आश्वासन भी दिया था।

आईपीए से संबंधित जितने जिले है जिनको अब हम सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में चला रहे हैं, उसमें फण्ड की मॉनीटरिंग के साथ-साथ समन्वय की भी जरूरत है। इसमें अनेक विभाग संलग्न हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, योजना मंत्रालय, रक्षा

मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एचआरडी और एनर्जी मंत्रालय के सहयोग से यह पूरी की पूरी योजना चलती है। लेकिन इसकी मॉनीटरिंग एवं समन्वय के लिए कोई एकीकृत प्रणाली नहीं है। सरकार ने अधिकारियों के स्तर पर विभिन्न एजेंसियां बनायी हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इम्पार्वर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना कर इन योजनाओं को एक कमाण्ड के अंदर सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई योजना बनाई जायें। साथ ही झारखण्ड के 24 जिलों में 22 जिले उग्रवाद प्रभावित जिले हैं, लेकिन हम 17 जिलों पर विशेष फोकस देते हैं और पांच जिले, जो एसआरई के अंतर्गत है, उनको सड़क निर्माण और बाकी के कामों से नहीं जोड़ते है। इसलिए इन जिलों में भी सभी प्रकार के विकास कार्यों को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

झारखंड राज्य का संथाल परगना सहित पूरा राज्य आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या के असंतुलन का संकट झेल रहा है। इससे कानून- व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अतः इस पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाए। साथ ही मेरा आग्रह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगनिस्तान से आये हुये उन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए।

भारत सरकार ने इस बजट में गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन के तहत राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत 694.25 करोड़ राशि दी है। इस राशि से 150 चक्रवात आश्रयस्थल, 200 किमी सड़के, 15 पुल, 35 किमी के सलाइन तटबंध बनाये जायेंगे जिससे चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जान और माल की हानि में कमी आएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चतरा लोक सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ, गत वर्ष भयंकर चक्रवात एवं तूफान इस क्षेत्र में आया था जिससे काफी जन, धन और पशुधन का नुकसान हुआ था। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस मद के तहत चतरा में चक्रवात आश्रयस्थल का निर्माण किया जायें।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में बाईस भाषाएं शामिल हैं जो हमारे लोगों द्वारा व्यापक तौर पर बोली एवं लिखी जाती हैं। यह माना जाता है कि इन्हीं भाषाओं के सानिध्य में हमारे लोगों की शिक्षा, संस्कृति तथा बौद्धिकता का विकास होता है। भाषा न केवल संचार का माध्यम है अपितु सम्मान का एक प्रतीक भी है। भाषा इतिहास, संस्कृति, जनता, शासन की प्रणाली, परिस्थितिकी, राजनीति, आदि को भी दर्शाती है। भोजपुरी, भाषा इस देश के उत्तर- केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्रों के कई भागों में बोली जाती है। ये बिहार राज्य के पश्चिमी भाग, झारखण्ड के उत्तर-पश्चिम भाग तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में विशेष रूप से बाली जाती है। राजस्थानी एक प्रमुख भाषा है, जिसकी समृद्ध परम्पराएं हैं और राजस्थान, मध्य

प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और पंजाब राज्यों में व्यापक तौर पर बोली जाती है। लगभग पैंतीस मिलियन लोग यह भाषा केवल राजस्थान राज्य में ही बोलते हैं। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी वह हकदार है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि भोजपुरी, मगही, राजस्थानी और उरांव भाषाओं को बोलने वाले लोगों के सम्मान, उनकी संस्कृति तथा परंपराओं के संरक्षण के लिए इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जायें।

इसके साथ ही मैं पुनः वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देते हुये गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

***श्री निहाल चन्द (गंगानगर):** मैं सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूँ। सीमा पर जवान आज कच्चे मकान में रहते हैं वहां पर पानी की दिक्कत भी रहती है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कंटीली तार में आयी किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है जिससे किसान परेशान होता है। फसल बो नहीं सकता जिससे किसान बर्बाद हो गया। सीमावर्ती क्षेत्र में बीएडीपी की योजना की शुरुआत होती है बीएडीपी की सीमा भी 10 कि.मी. तक है। बीएडीपी की सीमा बढ़ाई जाये तथा संबंधित सांसद को बीएडीपी का अध्यक्ष भी बनाया जाये ताकि जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी उसमें हो, मैं सरकार की अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ।

* Speech was laid on the Table.

***श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख)**: मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए पेश बजट के समर्थन में अपने विचार रखना चाहती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं की सुरक्षा की बात हम भी करते हैं पर आज भी महिलाओं को वह सुरक्षा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। हर दिन नयी घटना होती है। माननीय मंत्री जी से मैं यह कहने का प्रयत्न कर रही हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश की घटना आप ने आए दिन टीवी पर देखी है। मैं चाहती हूँ की आप महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम के लिए सबल कानून बनाए और अलग- अलग थाने जहाँ वो अपनी बात कहने की हिम्मत कर पाए क्योंकि जिले में थाने तो है पर महिला पुलिस नहीं है। इसलिए महिला अपनी बात नहीं कर पाती।

माननीय मंत्री जी जब एक सांसद को सोशल मीडिया पर पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, मैंने यह बात लोक सभा में भी उठाई थी। परन्तु आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी हरकत करने वाले अपराधी को सख्त सजा मिले और ऐसे कानून बनाए ताकि दूसरा ऐसी कोई हिम्मत न कर पाए।

अभी हाल ही में लखनऊ में हुई घटना जिस में वो उग्रवादी मारा गया। जिस देशद्रोही ने अपने पिता का नाम बदनाम कर दिया। उस पिता को हम बधाई देते हैं जिसने ऐसे बेटे का शव लेने से इन्कार कर दिया, जो भारत के खिलाफ गतिविधियां कर रहा था।

माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि हर ऐसे दुश्मन जो हमारे देश की तरफ आँख उठाने की हिम्मत करता है उस की आँखे निकालने की हिम्मत हमारी सरकार में हैं।

* Speech was laid on the Table.

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत)**- होम अफेयर्स एक ऐसा मंत्रालय है जो सीधे-सीधे आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। आमतौर पर आम लोगों को इसी मंत्रालय से दूरी रखने की अगर बात पूछी जाये तो वे सबसे पहले पुलिस तंत्र से दूरी रखने की बात कहेंगे। फिर भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे-सीधे गृह विभाग की होती है। 2004 में जहां देश में पुलिस तंत्र के एक व्यक्ति को करीब 700 लोगों की सुरक्षा देखनी होती थी, वहीं आज करीब 500 लोगों की सुरक्षा की ओर ध्यान देने के लिए जिम्मेदार हो रहा है। वही अगर भूमि के संबंध में देखें तो 71.48 पुलिस कर्मियों को करीब 100 स्कवायर किलोमीटर जमीन पर बसे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यानि पुलिस फोर्स राज्य की जिम्मेदारी होते हुए भी जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंड को बढ़ाया गया है, वह स्वागतयोग्य है। एक समय था जब देश में कहीं न कहीं दंगे, फसाद, जातीय बिखराव होते रहते थे लेकिन आज स्थिति बदल गई है। यह स्थिति पुलिस तंत्र के मॉडर्नाइजेशन एवं महकमे के बढ़ाने से हुई है।

पुलिस तंत्र में काम करने वाला व्यक्ति घर से निकलता है तो घर के लोगों के पास वह कब आयेगा, उसकी ज्यूटी कब पूरी होगी वह निश्चित नहीं होता। हर साल देश में कई पुलिस के जवान चाहे वे राज्यों की फोर्स हो या केंद्र सरकार की फोर्स हो, देश में कई जवान अपनी ज्यूटी बजाते हुए शहीद होते हैं। मेरी मांग है कि ऐसे शहीद जवानों के बच्चों की पढ़ाई एवं उनके भविष्य को ध्यान में रखकर तथा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कुछ न कुछ योजना बनानी चाहिए।

मेरी मांग है कि सीमावर्ती क्षेत्रों एवं समुद्री सीमा से जुड़े हुए क्षेत्रों में पुलिस तंत्र को एवं खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सूरत जैसे क्षेत्र में, शहर के नज़दीक जहां पाकिस्तान कुछ ही अंतर पर है, ऐसी जगह में मरीन पुलिस स्टेशन को ज्यादा सुदृढ़ किया जाये एवं उन्हें अत्याधुनिक साधन मुहैया कराये जाये, ऐसी भी मेरी मांग है।

होम डिपार्टमेंट के अंदर सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है। मेरी मांग है कि डिजास्टर एवं तुरंत रेस्पॉन्स मिले एवं पुलिस महकमे सहित डिजास्टर एवं रेस्पॉन्स टाईम कैसे कम हो उसकी ओर ध्यान देते हुए उस क्षेत्र को अत्याधुनिक बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये। उतना नहीं तो डिजास्टर रिस्क रीडक्शन फंड ओपरेशनल हो, ऐसी कार्यवाही करने के लिए योजना बने। डिजास्टर रिस्क रीडक्शन की बड़ी संख्या में जन जागृति की जाये या किसी भी डिजास्टर के वक्त आम लोग किस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, उस संबंध में जन जागृति के कार्यक्रम बनने चाहिये। नेशनल साईक्लोन मिटीगेशन प्रोजेक्ट, मल्टी हेजार्ड रिस्क मैनेजमेंट केपिसिटी बढ़ाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी यह भी मांग है कि

* Speech was laid on the Table.

एन.डी.आर.एफ. के केंद्र बढ़ाने की ओर भी सोचना चाहिये जिससे डिजास्टर के वक्त क्विक रेस्पॉन्स दिया जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के अंतर्गत एन.डी.आर.एफ. की नीतिगत जिम्मेदारी एन.डी.एम.ए. की है, लेकिन उसके डिप्लोयमेंट का ध्यान गृह मंत्रालय रखता है। मेरी मांग है कि इस कानून में संशोधन करके एन.डी.आर.एफ. को पूरी तरह से सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाना चाहिये। एन.डी.एम.ए. के फंक्शन की हर तीन साल में मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। एन.डी.एम.ए. के अंतर्गत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें प्रगति की आवश्यकता है। जो सालों से चल रहे हैं परंतु पूर्ण नहीं हुए हैं। मसलन माइक्रो जॉनेशन ऑफ मेजर सिटी, नेशनल अर्थक्वेक मिटीगेशन प्रोजेक्ट, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फरवरी, 2014 में शुरू किये गये थे, आज उनकी क्या स्थिति है एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में जिन प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई थी या करनी थी, वे प्रोजेक्ट आज कहां पर हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए योजना बने एवं समय पर शुरु न होने के कारण या समय पर पूर्ण न होने के कारणों की भी समीक्षा की जाये।

***श्री ओम बिरला:** गृह मंत्रालय देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इसके अंतर्गत केन्द्र व राज्यों के संबंध, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार व महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्य आते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह विभाग इतना संवेदनशीलता का परिचय दे रहा है।

लगभग 30 वर्षों के बाद भारत की जनता ने किसी दल को इस लायक समझा कि उसे पूर्ण बहुमत दिया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। हमारी सरकार अब तक की सबसे मजबूत सरकारों में से एक है और इसलिए हम पूरी ताकत से देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब अगर सीमा पर दुश्मन गोलियां बरसाता है तो हम पहले की तरह याचना नहीं करते वरन इधर से गोला दागते हैं, उन्हें मुहतोड़ जवाब देते हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है कि हमने किसी बड़ी आतंकवादी घटना को होने से हमारी सरकार के आने के बाद रोका है एवं मुंबई जैसी वीभत्स घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्वों में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मानवाधिकारों के सिद्धांतों का संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती रेखा का प्रभावी रूप से प्रबंधन, आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा राहत प्रदान करना, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना, जनगणना करना, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरुपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण करना एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के साथ-साथ भारतीय पुलिस सेवा नियमों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का उचित प्रशासन सुनिश्चित करना है। किसी भी देश में व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने लिए एवं मजबूत, स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए शांति एवं सद्भावना अनिवार्य अपेक्षाएं होती हैं। इस उद्देश्य के लिए यह परिकल्पना की गई कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित बातों के लिए पूरा प्रयास करेगा और हमारी सरकार पूरी ताकत से इन उद्देश्यों की पूर्ति में लगी है इसके लिए आदरणीय गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं। जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की समस्या अहम् है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन का सुदृढीकरण, बाढ़ का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर तकनीक, हथियार और उपकरण, बेहतर सूचना के प्रवाह की सक्रियशीलता शामिल है। इसी का नतीजा है कि वहां हुए लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनावों में वहां

* Speech was laid on the Table.

की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ और जिसकी प्रशंसा दुनियाभर ने की। आज जम्मू-कश्मीर की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे उम्मीद है कि कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी में सुरक्षित रूप से फिर से रहने लगेंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्ता का द्वार भी खोला है, बशर्ते कि वे हिंसा का परित्याग करें एवं भारत के संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों का समाधान कराये। सरकार द्वारा की गई पहल तथा वार्ता नीति के अनुसरण में पूर्ववर्ती राज्यों में शांति वार्ता के लिए अनेक उग्रवादी संगठन अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सामने आए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एवं विकास के जरिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, एमएनआरईजीए, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम (एनआरडीडब्ल्यूपी), इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आईसीडीएस), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), फोरेस्ट एक्ट, 2006 इत्यादि योजनाओं के जरिए भारत सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में गरीब एवं आवश्यकता मंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है। इसके पीछे भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि गरीब, पिछड़े क्षेत्रों के गरीब, दलित, शोषित आदिवासी बंधु नक्सलियों के विचारों से प्रभावित होकर या उनके दबाव में आकर उग्रवादी संगठन में शामिल न हो। परन्तु इन सारे उपायों के बावजूद नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलियों के द्वारा उगाही की जाने वाली राशि या उनको की जाने वाली फंडिंग पर प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए। उनको समाप्त किया जाए। बाल दस्ते को प्रतिबंधित किया जाए। फोरेस्ट एक्ट, 2006 के प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए। वन उत्पादों पर वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों का एकाधिकार हो। फोरेस्ट एक्ट, 2006 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन हो क्योंकि आज भी अधिनियम के स्थापित हो जाने के बावजूद इन गरीब आदिवासियों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसे रोकने की जरूरत है।

पिछले कुछ दशकों में भारत की आंतरिक सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हुआ है और अधिकांश खतरे बाहरी मदद से और भी घातक साबित हो रहे हैं। नशीली दवाओं की तस्करी एक नए खतरे के रूप में उभरी है, जिससे भारत में जिहादी गतिविधियों और विद्रोही आंदोलनों को सुलगाया जा रहा है। उग्रवादियों, विद्रोहियों तथा आतंकवादियों को हमारे पड़ोसी देशों द्वारा विध्वंसक गतिविधियों के लिए पैसा और पनाह दी जा रही है। इन मसलों पर सरकार द्वारा और भी प्रभावकारी कदम उठाने की जरूरत है। भारत के उत्तर-पूर्व

और उत्तर पश्चिम में नशीले पदार्थों के दो सबसे बड़े उत्पादक देश-म्यांमार और पाकिस्तान हैं। दोनों ने भारत के विद्रोही गुटों को मदद दी है और उन्हें उकसाया है। सीमा-पार आतंकवाद को सत्ता नीति के रूप में अपना कर पाकिस्तान जिहादी आतंकवाद के गढ़ के रूप में उभरा है। वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ परोक्ष युद्ध के लिए निहित स्वार्थों को मोहरा बनाया। इन चालों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने अब तक विफल किया है पर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जो चिंता का विषय हैं। इस पर और भी सावधानी बरतने की जरूरत है।

केन्द्र-राज्य संबंध मधुर रहने चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार ने संविधान के अंतर्गत अनेकों कदम उठाए हैं, ताकि संघवाद की भावना का विस्तार हो। हमारे देश में सूचना तंत्र को मजबूत और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिससे बाहरी घटनाओं की त्वरित गति से जानकारी मिल सके। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा सवालों के घेरे में रहती है। जिसका कारण हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों को जितना धन देना चाहिए, उसकी भरपूर कोशिश करके उन्हें इस बजट में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला इस बजट के माध्यम से लिया गया है। केन्द्रीय बजट में गृह मंत्रालय को 97 हजार 187 करोड़ की धन राशि का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 9.7 प्रतिशत अधिक है। गृह मंत्रालय को आवंटित किया गया बजट कुल बजट का 4.5 प्रतिशत है और देश की सुरक्षा के प्रति हमारी गंभीरता को ये पूर्णतः परिलक्षित करता है। देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पुलिस हैं जिन पर इस बजट में 78 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है और ये कुल बजट का तकरीबन 80 प्रतिशत है। पिछले वर्ष के रिवाइज्ड एस्टीमेट से यह 6 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

मंत्रालय के बजट का लगभग 13.7% अर्थात्, 13,357 करोड़ रुपये केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए आवंटित किया गया है। जोकि पिछले वर्ष के 13 हजार 350 करोड़ से ज्यादा है। आपदा प्रबंधन, शरणार्थियों और प्रवासियों के पुनर्वास आदि के लिए भी 5 हजार 830 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कुल पुलिस बल को दी गयी राशि का 70 प्रतिशत यानि कि 59 हजार 485 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 4.8% ज्यादा है। बजट का 9% सीमा और पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया है जो कि 2016-17 के संशोधित अनुमान 5112 करोड़ रुपये से 37.9% अधिक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सभी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए केन्द्रीय खुफिया एजेंसी है, के लिए 1.7% आवंटित किया गया है।

हमारे देश के सामने आतंकवाद, माओवाद व नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ हैं। हमारे देश को माओवाद और नक्सलवाद खोखला करते जा रहे हैं। नोटबंदी ने इनकी कमर तोड़ी है, परन्तु ये पूर्णतया कुचल दिए

जाए इसके लिए और भी प्रयास किये जाने की जरूरत है। ऐसे संगठनों को पनपने से रोकने के लिए उनके फंडिंग सोर्स पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है।

देश में मादक पदार्थों की तस्करी के भी मामले बढ़ रहे हैं। खबरें सुनने में आ रही है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से तस्करी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। यह भी सुनने में आया कि नाइजीरिया के नागरिक भारत में मादक पदार्थों के मामले में पकड़े जा रहे हैं। भारत में भी इसके कई बड़े रैकेट सक्रिय है। हमारी युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों की चपेट में आने से रोकने के लिए इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि आज हमारे जेलों से कैदियों की भागने की संभावनाएं तो कम हुई है, लेकिन जेलों की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। हमारे देश के जेलों में नशे, ऐशो आराम के सभी साधन कैदियों को उपलब्ध करावाए जा रहे हैं। नए कैदियों के साथ पुराने कैदियों और पुलिस कर्मियों का व्यवहार भी अत्यंत चिंताजनक है। पिछले कुछ वर्षों में कैदियों में आपस में हाथापाई के कारण कई कैदियों को जान से हाथ धोना पड़ा है, जिस पर भी सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। भोपाल जेल ब्रेक की घटना भी चिंताजनक है।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में गतिशीलता, हथियार, उपकरण, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, कम्प्यूटरीकरण और फॉरेंसिक विज्ञान और अवसंरचना विकास बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके विकास के बिना हमारी पुलिस आधुनिक नहीं हो सकती। यह बेहद चिंता की बात है कि 2017-18 के बजट अनुमानों में पुलिस के आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए 2,022 करोड़ ही जारी किये गए हैं जो पिछले वर्ष के संशोधित बजटीय अनुमानों से 9.5 प्रतिशत कम हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2015 के जनवरी तक 1,63,946 वाहन ही राज्य बलों के पास थे यह आवश्यक वाहनों की अपेक्षा से 30.5% कम था। इस संबंध में उचित कार्रवाई किये जाने की जरूरत है।

परिष्कृत हथियारों की संख्या भी राज्य पुलिस बलों के पास पर्याप्त संख्या में नहीं है। राजस्थान पुलिस की ऑडिट के अनुसार वहां की पुलिस के पास 2009 से 14 के बीच परिष्कृत हथियारों की 75 प्रतिशत तक की कमी थी। इतना ही नहीं जब हथियार खरीदे गए तब 59 प्रतिशत हथियार पुलिस स्टेशनों में वितरित नहीं किये गए। वामपंथ से निपटने के लिए इस वर्ष 1222 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जो कि पिछले वर्ष के संशोधित बजटीय अनुमानों से 168 करोड़ रुपये कम हैं।

सरकार को गरीब आदिवासियों एवं जंगलों में रहने वाले अन्य लोगों में एक विश्वास पैदा करना होगा कि उनकी जिन्दगी सरकार के साथ रहने से महफूज होगी, नक्सलियों का साथ देने में उनकी हानि है। आदिवासियों के विरुद्ध बल प्रयोग, नक्सली संगठन में सम्मिलित नहीं होने के लिए उल्टा प्रभाव करेगा।

सरकार को इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करनी होगी जो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से की जा सकती है। सीआरपीएफ के द्वारा इस क्षेत्र में सहायनीय कार्य किया जा रहा है। अतः इसके लिए ज्यादा राशि उपलब्ध करानी होगी। उस क्षेत्र का विकास करके ही संभव है। सरकार नक्सलियों के कुकृत्यों एवं अपनी उपलब्धियों को वृहद पैमाने पर और प्रभावकारी ढंग से प्रचारित/प्रसारित करें एवं विकास से जुड़े पदाधिकारियों खासकर बीडीओ/सीओओ को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर इन क्षेत्रों में तैनाती की जाए जो जंगल में रहने वाले लोगों खासकर आदिवासी लोगों के प्रति एवं उनके कार्यों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों, उनके कार्यों को अपना कार्य समझकर सम्पादित करें। आदिवासी क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार से मांग है कि उचित कार्ययोजना बना कर वैसे बंगलादेशी या अन्य देशों के विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उन्हें उनके देश भेज दिया जाए।

मेरी सरकार से ये भी मांग है कि अंग्रेजों द्वारा बनाये गए पुलिस एक्ट 1861 को समाप्त किया जाये और सोली सोराबजी समिति द्वारा बनाये गए मॉडल पुलिस एक्ट 2006 को लागू किया जाये या कोई विशेषज्ञ समिति गठित कर एक तय समय में पुलिस रिफॉर्म को जल्द लागू किया जाये। समय की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार के लिए 2006 में दिए गए आदेश को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में तुरन्त लागू किया जाये। अपराध की इन्क्वायरी और शांति व्यवस्था के लिए अलग-अलग स्टाफ की व्यवस्था की जाये और साथ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाये जिसमें सभी राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो एवं ये एजेंसी पूरे समन्वय से कार्य करें। पुलिस का पूरे देश के स्तर पर नेटवर्क स्थापित किया जाए। ये भी बेहद आवश्यक है कि पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर-मैनपावर, वाहन, संचार, फॉरेंसिक रिसर्च, ट्रेनिंग में सुधार किया जाये और सभी स्तर के पुलिस कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था की जाये। एफआईआर रजिस्ट्रेशन और चार्जशीट फाइलिंग के लिए आईटी का प्रयोग किया जाये। निर्धारित समय के अंदर चार्जशीट फाइल न करने और देर से एफआईआर लिखने पर कार्यवाही की जाये। ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए जिसके अंतर्गत देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति देश के अन्दर घटित घटना को देख सके। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता है जब पुलिस से संबंधित कोई आलोचनात्मक खबर अखबारों में न छपती हो। उत्पीड़न, उगाही, जनता के साथ दुर्व्यवहार, घटना स्थल पर समय से न पहुँचना, विवेचना में लापरवाही, कुछ न कुछ आए दिन होता ही रहता है। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की रक्षा और शासक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पुलिस की संरचना की थी। स्वतंत्रता या उसके शीघ्र बाद में पुलिस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतः अब तक हुई सुधारों की देरी को जल्द ही दूर किया जाए एवं इस पर जल्द ही उचित कार्ययोजना बनाई

जाए। भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त विकसित भारत के निर्माण के लिए पुलिस सुधार को तुरन्त लागू करने की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पूरे विश्व के लिए चिन्ता का विषय बन गई है। भविष्य का युद्ध एयर कंडीशंड कमरों में बैठ कर कंप्यूटरों से लड़ा जाएगा। दो देशों के बीच यदि तनाव का माहौल बन रहा हो, तो परमाणु मिसाइलें, लड़ाकू विमान, टैंक और तोप आदि के इस्तेमाल से पहले ही दुश्मन मुल्क को पंगु बनाया जा सकता है। यह लड़ाई आतंकवादियों का एक छोटा सा गुट भी लड़ सकता है। इसलिए भविष्य में दुनिया एक नए तरह के आतंकवाद का सामना कर सकती है। ऐसा हमला करने वाले साइबर आतंकवादी के नाम से जाने जाएंगे और उन्हें दुश्मन देश में घुसपैठ कर या फिर जंगलों या शहरी भीड़ में छिप कर हमला करने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह से आतंकवाद की दुनिया में अब पढ़े-लिखे युवक भर्ती हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि इन युवकों को साइबर आतंकवादी बनने को भी प्रेरित किया जा सकता है। जितनी आसानी से कट्टरपंथी साहित्य ऑनलाइन माध्यमों पर उपलब्ध हैं ये युवाओं के भटकने के लिए काफी हैं। पिछले दो सालों में चीन एवं पाकिस्तान से भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कंप्यूटर तंत्र में सेंध लगाने की कोशिशें की गई हैं। फिलहाल इन साइबर हमलों से कोई बड़ी तबाही नहीं हुई है, लेकिन इनके जरिए काफी तबाही की जा सकती है। मेरी सरकार से मांग है कि एक व्यापक कार्ययोजना बनाकर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए जो इस तरह के अपराधों को निष्क्रिय कर सके।

देश के अन्दर कुछ युवा जिहादी एवं कट्टर साहित्य की आसान उपलब्धता से अपनी राह भटक रहे हैं। केरल, आंध्रप्रदेश, तेलगाना, बंगाल आदि राज्यों से कुछ युवाओं का इस्लामिक स्टेट में शामिल होने सरहद पार जाना अत्यंत गंभीर मसला है। मेरी सरकार से मांग है कि जल्द ही एक उचित कार्ययोजना बनाकर इस समस्या का निराकरण किया जाए।

* श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मैं सदन में प्रस्तुत गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँगो 2017-18 का समर्थन करता हूँ। इस बार के गृह मंत्रालय के बजट में करीब 7 हजार करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसमें सीआरपीएफ की जरूरतों को देखते हुए सबसे ज्यादा 17868 करोड़ रूपए 53 लाख रूपए आवंटित किए गए हैं। जिससे उन्हें आंतरिक सुरक्षा, माओवादियों एवं आतंकवादियों से निपटने में संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। सीबीआई अपना कार्य ठीक से कर सके इसलिए उसके बजट में भी 53 करोड़ 38 लाख का इजाफा किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में करीब 8 गुना वृद्धि की गई है। दिल्ली पुलिस को इस बार पुलिस को इस बार पिछले साल की तुलना में 554 करोड़ 44 लाख ज्यादा मिले हैं। जिससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी निर्भया फंड को 3 करोड़ 40 लाख से बढ़ाकर 28 करोड़ 90 लाख कर दिया गया है। इससे महिलाओं की सुरक्षा हेतु व्यापक योजनाएँ बनाई जा सकेंगी। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली संस्था आईबी के लिए 1577 करोड़ ज्यादा आवंटित किया गया है। भारत-पाक एवं भारत- बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करने वाली बीएसएफ के लिए 15569 करोड़ 11 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है जिसमें 7 केंद्रीय बल हैं। पुलिस राज्य सरकारों के अधीन रहती है क्योंकि कानून व्यवस्था संभलना राज्य सरकार के अधीन आता है। यही बल आम जनता से जुड़ा होता है, देखने में यह आया है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले करीब पंद्रह सालों से वहां की राज्य सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया है। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जाति आधारित व वर्ग के आधार पर थानाध्यक्षों की नियुक्तियां करना, डीआईजी, आईजी व पुलिस महानिदेशक जैसे पदों में वरिष्ठता को नजर अंदाज कर अपने लोगों को बैठाया गया है। अवैध खनन आदि में उसे सह साझीदार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पुलिस द्वारा सदस्यों को पकड़वाया जाता है। इस हेतु राज्य सरकारों से मिलकर कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं गृह मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूँ।

* Speech was laid on the Table.

***SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM):** I support the budgetary provisions of the Ministry Home Affairs. I want to raise the issue of H.H. Karmapa Ugyen Trinky Dorjee. The Home Minister has to take substantive steps to ensure that he can visit Sikkim. Much of the problems will be settled which are growing slowly into a political issue in my State.

The second issue is to make Sikkim a full tribal State. Today, Sikkim's major issue is this. All the 11 communities of Nepali community can be categorized as ST into the Tribal State. Already the Limboo and Tamang communities have been given this status in 2003. Hence, the rest of the communities can also be given ST status as such, since all of them fall under the Sikkim subject category, under the 1961 Order under the Chogyal's regime.

Hence, before 1975, Sikkim did not have the divisions in the various communities as has been thrust upon us and have changed the societal fabric in a negative way. Hence, giving Tribal status is the only way forward.

Furthermore, we look forward to Limboo and Tamang ST communities getting their seat reservation as per the formula of 40 seats in the assembly in Sikkim.

With these words, I support the budget of the Ministry of Home Affairs.

* Speech was laid on the Table

* श्री जुगल किशोर (जम्मू): जबसे केंद्र में नरेन्द्रभाई मोदी जी सरकार बनी है और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री का कार्य संभाला है तबसे ही भारत- पाक सीमा पर पहरा देने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ा है तथा भारत पाकिस्तान के तरफ से होने वाली गोलीबारी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। अब जवाब देने के लिए किसी का ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ता है, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली दागी जाती है तो जवाब में कई गोलियां दागी जाती हैं। गृह मंत्रालय के तरफ से भारत- पाक सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से चलाई गयी गोली से मारे जाने पर पहले 1 लाख रूपया दिया जाता था, अब नरेन्द्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री जी के सौजन्य से यह राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी गई है तथा उस परिवार के एक सदस्य को किसी विभाग में भर्ती किया जाता है जिससे सीमा पर रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है।

भारत-पाक युद्ध के समय जो लोग घर से बेघर हुए थे उनके लिए सरकार कुछ नहीं किया था और 60 सालों तक सिर्फ वोटों की राजनीति का शिकार होते रहें, परंतु जबसे नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार बनी है, तबसे उन लोगों की आशा बढ़ गयी है उन लोगों के लिए हजारों करोड़ रु. पैकेज की घोषणा की है तथा उन लोगों के लिए तथा पाक रिफ्यूजी के लिए लिए 2,000 करोड़ रु. का अनुदान रखा है जो आज के दिन में वितरित हो रहा है।

इस देश को बताना चाहता हूँ विशेषकर आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो नौजवान जो आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं, वैसे एसपीओ का मानदेय 3000 रु. से बढ़ाकर 6000 रु. किया है।

मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बीएडीपी के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जो निधि जारी की जाती है, उस निधि के आवंटन से पहले सांसद से परामर्श होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस निधि का सही कामों के लिए उपयोग हो।

जम्मू- कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 5 बटालियन खड़ी करने की बात कही है, इससे जम्मू- कश्मीर विशेषतौर पर जम्मू- कश्मीर भारत - पाक सीमा पर रहने वाले नौजवानों पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

अतः गृह मंत्री एवं सरकार से प्रार्थना है कि 5 बटालियनों के जल्द से जल्द शुरू करने की प्रक्रिया की जाए। अंत में गृह मंत्री और सरकार से आग्रह है कि भारत - पाक सीमा पर आधुनिक उपक्रम लगाये

* Speech was laid on the Table.

जाये ताकि पाक द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी को भारत में घुसपैठ करने से रोका जा सके । अतः मैं मांगों का समर्थन करता हूँ।

*** PROF. RICHARD HAY (NOMINATED):** The Hon. Home Minister is both vigilant and alert. Such a large country with her inherent problems, border incursions and with vast borders, though apparently difficult to manage well, the Hon. Home Minister and his entire team has done full justice to the country in the most exemplary way by securing safety for all.

Though, we have gone through some minor aberrations, our country has remained one of the most peaceful nations in the world. There is communal harmony and people of all faiths are living harmoniously. The minorities live in peace and the GOI takes measures to see that minorities are provided with effective welfare schemes.

This government is a pro-poor and pro-farmer, for whom the government allocates grants, funds and credit for their development.

I wholeheartedly support the grants for Ministry of Home Affairs.

* Speech was laid on the Table

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : सभापति महोदय, जिन सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उनके नामों का भी उल्लेख करना चाहूँगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री हरीश मीना, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, श्री तथागत सत्पथी जी, इसके अतिरिक्त डॉ. रविन्द्र बाबू, टीडीपी, श्री बी.विनोद कुमार, टीआरएस, श्री मोहम्मद सलीम, श्री विष्णु दयाल राम जी, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, डॉ. उदित राज, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, श्रीमती किरण खेर, श्री अभिजीत मुखर्जी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, कुँवर भारतेन्द्र सिंह, श्री दुष्यंत चौटाला और डॉ. संजय जायसवाल, इन सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

मैं यह कहना चाहूँगा कि जिन भी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, कई ने गृह मंत्रालय के कामकाज की सराहना की है और कुछ ने उसकी समालोचना की है, आलोचना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिसने आलोचना भी की है, उसे भी मैं सकारात्मक रूप में स्वीकार करता हूँ और आलोचना करते हुए भी जो उनके सुझाव प्राप्त हुए हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम उन सुझावों पर जहाँ तक हो सकेगा, पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करेंगे। यदि उन्होंने आलोचना भी की है, तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि देशहित को ध्यान में रखकर ही उन्होंने आलोचना की होगी, ताकि गृह मंत्रालय उनकी आलोचनाओं का संज्ञान लेते हुए उस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठा सके।

जहाँ तक देश की आंतरिक स्थिति का सवाल है, मैं फर्म कन्विक्शन के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति में, जो सिक्थोरिटी सिनोरियो है, उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से सुधार हुआ है। भारत एक बड़ा देश है। लगभग 124-125 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पर है। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की एस्पिरेशंस भी अलग-अलग हैं, लोगों की नीड्स भी अलग-अलग हैं। इसलिए यह कोई दावा नहीं कर सकता है कि कहीं किसी प्रकार कान्फ्लिक्ट नहीं होगा, कहीं किसी प्रकार की वारदात नहीं होगी, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय ने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, जो भी यहाँ की आंतरिक सुरक्षा के हालात में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं, वे प्रयास किये हैं।

कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि मैं सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा, जिन भी बिंदुओं की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है, उन सबका चूंकि मैंने संज्ञान लिया है और सब पर मैं जवाब दूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर, उनके द्वारा उठाए गए जो प्वाइंट्स हैं, उन पर यदि मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा तो डेढ़, दो या ढाई घंटे का समय भी यहाँ लग सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात

रखना चाहूंगा। उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाये गये हैं, उन पर कुछ बोलने के पहले मैं 10-12 मिनट के अंदर ही देश की आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के बारे में माननीय सदस्यों को यहां पर जानकारी देना चाहूंगा।

जहां तक देश में आतंकी हमलों का संबंध है, वर्ष 2016 में पाकिस्तान से आये आतंकवादियों द्वारा पठानकोट, उड़ी और नागरोटा में जो हमारे आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पर यह हमला हुआ, इसकी सभी को जानकारी है। भारत में रहने वाले लोगों ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इस मामले में आगे इन्वेस्टीगेशन जारी है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो 322 टैरोरिस्ट्स इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें 150 आतंकवादियों को केवल 2016 में हमारी सेना और सुरक्षा के जवानों ने मारने में कामयाबी हासिल की है। 8 जुलाई, 2016 को 3 आतंकवादी मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में वॉयलेंट प्रोटैस्ट्स हुए हैं और लॉ एंड आर्डर से संबंधित कुछ डिस्टर्बेंसेज़ भी शुरू हुए हैं, लेकिन सिक््युरिटी फोर्स और जम्मू-कश्मीर की पुलिस उस पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक कामयाब रही है। जहां जुलाई, 2016 में 820 लॉ एंड आर्डर संबंधित घटनाएं हुई थीं वहीं दिसम्बर, 2016 में, मैं इसे फिर रिपीट करना चाहूंगा, जुलाई, 2016 में 820 लॉ एंड आर्डर से संबंधित घटनाएं हुई थीं वहीं दिसम्बर, 2016 में ये घटकर 36 और जनवरी, 2017 में सिर्फ 6 रह गई हैं। वैसे जम्मू-कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। वहां स्पैशल पुलिस ऑफिसर्स की लगभग 10 हजार पोस्ट सैक्शन की है, हमारी उड़ान स्कीम भी प्रभावी तरीके से चल रही है जिसमें लगभग 9 हजार से अधिक नौजवानों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।

मैं नार्थ-ईस्ट डिविजन की इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि हम जब कभी इस देश के सिक््युरिटी सिनेरियो के बारे में चर्चा करते हैं, तो टैरोरिज़्म, एलडब्ल्यूई अफैक्टेड एरियाज़ की चर्चा के साथ-साथ नार्थ-ईस्ट डिविजन की भी चर्चा होनी चाहिए। इनसर्जेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती नार्थ-ईस्ट की रही है। मैं आज इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 15-20 वर्षों पहले नार्थ-ईस्ट में इनसर्जेंसी के जो हालात थे, उसमें 75 प्रतिशत की कमी आई है। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है। मैं आंकड़े भी देना चाहता हूं। नार्थ-ईस्ट रीजन में इनसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स की वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में, मैं 2015-16 की बात कर रहा हूं, दस साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार के बनने के बाद की बात कर रहा हूं, प्रति वर्ष क्या प्रोग्रेस हो रही है। हम 2015 और 2016 में देखें तो उसमें 15 प्रतिशत की कमी आ गई है। 2015 में जो घटनाएं घटित हुईं, इनसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स 574 थे, लेकिन 2016 में वे कम होकर 484 रह गए हैं। 2016 में वर्ष 1997 से अब तक के सबसे कम इनसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं। यह एक सुखद सूचना है जो मैं इस सम्मानित सदन को देना आवश्यक समझता था, इसलिए आपको उसकी जानकारी दी है।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस-2 डिवीजन आता है जो पैरा-मिलिट्री फोर्सिंग से रिलेटेड सारी गतिविधियां करता है। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस स्ट्रैस के दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है, उनके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। उनकी कौंसलिंग करनी चाहिए, उनके ग्रिवेंसेज के रिड्रेसल की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये सारे काम गृह मंत्रालय द्वारा इस समय किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने के लिए सरकार में 68 ऐसे लोकेशनस हैं जहां 3090.68 करोड़ रुपये की लागत से सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के पर्सोनेल्स के लिए 13 हजार 72 मकान और 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को हमने अभी-अभी एप्रूव कर दिया है। एनएसजी के लिए, रीजनल हब की स्थापना के लिए हमने प्रस्ताव को 9 मार्च को एप्रूव किया है। इसके अतिरिक्त 30 इंडिया रिजर्व बटालियन्स, मैं राज्यों के नाम लेना चाहूंगा, 4 आंध्र प्रदेश, 4 तेलंगाना, 5 जम्मू कश्मीर, 4 छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, 2 महाराष्ट्र, 3 ओडिशा, 2 पंजाब, 2 गुजरात और एक राजस्थान के गठन किए जाने के बारे में भी हमने एप्रूव कर दिया है। इनको दी जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जा चुकी है।

महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है। कानून और व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों से निपटने में महिला पुलिस की मांग पहले की अपेक्षा तेजी के साथ बढ़ी है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड फोर्सिंग के लिए मुझे जो आदेश जारी करना था, वह मैंने जारी किया है। लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं, मैंने उन सभी मुख्यमंत्रियों को एक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस फोर्स हो अथवा कोई भी फोर्स हो उसमें कम से कम 33 परसेंट महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं यह कह सकता हूँ कि इस दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। राज्य सरकारों ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है, इस दिशा में राज्य सरकारें भी प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में भी महिलाओं का परसेंटेज बढ़ाने के लिए 21 महिला कंपनी को अलग से अभी हाल ही में एप्रूव किया है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जवानों के बारे में लिए हैं।

सभापति महोदय, जब जवान घायल हो जाता था और हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वह ऑन ड्यूटी नहीं माना जाता था। मैंने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद आदेश किया कि यदि हमारा जवान घायल हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो वह ऑफ ड्यूटी नहीं माना जाएगा बल्कि ऑन ड्यूटी माना जाएगा। यह आदेश भी प्रभावी तरीके से लागू हो गया है। पैरामिलिट्री फोर्सिंग के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों की भी हम लोगों ने चिंता की है। मैंने स्वयं एक सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन से संपर्क किया है, हमने उसके चेयरमैन से संपर्क किया, मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे जो जवान शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की पूरी जिम्मेदारी यदि आपका फाउंडेशन अपने

कंधों पर उठा ले तो मैं समझता हूँ कि यह देश के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने इसे सहज रूप से इसे स्वीकार कर लिया। मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि आज हम शहीदों के लगभग 295 बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं और 178 बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने हेतु नामिनेशन के लिए सरोजनी दामोदरन फाउन्डेशन को भेजा है।

सभापति महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में 12 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो भी सहायता संभव होती, वह सहायता दी जा रही है। उसके अतिरिक्त, मैंने कुछ अन्य लोगों से भी अनुरोध किया है, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने एक पहल की। उन्होंने कहा, सर, जितने भी जवान मारे गए हैं, उनके परिवार के सदस्यों का एकाऊंट नंबर भेजिए और उन्होंने हर शहीद परिवार को नौ-नौ लाख रुपये की धनराशि अपनी तरफ से दी है। मैं कॉरपोरेट जगत के अन्य लोगों से भी संपर्क कर रहा हूँ, हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी जितनी अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं, वह अपनी तरफ से मदद करें।

सभापति महोदय, महिला सुरक्षा एवं साइबर क्राइम में बढ़ोत्तरी देश के सामने एक मेजर चैलेंज है। सचमुच में हम लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। इसका सामना करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मैं यहां पर सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट की चर्चा करना चाहूँगा। इसे आगे बढ़ाते हुए पुलिस थानों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है ताकि पुलिस थाने आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकें। इस अपराधी ने केवल इस स्टेट में अपराध किया है या दूसरे स्टेट में किया है या तीसरे स्टेट में किया है, इसकी जानकारी हो सके। इसके साथ ही हम इसे प्रोसिक्यूशन कार्यालय एवं फॉरेंसिक लेबोरेटरीज से लिंक-अप कर रहे हैं जिससे यह कोर्ट, जेल और थानों से जुड़ सकेंगी, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। मैं सीसीटीएनएस की प्रोग्रेस की जानकारी देना चाहता हूँ। बिहार और राजस्थान को छोड़कर देश के कुल 13,353 पुलिस स्टेशन में से 12,622 पुलिस स्टेशन में एफआईआर सीसीटीएनएस का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर रहे हैं। यह प्रोग्रेस मात्र दो ढाई वर्षों के अंदर हुई है। दिसम्बर 2016 तक लगभग 99.6 लाख एफआईआर इस प्रकार से रजिस्टर किए जा चुके हैं। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने के लिए पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट, फिंगर प्रिंट, फॉरेंसिक एवं प्रोसिक्यूशन को जोड़ते हुए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

सभापति महोदय, निर्भया फंड की भी चर्चा हुई, निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों पर भी कंट्रोल करने के लिए, साइबर क्राइम प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन की स्कीम पर गृह मंत्रालय अगले तीन वर्षों में 195.83 करोड़ की लागत से इम्प्लीमेंट करेंगी। सभी स्टेट और यूटीज में 36 साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर्स और इस्टैब्लिश किए जाएंगे। सारे देश में 40,500

पुलिस अफसरों को केवल वूमेन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के परपज़ से ट्रेंड किया जाएगा, हमने यह डिजीजन लिया है।

महोदय, हमने निर्भया फंड के अंतर्गत देश में इमरजेंसी रिस्पॉंस सिस्टम को नया स्वरूप देने की कोशिश की है। इसमें पुलिस एम्बुलेंस, फायर जैसी इमरजेंसी सर्विसिस को एक टेलीफोन नंबर 112 में जोड़ने के लिए राज्यों, युनियन टेरीटरीज़, संचार मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय काम कर रहा है।

महोदय, मैं यहां एलडब्ल्यूई अफेक्टिड, माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों की चर्चा करना चाहता हूं। वामपंथी उग्रवाद हिंसा में भी पिछले कई वर्षों की अपेक्षा तेजी से गिरावट आई है। मैं यहां आंकड़ा देना चाहता हूं, 2011 में 1760 हिंसक घटनाएं हुई थी, जिनमें 611 सिक्योरिटी फोर्सिस और सिविलियन्स की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2016 में 1088 हिंसक घटनाओं में केवल 278 की मृत्यु हुई, यानी पहले 611 की मृत्यु हुई थी, उसमें गिरावट आई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों की संख्या 2011 में 99 थी और 2016 में बढ़कर 222 हो गई है। आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने वाले इन्सर्जेन्ट्स की संख्या 2011 में 394 थी जो 2016 में बढ़कर 1442 हो गई है।

महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि दस राज्यों के 106 जिले माओवाद से प्रभावित थे। वर्तमान में 68 ऐसे जिले हैं जिनमें उग्रवादी हिंसा के मामलों की रिपोर्ट मिल रही है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि 90 परसेंट घटनाएं विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में, यानी कुल सात राज्यों के मोस्ट अफेक्टिड 35 जिले हैं, इनका नंबर लगातार गिरता जा रहा है और आगे भी गिरता जाएगा।

महोदय, हम सिक्योरिटी रिलेटिड स्टैप्स लेते हैं जिसमें राज्यों को अर्ध सैनिक बल और अधिक उपलब्ध कराते हैं, इन्टेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए सेंटर अपनी तरफ से जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, फोर्स असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, करते हैं। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में डैवपलपमेंट का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित आठ प्रदेशों के 34 जिलों में सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए 5422 किलोमीटर सड़कों का निर्माण आरआरपी फेज़-1 स्कीम के तहत स्वीकृत किया गया था, जिसमें 4225 किलोमीटर सड़कों का निर्माण अब तक हो चुका है। इसके अलावा दिसम्बर 2016 में सरकार ने एलडब्ल्यूई प्रभावित नौ राज्यों के 44 जिलों में 5412 किलोमीटर सड़क, 126 ब्रिजेज़ के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना में कुल 11725 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। पिछले दो वित्तीय वर्ष में माओवाद से प्रभावित 35 जिलों में 358 नए बैंक खुलवाए गए हैं और 752 नए एटीएम लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं 35 जिलों में 1789 नए पोस्ट आफिस खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।

बार्डर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मैं इसकी भी जानकारी देना चाहता हूँ कि फैंसिंग का काम इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान बार्डर पर काफी हद तक पूरा हुआ है। मैं आंकड़े दे सकता हूँ, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा और मैं जानता हूँ कि अब अधिकांश सदस्य जाना चाहते हैं। इंटरनेशनल बार्डर पर बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने के लिए 4805 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2844 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अभी हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स द्वारा जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसमें इनका भी इन्वाल्वमेंट होना चाहिए, इनके भी सुझाव लिये जाने चाहिए। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करूंगा। जो भी होगा, हम वे आवश्यक कदम उठाएंगे।

हमारे कई इंटीग्रेटेड चैकपोस्ट हैं। मैं यहां पर रक्सौल के इंटीग्रेटेड चैकपोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। 3 जून, 2016 से, जोगबनी स्थित आईसीपी ने 15 नवम्बर, 2016 से कार्य करना शुरू कर दिया है, पेट्रापोल आईसीपी में कारगो टर्मिनल का 31 जूलाई, 2016 को उद्घाटन किया गया है। 24 जनवरी, 2017 को मेघालय में एक अन्य आईसीपी का शिलान्यास किया गया है। अब इफैक्टिविली बार्डर मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स 21 नवम्बर, 2016 को गठित की गयी है। भारत सरकार ने विभिन्न कठिन क्षेत्रों, जहां फैंसिंग नहीं लगायी जा सकती है, वहां निगरानी करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, जैसे राडार्स, सेन्सर्स, कैमराज, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड कमांड एंड कंट्रोल सॉल्यूशन की तैनाती का भी निर्णय लिया है। इस समय पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमारी चार परियोजनाएं इस समय चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि महीने, डेढ़ महीने के बाद इन पायलट प्रोजेक्ट्स के जो रिजल्ट्स आयेंगे, उस आधार पर हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का काम बार्डर को सिक्वोर करने के लिए प्रारंभ करेंगे।

सभापति महोदय, यूटी डिवीजन, यानी यूनियन टेरिटरीज डिवीजन भी इसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके संबंध में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहां पर कई कदम उठाये गये हैं। मैं यहां केवल निर्भया फंड की ही चर्चा करना चाहता हूँ। निर्भया फंड के अंतर्गत इस वर्ष दो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किये गये, जिसमें 60 कॉंसलर्स को दो वर्ष के लिए हायर करना था। इस पर 6.2 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। वहीं पर एसपीयूडब्ल्यूएसी और एसपीयूएनआर की बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में 23.3 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के काम प्रारंभ हो गये हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा क्राइम को रोकने के लिए कई ऐसे प्रभावी कदम उठाये गये हैं, जैसे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। साथ ही साथ सैल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग यहां के स्कूल्स, कालेजेज और यूनीवर्सिटीज में नौजवानों को दी जाती है। जन सम्पर्क का भी काम

चलता है। इसके अतिरिक्त हमारी दूसरी यूटीज हैं, मैं उनकी डिटेल् में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब काफी विलंब हो चुका है।

सभापति महोदय, मैं यहां जरूर इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि इस सदन के सम्मानित सदस्य, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर खड़गे साहब ने कहा है कि बजट ऐस्टीमेट जितना था, उतना हमने खर्च नहीं किया है। मैं इस संबंध में क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं कि यह एक रिकार्ड है कि जितना बजट एलोकेशन हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने अब तक तकरीबन 91 परसेंट खर्च कर लिया है और मार्च समाप्त होते-होते वह 100 परसेंट पूरा हो जायेगा। यह अपने में एक रिकार्ड है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, यह भी मैं बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों में आबंटनों का बजट ऐस्टीमेट वर्ष 2016-17 में 89996.83 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 99279.8 करोड़, यानी 10.31 परसेंट की वृद्धि हुई है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में, यानी वर्ष 2015-16 और 2016-17 में प्लान एलोकेशन के व्यय में गृह मंत्रालय का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। इससे पहले ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी बजट ऐस्टीमेट्स हैं, उनके बारे में मैं अलग-अलग बता सकता हूं, लेकिन मैं बहुत डिटेल् में नहीं जाऊंगा। लेकिन खड़गे साहब ने जो कुछ भी आंकड़े दिये थे, वे बहुत ही सलैक्टिव फिगर्स दी थी।

खड़गे साहब ने नक्सलियज्म के बारे में कुछ बातें उठाई थीं, उनके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दे दी है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का प्रभाव पहले की तुलना में कैसे तेजी के साथ गिरा है। यहां पर पठानकोट पर आतंकवादी हमले के बारे में खड़गे साहब ने सवाल पूछा है, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसके बारे में फिलिप कैम्पोस कमेटी बनी थी। यह कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाई थी, इसलिए जब रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय खड़गे साहब को इस विषय को उठाना चाहिए था।

सभापति महोदय, इनटॉलरेंस की बात एक सम्मानित सदस्य ने कही है। मैं यहां साम्प्रदायिक घटनाओं की चर्चा करना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में 823 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं, 2014 में 644 घटनाएं, 2015 में 751 घटनाएं और 2016 में 703 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिक घटनाएं होती हैं, वह लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न होता है, जो राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ है। जो भी राज्य सरकार हमसे सपोर्ट मांगती हैं, हम उसे वह सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, खड़गे साहब ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के बारे में कुछ बातें कही थीं, मैं पहले ही उनका जवाब दे चुका हूं। हरीश मीणा जी ने स्टूडेंट पुलिस कैडर स्कीम की बात कही है। उनका

सुझाव अच्छा है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हरीश मीणा जी के साथ ही पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट पुलिस कैंडर स्कीम, जो केरल और गुजरात में चल रही है। मैंने स्वयं वहाँ जाकर इसे देखा है और कैसे यह स्कीम पूरे देश में लागू की जा सकती है, उसका पूरा एक्शन प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आगामी कुछ ही महीनों में हम इसे लागू करने जा रहे हैं।

खड़गे साहब ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सिक्थोरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम में वर्ष 2017-18 में पूर्व के वर्षों की तुलना में कम फण्ड उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिक्थोरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम जम्मू-कश्मीर, एलडब्ल्यूई और नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्रों में लागू है। वर्ष 2016-17 में हमारा बजट एस्टीमेट 840 करोड़ रुपये था, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट में बढ़कर 1390 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2017-18 में बजट एस्टीमेट पूर्व वर्ष से बढ़ाकर 1221 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसलिए उनकी बात तथ्यों पर आधारित नहीं है।

डॉ० काकोली घोष दस्तीदार ने सीआरपीएफ के बारे में कहा है, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ में अब तक 126 माइन प्रोटेक्टेड वेहिकल्स कार्यरत हैं, आईटीबीपी में 20 माइन प्रोटेक्टेड वेहिकल्स कार्यरत हैं। इस समय बॉर्डर सिक्थोरिटी फोर्स 42 माइन प्रोटेक्टेड वेहिकल्स की खरीद अपनी तरफ से कर रहा है। उन्होंने दूसरी बात बॉर्डर फेंसिंग के बारे में कही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कहीं पर हिल एरिया है, कहीं रिवाइज्ड है, कहीं पर फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, कहीं पर नेबरिंग कंट्रीज की आपत्तियां रहती हैं कि वहाँ फेंसिंग नहीं होनी चाहिए और कहीं पर राज्य सरकार के द्वारा जो लैण्ड एक्वीजिशन होना चाहिए, वह न हो पाने के कारण इस काम में विलम्ब होता है। हमने आने के बाद, बॉर्डर फेंसिंग कितनी तेजी के साथ हो रही है, लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं और मेरे दोनों सहयोगी राज्य मंत्रीगण - श्री किरेन रिजीजू जी और हंसराज अहीर जी, इस काम को बहुत मुस्तैदी के साथ देख रहे हैं।

यहाँ पर मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लैण्ड एक्वायर करने के संबंध में कहना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट की गयी थी, लेकिन अभी तक एक्वीजिशन नहीं हो पाया है। हमारे वरिष्ठ संसद सदस्य सौगत राय जी और डॉ० दस्तीदार जी यहाँ हैं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से कहिए कि जल्दी लैण्ड एक्वीजिशन का काम पूरा हो जाए, जिससे ताकि हम फेंसिंग के इस काम को पूरा कर सकें।

नेशनल इमर्जेंसी रिस्पॉंस सिस्टम की बात कही गयी है। माननीय सदस्य ने कहा था कि जो कम पढ़ी-लिखी महिलाएं होती हैं, वे स्मार्ट फोन और इस एप का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉंस सिस्टम के तहत इमरजेंसी कॉल करने के लिए स्मार्ट फोन अथवा एप की कोई जरूरत नहीं है। वे ऑर्डिनरी फोन से भी काम कर सकते हैं, इसलिए वर्ष 2017-18 वित्त वर्ष में इस नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉंस सिस्टम को लागू कर दिया गया है।

काकोली घोष जी ने गैंग रेप ऑफ वुमन इन पंडरनगर, न्यू दिल्ली ने कहा है। इस केस में दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 12.02.2017 को एफआईआर दर्ज की गयी है तथा सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। काकोली घोष जी ने 33 परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमन का प्रश्न उठाया था। हम ने इसकी जानकारी आपको दे दी है, हम इस पर प्रभावी तरीके से अमल कर रहे हैं।

विनोद कुमार जी यहां पर मौजूद नहीं हैं, फिर भी मैं उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा था कि 'हीट वेभ' को एक प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन्स हैं, गाइडलाइन्स ऑन कॉस्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट डिसास्टर रिस्पॉंस फंड, एसडीआरएफ के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने एसडीआरएफ में से 10 प्रतिशत तक की राशि किसी भी क्षेत्रीय आपदा जो इस राज्य के क्षेत्र में आती है, उसके प्रभावित पीड़ितों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अलग से 'हीट वेभ' को नेचुरल डिजास्टर घोषित करने की बजाय, बेहतर यह होगा कि राज्य सरकारें का जो 10 प्रतिशत का फंड है, उसी से जो इससे प्रभावित हैं, उनको सहायता प्रदान करें। विनोद कुमार जी ने मॉडर्नाइजेशन पुलिस फंड की चर्चा की थी। संभवतः एलोकेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि यह कम हो गया है। वर्ष 2016-17 में मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फंड के लिए 595 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जो 31 मार्च तक 100 प्रतिशत खर्च हो जायेगा। उन्होंने कहा कि यह फंड खर्च नहीं हुआ है। वर्ष 2015-16 में भी पुलिस मॉडर्नाइजेशन का बजट 100 प्रतिशत खर्च हो चुका है।

तेलंगाना को वर्ष 2015-16 में 16.32 करोड़ रुपए और वर्ष 2016-17 में 14.93 करोड़ रुपए दिये गये हैं। सीसीटीएनएस में तेलंगाना को अब तक 60 करोड़ रुपए दिये जा चुके हैं। यह उनके प्रश्न का उत्तर है। सत्यथी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की बात कही थी। हम लोगों ने पुलिस को सेंसिटिव बनाने के लिए कई इनिशिएटिव लिये हैं। स्मार्ट पुलिस का यह कंसेप्ट हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया था। 'S' means Strict but Sensitive; 'M' means Modern and Mobile; 'A' means Accountable and Alert; 'R' means Reliable and Responsible; and 'T' means Techno-savvy and Well Trained. सत्यथी जी ने यह कल्पेबल होमीसाइड के बारे में कहा था। इस मामले को अरूणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने भारत सरकार को भेजा है। **We are examining this issue.**

रवीन्द्र बाबू, टीडीपी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी का प्रयोग, जो शहीद या घायल होते हैं अथवा उनके लिए किया जाना चाहिए, उसका उत्तर मैंने दे दिया। हम लोग वह कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेस की भी बात उठायी है। हम इस दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। हमारे जितने भी फोर्सज हैं, हर सैक्टर, रेंज और यूनिट पर ऑपरेशन में जो भी ग्रीवांसेज मिलती हैं, उसकी अपनी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। एक

बार गिवांस लॉज किए जाने के बाद इंकवायरी और रिड्रेसल का निर्धारित सिस्टम एवं प्रोसिजर है एवं नीचे के स्तर पर रिड्रेसल नहीं किए जाने पर गिवांस को आगे बढ़ाने के मैकेनिज्म है। गिवांस रिड्रेसल की उचित मॉनिटरिंग की जाती है। सभी केन्द्रीय पुलिस बलों के पास अपने कार्मिकों एवं अधिकारियों के बीच कम्यूनिकेशन का उचित चैनल मौजूद है। ओपेन दरबार, सैनिक सम्मेलन व्यक्तिगत सुनवाई जैसे बातचीत के सीधे तरीकों, जो विभिन्न स्तरों पर बातचीत के स्थापित मंचों के भाग हैं, जैसे वेब बेस्ड गिवांस रिड्रेसल, मोबाइल सर्विस, ई-मेल, उचित सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑडिट के साथ इसका उपयोग किया जाता है।

मोहम्मद सलीम साहब ने बांग्ला इनक्लेव की बात कही है, वह यहां से चले गये हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश से जो व्यक्ति भारतीय नागरिक बने हैं या जो इनक्लेव अब भारत का हिस्सा है, उनके विकास पर भारत का कोई ध्यान नहीं है, यह बात उन्होंने कही है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कहा है, वह उचित नहीं है। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार की रिक्वायरमेंट के अनुसार 140 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज किये गये और उसके बाद 2016-17 में 340 करोड़ रुपए हम देने को तैयार थे। लेकिन राज्य सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देरी से भेजी, इसलिए 140 करोड़ रुपये ही और हम रिलीज कर पाए। हम केवल 140 करोड़ रुपये ही रिलीज कर पाए क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आयी थी। वर्ष 2017 में 477.49 करोड़ रुपये का बजट एस्टीमेट रखा है, समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आता रहे, हम पूरी धनराशि रिलीज कर देंगे। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ।

मोहम्मद सलीम साहब ने जो बातें कही हैं, उनके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि पीओके-चम्ब को भारत सरकार ने 36,384 परिवारों के लिए 22 दिसम्बर, 2016 को वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है। प्रत्येक विस्थापित परिवारों को साढ़े पाँच लाख रुपये दिये जाएंगे। इस स्कीम में दो हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है।

जम्मू-कश्मीर की सरकार को हर परिवारों के दस्तावेज को चेक करना है। अब तक 20 हजार से अधिक परिवारों ने राज्य सरकार से फॉर्म ले लिये हैं और तीन हजार परिवारों ने सभी डॉक्युमेंट्स जमा कर दिये हैं। भारत सरकार की ओर से इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि का डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया जाएगा।

मोहम्मद बशीर साहब ने स्टेप्स टू स्ट्रेन्डेन ट्रेनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कहा है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने इस दिशा में कई इनिशिएटिव लिये हैं। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का कैम्पस रोहिणी में बनना शुरू हो गया है। यह अगले दो वर्षों में पूरा हो जाएगा।

एनआईडीएम (नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट) का दक्षिण कैम्पस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में काम करना शुरू कर दिया है। नैशनल सिविल डिफेन्स कॉलेज, नागपुर को अपग्रेड करके नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी बनाने का निर्णय लिया गया है।

श्री विनोद कुमार जी ने एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के बारे में कहा था। इस संबंध में मैं जवाब दे चुका हूँ। सभापति जी, मैं समझता हूँ कि अब कुछ शेष नहीं बचा है। इसलिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि गृह मंत्रालय के जो भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, उनको पारित करने की कृपा करें।

HON. CHAIRPERSON : I shall now put cut motions moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.

I shall now put cut motion Nos. 2, 3 and 4 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs moved by Shri Jai Prakash Narayan Yadav to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion Nos. 5, 39, and 59 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion Nos. 14 to 27 to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 46 to 55 relating to the Ministry of Home Affairs.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs are passed.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet on Monday, the 20th March, 2017 at 11 a.m.

18.40 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
On Monday, March 20, 2017/Phalguna 29, 1938 (Saka).*
